हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

25 मार्च, 1992

खण्ड 1, अंक 10

अधिकृत विवरण

विषय सूची

बुधवार, 25 मार्च, 1992

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(10)1
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(10)25
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(10)2 8

स्थगन/ध्यानाकर्षण प्रस्ताव–	
टाडा के अधीन समाजवादी जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के विरुद्ध मुकदमें दर्ज करने संबंधी	(10)30
सदस्यों का नाम लेना	(10)40
वैयक्तिक स्पष्टीकरण–	
श्रम तथा रोजगार मंत्री (चौधरी कृष्ण मूर्ति हुडडा)द्वारा	(10)46
सदस्यों का नाम लेना (पुनरारम्भ)	(10)48
वाक आउट्स	(10)54
सदस्यों का नाम लेना (पुनरारम्भ)	(10)55
वक्तव्य–	
मुख्य मंत्री द्वारा उपर्युक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी	(10)56
सदस्यों का नाम लेना (पुनरारम्भ)	(10)57
वक्तव्य–	
मुख्य मंत्री द्वारा उपर्युक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सबंधी (पुनरारम्भ)	(10)58
स्थगन प्रस्ताव–	
पानी तथा क्षेत्रीय झगड़े सम्बन्धी	(10)63

वैयक्तिक स्पष्टीकरण–	
(1)श्री बंसी लाल द्वारा	(10)66
(2)प्रो० राम बिलास शर्मा द्वारा	(10)66
स्थगन प्रस्ताव–	
पानी तया क्षेत्रीय झगड़े संबंधी (पुनरारम्भ)	(10)67
वक्तव्य–	
मुख्य मंत्री द्वारा उपर्युक्त स्थगन प्रस्ताव संबंधी	(10)68
वैयक्तिक स्पष्टीकरण–	
श्री बंसी लाल द्वारा	(10)70
वक्तव्य–	
मुख्य मंत्री द्वारा उपर्युक्त स्थगन प्रस्ताव संबंधी (पुनरारम्भ)	(10)71
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव–	
(1)हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा ली गई परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों के लीक होने संबंधी	(10)74
वाक आउट	(10)74
वक्तव्य–	

शिक्षा मंत्री द्वारा उपर्युक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी	(10)75
(2)शाहबाद चीनी मिल द्वारा शाहबाद के किसानों का गन्ना न उठाने बारे उनमें व्याप्त भारी रोष संबंधी	(10)81
(3)सहकारी चीनी मिल पलवल (फरीदाबाद)द्वारा जिला फरीदाबाद का गन्ना न उठाने संबंधी	(10)81
वक्तव्य–	
मुख्य मंत्री द्वारा उपर्युक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव क्रम संख्या (2)एवं (3)संबंधी	(10)82
(4)हरियाणा स्कूल शिक्षरा बोर्ड के परीक्षा केन्द्रों में नकल करने संबंधी	(10)84
(5)राज्य में राशन डिपुओं पर आवश्यक वस्तुओं की कमी संबंधी	(10)85
वक्तव्य –	
खाद्य तथा पूर्ति मंत्री द्वारा उप युक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव क्र० संख्या (5)संबंधी	(10)86
स्थगन प्रस्ताव–	
अनाधिकृत गोला बारूद लाने संबंधी	(10)88

नियम 15 के अधीन प्रस्ताव	(10)88
नियम 16 के अधीन प्रस्ताव	(10)89
सदन की मेज पर रखे गये कागज पत्र	(10)89
समितियों की रिपोर्टस पेश करना–	
(1)कमेटी औन पब्लिक अन्डरटेकिंग्ज की 32वीं तथा 33वीं रिपोर्टस	(10)90
(2)कमेटी औन सुबोर्डीनेट लेजिसलेशन की 23वी रिपोर्ट	(10)90
(3)ऐस्टिमेटस कमेटी की 24वीं रिपोर्ट	(10)90
(4)कमेटी औन दि वेल्फेयर औफ शिडयूल्ड कास्टस एण्ड शिडयूल्ड ट्राईब्ज की 17वीं रिपोर्ट	(10)91
बिल्ज–	
(1)दि हरियाणा ऐप्रोप्रिएशन (नं० 2)बिल, 1992	(10)91
वैयक्तिक स्पष्टीकरण–	
श्री कर्ण सिंह दलाल द्वारा	(10)111
दि हरियाणा ऐप्रोप्रिएशन (नं० 2)बिल, 1992 (पुनरारम्भ)	(10)113
वाक–आउट	(10)120

दि हरियाणा ऐप्रोप्रिएशन (नं० 2)बिल, 1992 (पुनरारम्भ)	(10)121
वैयक्तिक स्पष्टीकरण–	
श्री बंसी लाल द्वारा	(10)131
दि हरियाणा ऐप्रोप्रिएशन (नं० 2)बिल, 1992 (पुनरारम्भ)	(10)131
(2)दि हरियाणा एंड पंजाब ऐग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज (हरियाणा अमैंडमैंट)बिल, 1992	(10)133
वैयक्तिक स्पष्टीकरण–	
श्री बंसी लाल द्वारा	(10)146
दि हरियाणा एंड पंजाब ऐग्रीकल्चरल यनिवर्सिटीज (हरियाणा अमैंडमैंट)बिल, 1992 (पुनरारम्भ)	(10)147
(3)दि हरियाणा म्यूनिसिपल (अमैंडमैंट)बिल, 1992	(10)151
नियम 84 के अधीन प्रस्ताव	(10)153

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 25 मार्च, 1992

हरियाणा विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर 1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.00 बजे हुई। अध्यक्ष चौधरी ईश्वर सिंह)ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्षः मैम्बर साहेबान, अब सवाल होंगे।

66 K.V. Sub-station at village Deeghot

***186. Shri Karan Singh Dalal:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state--

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to set up 66 K.V. Sub-Station at village Deeghot, tehsil Palwal, District Faridabad; and

(b) if so, the time by which it is likely to be set up ?

Irrigation and Power Minister (Shri Shamsher Singh Surjewala) :

(a) No, Sir.

(b) Question does not arise.

श्री कर्ण सिंह दलालः स्पीकर साहब, डीघोट, आबादी में फरीदाबाद जिले का सब से बड़ा गांव है लेकिन मंत्री जी ने सवाल

का जवाब देते हुए कहा है कि वहां पर 66 के० वी० का सब–स्टेशन बनाने का कोई विचार नहीं है। क्या मण्डी महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि अगर डीघोट में 66 के० वी० का सब–स्टेशन नहीं बन सकता तो क्या बामनीखेड़ा में 66 के० वी० का सब–स्टेशन बनाने का सरकार का कोई इरादा है?

श्री शमशेर सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, डीघोट को इस समय बिजली पलवल में, जो 66 के.वी. सबस्टेशन है, उससे मिल रही है। वहां पर इस समय टोटल लोड 80 से 100 ऐम्पीयर है। एक फीडर नौर्मल लोड 200 ऐम्पीयर ज्यादा से ज्यादा बीयर कर सकता है। अध्यक्ष महोदय, जब 5 एम०वी०ए० से लोड आठ एम०वी०ए० हो जाएगा तो वहां पर सब–स्टेशन बनाने पर विचार करेंगे। इस समय वहा पर कोई प्रौब्लम नही है और इस समय वहां पर सब–स्टेशन बनाने की कोई जस्टीफिकेशन भी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यह जरूर है कि उसके नजदीक इंडस्ट्रियल लोड जरुर ग्रो करने लग रहा है। जब इंडस्ट्रियल लोड ज्यादा हो जाएगा तो 66 के०वी० का सबस्टेशन बनाने पर विचार कर लेंगे।

श्री कर्ण सिंह दलालः क्या मन्त्री महोदय, स्पैसिफिकली कोई आश्वासन देंगे कि अगर वहां पर 66 के०वी० का सब–स्टेशन बनाया जाएगा तो वह डीघोट में बनाया जाएगा या बामनीखेड़ा में बनाया जाएगा?

श्री शमशेर सिंह सुरजेवालाः स्पीकर साहब, जब भी कोई सब–स्टेशन बनाते हैं तो कोई भेदभाव किसी एरिया के साथ नहीं रखा जाता है। सब–स्टेशन बनाने के लिए किसी गांव का लोड नहीं देखा जाता बल्कि सारे एरिया का लोड देखा जाता है। बिजली बोर्ड को यह कह सकते हैं कि जब वह इस बारे में सर्वे करै तो जो पंचायत जमीन ओफर करे उसे प्रैफरैंस दी जाए वरना जहां जरूरत होगी और जो जगह पूरे एरिया को बिजली देने के लिये सूटेबल होगी वहां सब–स्टेशन बनाया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, बगैर सर्वे किए हुए औफ हैंड थे नहीं कह सकता कि बामनीखेड़ा में बनाया जाएगा या डीघोट में बनाया जाएगा।

श्री अमर सिंहः क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि सब–स्टेशन बनाने का क्राइटेरिया क्या है? क्या सब–स्टेशन वहां बनाया जाता है जहां पंचायत जमीन दे दे और जो रिकवायरमैट बिजली बोर्ड की हो वह भी दे दे?

श्री शमशेर सिंह सुरजेवालाः स्पीकर साहब, हम सारे एरियाज की मौनीटोरिग करते रहते हैं और बिजली बोर्ड जहां यह देखता है कि फलां जगह लोड इंक्रीज हो रहा है वहां सब–स्टेशन बनाते हैं। क्राइटेरिया तो केवल लोड है। नार्मली बिजली बोर्ड जमीन मुफ्त नहीं लेता, पैसे देकर जमीन लेता है। जमीन चाहे पंचायत की हो तब भी पैसा देकर ही जमीन ली जाती है। अगर किसी जगह के लोग दिलचस्पी लें और वह जगह सूटेबल हो तो उसी जगह सब–स्टेशन बनाया जाता है।

श्री अमर सिंहः स्पीकर साहब, बहुत सी जगहों पर सब–स्टेशनों के लिये फाउंडेशन स्टोंज रखे गए थे लेकिन वहां काम अभी तक पूरा नहीं किया गया। मेरे हल्के में एक गांव खाहडवा है वहां पर इरीगेशन एण्ड पावर मिनिस्टर साहब ने फाउंडेशन स्टोन रखा था लेकिन वहां काम आज तक प्र नही किया गया है। क्या मन्त्री महोदय उस जगह सब–स्टेशन पूरा करने का आश्वासन देंगे?

श्री शमशेर सिंह सुरजेवालाः स्पीकर साहब, यह सवाल फरीदाबाद जिले से सम्बन्धित है लेकिन माननीय सदस्य ने खाहडवा की इंफर्मेशन पूछी है। मैं इस वक्त इनको यह नही बता सकता। अगर ये अलग से पूछेंगे तो बता सकूगा। स्पीकर साहब, मुझे याद नही है कि मैं ने वहां पर कोई फाउंडेशन स्टोन रखा था। हो सकता है कि सम्पत सिंह ने रखा हो। हो सकता है कि चार साल में उस फाउंडेशन स्टोन को उठा ले गए हों।

चौधरी अजमत खांः स्पीकर साहब, हथीन में 33 के०वी० का सब–स्टेशन है। मुझे पता लगा है कि वहां इंडस्ट्रीज डिवैल्प हो रही है जिसकी वजह से बिजली का लोड बढ़ रहा है। क्या मन्त्री महोदय वहा पर 66 के०वी० का सब स्टेशन बनाने पर विचार करेंगे?

श्री शमशेर सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि फरीदाबाद जिले में जिन जिन

उपकेन्द्रों की क्षमता में बोर्ड ने वृद्धि की है, मैं उनको इन जगहों के नाम बता देता हूं–

1. 66 के० वी० उपकेन्द्र यू० एस० ए० फरीदाबाद,

2. 66 के० वी० सब स्टेशन प्रताप स्टीलज,

3. 66 के० वी० सब स्टेशन ओसवाल स्टीलज तथा

4. 66 के० वी० सब स्टेशन नार्दन इडिया।

इसी तरह से फरीदाबाद जिला में प्राथमिकता वाले विभिन्न महत्वपूर्ण प्रसार कार्यों को समीक्षा करने के लिये तकनीकी मैम्बर्ज ने 8 फरवरी, 1992 को एक बैठक बुलाई जिसमें 66 के० वी० सब स्टेशन, चान्दहट, 66 के० वी० सब स्टेशन ग्रीन फील्ड के काम को जल्दी करने के लिये पता लगाया गया और इनको जल्दी से जल्दी कमिशन करने जा रहे हैं। 66 के0 वी० सब स्टेशन, पाला, 66 के० वी० सब स्टेशन, फोर्ड फरीदाबाद, 66 के० वी० सब स्टेशन सैक्टर 18, 66 के०वी० सब स्टेशन सिही, व 33 के० वी० सब स्टेशन इंडियन ऐल्यूमिनियम कमिशन हो चुके हैं।

इसके अतिरिक्त पिछले दो से तीन सालों के दौरान 220 के० वी० सब स्टेशन, पलवल के अलावा जिला फरीदाबाद में एक 66 के० वी० सब स्टेशन, मण्डकोला में चालू हुआ था। इसके अतिरिक्त 66 के० वी० सब स्टेशन चान्दहट जहां कि कार्य जारी है, 66 के० वी० सब स्टेशन हसनपुर हथीन तथा नूह के निर्माण कार्य

में विभिन्न अवस्थाओं में है। इसी तरह से हाल ही में फरीदाबाद जिला में पाला तथा राख रखने वाले स्थानों पर दो 220 के० वी० सब स्टेशनों का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया है। इसके साथ साथ दो और इस जिला में 66 के० वी० सब स्टेशन चान्सा व पुन्हाना निर्माण के लिये स्वीकृत हो चुके है। ये सब स्टेशन 1993–94 के आखिर तक पूर्ण होने की संभावना है।

चौ० राजेन्द्र सिंह बिसलाः अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में फतेहपुर बलोच में 33 के० वी० सब स्टेशन बनना था जोकि 6–7 महीनों से अन्डर कसिड्रेशन भी है और उसके लिये पंचायत ने जमीन भी दे रखी है। इस सम्बन्ध में बोर्ड की तरफ से चिट्ठी भी लिखी जा चुकी है। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हू कि उस की अब क्या स्थिति है और कब तक उस पर काम शुरु हो जाएगा?

श्री अध्यक्षः हथीन के बारे में भी बता दीजिएगा कि वह काम कब तक पूरा हो जाएगा।

श्री शमशेर सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, अभी इस बारे में मेरे अधिकारीगणो ने बताया है कि इस पर भी काम चालू है और यह अभी किस स्टेज पर है, यह मेरे लिये इस समय बताना मुश्किल है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक हथीन में 66 के० वी० का सब स्टेशन बनाने का सवाल है, वह ऐप्रूव हो चुका है। यह 1992–

93 के वर्कस में शामिल है और 1993–94 में यह बनकर तैयार हो जाएगा।

श्री हरि सिंह नलवाः अध्यक्ष महोदय, क्या मन्त्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि इस चालू वर्ष 1992– 93 में सारी स्टेट के अन्दर कितने सब स्टेशंज 33 के० वी० से 66 के० वी० और 66 के० वी० से 132 के० वी० में अप–ग्रेड हो जाएंगे और कितने कितने कहां कहां नये सब स्टेशंज सरकार का बनाने का विचार है?

श्री शमशेर सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, सारी स्टेट की सूचना तो मेरे पास नहीं है लेकिन मैं इतना जरूर बता देता हूं कि 1991–92 में सब स्टेशंज बनाने के लिये 187.55 करोड़ रुपये रखे थे और यह पैसा सब स्टेशंज बनाने के लिये तथा ट्रांसमीशन वर्कस दोनों के लिये था। इस चालू साल में 220 के० वी० सब स्टेशंज भिवानी में, चार 132 के० वी० के सब स्टेशंज सीवन, धारसूल, रानिया और मधुबन में, दो 66 के० वी० के सब स्टेशन्ज ज्योली और बिलासपुर में तथा पांच 33 के० वी० सब स्टेशंज पपराला बोम, सीसवाल आई ए० पानीपत और किनाना में चालू हो चुके हैं। इसके इलावा 220 के० वी० सब स्टेशंज शाहबाद, 132 के० वी० सब स्टेशंज असंध, चंदोली, अमीन और बीर में, 66 के०वी० सब स्टेशंज अम्बाला सिटी, बबैन शाहजादपुर, चान्दहट, डुण्डाहेड़ा, बितासपुर और सात 33 के० वी० सब स्टेशंज का निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा कम्पलीट होने के विभिन्न स्टेजिज

में है। 1992– 93 के लिए 210 करोड़ रुपये का आउटले रखा गया है जबकि पिछले साल 187 करोड़ रुपए टोटल था।

चौधरी जिले सिंह जाखड़: स्पीकर साहब, मेरे हल्के साल्हावास में 33 के० वी० सब स्टेशन की बिल्डिंग बन कर तैयार हो गई है और रैजीडैंशियल क्र्वाटर्ज भी तैयार हो गए शै। वहां पर अभी तक लाइनें जोड़ने का काम नहीं हुआ है। उसको कब तक चालू कर दिया जाएगा?

श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, इनको समय पर अपने हल्के के बारे में सवाल देना चाहिए था। यह तो एक गांव का सवाल था, मैं 67०० गांवों के बारे में आफ हैंड कैसे बता सकता हूं?

Shifting of Haryana Roadways Bus Stand, Rohtak

***122. Chaudhri Om Parkash Beri :** Will the Minister of State for Transport be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to shift the General Bus Stand of Rohtak from its present site to some other place ; if so. the time by which the said Bus Stand is likely to be shifted ?

परिवहन राज्य मन्त्री (श्री बलबीर पाल शाह): जी हां। अभी भूमि अभिग्रहण की जानी है, इसलिये समय सीमा बतलाना संभव नहीं है।

चौधरी ओम प्रकाश बेरीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या नया बस स्टैड बनाने के लिए भूमि अभिग्रहण कर ली गई है? अगर नहीं, तो दफा 4 और 6 के नोटिफिकेशन करने में कितना समय लग जाएगा?

श्री बलबीर पाल शाहः स्पीकर साहब, जगह का चयन किया हुआ है और यह जगह दिल्ली–रोहतक बाई पास पर है। यह जगह 20 एकड़ के लगभग है और भूमि अभिग्रहण का कार्य शुरू हो चुका है। सैक्शन 4, 6 और 7 के नोटिस दिए जा चुके है

श्री सतबीर सिंह कादयानः स्पीकर साहब, क्या मन्त्री जी बताएंगे कि सैक्शन 4 का नोटिफिकेशन कब हुआ था और जमीन कब तक ऐक्वायर हो जाएगी?

श्री बलबीर पाल शाहः स्पीकर साहब, सैक्शन 4 का नोटिस 16– 5–91 को हुआ श्री पीर चन्दः स्पीकर साहब, क्या मन्त्री जी बताएंगे कि रतिया का बस स्टैड कब तक बन जाएगा? इन्होंने पहले बताया था कि उसका पत्थर रख दिया गया है। वहां की आबादी तीस हजार की है। इसलिये उसे कब तक बना दिया जाएगा?

श्री बलबीर पाल शाहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि इस समय चूंकि फाइनैशियल कंस्ट्रेटस बहुत है इसलिए उस बस स्टैड के बारे में समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती लेकिन मैं इतना जरुर

कहूंगा कि माननीय सदस्य ने जिस बस स्टैड के बारे में कहा है उसको जरूर बनाया जाएगा।

प्रो० राम बिलास शर्माः स्पीकर साहब, जिन जिन बस अड्डों के निर्माण का काम चल रहा था उनके निर्माण का काम किसी कारणवश बीच में रुका हुआ है मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या उन बस अड्डों का निर्माण प्राथमिकता दे कर करवाया जाएगा जैसे महेन्द्रगढ़ का बस अड्डा है उसका काम बीच में हो रुका हुआ है। और क्या उस बस अड्डे को प्राथमिकता दे कर कम्पलीट कराया जाएगा?

श्री बलबीर पाल शाहः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि महेन्द्रगढ़ बस स्टैड के निर्माण का काम कुछ समय जरूर रुका रहा और जिस समय उसके निर्माण का काम रुका रहा उसके बारे में माननीय सदस्य खुद जानते हैं कि वह क्यों रुका रहा? हमारी सरकार बनने के बाद महेन्द्रगढ़ बस स्टैड के निर्माण का काम शुरु हुआ है। वह बस स्टैड डब्ल स्टोरी का बनना है। एक मंजिल तक लैटर डल चुका है। हम कोशिश करेंगे कि अगले वित्त वर्ष में उस बस स्टैड के निर्माण का काम कम्पलीट करके जनता को सौंप दिया जाए।

श्री दरियाव सिंह राजौराः स्पीकर साहब, जो बस रिवाड़ी से झज्जर होते हुए चण्डीगढ़ आती थी वह बंद कर दी गई है और इसी तरह से जो बस गुड़गांव से झज्जर होते हुए

चण्डीगढ़ आती थी वह भी बन्द कर दी गई है। झज्जर में कई बसों के रूट बन्द कर रखे है जिसके कारण वहा के लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है।

श्री अध्यक्षः दरियाव सिंह जी, यह सवाल बस स्टैड बनाने के बारे में है बसों के बारे में नहीं है।

चौधरी सूरजभान काजलः स्पीकर साहब, दो साल पहले जुलाना में बस स्टैड बनाने के लिए उद्घाटन किया गया था और दो महीने पहले उस बस स्टैड के लिए जमीन ऐक्वायर हो चुकी है और उसका अवार्ड भी दिया जा चुका है। मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जुलाना बस स्टैड का निर्माण अभी तक किन कारणों की वजह से शुरू नहीं किया गया है और उसके निर्माण का काम कब तक शुरू कर दिया जाएगा?

श्री बलबीर पाल शाहः अध्यक्ष महोदय, जैसे जैसे हमारे पास पैसा उपलब्ध होगा वैसे वैसे हम बस स्टैड को बनाने का काम शुरू करेंगे।

श्री धीरपाल सिंहः स्पीकर साहब, मन्त्री जी ने बताया कि रोहतक बस स्टैड के लिए जो जमीन ऐक्वायर की गई है उसके सैक्शंज 4, 6 और 7 के नोटिफि केशन हो चुके हैं। मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि उस जमीन के अवार्ड में कितना समय बाकी है और उस बस स्टैड को बनाने में

कितनी धनराशि खर्च होनी है तथा 1992–93 के बजट में उसके लिए कितना पैसा रखा गया है?

श्री बलबीर पाल शाहः अध्यक्ष महोदय, उस बस स्टैड को बनाने पर डेढ करोड़ रुपया खर्च होगा और यह पैसा हम अगले वित्त वर्ष में खर्च करेंगे। रोहतक का बस स्टैड 12 बजे का बनेगा। जैसे जैसे हमारे पास पैसा उपलब्ध होगा उस बस स्टैड की जमीन ऐक्वायर होने के बाद चीफ आर्कीटैक्टर उस बस स्टैड का नक्शा बनाएंगे। नक्शे के मुताबिक उसका ऐस्टिमेट बनेगा। उसके बाद पी० डब्ल्यू० डी० को उसके निर्माण का काम सौंपा जाएगा। सैक्शन 9 की कार्यवाही होने के बाद उसका काम जल्दी शुरु कर दिया जाएगा।

श्री राम रतनः स्पीकर साहब, मेरा हसनपुर क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है और इसी महीने की 6 तारीख को माननीय मन्त्री जी हसनपुर मे बस स्टैड बनाने के लिए लोगों को भरोसा भी दे कर आए हैं। मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि हसनपुर मे बस स्टैड कब तक बना दिया जाएगा क्योंकि वहां के लोग बस स्टैड के लिए तड़प रहे हैं।

श्री बलबीर पाल शाहः अध्यक्ष महोदय, इस समय मेरे पास उस बस स्टैड का डैटा अवेलेबल नहीं है। माननीय सदस्य अगर उसके लिए अलग से नोटिस देंगे तो इनको बता देंगे।

Realisation of Sales Tax

***138.. Shri Amar Singh :** Will the Minister for Excise and Taxation be pleased to state the month-wise amount realised by the Government as Sales Tax during the years 1985-86, 1989-90 and 1991 todate ?

Excise and Taxation Minister (Shri A.C. Chaudhry) : A statement showing the month-wise realisation of Sales Tax during the years 1985-86, 1989-90 and 1991-92 (April 199i to January 1992) is laid on the Table of the Sabha.

Statement showing the monthwise amount realised under Sales Tax Act during 1985-86, 1989-90 and 1991-92 (April 91 to January,1992)

(Rs.in crores)

Year	Month	Haryana General Sales Tax	Central Sales Tax	Total
1985-86	April, 85	7.40	6.86	14.26
	May, 85	4.39	3.22	7.61
	June, 85	2 . 31	2.27	4.58
	July,85	16.41	15.64	32.05
	Aug, 85	11.40	5.77	17.17
	Sept,85	2.17	1.45	3.62
	Oct., 85	15.00	13.83	28.83
	Nov., 85	6.79	6.22	13.01

	Dec.,85	3.31	1.87	5.18
	Jan.,86	25.16	16.74	41.90
	Feb.,86	15.13	12.19	27.32
	Mar., 86	16.38	9.72	26.10
	Total	125.85	95.78	221.63
1989-90	April, 89	15.62	8.61	24.23
	May, 89	18.89	11.31	30.20
	June, 89	17.11	10.39	27.50
	July,89	29.10	12.49	41.59
	Aug.,89	21.02	12.02	33.04
	Sept., 89	12 . 57	10.95	23.52
	Oct., 89	27.35	13.26	40.61
	Nov., 89	18.60	11.72	30.32
	Dec.,89	22.10	12.12	34.22
	Jan., 90	29.25	15.12	44.37
	Feb.,90	23.16	13.08	36.24
	Mar., 90	32.83	18.30	51.13
	Total	267.60	149.37	416.97
1991-92	April, 91	31.26	15.60	46.86

	May, 91	30.66	17.67	48.33
	June, 91	37.27	15.80	53.07
	July,91	39.12	16.39	55.51
	Aug, 91	28.03	17.69	45.72
	Sept,91	20.71	12.13	32.84
	Oct, 91	36.24	17.46	53.70
	Nov, 91	32.72	17.33	50.05
	Dec, 91	27.89	16.04	43.93
	Jan.,92	44.00	22.16	66.16
	Total	327.90	168.27	496.17

श्री अमर सिंहः अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने टैक्स की रिकवरी के बारे में बताया है। इस जवाब में दिया हुआ है कि वर्ष 1985–86 में हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स की रिकवरी 125. 85 करोड़ रुपये और सेन्ट्रल सेल्ज टैक्स की रिकवरी 95.78 करोड़ रुपये की हुई। वर्ष 1989–90 में हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स की रिकवरी 267. 60 करोड़ रुपये और सेन्ट्रल सेल्ज टैक्स की रिकवरी 149. 37 करोड़ रुपये हुई। इसी प्रकार से वर्ष 1991–92 में हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स की रिकवरी 327.90 करोड़ रुपये और सेन्ट्रल सेल्ज टैक्स की रिकवरी 168 27 करोड़ रुपये हुई। मैं मन्त्री महोदय, से जानना चाहता हूं कि हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स से सेन्ट्रल सेल्ज टैक्स की रिकवरी कम क्यों है?

श्री ए० सी० चौधरी: अध्यक्ष महोदय, सेन्ट्रल सेल्ज टैक्स उन आईटमों पर लगाया जाता है जो आईटमें दूसरी स्टेट में बिकने के लिये जाती हैं और हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स उन आईटम्ज पर लगता है जो हरियाणा में बिकती हैं। कई बार ऐसा होता है कोई चीज किसी स्टेट में ज्यादा बिक गई और किसी में कम बिक गई। यह तो आईटमों की बाहर की सेल पर डिपैंड करता है। जितनी आईटमों की सेल दूसरी स्टेट में ज्यादा होगी उतनी सेन्ट्रल सेल्ज टैक्स ज्यादा आयेगा और जितनी कम होगी उतना सेन्ट्रल सेल्ज टैक्स कम आयेगा। आईटमों की सेल्ज की वजह से ही यह वैरिएशन है।

श्री हरि सिंह नलवा: अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने रियलाईजेशन आफ सेल्ज टैक्स के बारे में मन्थवाईज स्टेटमैंट सदन की टेबल पर रखी है। Mr. Speaker, Sir, the Sales tax is realised not monthly but quarterly whether it is under Haryana General Sales Tax Act or it is under Central Sales Tax Act. यह वालेन्टरी टैक्स होता है। जितनी सेल होती है व्यापारी तीन महीने के बाद उसी हिसाब से सेल्ज टैक्स जमा करवाता है। यह मन्थवाईज जो स्टेटमैंट दी है क्या यह ऐडीशनल डिमांड है या रैगुलर टैक्स है क्योंकि इस स्टेटमेंट से तो रैगलर टैक्स मे और ऐडीशनल डिमांड में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब यह हुआ कि डिपार्टमैंट के आफिसर्ज इस बारे में लथारजिक हैं। ऐसी सेल्ज टैक्स की जो वालेन्टरी रियलाईजेशन होती है क्या उसके बारे में मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंग।

श्री ए० सी० चौधरीः स्पीकर साहब, टैक्सेशन के रूल्ज के मुताबिक वाणिज्य और स्माल ट्रेडर्ज को छोड़ कर बाकी सब एडवांस टैक्स देते हैं और उसी एडवांस टैक्स के मुताबिक यह सेल्ज टैक्स का पैसा हमें मन्थ–वाईज मिला है।

श्री सूरज मलः अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय के नोटिस मे लाना चाहता हूं कि नैशनल हाईवे पर जो ट्रैफिक चलती है उस पर ट्रको की तादाद ज्यादा होती है। गुड़गांव रोड जो बहादुरगढ़ से हो कर नेशनल हाईवे को जाती है उस पर नेशनल हाईवे से ज्यादा ट्रक चलते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि दिल्ली सें वाया नजफगढ़, नांगलोई और बहादुरगढ़ से जो ट्रक चलते है उस रोड पर 60 से 70 परसेंट टैक्स की चोरी होती है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि सरकार ऐसे टैक्स की चोरी को रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है?

श्री ए० सी० चौधरीः सरकार टैक्स लगायेगी तो टैक्स चोर अपना टैक्स बचाने के लिए कोई न कोई नया रास्ता बना करके बदलते रहते है। मैं इनको बताना चाहता हूं कि सरकार इस मामले में पूरी तरह से जागरूक है। इसकी जिन्दा मिसाल यह है कि इस मौजूदा सरकार ने पिछले 8– 9 महीने में बगैर नया टैक्स लगाये और बगैर सख्ती बरते 200 करोड़ रुपये पिछले से अधिक अर्जित किए हैं। इस बात को देखते हुए मेरे आदरणीय साथी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि सरकार पूरी तरह से इस बारे में जागरूक हैं। इस बारे में अभी माननीय सदस्य ने दो–चार मिनट

पहले ही यह बात मेरे नोटिस में लाई थी। मैं इनको आश्वस्त करूगा कि सरकार कोई भी ऐसी कसर नहीं छोड़ेगी जिससे टैक्स चोरी हो सके।

श्री सूरज मलः अध्यक्ष महोदय, मैंने यह पूछा था कि नांगलोई नजफगढ़ से होते हुए जो ट्रक बहादुरगढ़ जाते हैं और वहां पर 60– 70 परसेंट टैक्स की चोरी होती हे, उसको रोकने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं?

श्री ए० सी० चौधरीः स्पीकर साहब, हमारा बाकायदा वहां पर बैरियर है। अगर बैरियर के दायें बायें से कोई निकल जाये तो उसके लिए भी हम स्टेट रूटस पर पूरी तररु से जागरूक हैं। मैं बताना चाहूंगा कि हमने इसके लिए अलग से स्पैशल फोर्स लगाई हुई है। मौजूदा सरकार ने स्पैशल राइडर्ज एप्वायंट किए है और इसके लिए चार नए मोटर साईकल खरीदे गए हैं ताकि स्टेट के रूटस पर ऐसी चोरी न हो सके। सरकार अपनी तरफ से पूरी तरह से जागरूक है। जहां तक कितने ट्रक बैरियर सै आते या जाते हैं यह तो हमारे पास पूरा रिकार्ड है। जो भी ट्रक बैरियर से गुजरते हैं उनकी प्रोपर ऐन्टरी होती है।

चौधरी राजेन्द्र सिंह बिसलाः अध्यक्ष महोदय, अभी मन्त्री जी ने सदन को सूचना दी है कि टैक्स चोर टैक्स इवेजन के नये–नये तरीके निकालते हैं और नरो–नये रास्ते ढूढते हैं। मैं मन्त्रो महोदर से यह जानना चाहूंगा जब यह बात इनके नालेज में

है तो टैक्स चोरी को रोकने के लिए और इसकी नाकेबन्दी करने के लिए क्या सरकार ने कोरे कद व उधर है? यदि उठाए है तो क्या मन्त्री महोदय इस बारे में सदन में बताने की कृपा करेंगे?

श्री ए० सी० चौधरीः स्पीकर सर, मैंने अभी अर्ज किया है कि हम बाकायदा तौर पर चोकसी कर रहे शै। स्पैशल राईडर्ज वगैरा और मोटर साईकल हमने अरेंज करके ऐस्को रूट्स को बन्द करने को कोशिश की है। मोबाईल बैरियर्ज बनाने का भी एक प्रस्ताव है और यह योजना इसी महीने से शायद लागू भी कर दी जाएगी। हम मोबाईल बैरियर्ज भी लगा रहे हैं ताकि किसी और जगह से घूम कर रोड पर अल तो टैक्स इवेजन करने वाले अपने मकसद में कामयाब न होने पाएं।

श्री राम भजन अग्रवालः स्पीकर सर, टैक्स चोरी के बारे में मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हू कि टैक्स के रेट्स इस प्रकार के नही होने चाहिए जिससे टैक्स में चोरी करने को बढ़ावा मिले। मिसाल के तौर पर राजस्थान में सीमैंट पर 7 या 8 परसैंट टैक्स है जब कि हमारे यहां 13 परसैंट है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि बोर्डर का जो एरिया है वहां पर सारा सीमेंट राजस्थान से आता है और इस तरह से टैक्स की चोरी होती है।

श्री अध्यक्षः आप सवाल पूछिये।

श्री राम भजन अग्रवालः मैं कहना चाहता हूं कि टैक्स की चोरी को रोकने के लिए हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में

टैक्स स्ट्रक्चर ऐसा किया जाए जिससे व्यापार भी बढ़े और टैक्स की चोरी भी न हो।

श्री अध्यक्षः इस विषय में यह सुझाव तो हो सकता है लेकिन यह प्रश्न तो नही है।

श्री ए० सी० चौधरीः स्पीकर सर, इसमें कोई शक नहीं कि स्टेट वाईज कई जगह पर टैक्सिज में डिसपैरिटी है। अगर राजस्थान में सीमैंट पर 8 परसैंट टैक्स है तो हमारे यहां 11 परसैंट है। कुछ अन्य आईटमों पर सरचार्ज हमारे यहां 10 परसैंट है। कई आईटमों पर 2 परसैंट भी है और कई आईटमों पर 20 परसैंट भी है। सभी स्टेट्स की अपनी–अपनी डिफिक्लटीज हैं और वे अपने टैक्सिज को खुद ही निर्धारित करती हैं। हम इस मामले में पूरी तरह से जागरूक हैं कि अगर कहीं हैल्दी कम्पीटीशन हो उस को छोड़ कर बाकी डिसपैरिटीज दूर हों। बजट इस बात का साक्षी है कि बहुत सी चीजों पर टैक्सिज के रेट्स हमने कम किए हैं। सीमैंट राजस्थान से सिर्फ बोर्डर के दो शहरों में आता है जिससे 10–20 या 50 हजार रुपये का नुकसान होता है। अगर हम सारो स्टेट में टैक्स कम कर देंगे तो स्टेट रैवेन्यू का बहुत लौस होगा। इस वक्त सीमैंट हमारो स्टेट को डिवैल्पमैंट का एकमात्र साधन है। फिर भी मैं आश्वस्त करता हूं कि हर अच्छे प्रस्ताव पर हम गौर करेंगे। अभी भी बहुत सी आईटमज पर टैक्स कम करने का मामला जेरेगौर है और उसमें हम सीमैंट को भी देख लेंगे।

Arms licences

***195. Chaudhri Azmat Khan :** Will the Chief Minister be pleased to state the sub-division-wise names and addresses of the persons to whom Gun/Revolver licences were issued during the period from 1-4-1989 to 31-3-1991 and 1-4-1991 to 31-12-1991 separately ?

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल): इस सूचना को इकट्ठा करने में लगाए गए समय और श्रम के अनुरूप संभावी लाभ नही होंगे। (विघ्न)

अध्यक्ष महोदय, इस सवाल में इन्होंने हर आदमी का नाम और ऐड्रैस पूंछा है। इसमें काफी समय को आवश्यकता पड़ेगी। अगर इसकी डिटेल इकट्ठी करेंगे तो इतना बड़ा मण्डल बन जाएगा कि एक आदमी के लिए उसे उठाना भी मुश्किल होगा। 7 हजार आदमियों के नाम, जगह और ऐडैरस कलैक्ट करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और उससे लाभ ज्यादा नहीं होगा। जैसे चौधरी अमर सिंह जी ने एक सवाल में सब–डिविजनवाईज पूछा था, अगर ये सब–डिवीजनवाईज पूछना चाहते हैं कि कितने आदमियों को लाईसैंस दिए गए हैं तो मैं इनके आकड़े दे सकता हूं।

चौधरी फूल चन्द मुलाना: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्डी जी से यह जानना चाहता हूं कि जो एरियाज पंजाब के बोर्डर से लगते हैं जैसे कि जिला अम्बाला, क्या उन क्षेत्र के लोगों को अपनी रक्षा के लिए लिबरली लाईसैस दिए जाएंगे?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, डी० सीज० और एस० पीज० की मीटिंग में बाकायदा यह फैसला हुआ है कि बोर्डर के साथ लगते हुए जो एरियाज हैं उनमें अच्छे और रीजनेबल आदमियों को जरूर लाइसैस दिए जाएं। अच्छे और रीजनेबल आदमी इसलिए कहा गया है ताकि कही ऐसा न हो कि कोई आदमी मिलिटैटों से मिल कर वह असला उन को न दे दे इसलिए जो रीजनेबल और अच्छे आदमी हैं जो खेतों में और ढाणियों में रहते हैं उनको जरूर हम असला देते हैं और काफी असला के लाईसैंस हमने दिये भी है।

चौधरी अजमत खांः अध्यक्ष महोदय, मैंने मुख्यमंत्री जी से यह सवाल इसलिए पूछा है कि फरीदाबाद जिले में ये बाहर के लोग लाईसैस बनवाकर ले गए है और नाम इसलिए पूछे हैं ताकि हर आदमी और हर एम० एल० ए० को पता हो कि किस आदमी ने बाहर के किस आदमी को लाईसैस दिलाया है। मैं मुखयमंत्री जी से गुजारिश करना चाहता हूं कि कम से कम पलवल बल्लभगढ़ के नाम हमें दिए जाएं ताकि हमें पता चल जाए कि कोन कौन आदमी हैं जो बाहर के आदमियों के लाईसैंस बनवा रहा है ताकि उसकी रोकथाम की जा सके।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की यह बात बिल्कुल सही है कि बाहर के लोगों को लाईसैंस दिए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, पिछले चार साल में उस समय की सरकार ने ग्रीन ब्रिगेड के नाम से जो स्टेट मे माने हुए मशहूर लोग थे

उनको लाईसैस दिए और कुछ ऐसे लोगों को भी लाईसैंस दिए जो इस प्रदेश के रहने वारने नहीं हैं। फरीदाबाद के जिले में, पलवल के एरिया में बल्लभगढ़ के सब–डिविजन मैं ओर सोनीपत में ऐसे लोगों को लाईसैस दिए जो कि वहां के रहने वाले नही हैं। अध्यक्ष महोदय, हम जांच कर रहे है और जांच करके हम उनके लाईसैस कैसिल करने जा रहे है।

श्री अमर सिहः अध्यक्ष महोदय, टोहाना और सिरसा में कांड के बाद सब– डिवीजन्ज में अमन कमेटी बनाई गई और इस कमेटी ने फैसला दिया था कि हर सब– डिविजन में दो–दो सो ओर अढ़ाई–अढ़ाई सी रिवान्वर्ज और गन्ज के लाईसैस दिलाए जाएंगे। लेकिन आज तक उस पर कोई अमल नही किया गया। तो क्या मुख्य मंत्री जी इस बारे में रोशनी डालेंगे कि इन्होंने इस बारे में क्या फैसला लिया है ताकि वे हथियारों को उनकी मुसीबत के समय इस्तेमाल कर सकें?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, बोर्डर के जो जिले हैं उनमें हमने लाईसैस दिए हैं। जैसे कि हिसार जिला है। हिसार जिले के पांच सब–डिवीजंज हैं, हिसार, फतेहाबाद, हांसी, टोहाना और भिवानी। इनमें हमने 1,273 लाईसैस दिए हैं। इसी तरह से सिरसा में हमने 446 लाईसैस दिए हैं ताकि लोग अपनी रक्षा खुद कर सकें और उन अटलों से वे उग्रवादियों का मुकाबला कर सकें।

श्री किताब सिंहः अध्यक्ष महोदय, लाईसैसं रिन्यू करवाने का जो तरीका है वह बहुत ही कठिन है जिससे लोगों को बहुत ही परेशानी होती है। तो क्या मुख्यमंत्री इसमें कोई सुधार करेंगे ताकि लोगों को कोई असुविधा न हो?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने लोगों को तंग करने के लिए यह फैसला किया था कि अगर कोई लाईसैस रिन्यू करवाने जाए तो उसे जैसे कि नया लाईसैस बनवाना पडता है पहले एस० एच० ओ० रिकोमैंड करेगा, फिर डी० एस० पी० रिकोमैंड करेगा, फिर एस० पी० करेगा तब वह डी० सी० के पास जाए, तब कही जाकर लाईसैस रिन्यू होता था। अब हमने इस सिस्टम को चेंज कर दिया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः धीर पाल जी बीच में न बोलिए, पहले जवाब सुन लीजिए।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, लाईसैस रिन्यू कराने के जो नए आर्डर है हमने एक महीने पहले दे दिए हैं। आज नए लाईसैंस बनवाने के लिए रिकमैंडेशन चाहिए। रिन्यू करान के लिए रिकमैंडेशन की जरूरत नही होगी।

श्री धीर पाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, यहां सैक्रेटेरियट में मैं खुद लाईसैस रिन्यू कराने के लिए गया था और उन्होंने मुझे वापिस भेज दिया था।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, अगर रिवाल्वर पहले लिया हुआ है तो उसमें कोई दिक्कत नही है परंतु अगर नया लेना है तो भारत सरकार तक की परमी शन लेनी पड़ती है। (विध्न)अगर रिवाल्वर पूराना है तो रिन्यू हो जाएगा।

श्री मोहन साल पिपलः अध्यक्ष महोदय, अभी मुख्यमंत्री जी ने बताया कि लाईसेंस को रिन्यू कराने के लिए किसी भी एस० एच० ओ० और एस० पी० की इजाजत की जरूरत नही है। अध्यक्ष महोदय, अभी 10 दिन पहले में एस० डी० एम० रिवाड़ी के पास लाईसेंस रिन्यू करवाने के लिए गया था तो उसने कहा था कि यह तो एम० पी० ही लिखेगा तभी लाईसेंस रिन्यू होगा।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, हमने कल ही एक फैसला किया है कि अगर एम० एल० एज० या एम० पीज० को नया लाईसैस भी लेना है तो उसे रिकमैंडेशन की आवश्यकता नही है। अगर कोई एम० एल० एज० या एम० पी० फार्म भर कर देंगे तो उनको लाईसैस मिल जाएगा।

श्रीमती चन्द्रावतीः अध्यक्ष महोदय, क्या मुख्यमंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन लोगों को लाईसैस मिले हुए हैं उन लोगों ने कभी किसी डाकू या टैरोरिस्ट का मुकाबला किया है या केवल अपना बदला निकालने के लिए या कमजोर आदमी को डराने के लिए इज लाईसेंसों को प्रयोग में लाया जाता है?

इसलिए मैं तो यह चाहती हूं कि यह लाईसेंस लोगों को नही देने चाहियें।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि जो असले का लाइसैम दिया जाता है वह केवल लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए ही दिया जाता है क्योंकि हो सकता है कि गाव में कोई घटना हो जाये, डकैती हो जाये, चोर आ जाये या उग्रवादी भी आ सकते हैं। इसलिए अगर गाव मे हथियार होंगे तो गाव के लोग उनका पीछा कर सकते हैं तथा मुकाबला भी कर सकते हैं। यही लाईसैस इशू करने की हमारी भावना है। अब अगर बहन जो की तरह किसी का दिन कमजोर हो तो हम क्या कर सकते हैं?

श्री जयपाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमत्री जी से यह कहना चाहता हू कि मेरा हल्का दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमा से लगता हुआ है इसलिए काफी संख्या में लोग वहां पर बैलगाडी चलाने या पशु चराने के लिए आते हैं। उनको रोकने के लिए तथा अपनी सुरक्षा के लिए मेरे हल्के के लोग लाइसैस लेना चाहते है और मैं पिछले दिनों दो तीन आदमियों को डी० सी० तथा एस० पी० के पास लेकर भी गया था लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात नहो सुनी। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं जो अभी तक किसी सदस्य ने नही बनायी है वह यह है कि वहां पर उन्होंने पिस्टल लाईसेंस लेने के लिए रैडक्रास की फीस दस हजार या 11 हजार रुपये लगा रखी है। इसके बाद

ही वह लाईसेंस इशू करते है। बन्दूक पर 2,000, 2100 या 5,100 रैडक्रास की फीस लगा रखी है। तो आप ही बताये कि पहले लोग इनको 10 या 11 हजार रुपये की रैडक्रास की फीस दें और फिर अपनी सुरक्षा के लिए 50 हजार का रिवाल्वर खरीदें तो इतना पैसा तो लोगों के पास या विधायकों के पास होता नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि यदि मुख्यमंत्री जी सभी विधायकों को अपने कोटे से एक एक लाईसेंस दिलवा देगे तो यह ज्यादती नहीं होगी। इसके अलावा मैं मुख्यमंत्री जी से जानना चाहूंगा कि मेरे हल्के राई में जो लाईसेस बने पड़े हैं और जो रैडक्रास की फीस न देने के कारण इशू नही किये जा रहे हैं, क्या आप ऐसे लाईसेंसों को रैडक्रास की फीस दिये बगैर इशू करवाने की कृपा करेगे?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, इन्होंने अपने सवाल मे दो बाते पूछी है। एक तो यह कि दो या तीन आदमियो को ये डी० सी० के पाम लेकर गये थे और उन्होंने उनको लाईसेंस इशू नहीं किये थे। दूसरे इन्होंने कहा कि इनके हल्के के कुछ लोगों के लाईसेंस बने पडे हैं लेकिन वे रैडक्रास की फीस न देने के कारण इशू नही किये गये हैं। तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि ऐसा कोई रूल नही है और न ही हमने ऐसी कोई हिदायत दे रखी है कि रैडक्रास की फीस लेकर या समाज सेवा के लिए फीस लेकर ही आप लोगों को लाईसेंस इशू करे। लेकिन यह आप भी जानते हुँ कि जब किसी जिले मे कोई आपत्ति आती है तो रैडक्रास से मदद ली जाती है। इसलिए अधिका री रैडक्रास के

लिए थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करते है। हो सकता है कि इसलिए किसी अधिकारी ने इनसे कोई पैसा माग लिया हो। हम इस बात से इंकार नहीं कर सकते। जहा तक लोंगों को लाईसेंस देने का ताल्लुक है, बहुत 'से आदमी एम० एल० एज० के पास और हमारे पास भी आते रहते हैं और हमे वैरीफाई करना पडता है। चूंकि हम जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि है इसलिए हमें वैरीफाई करना बहुत ही जरूरी हो जाता है लेकिन हम भी उस आदमी को देखने के बाद ही अपनी रिकमैंडेशन करते हैं ताकि गलत आदमी लाईसेंस इशू न करवा सके और वह उसका मिसयूज न कर सके। स्पीकर साहब, इन्होंने यह भी कहा कि एम० एल० ए० को चीफ मिनिस्टर के कोटे से असला मिलना चाहिये। (व्यवधान)अध्यक्ष महोदय, 1988 में भारत सरकार ने बैन लगा दिया। चीफ मिनिस्टर के कोटे में वह असला होता है जो जब्त हुआ होता है उन अपराधियों से जिनको सजा हो जाती थी, या किसी और कारण से असला जब्त हो जाता था पहले वह दे दिया जाता था। भारत सरकार ने 1988 में पाबन्दी लगा दी कि कोई असला चीफ मिनिस्टर अपने कोटे से न दे ओर यह सारा असला आर्मी को दे दिया जाये। चौधरी देवी लाल ने भी इस बारे में दो बार चिट्ठी लिखी है कि यह पाबन्दी हटायी जाये। मैंने भी एक चिट्ठी इस बारे में लिखी है कि कुछ असला ऐसा है कि जिसको आर्मी में इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर कोई ए० के० 47 हो या कारबाईन हो, वह असला तो आर्मी के काम आने वाला है, वह तो चीफ मिनिस्टर के कोटे से नहीं दिया जाना चाहिये लेकिन बाकी

का असला जैसे 32 बोर की या 12 बोर की बन्दूक है या दूसरा कोई असला है, वह तो देने को इजाजत होवो चाहिये। चीफ मिनिस्टर का कोटा मुझे पता नही कि कितना है कि कितना नही है। मैंने यह लि वा है कि चीफ मिनिस्टर कोटे के हिसाब से एम० एल० एज० को या दूसरे अच्छे लोगों को असला दे दें तो कोई हर्ज नही बजाये इसके कि उसको मालखाने में रखा जाये। इसके लिये हमने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी हुई है। इसका हमारे पास अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। ज्यों हो मन्जूरी होगी, मजूरी आने के बाद सबसे पहले हम असला– आपको देंगे।

श्री जयपाल सिंहः स्पीकर साहब, मैंने रैडक्रौस के बारे में जो जिक्र किया है, वह तथ्य है। डी० सी० और एस० पी० कम से कम 10,000 रुपया रैड–क्रास में जमा कराने के लिये कह देते है। अगर आप मेरी बात को सही नही मानते तो मैं आपको इस बारे में रसीद दिखा सकता हूं कि हमने 5,100 रुपया जमा करवाया है। मैं वह रसीद सदन में दिखा दूगा कि जबरी चन्दा इस तरह से वसूल किया जाता है। चीफ मिनिस्टर साहब से मेरा कहना यह है कि वह चन्दा तो लें लेकिन जबरी न लें। अगर लेना ही है तो 100–200– 500 रुपया चन्दा ले लें जो आम आदमी दे सके। दूसरी बात यह है कि इस बारे में सख्ती नहीं होनी चाहिये कि अक व्यक्ति 5– 10 हजार ही दे तभी उसको लाइसैस मिलेगा। इस बारे मैं मेरी चीफ मिनिस्टर साहब से रिक्वैस्ट है कि वहू हुक्म कर दें कि जबरी चन्दा वसूल नहीं किया जायेगा। (व्यवधान व शोर)

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, धीरपाल सिंह और सम्पत सिंह जी आनरेबल मैम्बर को डरा रहे हैं यह कोई अच्छी बात नहीं है। (व्यवधान व शोर)

श्री धीर पाल सिंहः स्पीकर साहब, हमारी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं हुई है। (व्यवधान व शोर)

चौधरी भजन लालः यह सदन है, यहां पर किसी को डराने की बात नहीं होनी चाहिये। राई हल्के के ये विधायक हैं। (विघ्न) इनको आपसे ज्यादा तजुर्बा है, आपसे उम्र में ज्यादा बड़े हैं और आपसे हरेक मामले में ज्यादा जानकारी रखते हैं। ये तो आपको शिक्षा दे सकते हैं। स्पीकर साहब, मैं यह बताना चाहता हूं कि ऐसा कोई रूल या कानून नहीं है कि जबरदस्ती चन्दा लिया जाये। अगर चन्दा सही तरीके से लिया जाता है तब तो ठीक है लेकिन जबरदस्ती नहीं लिया जा सकता है। इनकी यह बात ठीक है। हम इस बारे में हिदायत करेंगे कि अगर कोई अपने आप चन्दा देना चाहे तो उससे चन्दा ले लिया जाये, किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की जाये और किसी के०पर पाबन्दी नहीं होनी चाहिये कि वह चन्दा बगैर इच्छा के दे।

चौधरी आनन्द सिंह डांगीः स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय के नोटिस में एक बात लाना चाहूंगा कि ये जो लाइसैंस बनाये जाते हैं ये ज्यादा डिस्ट्रिक्ट लैवल के या तहसील लैवल के बनाये जाते हैं। इस वजह से आने जाने में

कई बार दिक्कत हो जाती है। तहसील लैवल का लाइसैंस हो तो दूसरी तहसील में हथियार लेकर नहीं जाया जा सकता। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि कम से कम स्टेट लैवल का लाइसैस जरूर बनाया जाये ताकि लोगों को असुविधा न हो।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, तहसील लैवल का लाइसैसं तो बनता ही नहीं शै। लाइसैंस केवल जिले का बनता है। अगर कोई ऐप्लाई करे कि मुझे प्रदेश का लाइसंस दिया जाये तो हम प्रदेश का लाइसैंस देने की कोशिश करते हैं। जहां तक इनकी इस बात का ताल्लुक है कि प्रदेश का लाइसैंस दिया जाये, हम इस बात की कोशिश करेंगे।

Water supplied to Anta and Sunder Groups Canals

***157. Prof. Chhattar Singh Chauhan :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—.

(a) whether it is a fact that less water is being supplied to Anta Group and Sunder Group Canals for the last six months in District Bhiwani;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the total quantity of water supplied to Anta Group and Sunder Group during the period from July, 1991 to February, 1992 ?

सिचाई तथा बिजली मन्त्री (श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला):

(क)हां, श्रीमान जो।

(ख)यमुना नदी मे बहुत कम पानी की माता के कारण, जोकि सूखे वर्ष के आधार पर है।

(ग)

अंटा ग्रुप	81646 क्यूसिक दिन।
सुन्दर ग्रुप	162855 क्यूसिक दिन।

प्रो० छतर सिंह चोहानः स्पीकर साहब, यह तो मैं पहले ही जानता था कि मिनिस्टर महोदय ने क्या जवाब देना है। स्पीकर साहब, भिवानी की जो दादरी फीडर है और जितनी भी डिस्ट्रीब्यूट्रीज हैं और माइनर्ज हैं वे सारी की सारी मिट्टी से अटी पड़ी हैं। कहीं पर तीन फुट मिट्टी है और कहीं पर चार फुट मिट्टी है। स्पीकर साहब, यमुना कैनाल में पानी का स्तर घट गया है और आगे भी घट जाएगा। इसका मतलब यह है कि भिवानी को न तो पीने का पानी मिलेगा और न खेती के लिए पानी मिलेगा। क्या मन्त्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि वाटर सप्लाई का जो दूसरा भाखड़ा सिस्टम है उससे हमारे यहां पर कैनाल सिस्टम को ठीक करने का यत्न करेंगे?

श्री शमशेर सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों से इसी सैशन मॅं यह इम्प्रैशन दिया जा रहा है कि किसी

खास जिले से और किसी खास एरिया से पानी के बंटवारे के बारे में किसी तरह का कोई भेदभाव बरता जा रहा है। इस बारे में बताना चाहूंगा कि वर्ष 1990– 91 और 1991– 92 में यमुना से भिवानी जिले को मंथवाइज कितना–कितना पानी मिला। फिगर्ज इस प्रकार है:– यमुना में कितना पानी था वे फिगर्ज जो क्यूसिक्स में है, मैं दे रहा हूं:–

	1990–91	1991–92
अक्तूबर	8461	6018
नवम्बर	5265	3954
दिसम्बर	5245	3565
जनवरी	5748	3777
फरवरी	4569	5066
मार्च	6772	3240

अध्यक्ष महोदय, अब मैं मार्च के महीने में एक मार्च से आगे की फिगर्ज बताता हूं:–

	सप्लाई इन 1991	सप्लाई इन 1992
1 मार्च	6925	3088

2 मार्च	6496	3645
3 मार्च	6836	3088
4 मार्च	6836	3088
5 मार्च	6626	3339
6 मार्च	6909	3267
7 मार्च	9835	3267
8 मार्च	7879	2710
9 मार्च	8220	2710
10 मार्च	7165	4196
11 मार्च	7061	2710
12 मार्च	7258	3339
13 मार्च	6699	3047

अध्यक्ष महोदय, मैंने यह बात मानी है कि यमुना में पानी की कमी की वजह से पानी कम मिला है लेकिन कितना मिला वे फिगर्ज मैं भिवानी के बारे में बताना चाहता हूं। स्पीकर साहब, भिवानी जिले को आटा ग्रुप और सुन्दर ग्रुप यानी दो ग्रुपों से पानी जाता है। इन दोनों ग्रुपों की पोजीशन पिछलें छः महीने

की क्या रही वह मैं बताता हूं। हांसी ब्रांच डिस्ट्रीव्यूटरी की जो टेल है उसकी पेटवाड डिस्ट्री– ब्यूटरी से भिवानी को जो पानी दिया गया है वह इस प्रकार है– 28– 6– 1990 से 29– 7– 90 तक 4289 क्यूसिक पानी दिया गया –जबकि शेयर 4260 क्यूसिकस बनता था और 30– 7– 90 से 30–8– 1990 तक 7296 क्यूसिकस पानी दिया गया जबकि शेयर 8385 क्यूसिकस बनता था। इसके बाद मैं बताना चाहता हूं कि 5– 1 2– 1990 से 5– 1– 1991 तक 2744 क्यूसिकस पानी दिया गया जबकि शेयर बनता था 2360 क्यूसिकस। उसके बाद 3314 क्यूसिकस दिया गया जबकि शेयर बनता था 2874 क्यूसिकस और फरवरी के महीने में 4012 क्यूसिकस दिया गया जबकि शेयर बनता था 3361 क्यूसिकस लेकिन सुन्दर ग्रुप के द्वारा जो पानी मिला, वह इनको कम मिला। 28– 6–90 से 29–7–90 तक अन्टा ग्रुप के द्वारा जो पानी मिला वह 5736 क्यूसिकस मिला जबकि शेयर बनता था 9467 क्यूसिकस, मतलब कि 3731 क्यूसिकस पानी कम मिला। इसी तरह से 30– 7– 90 से 30–8–90 तक पानी जो मिलना था, वह था 14234 क्यसिकस लेकिन मिला 10442 क्यूसिकस, मतलब 3782 क्यूसिकस कम मिला। 31–8– 90 से 1– 10–90 तक 8630 क्यूसिकस पानी मिलना था जबकि मिला केवल 8532 क्यूसिकस, मतलब कि 98 क्यूसिकस पानी कम मिला। इसके बाद 2– 10– 90 से 2– 11– 90 तक 5324 क्यूसिकस की जगह 4787 क्यूसिकस मिला, मतलब 537 क्यूसिकस पानी कम मिला। 3– 11– 90 से 4– 12– 90 तक 4402 क्यूसिकस की जगह 4535 क्यूसिकस मतलब कि 133

क्यूसिकस पानी ज्यादा मिला। 5– 12–90 से 5– 1– 91 तक 6323 की जगह 4523 क्यूसिकस मिला जोकि 1800 क्यूसिकस कम था। इसी तरह से पिछले 6 महीने के दौरान पानी की सप्लाई की स्थिति यह थी कि हमें मिलना था 38005 क्यूसिकस लेकिन मिला केवल 33539 क्यूसिकस, मतलब कि 4466 क्यूसिकस पानी कम मिला। इस सब का कारण यह था कि पिछले चार सालों से नहर में काफी सिल्ट थी जिसको हमने बरसात के बाद डि–सिल्ट करवाया। अब जनवरी–फरवरी के बाद यमुना में पहले के मुकाबले मे ज्यादा पानी है।

श्री अमर सिंहः अध्यक्ष महोदय, मिनिस्टर साहब ने इस तरह से फिगर्ज दी हैं कि जिस से पता लग जाए कि भिवानी जिला में पानी मिल रहा है पर पिछले दिनों उन्होंने मेरे सवाल के जवाब में बताया था कि टेल पर किसी भी जगह पर पानी नहीं पहुंच रहा है क्योंकि यमुना में पानी की कमी है। इसलिये मैं उन से यह जानना चाहता हूं कि अगर यमुना में पानी की कमी है तो क्या सरकार भिवानी जिला के गांवों में, जहां पानी नहीं पहुंच रहा है, वहां भाखड़ा नहर का पानी उपलब्ध करवाने का प्रयास करेंगे ताकि लोगों को पीने का पानी मिल सके?

श्री शमशेर सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, हम पीने के पानी को प्राथमिकता दे रहे हैं। चाहे आदमियों के पीने का पानी हो या पशुओं के पीने का पानी हो। वाटर वर्कस को भी पूरी तरह से भरा जाएगा और जौहड़ों को भी पूरी तरह से भरा जाएगा

ताकि पशुओं के लिये भी पानी का प्रबन्ध सुचारू रूप से हो सके। सरकार इस काम को प्राथमिकता देने के लिये पूरी तरह से जागरूक है।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसलाः अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि जब ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो हमारे फरीदाबाद जिला के गांव गांव में इन्होंने जलसे किए थे और लोगों को यह विश्वास दिलाया था कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ गई और मैं सिंचाई तथा बिजली मंत्री बन गया तो आपकी पानी की सारी समस्या हल करेंगे और आगरा कैनाल का कन्ट्रोल भी हम यू० पी० वालों से अपने हाथ में लेंगे। तो क्या मन्त्री जो उन बातों को सही ढंग से परसू कर रहे है?

Mr. Speaker : The question does not arise out of it. It has already been answered several times.

श्री शमशेर सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा क्योंकि इन्होने इसमें मेरे बारे में थोड़ी पर्सनल बात भी कही है मैंने यह तो कहा था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो हम लोगों की समस्याओ के लिए लड़ेंगे जो हम लड़ भी रहे हैं। लेकिर यह मैंने कमी नहीं कहा कि अगर मैं सिंचाई मंत्री बनूंगा। जहां तक आगरा कैनाल के सिस्टम को हरियाणा के नियन्त्रण में लेने की बात है, उसके लिए हरियाणा सरकार, मुख्य मन्त्री जी और मैं कम से कम आधा दर्जन मीटिंग्ज में उनसे कह चुके हैं कि इमका नियन्त्रण हमें दो। हमने सरकार बनने के बाद

अपने अधिकारी यू० पी० में लखनऊ भेजे। कई बार मैं भी उनके मन्त्री से सम्पर्क कर चुका हूं। वे लोग दो तीन बार मीटिंग्ज पोस्टपोन कर चुके हैं। हमने इंटर स्टेट मीटिंग मे जिसको वाटर रिमोर्सिज मन्त्री जो ने प्रिजाइड किया था, बार बार प्रैस किया कि इसका नियन्त्रण हरियाणा को दिया जाए।

श्री किताब सिंहः स्पीकर साहब, मन्त्री जी ने बड़ी लम्बी चौड़ी डिटेल पढ़ दी लेकिन मेन भाखड़ा की जो नहर है वह 16 दिन चलती है 8 दिन बन्द रहती है। जो डब्ल्यू० जे० सी० की नहर है वह करनाल, पानीपत, जीन्द, सोनीपत, रोहतक, गुड़गांव, रिवाड़ी, महेन्द्रगढ़ और भिवानी के इलाकों को सिंचित करती है। वह महीने मे 24 दिन बन्द रहती है और 7–8 दिन चलती है। हमारे लिए पानी का मसला बहुंत महत्वपूर्ण है। एस० वाई० एल० का जिक्र तो होता रहता है, पता नहीं उसका पानी कब आएगा लेकिन जब से हरियाणा बना है तब से हमारे पानी का बंटवारा ठीक तरह से नहीं किया गया। मैं जानना चाहूंगा कि इस बंटवारे को कब तक सही ढंग से कर दोगे?

श्री शमशेर सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने किसी एरिया का पानी विद्ड्रा नही किया। जब हरियाणा नहीं बना था और ज्वायंट पंजाब था तब तो और बात थी लेकिन हरियाणा बनने के बाद रोहतक और सोनीपत जिलों के ही इरीगेशन मिनिस्टर रहे। सोनीपत के चौधरी रिजक राम और उनसे पहले श्री लहरी सिंह थे और रोहतक के चौधरी रणवीर सिंह थे।

अब जो पोजीशन है वह यह है। यमुना के चार ग्रुपस हैं, अंटा ग्रुप, सुन्दर ग्रुप, भालोट और दिल्ली ग्रुप। यमुना में जितना पानी का इन फ्लो होता है उसके मुताबिक ही पानी चलता है। भाखड़ा में चूकि डैम है इसलिए वहां पानी ज्यादा उपलब्ध होने के कारण उसका बंटवारा ठीक हो सकता है। यमुना रिवर पर डैम नहीं बना हुआ है इसलिए वहां पानी इकट्ठा नहीं हो सकता। वहां पानी की फ्लकचुएशन बहुत ज्यादा है इसलिए सरकार नियन्त्रित तरीके से पानी देने का प्रयत्न करती है।

Outstanding Electricity Bills

***210. Prof. Sampat Singh :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—,

(a) the categorywise total number of outstanding electricity bills as at present togetherwith the amount thereof separately; and

(b) the details of such units, out of those referred to in part (a) above, against which amount of more than rupees 10 lakhs is outstanding togetherwith the steps. if any, taken to realise the same ?

Irrigation and Power Minister (Shri Shamsher Singh Surjewala) : (a) &(b) A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

(a) The categorywise number of bills outstanding alongwith the amount thereof ending December, 1991 was as

follows :-

Private consumers :

Category	No. of bills outstanding	Amount (in lakhs)
(i) Domestics & Comml.	1,75,265	1170.65
(ii) Agricultural	71,021	1467.83
(iii) Industrial	17,144	2648 . 30
(iv) Others	595	345.22
Total :	2,64,025	5632.20

Government consumers :

MITC	2,184	1800 . 57
Irrigation	1,205	17821 , 57
Municipal Committees/Panchayats	992	1309.46
Others	3,003	3393.77
Total	7,384	24325.19
Gland Total:	2,71,409	29957, 39

(b) The details of private units out of those referred to in part (a) above against which amount of more than Rs. 10 lakhs was outstanding as on 31st December, 1991

are as follows :

1. M/s. Haryana Electro Steels, Larsoli, Sonepat.

2. M/s. Rubber Reclaim Industries, Bahalgarh, Sonepat.

3. M/s. Gateways Specialities, Sonepat.

4. M/s. S.S, Industries, Hisar,

5. M/s. Jindal Strips, Hisar

6. M/s. Sehgal Paper Mills, Dharuhera.

7. M/s. Prem Enterprises, Rewari.

8. M/s Ballarpur Industries, Yamuna Nagar.

9. M/s. Saraswati Sugar Mills, Yamuna Nagar.

10. M/s. Darshan Lal S/o Krishan Chand, Jagadhri.

11. M/s, R.D. Alloys, Jagadhri.

12. M/s. Bhiwani Textiles Mills, Bhiwani,

13. M/s, Mohta Electro Steels Bhiwani,

14. M/s. Dalmia Cements, Dadri.

15. M/s. Dabriwala Steels, Faridabad,

16. M/s. Universal Steels & Alloys Ltd., Faridabad.

17. M/s. Northern India Steels, Faridabad.

18. M/s. S,G. Steels, Faridabad,

19. M/s, K.G. Khosla & Sons, Faridabad.

20. M/s. S,A.P., Faridabad,

21. M/s, B.D. Ghai & Sons, Faridabad.

22. M/s, Orient Steels, Faridabad,

23. M/s, Kegg Farms, Gurgaon.

24. M/s Haryana Ferro Alloys, Rohtak,

The following steps are being taken by H.S.E.B. to realise the outstanding amounts

1, Negotiation Committees have been formed at the level of Circle/Zonal and Head Offlce to decide disputed cases out of the Court,

2. Powers have been delegated to the S,Es./Op. to decide the disputed cases as per existing instructions,

3. Instructions for disconnecting the defaulting consumers are being imparted to the field officers from time to time,

4. Securities of consumers are adjusted towards outstanding amounts,

5. To realise the outstanding amounts against Govt,/SemiGovt. connections, matter is constantly pursued. at the State Govt. level.

6. An amount of one paisa per unit on electricity

consumers within Municipal limits is being charged where the Committees have resolved to do so, This amount would be accounted for towards the arrears outstanding against Municipal Committees.

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि ये जो डिफान्टिग यूनिटस बताई गई हैं, इनका दस लाख रुपए से०पर का आउटस्टैडिंग विन बताया गया है, जिन यूनिटस के अगेंस्ट 50 लाख रुपए से ज्यादा आउटस्टैडिंग है क्या उनसे ऐज एरियर्ज औफ लैड रैवेन्यू रिकवरी करने के लिए कोई कार्यवाही की गई है?

श्री शमशेर सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अपने मेन सवाल में यह पूछा था कि जिन यूनिटों के विरुद्ध 10 लाख रुपए से ज्यादा पैसा बकाया है उसकी वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। यदि माननीय सदस्य 50 लाख या 50 लाख से ज्यादा के बकाया के बारे में पूछते तो मैं कैटेगराइजेशन कर सकता था लेकिर इसमें वह पैसा भी शामिल है। जहां तक एज एरियर्ज औफ लैंड रेवेन्यू वसूलो करने को कार्यवाही का ताल्लुक है उसके बारे में मैं इनको बता देता हूं। जो स्टेटमैंट के सीरियल नम्बर एक पर मैसर्ज हरियाणा इलैक्ट्रो स्टील्ज, लारसोलो सोनीपत है उसके विरुद्ध एज एरियर्ज औफ लैंड रेवेन्यू वसूली करने की कार्यवाही चल रही है और जो सीरियल नम्बर 8 पर मैसर्ज बल्लारपुर इन्डस्ट्रीज, यमुनानगर है उसके

विरुद्ध भो एन एरिर्ग्ज औफ लैंड रेवेन्यू वसूली करने की कार्यवाही चल रही है।

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, मंत्री जी ने बताया कि स्टेटमैंट के सीरियल नम्बर 1 पर और सीरियल नम्बर 8 पर जिन यूनिटस के नाम हैं उनके विरुद्ध एज एरियर्ज ओफ लैंड रेवेन्यू वसूली करने की कार्यवाही चल रही है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जो से जानना चाहता हूं कि उन यूनिटस के विरुद्ध जो एज एरियर्ज औफ लैंड रेवेन्यू वसूलो करने को कार्यवाही चल रही है वह कब तक पूरी हो जाएगी? सोहर साहब, इन्होंने जनिज के नजदीकी लोग सरकारी वकील लगा रखे हैं फिर ये केस क्यों नही जीत रहे?

श्री शमशेर सिंह सुरजेवालाः स्पीकर साहब, माननीय सदस्य तो ऐसी बात कह रहे हैं जिसका सारी दुनिया में कोई जवाब नहीं है। जिस तरह से इन्होंने जजिज ओर सरकारो वकीलों के बारे में कह दिया ऐसो कोई बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मेन सवाल के जवाब मे जो रिप्लाई दी हुई है उसमें ऐसी 24 यूनिटस हैं जिनके अगैंस्ट 10 लाख या 1० लाख रुपए से ज्यादा अमाउंट आउटस्टडिंग है। इनमें से मोस्ट ओस दि यूनिटस के मालिकों ने कचहरियों से स्टे ले रखा है या किसी ने आर्बीट्रेशन में केस किया हुआ है। जिस–जिस यूनिट का स्टे वेकेट होता है या केस आबीट्रेशन में नही है तो उनके खिलाफ एज एरियर्ज ओफ लैंड रेवेन्यू वसूली करने की कार्यवाही करते है।

Mr. Speaker : Questions Hour is over.

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्रश्नों का लिखित उत्तर

Rangoi Drain

***180. Shri Pir Chand :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) whether the digging work on Rangoi Drain has been stopped; and

(b) if so, the reasons thereof ?

सिंचाई तथा बिजली मन्त्री (श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला):

(क)हां, श्रीमान जी।

(ख)धन की उपलब्धि न होने के कारण।

Ayurvedic Dispensary

***246. Shri Kitab Singh :** Will the Minisler for Health be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to take ever Ayurvedic Dispensery at Village Sikandarpur Majra in District Sonepat; and

(b) if so, the time by which the aforesaid proposal is likely to be materialized ?

स्वास्थ्य मन्त्री (बहिन करतार देवी):

(क)हां।

(ख)मामले में शीघ्र निर्णय लिए जाने की संभावना है।

Construction of Bridge on Jamuna River

***237. Shri Rajinder Singh Bisla :** Will the Chief Minister •be pleased to state--

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a bridge en Jamuna River at village Mohna (Ballabgaih) to connect/link Khadar villages of the State; and

(b) if so, the time by which the aforesaid bridge is likely to be constructed ?

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल): (क और ख)ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

Setting up of Power Houses in District Yamuna Nagar

***241. Sathi Lehri Singh :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to set up 66 K.V. Power House in Palwala, District Yamuna Nagar and in village Berthala District Kurukshetra ; and

(b) if so, the time by which the aforesaid Power Houses are likely to be set-up ?

सिचाई तथा बिजली मन्त्री (श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला):

(क)जिला कुरूक्षेत्र के गांव पालेवाला तथा बेरथला में 66 के० वी० उपकेन्द्र नया (ख)स्यापित करने का कोई प्रस्ताव नही है। यदपि, गांव वेरथला में 8वीं योजना के दोरान एक 66 के० वी० उपकेन्द्र निर्माण करने का प्रस्ताव है जिस पर विचार विमर्श चल रहा है।

Behbalpur and Shadipur Minors

***262. Chaudhri Suraj Bhan Kajal :** Will the Minister for Irrigation & Power be pleased to state—.

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct Behbalpur minor and Shadipur minor; and

(b) if so, the time by which the said minors are likely to be constructed ?

सिचाई तथा बिजली मन्त्री (श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला):

(क)वर्तमान बहबलपुर माईनर 27500 फुट लम्बी है। नई बहबलपुर माईनर तथा शादीपुर माईनर का परीक्षण किया जा रहा है।

(ख)प्रश्न ही नहीं उठता।

Raid on the farm

***221. Prof. Ram Bilas Sharma :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) whether any raid on the Farm of a legislator in District Ambala has been conducted by the Haryana State Electricity Board during the month of July, 1991; and

(b) if so, the details thereof ?

सिंचाई तथा बिजली मन्त्री (श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला):

(क)तथा (ख)हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड के सतर्कता स्टाफ द्वारा दिनांक 23– 7 – 91 से दिनांक 27– 7– 1991 तक अम्बाला परिमंडल का एक विशेष जांच पड़ताल अभियान चलाया गया था। बहुत से कनैक्शनों के जांच पड़ताल के समय, एक कोटे गए ट्यूबवैल कनैक्शन जो कि संयोगवश चौधरी लहरी सिंह, ग्राम जनारथल पट्टी डाकखाना मुलाना से सम्बन्धित था, की दिनांक 24–7–91 को जांच पड़ताल की गई थी। जांच पड़ताल के समय यह पाया गया कि एल० टी० लाईन को सीधे रूप से टैपिंग करके घरेलु उद्देश्य के लिए अनिधिकृत रूप से बिजली ली जा रही थी। सम्बन्धित स्थल पर जो कुल कनैक्टिड (संबंद्ध)लोड पाया गया वह 0.22 किलोवाट था। बिजली की चोरी का मामला होने के नाते 220 रु० की धन राशि का एक ही समय मुआवजे के रूप में

जुर्माना लगा दिया गया था जिसको कि उपभोक्ता द्वारा जमा करा दिया गया था।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Construction of Water Courses

41. Prof. Sampat Singh : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the lengthwise number of watercourses constructed/repaired in the State during the year 1989-90, 1990-91 and 1991-92 togetherwith the amount spent thereon ?

सिंचाई तथा बिजली मन्त्री (श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला):

(क)(1)एम० आई० टी० सी० द्वारा खालों का निर्माण–

साल	जितने खाल पक्के किये गये	लम्बाई (लाख फुट में)	पैसों खर्च किया गया (रुपये लाखों में)
1989-90	36	6.48	762,44
1990-91	115	20,12	1428,89
1991-92 (29-2-92तक)	128	19.95	1450.00

(2) काडा द्वारा खालों का निर्माण–			
1989-90	155	17.80	859.46
1990-91	158	13.10	781.07
1991-92	78	9.33	609.58

(ख)(1)एम० आई० टी० सी० द्वारा खालों की मुरम्मत करवाना–

साल	जितने खाल मुरम्मत करवाये गये	पैसा जितना खर्च किया गया (रुपये लाखों में)
1989-90	1219	391.64
1990-91	550	184.04
1991-92 (29-2-92 तक)	933	260.00

(2)राशि न होने के कारण काडा ने मुरम्मत का कोई कार्य आरम्भ नही किया।

Post of Superintendent of Police

42. Prof. Sampat Singh : Will the Chief Minister be pleased to state—,

(a) whether there are any posts of Superintendent of Police lying vacant in the Police department as at present;

and

(b) if so, the details thereof ?

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल):

(क)मुख्य रूप से इस समय पुलिस अधीक्षक के चार पद जो रिक्त हैं, ये हैं:––

व (ख)

(1)अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, रोहतक,

(2)अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, गुड़गांव,

(3)अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जीन्द और

(4)अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, करनाल।

वास्तव में ये पद रिक्त नहीं हैं क्योंकि चार अधिकारी जोकि छुट्टी पर हैं या निलम्बित हैं को इन पदों के विरुद्ध समायोजित किया जाना है।

स्थगन/ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

टाडा के अधीन समाजवादी जनता पार्टी के कार्यकताओं के विरुद्ध मुकदमे दर्ज करने सम्बन्धी

10.00 बजे

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, विधान सभा का अधिवेशन चल रहा है और आज इसकी दसवी सीटिंग है। कोई भी मुद्दा जो इम्पौटैट हो, चाहे वह अपोजिशन की तरफ से हो और चाहे ट्रेजरी बैचिंज की तरफ से हो, उस मुद्दे को रखने के लिए सबसे बढ़िया प्लेटफार्म विधान समा है। कल ही हमारे मुख्य मंत्री जी ने हाउस की बजाय प्रैस में जा कर अपना बयान दिया है और इन्होने उस बयान में कहा है कि इन्हें मरवाने की साजिश चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और सम्पत सिंह ने रची थी। हिसार मे नाजायज तौर पर हमारे वर्कर्ज को तंग करने के लिए टाडा के अधीन जो केस बनाए गत् हैं उनको जस्टिफाई करने के लिए इन्होंने प्रैस में स्टेटमैंट दी है। इस मुद्दे को हम असैम्बली में दो तीन बार पहले भी उठा चुके हैं। इन्होंने जो केस दर्ज कराए हैं उनमें इन्होंने किसी उम्मेद सिंह का नाम लिया है कि फलां उम्मेद सिंह ने ये सारो बातें बताई हैं। स्पीकर साहब, वह उम्मेद सिंह इस बार नहीं आज से 9— 10 महीने पहले जब विवान सभा के चुनाव हो रहे थे उन चुनावों के दौरान भी वह गिरफ्तार किया गया था। उस समय इन्होंने उससे जो कुछ रिकवरी करनी थी., जो इन्वैस्टीगेशन करनी थी और जो इन्टैरोगेशन करनी थी वह सारी पूरी हो गई थी। आज उसी केस के चालान कोर्ट के अन्दर पेश हो चुके हैं और वही आदमी जो उम्मेद सिंह का नाम ले रहा है उसी आदमी को इन्होंने उसमें शामिल किया था। आज 9 महीने बाद उम्मेद सिंह के खिलाफ दोबारा एफ० आई० आर० दर्ज करवा करके उसको तंग किया जा रहा हे। थाने में उसको उल्टा टांग

करके, उसका सांस बंद करके, उसका पेशाब बंद करके उसको टौरचर करके उसको अमानवीय यातनाएं दी गई।

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, इन्होंने आपको ऐडजर्नमैंट मोशन दे रखी है, आप उसका फैसला कर दें ताकि यह उस पर बोल लें और मैं उसके जवाब में अपनी बात कह दूं। ये सारी बातें चूकि पहले ही कहना चाह रहे हैं, इसलिए मैं भी फिर इसका पहले ही जवाब दूंगा।

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a notice of adjournment motion from Sarvshri Sampat Singh and 7 other Members of his party regarding registration of cases against the workers of Samajwadi Banta Party under TADA. I disallow this notice of adjournment motion. However, 'convert it into a Calling attention motion and this will be taken up before the other two Calling attention motions fixed for today are taken up, as a special case. Now I will request Shri Sampat Singh to read his motion and thereafter the Chief Minister may make his statement.

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर सर, ये कालिंग अटैशन मोशन के जवाब में अपनी स्टेटमैंट दे देंगे और उस पर हम केवल दो सवाल पूछ सकते हैं। इन दो सवालों के पूछने से पूरी बातों की कलैरिफिकेशन नही हो सकती। मेरी आपसे रिक्वैस्ट है कि आप अपने फैसले को रिव्यू करें क्योंकि यह बहुत अहम मुद्दा है और खुद मुख्य मंत्री ने इलजाम लगाया है कि मुझे मारने का प्लौट रचा गया है। अध्यक्ष महोदय, जब प्लौट रचा गया शै तो इस पर

डिस्कशन होनी चाहिए और हमारी पूरी बात सुनी जानी चाहिए। (विध्न)इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप इसे ऐडजर्नमैंट मोशन ही ऐडमिट करें।

जन स्वास्थ्य मन्त्री (चौधरी जगदीश नेहरा): आन ए प्वायट आफ आर्डर सर। स्पीकर साहब, जब आपने अपनी रूलिंग दे दी कि यह ऐडजर्नमैंट मोशन कालिंग अटैशन मोशन में कन्वर्ट कर दी गई है तो फिर इनको इस पर लैक्चर देने का कोई अधिकार नही है। (विध्न) ये केवल अपनी कालिंग अटैशन मोशन पढ़ सकते हैं।

श्री धीरपाल सिंह: क्या आपको इस तरह से बोलने का अधिकार मिला हुआ है? (विध्न) हम तो स्पीकर साहब से विनती कर रहे हैं कि वे अपनी रूलिंग को रिव्यू करें।

श्री सतबीर सिंह कादयान: स्पीकर साहब, मेरी भी प्रार्थना है कि आप अपनी रूलिंग को रिव्यू करें। (विध्न)

श्री अध्यक्ष: आनरेबल मैम्बर्ज मैंने इस बारे में पहले भी अपनी रूलिंग दी है।

At page 420 of the Book 'Practice and Prooedure of Parliament' by Kaul and Shakdhar, it is clearly stated—.

"It has been held that an adjournment motion on a matter which can be raised during the debate on the Motion of Thnaks on the President's Address (Governor's Address) Budget discussion , motion regarding a matter of public

importance to be held in the same session is not in order, Similarly, a mattes which can be raised under any other procedural device viz., calling attention notices, questions, short notice questions, half-an-hour discussion, short duration discussion, etc. cannot be raised through an adjournment motion."

Now it should over. Your adjournment motion has not been allowed. अब आप अपनी कालिंग अटैन्शन मोशन पढिए।

प्रो० सम्पत सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे सबमिशन कर रहा हू क्योंकि आपने कहा है कि बजट पर या गवर्नर ऐडैरस पर बोलने के लिये बहुत से मौके मिलते हैं। अध्यक्ष महोदय यह सैशन का आज लास्ट डे है। इन्होंने जानबूझ कर कल प्रैस मे अपना ब्यान दिया है। (विघ्न) इन्होंने प्रैस में कल अपना ब्यान दिया और वह आज छपा है इसलिये आज ही हमने इसको पढ़ा है। इससे सीरियस मैटर क्या हो सकता है कि चीफ मिनिस्टर के मारे जाने का षडयंत्र रचा गया बै। इस प्लौट में भूतपूर्व मुख्य मन्त्री श्री ओम प्रकाश चौटाला और लीडर आफ दी अपोजीशन सम्पत सिंह का यानि कि मेरा नाम लिया गया है। इस सैशन की 10 सिटिंग्ज मे से 2–4 दिनों को छोड कर हम यहीं रहे हैं। हमारे नेता ओम प्रकाश चौटाला रोज मीटिंगें करो रहे हैं। (शोर एवं विघ्न)अध्यक्ष महोदय, हम इनके दबाये नहीं दबेगें।

श्री अध्यक्षः आप आना कालिंग अटैन्शन मोशन पढ़िए।

प्रो० सम्पत सिंहः वे रोज पब्लिक मीटिंग कर रहे पैं। अगर इनकी हिम्मत है तो रोक करके दिखाओ। (शोर एवं विध्न)अगर इनके मारे जाने का प्लौट रचा गया है तो गिरफ्तार करो। (शोर एव विघ्न)

श्री अध्यक्षः सम्पत सिंह जी, आप अपना कालिंग अटैशन मोशन पढ़ें।

चौधरी जगदीश नेहराः आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। अध्यक्ष महोदय, रुल 66 के तहत जो ऐडजर्नमेंट मोशन का नोटिस इन्होंने दिया था उसको अपने रुल 73 के तहत कालिंग अटैशन में मोशन कनवर्ट कर दिया है। ये अब अपने ऐडजर्न– मैट मोशन के०पर जो बात कह रहे हैं उन बातों को न कह कर अब इन्हें अपना कालिंग अटैंशन मोशन पढ़ना चाहिए ताकि सरकार की तरफ से जवाब दिया जा सके। लेकिन ये फिर बार–बार वही बात कर रहे हैं। यह जो मुद्दा है इसको इन्होंने पहले भी उठाया था। ऐसा ही मुद्दा इन्होंने कल भी उठाया था और परसों भी उठाया था। (शोर एव विघ्न)इन्होंने जो कासपीरेसी रची थी उसके तहत यू० पी० से 200 पिस्तौल मंगवाये गए थे इन्होंने इन पिस्तौलों को चुनावों में इस्तेमाल करना था। (शोर एवं विघ्न)मेरा केवल इतना ही कहना है कि अब इनको अपना कालिंग अटैशन मोशन पढ़ना चाहिए।

श्री बंसी लालः आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। अध्यक्ष महोदय, एक बात मेरी समझ में नहीं आती। जो रुलिग आपने दी लीडर आफ दी अपोजीशन ने उस रुलिंग को रिव्यू करने के लिये सबमिशन की है। सबमिशन करने का उनका अधिकार है। यह मामला इतना सीरियस है, कि इससे ज्यादा गम्भीर मामला इस सदन में इस सैशन में और इससे पहने सैशन में नहीं आया लेकिन मुझे इस बात की हैरानी है कि रुलिग पार्टी के एक माननीय सदस्य बार बार प्वायंट आफ आर्डर पर बोलने के लिये खडे हो जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इनको बोलने का लाईसैस मिला हुआ है कि जब भी वे चाहें बोलने के लिये खड़े हो जायें? (शोर एवं विघ्न)आप मुख्य मन्त्री जी को कहो कि इनको विक्टोरिया क्रास दे दें। अध्यक्ष महोदय, मैं भी आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप अपनी रुलिंग को रिव्यू करें तथा इस मामले को ऐडजर्नमैंट मोशन के रूप में ऐडमिट करें। यह मामला बहुत ही गम्भीर है। यदु मामला मुख्य मन्त्री के कत्ल करने से ताल्लुक रखता है और एक भूतपूर्व मुख्य मन्त्री तथा लीडर ओफ दि अपोजीशन पर इसका आरोप लगाया गया है। ऐडजर्नमैंट मोशन इर्म्पोर्टेन्ट सब्जेक्ट पर ही होता है और अगर यह गम्भीर मामला ऐडजर्नमैंट मोशन का सब्जैक्ट नहीं हो सकता तो इससे ज्यादा और कोई मामला हिन्दुस्तान में या हरियाणा में स्थगन प्रस्ताव के सब्जैक्ट का हो नहीं सकता। (विध्न)

Mr. Speaker : The adjournment motion has not been allowed. Prof. Sampat Singh Ji, you may please read your calling attention motion,

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर सर, मैं आपसे फिर एक बार रिक्वैस्ट कर रहा हूं कि आप अपने फैरने को रिन्यू कीजिए। (विघ्न) ये लोग बार–बार बीच में दखल दे रहे हैं। मैं आपसे इजाजत ले कर आपसे सबमिशन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्षः सम्पत सिंह जो, आप अपना कालिंग अटैंशन मोशन पढ़िए।

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर सर, कालिंग अटैंशन मोशन से बात हन नहीं होगी, वह इतना गम्भीर मैटर है कि आप इसके लिये ऐडजर्नमैंट मोशन ही अलाऊ करें।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, ये लोग इस मैटर को सीरियस कह कर पेशबन्दी के रूप में हाउस में अपनी बात रिकार्ड करवाना चाहते हैं। यह कैसा मैटर है जब मैं जवाब दूगा तो इनको पता लग जाएगा। स्पीकर साहब, इस बहाने से ये लोग वाक आउट करने का ग्राउंड बना रहे हैं। (दिव्य एवं शोर)।

श्री धीरपाल सिंहः हम लोग भागने वाले नहीं हैं। (विघ्न एवं शोर)

प्रो० सम्पत सिंहः हम आपको बताएंगे कि असलियत क्या है, हम भागेंगे नहीं। (विघ्न)

चौधरी भजन लालः मैं आपको बताऊंगा कि साजिश क्या है। (विघ्न) मैं आपको बताऊंगा आप सुनने की तो कृपा करिए।

Mr. Speaker : Sampat Singh Ji, your adjournment motion has been converted into a calling attention motion. अब आप कृपया अपना कालिंग अटैंशन मोशन पढ़िए।

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर सर, हम कोई पेशबन्दी नही कर रहे हैं, हम डरने वाले नहीं है। (विध्न)ये लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं चाहे ये कुछ भी कर ले। जहां तक पेशबन्दी का सवाल है हम पेशबन्दी नहीं कर रहे है बल्कि पेशबन्दी तो ये कर रहे है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः सम्पत सिंह जी आप अपनी कालिंग अटैशन मोशन पढ़ते हैं या कि नही?

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, ये लोग पोलिटिकल लोगों को डराने के लिये पेशबन्दी कर रहे हैं लेकिन हम लोग डरने वाले नही हैं। (विघ्न) It is all political, Let us have discussion on it first and then you may reply.

श्री अध्यक्षः आप अपना कालिंग अटैशन मोशन पढें।

प्रो० सम्पत सिंहः मैं आपसे रिक्वैस्ट करता हूं कि आप इसको स्थगन प्रस्ताव के रूप में स्वीकार करें।

Mr. Speaker : Not allowed, **I** have already given my ruling and you please read out the notice of Calling Attention Motion.

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर सर, गवर्नमैंट अपनी बात से भाग रही है।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी इजाजत हों तो मैं इनकी कालिंग अटैंशन मोशन का पहले ही जवाब दे देता हूं। (विघ्न एवं शोर)

प्रो० सम्पत सिंहः .....

.....

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, मैं रिक्वैस्ट करूगा कि जो ये कह रहे हैं वह रिकार्ड पर नहीं आना चाहिए।

Mr. Speaker : Sampat Singh Ji, you are speaking without my permission. Your adjournment motion has been converted into Calling Attention Motion. You may read the notice of the Calling Attention Motion. मेरी परमिशन के बिना जो बोला गया है, वह रिकार्ड न किया जाए।

श्रीमती चन्द्रावतीः अध्यक्ष महोदय, बात यह है कि जो मामला उठाया गया है वह बहुत ही गम्भीर है और आपने इसको कालिंग अटैंशन मोशन में कन्वर्ट कर दिया है। इस बात में अगर जीरो फीसदी भी सच्चाई है तो आपको इसको कालिंग अटैशन मोशन में कन्वर्ट न करके ऐडजर्नमैंट मोशन के रूप में ही ऐडमिट

करना चाहिए था ताकि इस पर पूरी डिस्कशन हो सके और सच्चाई सामने आ सके और अगर यह बात गलत है तो भी पता चल जाएगा। वैसे मैं समझती हूं कि औम प्रकाश चौटाला कुछ भी कर सकता है लेकिन भजन लाल को मरवाने की कोशिश नही कर सकता। (विघ्न) आप तो उनकी सोने का अण्डा देने वाली मुर्गी हैं, वह आपको कैसे मरवा सकता है? स्पीकर सर, इस मामले पर ऐडजर्नमैंट मोशन ही ऐडमिट होना चाहिए, यह मेरी रिक्वैस्ट है। (विघ्न)

प्रो० राम बिलास शर्मा: अध्यक्ष महोदय ये रुलिग पार्टी के भाई लोग अगर यह सोचते है कि हम यहां पर कुछ नही बोल सकते हैं तो यह बहुत ही गलत बात है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, आपके कहने के बाद भी यह बीच–बीच में बोलते हैं। मुझे समझ नही आता कि काम कैसे चलेगा? अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी का आज अखबार में बयान आया है और उसमें दो अहम बातें कही गई हैं। एक तो इन्होंने कहा कि इनकी जान को खतरा है। अध्यक्ष महोदय, उस बयान से विपक्ष के नेता पर आरोप आता है और मुख्यमंत्री जी दो तीन दिन से यह कह भी रहे थे कि इनके पास सबूत है। तो इस बारे में सजपा की तरफ से एक ऐडजर्नमैंट मोशन आई है और आपने उसको कालिंग अटेंशन मोशन में कन्वर्ट कर दिया है। हम आपकी रुलिंग को मानते है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि जब दोनों तरफ से उसमें सिरीयसनैस है, मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं और हमारे

विपक्ष के नेता भी कह रहे है तो उसके०पर अच्छी तरह से बहस होनी चाहिए। इनके पास जो बात है वह ये कह रहे हैं और मुख्यमंत्री जी के पास जो जानकारी है वह भी बता दें। अगर कोई कास्प्रेसी है तो उसको दबाना क्यों चाहते हैं। Let it go to the people. The august House is in session. स्पीकर साहब, मैं यह कहना चाहूंगा कि विपक्ष के नेता की भी एक गरिमा है और राजनीति में आपस में किसी बात की लिपा पोती नही करनी चाहिए। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप उसे ऐडजर्नमैंट मोशन में ही रखें। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्षः दूसरी बात बाद में कह लेना। अब चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी को बोलने दे। **चौधरी वीरेन्द्र सिंहः** अध्यक्ष महोदय यह मामला गम्भीर हो मया है क्योंकि मुख्य मंत्री जी ने प्रेस गैलरी मे जाकर यह बयान दिया है। अगर ये हाऊस में ही यह बात कहते जैसे कि 4– 5 दिन से कह रहे थे कि मेरे पास कुछ सबूत हैं, मैं सदन में तफसील से बताऊंगा तो शायद यह मामला इतना गम्भीर न होता। अध्यक्ष महोदय, दूसरे यह सदन की परम्परा है कि जब हाउस चल रहा हो तो कोई भी मती या मुख्यमंत्री बाहर ऐसी इतलाह न दे अगर कोई देता है तो वह कोई अच्छी बात नहीं है और यह अनडैमोक्रेटिक है, सदन की परम्परा के बिल्कुल विरुद्ध है। अध्यक्ष महोदय, मेरी एक गूजारिश है कि यह कालिंग अटैन्शन मोशन या ऐडजर्नमैंट मोशन की बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जब एक मैम्बर के०पर बाहर आरोप लग गया तो उस मैम्बर को इतना

तो हक होना चाहिए कि वह अपने विरुद्ध लगे आरोप के बारे में 2– 4 मिनट बोल सके, 2– 2, 4– 4 सवाल पूछ ले तो इसमें क्या अपत्ति है? मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री जी को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर अपोजिशन के मैम्बर कुछ बात कहना चाहते हैं तो उनको कहने दें। मुख्यमंत्री जी के पास सबूत हैं तो वे भी बताएं और वे अपनी सफाई में कुछ कहना चाहें तो वह भी कह लें। अध्यक्ष महोदय, अगर आप इस कालिंग अटैन्शन मोशन को रखते हुए ही इस बात की तसल्ली करा दें कि आप मैम्बर्ज को बोलने का पूरा मौका देंगे तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। अगर रूल्ज आफ प्रोसीजर में ऐसा कोई प्रावधान नही है तो यह जरुरी हो जाता है कि इसको ऐडजर्नमैंट मोशन ही ट्रीट किया जाए। अध्यक्ष महोदय, हम दोबारा प्रार्थना करेंगे कि आप अपने फैसले को रिव्यू करें।

सिचाई तथा बिजली मंत्री (श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला): अध्यक्ष महोदय, बजट सैशन अभी चल रहा है और आज ऐप्रोप्रिएशन बिल पर डिसकशन और वोटिंग होगी। जब से बजट सैशन चल रहा है तब से मैम्बर्ज को बोलने का काफी समय मिला है। (शोर)मुख्यमन्त्री जी ने जो बात कल कही है उसमें कोई भी नयी बात नही कही है। इससे पहले भी कम से कम एक दर्जन बार यह बात कही जा चुकी है और अखबारों में भी छप चुकी है। इन्होंने उसको थोडा तफसील में जरूर कहा है। दूसरी बात मैं वह कहना चाहता हूं कि जब बजट सैशन हो तो ऐडजर्नमैंट मोशन

लाने का कोई औचित्य नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन नही है क्योंकिं इनको ऐप्रोप्रिएशन बिल पर मौका मिलेगा तब यह अपनी बात कह सकते हैं और मुख्य मन्त्री जी को भी उसका जवाब देना पड़ेगा। यह कालिंग अटैशन मोशन इसलिये है जिससे यह अपनी बात को रख सके। इसलिये में समझता हूं कि बाकी कार्यवाही से पहले इसको लाना ठीक है। आप भी अपनी फाईनल रुलिग दे चुके हैं कि आप इस कालिंग अटैशन मोशन को फिर दुबारा से ऐडर्जन मोशन में कन्वर्ट नही करेंगे। इसलिये इस पर डिसकशन की कोई जरुरत नहीं है। इसलिये आप फिर इनको कालिंग अटैशन मोशन पढ्ने के लिये आदेश दे दें।

राजस्य मंत्री (चौधरी बीरेन्द्र सिंह): स्पीकर सर, मैं सिर्फ प्रोसीजर की बात करना चाहता हूं जब आदरणीय बंसी लाल जी, चन्द्रावती जी, सरदार हरपाल सिंह और मैं पार्लियामैंट में थे तो हमने वहां पर जो देखा था वह मैं अर्ज करना चाहता हूं यह तो आप भी जानते हैं कि पार्लियामेंट का सैशन साल में कम से कम पांच महीने से०पर ही चलता है। वहां पर ऐडजर्नमैंट मोशन बहुत ही रेयर हालात में आपोजीशन देती है वरना आपोजीझन ऐडजर्नमेंट मोशन नहीं देती है। कालिंग अटैशन मोशन का जो वहां प्रोसीजर है वसुमें मैम्बर्ज क्रो बहुत कुछ कहने का मौका मिल जाता है। वहां जो प्रोसीजर मैंने देखा है उसके अनुसार ऐसा है कि जब कालिंग अटैंशन मोशन ऐडमिट होता है तो केवल उसी सदस्य को उस पर बोलने का मौका स्पीकर देते है जिसने वह

दिया हुआ है, दूसरे सदस्य उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इसके अलावा मैंने वहां पर यह भी देखा है कि एक एक कालिंग अटैशन मोशन पर एक एक घंटे के लिये वे सदस्य बोलते हैं। इसलिये मैं आपसे गुजारिश करुंगा कि हमारे यहां पर सैशन छोटा चलता है और अगर उसमें भी ऐडजर्नमेंट मोशन आ जाता है तो हमारा सारा आलरेडी फिसक्सड प्रोग्राम बिगड़ जाता है इसलिये आप इसके लिए कोई व्यवस्था करें। इसके अलावा आप कालिंग अटैशन मोशन जब ऐडमिट करते हैं तो आप सदस्य को उस पर बोलने के लिये तीन या पांच मिनट तय कर सकते हैं।

श्री अध्यक्षः ठीक है। इसमें एक नही आठ मैम्बर्ज हैं। ये सम्पत सिंह व अन्य सात मैम्बर हैं। उनको हम सप्लीमेंट्री पूछने का टाईम देंगे। इसलिये उसमें हर बात आ जायेगी। चौ० सम्पत सिंह जी अब आप अपना मोशन पढ़िए।

श्री बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपका थोड़ा सा टाईम लूंगा। मेरी एक सबमिशन है कि यह मसला न तो मुख्यमन्त्री जी का है और न लीडर आफ दी अपोजीशन का है, यह मसला इस सदन का है और इस सदन की मर्यादाओं का है। पार्लियामेंट में मैं भी 18 साल रहा हू इसलिये अगर मुख्यमन्त्री जी यह कहते हैं कि मैं ऐसी ऐसी बातें कहूंगा तो हम भी यह चाहते है कि मुख्यमन्त्री जी की जो बात सही होगी हम भी उसको स्पोर्ट करेंगे और सजपा वालों की बात को सपोर्ट नहीं करेंगे लेकिन अगर इनकी बात सही होगी तो इनको सपोर्ट करें गे और मुख्यमन्त्री जी

की सपोर्ट नहीं करेंगे। अध्यक्ष महोदय, यह एक भूतपूर्व मुख्यमन्त्री द्वारा और एक लीडर आफ दी अपोजीशन द्वारा मुख्यमन्त्री के मर्डर की साजिश का मामला है इसलिये आप इसके बारे में ऐडजर्नमैंट मोशन ऐडमिट करें। यह कालिंग अटैशन मोशन का मामला नही है, यह ऐडजर्नमैंट मोशन का मामला है। ये लोग ही कहने वाले नहीं हैं, हम भी इस सदन के मैम्बर हैं, हमें भी अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए। यह बहुत गंभीर मामला है। आज मुख्यमन्त्री का मर्डर करने की बात आ रही है कल मेरी भी आ सकती है, परसों बहन चन्द्रावती जी की भी आ सकती है, राम बिलास शर्मा जी की भी आ सकती है वीरेन्द्र सिंह की भी आ सकती है तथा किसी और की भी आ सकती है इसलिये यह बहुत ही सीरियस मामला है। इसके अलावा चौ० शमशेर सिंह जी ने कहा है कि बजट सैशन में यह मात नही आ सकती। बजट सैशन आपने कितने दिन का किया? फिर इसके साथ साथ बात यह है कि बजट सैशन में बजट पर डिस्कशन तो सारी निकल चुकी है। आपने सप्लीमैंटरी ऐस्टिमेटस के ऐप्रोप्रिएशन बिल पर कितना टाईम लगाया है, कितने मैम्बर्ज को आपने डिमांड्ज पर बोलने का टाईम दिया और कितने मैम्बर्ज को आप ने ओरीजनल बजट पर बोलने का टाईम दिया यह देखने वाली बात है।

श्री अध्यक्षः आपकी पार्टी के लगभग सब मैम्बर्ज बोल चुके हैं।

श्री बंसी लालः स्पीकर साहब, मैं आपसे इतना ही नम्र निवेदन करुंगा कि इस ऐडजर्नमैट मोशन को तबदील न करें। इसे ऐडजर्नमैंट मोशन ही रहने दें। कालिंग अटेंशन मोशन न बनाये क्योंकि यह मसला बहुत ही गम्भीर है।

श्री सतबीर सिंह कादयानः सर, इस बारे मे मैं एक बात कहना चाहता हू।

श्री अध्यक्षः क्या कोई कसर रह गयी है।

श्री सतबीर सिंह कादयानः जी हां, स्पीकर साहब कालिंग अटैशन मोशन हमने उन कार्यकर्ताओं के बारे मे लाया था जो मुख्य मन्त्री जी ने टाडा के तहत बन्द करा रखे है जिनके खिलाफ कार्यवाही कर रखी है। (विघ्न) कल मुख्य मन्त्री जी ने स्वयं यहां से जाकर सदन की बजाये प्रैस गैलरी में यह ब्यान दिया है। (व्यवधान व शोर)उन्होंने यह कहा है कि मेरे खिलाफ साजिश में ये इन्वाल्वड हैं। इनका वह व्यान आज के अखबारों में छपा है। उसमें विपक्ष के नेता श्री सम्पत सिंह का नाम लिया है और आदरणीय चौटाला साहब जो भूत पूर्व मुख्य मन्त्री हैं उनका नाम भी शामिल किया है। इस वजह से भी कालिंग अटैशन की बजाये यह ऐडजर्नमैट मोशन बनता है और आपको इसकी परमिशन देनी चाहिये। एक प्रदेश के मुख्य मन्त्री के मर्डर का सवाल हो और वह स्वयं यहां हाउस में बैठे हों। मुख्य मन्त्री जी स्वयं गलत बात बोलते हैं और तथ्यों को छुपाते हैं। इसका तो मतलब यह हो गया

कि इनके पास और कोई मुद्दा ही नहीं था जो इम तरह से जनता के सामने लाया जाये।

श्री अध्यक्षः आप बैठिए The sitution has not changed. That is all. सम्पत सिंह जी, आप अपना कालिंग अटैशन मोशन पढ़िए।

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर सर, चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी ने पार्लियामैंट का जिक्र किया है (विघ्न) सर, यह कोई पुरानी बात नहीं है। कल की ही तो बात है। पार्लियामैंट में तो प्रश्न काल को भी स्थगित किया गया था। कल ही प्रश्न काल को भी एक इम्पोर्टेंट इशू आने पर स्थगित किया गया था। जब ऐसा हो जाये तो प्रश्न काल खत्म कर दिया जाता है। कल ही प्रश्न काल को भी पार्लियमौट में खत्म किया गया है और इम्पोटेंट इशू पर पार्लियामैंट में ऐसा हुआ है। यहां पर तो प्रश्न काल बीत चुका है। अब तो जीरो आवर है।

श्री अध्यक्षः वह तो दूसरी बात थी। इसका उसके साथ कोई सम्बन्ध नही हे।

प्रो० सम्पत सिंहः मैं यही कह रहा हूं कि जो स्थगन प्रस्ताव दिया गया है, वह उसके बाद दिया गया है। स्पीकर साहब, जैसे कादयान साहब ने जिक्र किया, कालिंग अटैशन मोशन तो आलरैडी रिजैक्ट हो चुका है। वह तो कुछ लोगों वो बारे में था। स्पीकर साहब, कुछ निर्दोष लोगों को नाजायज तौर पर पकड़ा

गया है और उनके जिम्मे हथियार लगाये जा रहे है। अब, स्पीकर सर, भूतपूर्व मुख्य मन्त्री श्री ओम प्रकाश जी और मेरे खिलाफ इस तरह से यह इलजाम लगाये गये हैं। इसलिये हमें यह स्थगन प्रस्ताव लेकर आना पडा है।

श्री अध्यक्षः आपकी यही बात बार बार आ चुकी है It is only a repetition. आप कृपया अपना मोशन पढ़ें और इस तरह की बाते बार बार न कहे।

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर सर, मैं यही कह रहा हू। हमने हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 66 के अधीन लोक महत्व के विषय–सजपा कार्यकर्ताओं पर जिला हिसार में उग्रवाद निरोधक अधिनियम, के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज करना–पर स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है स्पीकर सर, क्या आपने मेरा ऐडजर्नमैंट मोशन ऐडमिट कर लिया है?

Mr. Speaker : No, no. It has been admitted as a calling attention motion.

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर सर, पिछले 10– 12 दिन मे हिसार में पुलिस ने समाजवादी जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उग्रवाद निरोधक अधिनियम के अधीन कई गिरफ्तारियां की है और ये नाजायज गिरफ्तारियो का क्रम आज भी जारी है। यह मुकदमा राजनीतिक द्वेषता की भावना से दर्ज किया गया है। स्वयं मुख्य मन्त्री श्री भजन लाल के कहने पर इन कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा गिरफ्तार व तंग किया जा रहा है। ये वही कार्यकर्ता है

जिन्होंने श्री भजन लाल के विधान समा चुनाव में आदमपुर में उनका विरोध हिया था। इन कार्यकर्ताओं पर अवैध हथियार भी डाले जा रहे शै। इन कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा बुरी तरह से थाने में पीटा जा रहा है। रोज आदमपुर हल्के व आस–पड़ौस के हल्कों में पार्टी कार्यकर्ताओं के घरों पर पुलिस छापे मारती है। सारे इलाके में आतंक का वातावरण बना हुआ है। इस विषय को संसद मे भी उठाया गया था। तब केन्द्रीय गृह मन्त्री ने ब्यान दिया था कि मेरे नोटिस में यह बात आई है कि हरियाणा में राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर उग्रवाद निरोधक अधिनियम के अधीन मुकदमा बनाया गया है। मैं राज्य सरकार को इस बारे में लिख रहा हू और यह भी कहा था कि केन्द्र सरकार यह भी विचार कर रही है कि इस अधिनियम में संशोधन किया जाएगा ताकि राजनीतिक लोगों पर इस अधिनियम का नाजायज इस्तेमाल न किया जा सके। जनता मे इस बात को लेकर बडा रोष है। कल ही मुख्य मन्त्री चौधरी भजन लाल ने प्रैस में यह ब्यान दिया है कि मुझे मारने की साजिश चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और सम्पत सिंह ने की है।

स्पीकर साहब, इससे अधिक लोक महत्व का और कोई विषय नही हो सकता। इसलिये शेष कार्य का स्थगन करके डस पर बहस करानी चाहिए और सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आप लैक्चर न करें।

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, मैं लैक्चर नही कर रहा हूं मैंने तो अपनी ऐडजर्नमैंट मोशन पढ़ी है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः यह तो कालिंग अटैशन मोशन है जो आपने पढ़ी है। मैंने तो कालिंग अटैशन मोशन ऐडमिट की है। you have read it. You may now take your seat. अब चीफ मिनिस्टर साहब अपनी स्टेटमैंट दें।

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, मैंने रूल 66 के अन्डर ऐडजर्नमैंट मोशन का नोटिस दिया हुआ है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आपने कुछ भी दिया है लेकिन आपकी कालिंग अटैशन मोशन ऐडमिट हुई है। (शोर एवं व्यवधान)आप बैठिए। यह ठीक नही है। अब आप लोग चीफ मिनिस्टर साहब को बोलने दीजिए।

सदस्यों का नाम लेना

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, मैं तो सबमिशन कर रहा हू। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आप चेयर को डिफाई कर रहे हैं।

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, ये सुनना ही नहीं चाहते। (शोर एव व्यवधान)

प्रो० सम्पत सिंहः हम सुनना चाहते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, ये अपनी सारी बाते कह गए हैं और हम बीच में बोले नही हैं। (शोर एवं व्यवधान)अब इनको हमें भी सुनना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर साहब

श्री अध्यक्षः सम्पत सिंह जी, आप बैठिए। आप बगैर मेरी परमिशन के बोल रहे हैं। आप चेयर को डिफाई कर रहे है। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, ये भागना चाहते हैं। आज इनका हाउस मे डिस्टरबैस करने का प्रोग्राम पैं।

श्री सतबीर सिंह कादयानः हम आपकी छाती पर मूग दल कर जाएंगे। (शोर एवं व्यव्धान)

चौधरी भजन लालः आप सुनने की कोशिश करें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः सम्पत सिंह जी, यह ठीक नहीं है। आप चेयर को डिफाई कर रहे है। अगर आप नहीं बैठेंगे then I will have to wain you for your disorderly conduct,

Prof, Sampat Singh : Sir, I am not defying the Chair. Mr, Speaker : Yes, you are defying the Chair,

Prof. Sampat Singh : Sir, C.M, is nobody to threaten me,

Mr. Speaker : Prof. Sa mpat Singh Ji, he is not threatening you.

श्री सतबीर सिंह कादयानः लीडर आफ दि हाउस लीडर आफ दि अपोजीशन को गाली दे, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

श्री धीरपाल सिंहः यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इन्होंने गाली भी है।

चौधरी भजन लालः मैने किसी को गाली नहीं दी है। (शोर एय व्यवधान)

श्री अध्यक्षः अगर ऐसे कोई शब्द हैं तो उनको ऐक्सपंज कर दिया आए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सतबीर सिंह कादयानः स्पीकर साहब, इन्होंने गाली दी है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कादयान जी, अगर कोई ऐसा शब्द है तो वह ऐक्सपंज कर दिया जाएगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री धीरपाल सिंहः स्पीकर साहब, इन्होंने गाली दी है। इनको हाउस के सामने माफी मांगनी चाहिये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः धीरपाल जी, मैंने पहले ही कहा है कि अगर कोई ऐसा शब्द कहा गया है तो वह ऐक्सपंज कर दिया जाएगा। लेकिन आप तो मेरी वात ही नहीं सुन रहे है। (शोर)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, इन्होंने सारी बातें कहीं और हमने सारी बातें इनकी आराम से सुनी हैं। इनको भी मेहरबानी करके हमारी सारी बातें सुननी चाहियें। अध्यक्ष महोदय, मैंने किसी माननीय सदस्य के कारे में कोई बात नहीं कही है और न ही मैं कहने का आदी हूं और न कभी कहता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री धीरपाल सिंहः स्पीकर साहब, हमने इनकी सारी बाते सुनी लेकिन मुख्य मन्त्री ने जो गाली दी है, उसके लिये इन्हें माफी मांगनी चाहिये। (शोर एव व्यवधान)

श्री अध्यक्षः धीरपाल जी, आपको मैंने कई बार कह भी लिया लेकिन आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं। मैंने कहा है कि अगर कोई ऐसी बात कही गई है तो it will be expunged. (Interruptions). Please take your seat.

श्री धीरपाल सिंहः स्पीकर साहब, इनको माफी मांगनी चाहिये। (शोर)वरना हम हाउस को नही चलने देंगे। (शोर)

Mr. Speaker : Dhirpal Ji, **I** warn you for your disorderly conduct. Please take your seat.

श्री सतबीर सिंह कादयानः स्पीकर साहब, इन्होंने गाली दी है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आप बैठिए कादयान साहब।

चौधरी भजन लालः मैंने किसी को कोई गाली नही दी है। ये बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री शमशेर सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है कि ये लोग एक बात को दूसरी बात पर डायवर्ट कर रहे हैँ और ये जो शब्द वे कह रहे हैं कि गाली दी ये तो हमने सुने नहीं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सतबीर सिंह कादयानः अध्यक्ष महोदय, इन्होंने गाली दी है। इनको माफी मांगनी चाहिये। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : I also warn Mr. Satbir Singh Kadyan (Interruptions).

श्री शमशेर सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाह रहा था कि इस दौरान जो कुछ कहा गया है उसको ऐक्सपंज कर दिया जाए। (शोर)

श्री धीरपाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात तो सुनिये। (शोर)इन्होंने गाली दी है। (शोर)

श्री सतबीर सिंह कादयानः स्पीकर सर, इनको माफी मांगनी चाहिये। (शोर)

Mr. Speaker : I name shri Satbir Singh Kadyan and Sh. Dhir Pal Singh for their disorderly conduct. They may please leave the House.

(The hon'ble members did not leave the House and continued speaking without permission of the Hon'ble Speaker).

श्री अध्यक्षः मार्शल, वाच एंड वार्ड स्टाफ की सहायता से श्री धीरपाल सिंह व श्री सतबीर सिंह कादयान को हाउस. से बाहर ले जाइए। (शोर एवं व्यवधान)

(At this stage the Sergeant-at-Alms with the aid of the Watch & Ward Staff took the hon'ble members out of the House.)

चौधरी वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि आपने केवल दो माननीय सदस्यों को नेम किया था। वे थे चौधरी धीरपाल जी और श्री सतबीर सिंह कादयान। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि आपके वाच एंड वार्ड स्टाफ ने 6– 7 विधायकों को धक्के मारे हैं और दो विधायकों को बाहर निकाल दिया। (शेम शेम की आवाजें एवं शोर)

श्रीमती चन्द्रावतीः स्पीकर साहब, वाच एंड वार्ड के 5– 6 आदमी थे। उन्होंने विधायकों को धक्के मारे। श्री सूरज भान काजल की कमीज के बटन टूट गये हैं। यह यह गलत रिवायत है जो हाउस में हो रही है। मैं चाहती हूं कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। इस तरह जो मैन हैंडलिंग की गई है, यह गल्त बात है।

श्री बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, सबसे पहली बात तो यह है कि इसकी शुरुआत ही ठीक नही हुई। खैर आपने जो रुलिंग दे दी वह दे दी उसको हम चौलैज नहीं कर सकते। मैं समझता हू कि दोनों तरफ से ही अन–पार्लियामैंटरी शब्दों? का प्रयोग हुआ। एक तो खास करके हमारे पीछे जो आनरेबल मैम्बर श्री कृष्ण मूर्ति हुड्डा बैठे हुए हैं ये बार–बार झूठ शब्द का और गालियों का इस्तेमाल कर रहे थे। (शोर)अध्यक्ष महोदय, दोनों तरफ से जो अनपार्लियामैटरी शब्दों का प्रयोग हुआ है उसके लिए तो मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि वे शब्द ऐक्सपंज होने चाहियें।

श्री अध्यक्षः चौधरी साहब मैंने पहले ही कह दिया है कि अगर कोई गलत शब्द कहे गए है तो वे ऐक्सपंज कर दिये जाएंगे।

श्री बंसी लालः इसके अलावा अध्यक्ष महोदय मैं इन साथियों से कह रहा था कि आप सदन की कार्यवाही चलने दें। आप प्रोसीडिंग्ज में हिस्सा लो। आप अपनी सारी बातें रिकार्ड में लाओ। जो आदमी सही होगा वह चाहेगा कि उसकी सारी बातें रिकार्ड पर आए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए लीडर आफ दी अपोजीशन से भी प्रार्थना करुंगा कि वे प्रोसीडिंग्ज में हिस्सा ले और वे बाकायदा अपनी एक एक बात रिकार्ड पर लाएं। अगर वे इस स्टेज पर बाइकाट करते हैं या कोई और बात करते हैं तो वह इनकी कमजोरी मानी जाएगी। मैं एक बात यह भी कहूंगा कि अगर सदन में ट्रेजरी बैचिच वाले अपनी ब्रुट मैजोरिटी की बिनाह पर

काउडाउन करना चाहते हैं तो वह इनकी भी कमजोरी मानी जाएगी। मैं यह समझता हूं कि ऐसी बात नहीं होनी चाहिये। अध्यक्ष महोदय इनकी बुट मैजोरिटी से सदन में जो कुछ हुआ वह सही नहीं हुआ। आपने दो माननीय सदस्यों को नेम किया और आपने यह भी देखा कि उन दोनों माननीय सदस्यों के साथ वाच एड वार्ड स्टाफ के कितने आदमी लिपट गए थे और उन्होंने उन दोनों माननीय सदस्यों को बहुत बुरी तरह से धक्के मारे थे। अध्यक्ष महोदय, वह चीज आपको भी कंडैम करनी चाहिए। और आयंदा के लिए भी आपको इस तरह की बात का ध्यान रखना पड़ेगा। (शोर)ये बूट मैजोरिटी के सहारे कोई सही बात कहने देना नहीं चाहते। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इस बात पर तो आपको जल्द ऐक्शन लेना चाहिए। यह. विधान सभा का मामला है। जितने भी माननीय सदस्य हैं उनमें से कोई भी एक दूसरे से कम नही है। अध्यक्ष महोदय, इस बार आपने जितने भी वाच एंड वार्ड स्टाफ के आदमी बुलाए हैं, अगले सैशन में आप इस बात का विशेष ध्यान रखना कि वाच एंड वार्ड स्टाफ के ..... इस तरह के आदमी न आएं जिस तरह के इस बार बुला रखे हैं।

श्री अध्यक्षः अगले सैशन में जो भी वाच एंड वार्ड स्टाफ के आदमी होंगे उनको और ट्रेनिंग देंगे।

श्री बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, आपने वाच एंड वार्ड स्टाफ के जो आदमी बुला रखे हैं मैं उनका नाम नही लेना चाहता। मुझे उनके नाम का भी पता है कि उनको कौन लाया है

और मुझे यह भी पता है कि कौन कौन आए हैं। मैं यह बता कर सदन की गरिमा को नीचा नहीं करना चाहता। मैं उनका नाम नहीं लूंगा। मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि अगली बार ऐसी नौबत न आए और इस किस्म के आदमी न आएं। आप छांट कर ठीक किस्म के आदमी लाएं जो आपके हुक्म की तामील करें और कोई ऐकस्ट्रा कांस्टीच्यूशनल पावर बीच मैं न आए। अध्यक्ष महोदय, अब मैं विरोधी पार्टी के नेता से अनुरोध करूंगा कि जो हो गया उस बात को छोड़ लेकिन अब आप सदन की कार्यवाही चलने दें। सदन की कार्यवाही में आप अपने सवाल पूछें और मुख्य मंत्री जी को भी अपनी बात कहने दें। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, मेरा एक और अनुरोध है कि अगर लीडर औफ दि अपोजिशन आपको यह आश्वासन दे दें कि वे दोनों साथी अब सदन की कार्यवाही में बाधा नहीं डालेंगे तो आप उनकी नेमिंग को रिवोक करके उनको सदन में आने की इजाजत दे दें।

श्री अध्यक्षः ठीक है। अगर लीडर आफ दि अपोजिशन उनके बिहाफ पर आश्वासन दे दें तो इस बारे में विचार कर लेंगे।

प्रो० सम्पत सिंहः अध्यक्ष महोदय, चौधरी बंसी लाल जी ने बड़ा अच्छा सुझाव दिया है कि डिस्कशन में हिस्सा लिया जाए। हम प्रैशर इस बात के लिए डाल रहे थे और आपसे बार बार सबमिशन कर रहे थे कि हमारी मोशन पर डिस्कशन अलाउ की जाए।

श्री अध्यक्षः बार बार की भी तो कोई हद होती है।

प्रो० सम्पत सिंहः अध्यक्ष महोदय, आपने दो माननीय सदस्यों को नेम किया। कोई बात नहीं आपका वाच अंड वार्ड स्टाफ उनको सदन से बाहर ले जाता लेकिन बजाय उनको सदन से वाहर ले जाने के उन्होंने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया और ऐसे आए जैसे कोई असामाजिक तत्व आया करते हैं। अध्यक्ष महोदय, चौधरी बंसी लाल जी ने जो बात कही कि ऐसे लोगों को भर्ती करके काउडाउन करने की कोशिश करेंगे तो वह सही बात नहीं होगी। स्पीकर साहब, आप ही हमारे राइटस के, प्रिविलेजिज के कस्टोडियन हैं। आपकी आखों के सामने हमारी पार्टी के माननीय सदस्यों को वाच एंड वार्ड स्टाफ के लोगों ने धक्के मार कर सदन मे बाहर निकाला जैसे इन्होंने पहले से ही तैयारी कर रखी हो। दोनों मैम्बरों को बजाये शांति से बाहर निकालने के देनको धक्के दे करके बाहर निकाला जाये इस तरह का वातावरण सदन में नहीं होना चाहिए। सदन के नेता को नही चाहिए कि जानबूझ कर वे ऐसे हालात पैदा करें। ये हर एम० एल० ए० के साथ ऐसा करवाते है यह कोई अच्छी बात नही है। दूसरे जिन मैम्बरों को आपने नेम नही किया था उनको भी धक्के दे कर बाहर निकाल रहे थे। इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि जब ये हाउस के मैम्बरों के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं तो बाहर के लोगों के साथ इनका क्या बर्ताव होता होगा? जहां तक दो सदस्यों के बारे में बात है उसके बारे में हमारी तरफ से स्टैण्डिंग आश्वासन

है कि आप हाउस की कार्यवाही ठीक चलायें। हम चाहते हैं कि सभी मुद्दों पर बहस हो और सारी बाते रिकार्ड पर आयें। इस तरह से सारी बातों पर खुल कर डिस्कशन हो जायेगी। स्पीकर साहब मैं अपने सब मैम्बरों की ओर से आपको एश्योर करता हूं कि वे कोई ओब्जैक्शेनेबल बात नहीं करेंगे। आप बाकायदा हाउस की कार्यवाही चलायें लेकिन आप ऐडजर्नमैंट मोशन पर भी डिस्कशन अलाऊ करें।

श्री अध्यक्षः सम्पत सिंह जी आप बार बार रेपीटीशन ना करे। आपके जो दो मैम्बर निकाले गए हैं उनके बारे में आश्वासन दें।

प्रो० सम्पत सिंहः अध्यक्ष महोदय, जहां तक इन दोनों मैम्बरों को निकाले जाने की बात है उसके बारे में मैं एक बात कहना चाहता कि लीडर आफ दि हाउस ने जो अपमानजनक शब्द इस्तेमाल किये हैं और जो गालियां दी हैं उसके०पर वे अपना विरोध प्रकट कर रहे थे। स्पीकर साहब, हमारी तरफ से बिल्कुल आश्वासन है कि हाउस आप जैसा चलाना चाहेगे हम भी सहयोग देंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जो गालियां दी हैं पहले उन्हें उसके लिए माफी मांगनी होगी फिर आगे कोई बात होगीं। यह कोई रेलवे का प्लेट फार्म नही यै। (शोर)यह 'हाउस है। इनको गालियां नहीं देनी चाहिए थीं। (शोर)

श्री अध्यक्षः सम्पत सिंह जी अब आप बैठिये।

श्री शमशेर सिंह सुरजेवालाः आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी रूलिंग चाहूगा कि जो कार्यवाही आपने ऐक्सपंज करा दी क्या उस पर कोई डिस्कशन हो सकती है?

श्री अध्यक्षः अगर कोई चीज ऐक्सपंज कर दी जाती है तो उस पर डिस्कशन की कोई जरूरत नहीं होती।

श्री शमशेर सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, फिर ये जो ऐक्सपंज कार्यवाही पर कह रहे है वह डिस्कशन रिकार्ड मे नही आनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब, अभी आप बैठिये। आपको भी बोलने का मौका मिलेगा। आनरेबल मैम्बर्ज, अगर अब ये इस किस्म की बात कहेंगे that will not be a part of the proceedings.

श्री शमशेर सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, इन्होंने एक बात यह कह दी कि बाकियों को भी धक्के देकर बाहर निकाल रहे थे। मैं कहना चाहता हूं कि उनको नहीं निकाला जा रहा था बल्कि जो दूसरे साथी उन दो साथियों के पीछे आ गये थे उनको पीछे कर रहे थे और इनको ऐसा लगा कि उनको धक्के मार रहे थे। (शोर)इनके लीडर अभी भी आपकी रूलिंग को नही मान रहे। मैं आपसे यह दरख्वास्त करूंगा कि जो रूलिंग आपने दी है उस हिसाब से अब आप काम चलाएं।

वैयक्तिक स्पष्टीकरण–

श्रम तया रोजगार राज्य मन्त्री (चौधरी कृष्णमूर्ति हुड्डा)द्रारा

श्रम तथा रोजगार राज्य मन्त्री (चौधरी कृष्ण मूर्ति हुड्डा): अध्यक्ष महोदय, चौधरी बंसी लाल जी ने थोड़ी देर पहले कहा कि जो मेरे पीछे बैठा है वह मुझे गालियां निकालता रहता है। मैं इस सम्बन्ध में अपनी पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन देना चाहता हू

श्री बंसी लालः मैंने यह नहीं कहा कि ये मुझे गालियां निकाल रहा है।

चौधरी कृष्णमूर्ति हुड्डाः चौधरी बंसी लाल जी अपने बच्चों की कसम खा कर कह दें।

श्री अध्यक्षः इन्होंने यह नहीं कहा कि आप बंसी लाल को गालियां निकालते रहते हैं।

चौधरी कृष्णमूर्ति हुड्डाः स्पीकर साहब, मैं कहना चाहता हूं कि इनकी हरेक को धमकाने की आदत है। जब से आपने मुझे यहां बैठाया है, इनको तकलीफ हो रही है। लेकिन मैं इनको बताना चाहता हूं कि मैं रोहतक जिले का जाट हू। इनसे डरता नही हूं। स्पीकर साहब, ये मेरे बारे में और मेरे परिवार के बारे में हर सैशन में कहते हैं। (शोर)अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं। (शोर)इनकी बात बताता हू कि इनके परिवार मे क्या हो रहा है ..... .

श्री अध्यक्षः कोई काउटर ऐलिगेशन न लगाएं। (शोर एव व्यवधान)हुड्डा साहब आप बैठिये। जो बात हुड्डा साहब ने अभी कही है, वह रिकार्ड पर न लाई जाए। (विध्न एवं शोर)हुड्डा साहब, आप बैठिये।

श्री बंसी लालः स्पीकर साहब, पहली बात तो यह है कि मैंने यह नहीं कहा कि इन्होंने मुझे गाली दी। ये उनको गाली दे रहे थे। चौधरी अमर सिंह सुन रहे थे मैं भी सुन रहा था और दूसरे लोग भी सुन रहे थे। मैंने इनके खानदान की बात नही कही।

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब, आप बैठिये।

श्री बंसी लालः इनको यहां पर इसी काम के लिए लाया गया है। (विघ्न) स्पीकर साहब, जो बात इन्हेंने कही है उसका मैं जवाब दे रहा हूं। जिन्दल साहब ने अपनी स्पीच मे कहा था कि सर छोटू राम का स्टैच्यू हिसार में लगना था लेकिन मुख्य मन्त्री जी ने उसे लगने नही दिया। उस समय बीच मे खडे होकर इन्होंने मुझ पर इल्जाम लगाया था कि इनका भाई 10 साल तक सर छोटू राम सोसाईटी का सैक्रेटरी रहा और चौधरी बंसी लाल कभी फंक्शन मे नही गये। कहा तो ओ० पी० जिन्दल की स्पीच मे इनका नाम आ गया और कहा यह बात थी। खैर, मैंने उस समय यह जरूर कहा था कि इनकी फेमिली कितनी फ्रीडम फाईटर है इस बात को सारा हरियाणा जानता है और रोहतक जिला खास

तौर से जानता है मैंने यह कहा था, यह ठीक बात है और इन्होंने इस बारे पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन भी दी थी। इनका काम तो यही है। मैं तो यह कहता हूं कि इनके बैठने की जगह वह नही बल्कि आपकी जगह है ताकि ये सारे हाउस का हिसाब सही कर दें। (विध्न)स्पीकर साहब, मेरा निवेदन है कि जो इन्होंने अनपार्लियामैटरी शब्द कहे है उनको रिकार्ड पर न लाया जाए।

श्री अध्यक्षः मैंने पहले ही इसके लिए कह दिया है। आप बैठिए और राम बिलास जी आप बोले लेकिन ब्रीफ बोलें।

सदस्यों का नाम लेना (पुनरारम्भ)

प्रो० राम बिलास शर्माः स्पीकर सर, मैं सदन की व्यवस्था की बात कहना चाहता हू। इस सदन में हम सब लोग लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं। विधान सभा का जो स्टाफ है, उसे हम पिछले 15 साल से अच्छी तरह से जानते हैं। आज कुछ ऐसे नये लोग दिखाई दिए जिन्हें हमने पहले नही देखा है। शायद फिर वे पुलिस के आदमी थे। सूरज भान काजल और कर्ण सिंह दलाल के साथ कांग्रेस के मन्त्री लोगों ने ऐसा व्यवहार किया जो ठीक नहीं है। पता नही इन्होंने पंजाब से ऐसी प्रेरणा ले ली कि ये वाच एण्ड वार्ड स्टाफ के साथ मिल कर वहाँ तक गए। स्पीकर सर, मेरी हम्बल सबमिशन है कि सदन के माननीय नेता रैजोल्यूशन लाएं कि जो आज सदस्यों के साथ व्यवहार हुआ है वह गलत हुआ है और उससे सदन की गरिमा को ठेस पहुंची है।

पूरा सदन इस बात को कण्डम करे और आगे के लिए ऐसी बात न करने का आश्वासन दे। इससे सदन की गरिमा बढ़ेगी। ऐसा प्रस्ताव हमे आज ही पारित करना चाहिए।

श्री जयपाल सिंहः स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से उस जाट को जिसने अभी अभी कहा है कि मैं रोहतक का जाट हूं, कुछ कहना चाहता हूं। मेरा जन्म भी रोहतक में हुआ था लेकिन अब हम सोनीपत के हो गए परन्तु मैं भी रोहतक का जाट हूं। मैं अपने हल्के की छोटी सी बात कहना चाहता हूं (विध्न)

श्री अध्यक्षः हल्के की बात तो इस समय नही आएगी। आपको बोलने का टाईम देंगे उस वक्त आप अपने हल्के की बात कह लेना।

श्री बसी लालः कृष्णमूर्ति हुड्डा ने कहा था कि मैं रोहतक जिले का जाट हू और ये भी रोहतक जिले के जाट एं। इसलिए इनकी बात भी 2 मिनट सुन लीजिए।

श्री अध्यक्षः ऐसा है कि ये दूसरी बात कह रहे हैं जो कि इस वक्त रैलेवैट नहीं है। इसके लिए इनको अलग से टाईम देगें।

11.00 बजे

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, मैं पहनै एक बात की चर्चा करूंगा कि माननीय सदस्यों ने एक आपत्ति की है कि

वाच एड वार्ड के लोगों ने मैम्बरों के साथ ठीक व्यवहार नही किया है। अध्यक्ष महोदय, सारा हाऊस यहां बैठा हुआ है। मारा हाऊस यह जानता है और सारे हाऊस ने यह सीन देखा है कि आपके बार बार मना करने पर, बार बार समझाने पर जब वे नही माने तो आपको उनको नेम करना पड़ा ओर तब ही आपने वाच एंड वार्ड के लोगों को आदेश दिया। जब वे उनको बाहर लै जा रहे थे तो कुछ मैम्बर उन दो मैम्बरों से लिपट गए। जब वाच एंड वार्ड स्टाफ वाले मैम्बरों को बाहर ले जा रहे थे तो उन्होंने उनसे लिपटे हुए मैम्बरों को तो हटाना ही था और वे उन्हें हटाएंगे ही।

श्रीमती चन्द्रावतीः अध्यक्ष महोदय, मैंने खुद देखा है कि वाच एंड वार्ड स्टाफ वाले कृष्ण लाल जी से लिपटे हुए थे और कृष्ण लाल जी यहीं खड़े हुए थे। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय वाच एंड वार्ड स्टाफ वाले आपके आदेश अनुसार उनको बाहर निकालने के लिए आए थे और ये बार–बार सरकार के०पर आरोप लगा रहे हैं तो क्या सब कुछ सरकार कर रही है? इसके साथ ये यह भी कह रहे हैं कि भजन लाल ने गाली दी है। मैंने न तो किसी को बैठे हुए भी गाली दी है और न ही मैं किसी को गाली दे सकता हू। गाली देना मेरे स्वभाव में नही है। (शोर एवं व्यवधान)अध्यक्ष महोदय, हमने कोई ऐसी बात नहीं की है। इन महानुभाव को अगर गल्तफहमी हो गई है तो हम उसका खेद प्रकट कर सकते हैं ' (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः दरियाव सिंह जी आप बैठिए।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, हाऊस की कार्यवाही शान्ति पूर्वक चलनी चाहिए। इसमें किसी को कोई बाधा नहीं डालनी चाहिए। मैं अपोजिशन के लीडर से निवेदन करना चाहूंगा कि हाऊस की कार्यवाही को शान्ति से चलने दें। अध्यक्ष महोदय, जिनको आपने सदन से बाहर निकाला है, अगर सम्पत सिंह जी उनकी गारन्टी दे कि वे फिर कोई गलत व्यवहार नहीं करेंगे, हाऊस की कार्यवाही को शान्ति से चलने देंगे तो आप उनको बुला सकते हैं। (विघ्न)

श्री बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, जयपाल जी, रोहतक जिले के जाट का जिक्र करना चाहते हैं। वे भी कुछ कहना चाहते हैं। कृपया उनको भी बोलने दिया जाए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः एक तो हाऊस में पुलिस मैन का रैफरैन्स आया है। इस हाऊस में कोई भी पुलिस मैंन नहीं है सिवाय मार्शल के। मार्शल की अपनी डयूटी होती है और सिर्फ वही सदन में है। अभी कृष्ण लाल जी की बात आई कि वे वहाँ खड़े हुए थे। तो ये चन्द्रावती जी के पास कैसे पहुंच गए। (शोर एवं व्यवधान)वाच एंड वार्ड स्टाफ वालों ने तो अपनी डयूटी की है। वे हमारे अन्डर हैं और जो कुछ भी उन्होंने किया है वह तो उनकी डयूटी है। that is All मुख्यमंत्री जी, अब आप अपनी स्टेटमैंट दें।

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर सर, पहले इस पर डिसकशन होनी चाहिये।

Mr. Speaker : No discussion now, Please take your seat and let the Chief Minister make the statement,

Prof. Sampat Singh : He will not be allowed.

श्री अध्यक्षः फिर तो मैं आपको वार्न करता हूं कि मुझे आपको नेम करना पड़ेगा।

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर सर, आप इनके आगे मत झुकिये। पहले डिसकशन होनी चाहिये, उसके बाद मुख्यमंत्री को बोलना चाहिये।

श्री अध्यक्षः इनके आगे झुकने की बात नहीं है। आप मुझे ऐक्शन लेने के लिए फोर्स कर रहे हैं। You are defying the Chair.

Prof. Sampat Singh : I am not defying the Chair, **I** am requesting you again and again.

Mr. Speaker : You are defying the Chair. **I** warn you.

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर सर, हमें आपसे यह उम्मीद नही थी।

Mr. Speaker : I warn you. Please take your seat.

Prof. Sampat Singh : I am submitting before you,

Sir. I am requesting you, पहले इस पर डिस्कशन हो ले, फिर ये बोलें।

Mr. Speaker : I am warning you again and again, - Please take your seat and let the business of the House proceed.

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर सर, ऐसी ब्रूट मैजोरिटी के आगे आपको नहीं झुकना चाहिये। अगर यही चलता रहा तो ऐसे कैसे बात बनेगी?

श्री अध्यक्षः सम्पत सिंह जी, मैंने पहले भी कहा है कि झुकने की कोई बात नहीं है। लेकिन आप मेरे बार बार वार्न करने के बावजूद भी बोल .रहे हैं यह ठीक नहीं है। अगर अब आप बोलेंगे तो I will name you.

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर सर, इस तरह काम कैसे चलेगा?

Mr. Speaker : I name Shri Sampat Singh, He may please leave the House,

(The Hon. Member did not leave the House and continued speaking without the permission of the Hon'ble Speaker).

Mr. Speaker : Marshal, take him out of the House with the aid of the watch & ward staff.

(At this stage, the Sergeant-at-arms with the aid of

the watch & ward staff took the Hon, Member out of the House).

श्री कृष्ण लालः स्पीकर सर, इस तरह से हमारे लीडर को बाहर निकालना अच्छी बात नहीं है।

श्री अध्यक्षः कृष्ण लाल जी, आप बैठिये।

श्री कृष्ण लालः स्पीकर सर, मुख्यमंत्री जी को माफी मांगनी चाहिये।

श्री अध्यक्षः कृपया आप बैठिये।

श्री रमेश कुमारः स्पीकर सर, आज बहुत ज्यादती हो रही है।

Mr. Speaker : Krishan Lal and Ramesh Kumar ji, you are warned.

(These two members continued speaking without the permission of the Hon'ble Speaker),

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, मैंने शुरू में ही कहा था कि आज इनकी इस तरह की प्लानिंग थी। सी० आई० डी० की रिपोर्ट भी यही थी कि इनका आज व्यवहार ऐसा ही रहेगा। यह ऐसा इसलिए कर रहे हैं जिससे इनका नाम अखबारों में आ जाये। (विध्न)

श्री कृष्ण लालः स्पीकर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है।

Mr. Speaker : Krishan Lal and Ramesh Kumar Ji, you are again warned. Please take your seats.

(The Hon. Members continued speaking without the permission of the Hon'ble Speaker).

Mr. Speaker : I name Shri Krishan Lal and Shri Ramesh Kumar, They may please leave the House,

(The Hon. Members did not leave the House and continued speaking without tne permission of the Hon'ble Speaker).

Mr. Speaker : Marshal, take them out of the House with the aid of the watch & ward staff.

(At this stage, the Sergeant-at-arms with the aid of the watch & ward staff took these two hon. members out of the House,)

चौधरी सूरजभानः अध्यक्ष महोदय, आप हमारे साथ ज्यादती कर रहे हो।

Mr. Speaker : Suraj Bhan ji, **I** warn you, Please take your seat.

(The Hon. Member continued speaking without the permission of the Hon'ble Speaker).

Mr. Speaker : I name Shri Suraj Bhan Kajal, He may please leave the House.

(The Hon. Member did not -leave the House.)

Mr. Speaker : Marshal, please take him out of the House with the aid of the Watch and Ward staff.

(At this stage, the Sergeant-at-arms with the aid of the Watch and Ward staff took the hon. member out of the House.)

(Shri Daryao Singh Rajoura started speaking without the permission of the Hon'ble Speaker),

Mr. Speaker : Daryao Singh ji, **I** warn you, Please take your seat.

(The Hon. Member continued speaking without the permission of the Hon'ble Speaker,)

Mr. Speaker : I name Shri Daryao Singh. He may please leave the House,

(The Hon, Member did not leave the House.)

Mr. Speaker : Marshal, please take him out of the House use with the aid of the Watch and Ward staff.

(At this stage, the Sergeant-at-arms with the aid of the Watch and Ward staff took the hon. member out of the House.)

चौधरी बलवन्त सिंह मैना: स्पीकर साहब मुख्य मंत्री जी को माफी मांगनी चाहिये। इस तरह से हमारे लीडर को और मैम्बर्ज को निकालना ठीक नही है।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये।

(The Hon'ble Member continued speaking without permission of the Hon'ble Speaker,)

Mr. Speaker : I warn you. Please take your seat.

(The Hon'ble Member did not resume his seat and continued speaking without the permission of the Hon'ble Speaker.)

Mr. Speaker : I name Shri Balwant Singh. He may please leave the House,

(The Hon'ble Member did not leave the. House.)

Mr. Speaker : Marshal, please take him out of the House,

(At this stage, the Sergeant-at-Arms with the aid of the Watch and Ward staff took the hon'ble member out of the House.)

श्री अमर सिंह ढाडे: स्पीकर साहब, हमारे साथ धक्केशाही हो रही है। चीफ मिनिस्टर साहब को माफी मांगनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष: अमर सिंह जी, आप बैठिये।

श्री अमर सिंह ढांडे: स्पीकर साहब, आप हमारी बात तो सुनिये।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये।

(At this stage, Hon'ble Member continued speaking

without the permission of the Hon'ble Speaker).

Mr. Speaker : I warn you. Please take your seat.

(The Hon'ble Member did not resume his seat and oontinued speaking without the permission of the Hon'ble Speaker.)

Mr. Speaker : I name Shri Amar Singh. He may please leave the House.

(The Hon'ble Member did not leave the House.)

Mr. Speaker : Marshal, please take him out of the House.

(At this stage, the Sergeant-at-Arms with the aid of the Watch and Ward staff took the hon'ble member out of the House.)

सरदार जसबिन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, हमारे नेता को और मैम्बर्ज को गलत तरीके से हाउस से निकाला जा रहा है। इनको पहले माफी मांगनी चाहिये।

श्री अध्यक्षः आप बैठिये।

सरदार जसविन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, हमारे नेता को और मैम्बर्ज को जो निकाला गया है, यह बहुत ही गलत बात है। इनको पहले यहां पर माफी मांगनी चाहिये।

श्री अध्यक्षः जसविन्द्र सिंह जी, आप बैठिये।

(At this stage, Hon'ble Member continued speaking

without the permission of the Hon'ble Speaker.)

Mr. Speaker : I warm you, please take your seat,

(The Hon'ble Member did not resume his seat and continued speaking without the permission of the Hon'ble Speaker,)

Mr, Speaker : I name Shri Jaswinder Singh. He may please leave the House.

(The Hon'ble Member did not leave the House,)

Mr. Speaker : Marshal, please take him out of the House with the aid of the Watch and Ward staff.

(At this stage, the Sergeant-at-Arms with the aid of the Watch and Ward staff took the hon'ble member out of the House.)

चौधरी भरत सिंहः स्पीकर साहब, हमारे लीडर को और मैम्बर्ज को गलत तरीके से हाउस से निकाला गया है। इस हाउस में चीफ मिनिस्टर साहब ने गाली दी है। इनको माफी मांगनी चाहिये।

श्री अध्यक्षः श्री भरत सिंह जी, आप बैठिये।

चौधरी भरत सिंहः पहले चीफ मिनिस्टर साहब माफी मांगें।

श्री अध्यक्षः आप बैठिये।

(At this stage, Hon'ble Member continued speaking without the permission of the Hon'ble Speaker,)

Mr. Speaker : I warn you. Please take your seat.

(The Hon'ble Member did not resume his seat and continued speaking without permission of the Hon'ble Speaker.)

Mr. Speaker : I name Shri Bharath Singh, He may please leave the House.

(The Hon'ble Member did not leave the House,)

Mr. Speaker : Marshal, please take him out of the House **with** the aid of the Watch and Ward staff,

(At this stage, the Sergeant-at-Arms with the aid of the Watch and Ward staff took the Hon'ble Member out of the House,)

वाक–आउटस

श्री मोहन लाल पिपलः स्पीकर साहब, मैं कुछ कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्षः पिपल साहब, आप तो बैठिये।

श्री मोहन लाल पिपलः स्पीकर साहब, मेरी बात तो सुन लीजिए। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः पिपल साहब अगर जाना चाहेंगे तो अपने आप ही चले जायेंगे।

श्री मोहन लाल पिपलः जब मेरे लगभग सभी साथी विधायक सदन से निकाल दिये गये हों तो मेरे यहां बैठने का क्या फायदा है?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): आप तो सुन लीजिये। तभी आप उनको बता सकोगे। (विघ्न) अगर आप सुनोगे तो ही बताओगे वरना उनको कौन बतायेगा?

श्री मोहन लाल पिपलः हमारे साथियो को इस तरह से बाहर निकालना सदन की मर्यादा के अनुसार ठीक नही है। ये बहुमत में हैं। जो दिल में आये वह करें। लेकिन जैसा ये कर रहे है, यह ठीक नहीं है। इसलिए मैं एज ए प्रोटैस्ट वाक आऊट करता हूं।

(इस समय श्री मोहन लाल पिपल सदन से वाक–आउट कर गये। सर्व श्री जिले सिंह और मनी राम ने भी सदन से वाक आउट किया।)

सदस्यों का नाम लेना (पुनरारम्भ)

श्री जयपाल सिंहः स्पीकर साहब, क्या आप मुझे भी निकाल रहे हो।

श्री अध्यक्षः नही, नहीं, आपको कोई कुछ नहीं कहता। आप बैठे। चौधरी भजन लाल जी, आप अपनी स्टेटमैंट दें।

श्री राम कुमार कटवालः स्पीकर साहब, जो कुछ हो रहा है, यह बहुत ही गलत हो रहा है। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनको माफी मांगनी चाहिये। इन्होंने गाली दी है।....

श्री अध्यक्षः आप बैठिये।

श्री राम कुमार कटवालः .....
.....

श्री अध्यक्षः जो कुछ ये कह रहे हैं, यह रिकार्ड न किया जाये। आप बैठिये।

(At this stage, hon'ble member continued speaking wit the permission of the Hon'ble Speaker.)

Mr. Speaker : I warn you, Please take your seat.

(The Hon'ble Member did not resume his seat and continued speaking without the permission of the Hon'ble Speaker.)

Mr. Speaker : I name Shri Ram Kumar Katwal. He may please leave the House.

(The Hon'ble Member did not leave the House.)

Mr. Speaker : Marshal. please take him out of the House with the aid of the Watch and Ward staff,

(At this stage, the Sergeant-at-Arms with the aid of the Watch and Ward staff took the hon'ble member out of the House.)

वक्तव्य

मुख्य मन्त्री द्वारा उपर्युक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सम्बन्धी

Prof. Ram Bilas Sharma : Speaker, Sir, you have converted the adjournment motion into a calling attention motion but the hon'ble members giving notice of that calling attention motion are not here. Is it feasible under the rules that you can allow the Hon'ble Chief Minister to make a statement tkereon ? **I** want your ruling in this regard, Sir.

Mr. Speaker : Prof, Sampat Singh has already read his motion. It is the property of the House now. The Chief Minister is well within his rights to make the statement and he may do so.

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, बहुत ही दु:ख होता है जब इस तरह का वातावरण हम इस सदन में देखते हैं। अध्यक्ष महोदय, अच्छा होता अगर हमारे अपोजीशन के सारे साथी यहां होते और मेरी बात सुनते। अपोजीशन के लीडर चौधरी सम्पत सिंह बड़ी उछल कूद करके यहां बोल रहे थे। अच्छा होता अगर वे सामने बैठकर मेरी बात सुनते। यहा पर चौधरी बंसी लाल, जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, और हाउस के बहुत ही सीनियर मैम्बर हैं और दूसरे सीनियर मैम्बर श्रीमती चन्द्रावती तथा राम बिलास शर्मा भी बैठे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं सारे सदन का ध्यान एक बहुत ही सीरियस मैटर की तरफ दिलाना चाहता हूं और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी मैं कहूंगा उसमें

अगर एक भी बात सच से परे कहू तो मुझे परमात्मा इस बात के लिए कभी माफ नही करेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं आदमपुर हल्के से चुनाब लड़ रहा था। चुनाव के दौरान एक बड़ी सीरियस बात का पता लगा और कुछ बातों का पता तो जब चुनाव का प्रोग्राम निकला उसी वक्त लग गया था। मास्टर हरि सिंह ओम प्रकाश चौटाला का पोलीटीकल सैक्रेटरी था। चौधरी वीरेन्द्र सिंह और राम बिलास शर्मा उसको जानते हें। वह इनकी पार्टी का जनरल सैक्रेटरी भी प्रदेश का रहा और ऐग्जैक्टिव का मैम्बर भी रहा है। वह मेरे मुकाबले में चुनाव लड़ रहा था। अध्यक्ष महोदय, मुझे बताया गया कि उनके आदमी असला लेकर घूम रहे हैं और किसी वक्त कुछ भी हो सकता ई। हेंने इस बात पर कुछ ध्यान नहीं दिया। यह तीन तारीख का वाक्या है। मि० वधवा वहां पर रिटर्निंग औफिसर थे। (विध्न)

सदस्यों का नाम लेना (पुनरारम्भ)

श्री जयपाल सिहः स्पीकर साहब, आप मुझे दो मिनट दे दीजिए। आप मेरी दो मिनट बात सुन लीजिए।

श्री अध्यक्षः इनके बाद आपको टाईम मिलेगा।

श्री जयपाल सिंहःआप मुझे दो मिनट का टाईम दे दीजिए या मुझे भी बाहर निकाल दीजिए।

Mr. Speaker : You can go if you like,

श्री जयपाल सिंहः अच्छा तो यही रहेगा कि आप मुझे अपनी बात कहने के लिए दो मिनट का टाईम दे दीजिए।

श्री अध्यक्षः आप बैठिए, इनके बाद आपको टाईम दूंगा।

श्री जयपाल सिंहः स्पीकर साहब, मुझे इनसे पहले बोलने का समय दो। (शोर)नहीं तो मैं चला जाता हूं।

श्री अध्यक्षः आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। इनके बाद आपको बोलने का समय मिलेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जयपाल सिंहः स्पीकर साहब, बाद में क्या, आप मुझे पहले बोलने का टाईम दीजियेगा ताकि मेरी बात भी चर्चा में आ जाए।

श्री अध्यक्षः नही पहले नहीं। आप बैठिये।

श्री जयपाल सिंहः स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे हल्के में झगड़ा हुआ है। (शोर एवं व्यवधान)मुझे भी अपने हल्के की बात कहने का पूरा हक है। मैं अपने हल्के के लोगों का चुना हुआ नुमाइंदा हूं। (शोर)वहां उस झगड़े में किसी मन्त्री के लड़के का हाथ है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः जय पाल जी, आप बैठिये। यह कोई बोलने का प्रौपर टाईम नहीं है।

श्री जयपाल सिंहः स्पीकर साहब, आप कृपया मेरी बात सुनिये। (शोर)

श्री अध्यक्षः क्या आप भी यही चाहते हैं कि आपको नेम किया जाए? (शोर)

श्री जयपाल सिंहः स्पीकर साहब, मैं कुछ कहना चाहता हूं। (शोर)

Mr. Speaker : No Shri Jai Pal Singh Ji, I warn you. Please take your seat.

(The hon'ble member continued speaking without the permission of the Hon'ble Speaker.)

Mr. Speaker : I name Shri Jai Pal Singh. He may leave the House.

(The hon'ble member continued speaking and did not leave the House.)

Mr. Speaker : Marshal, please . take him out of the House

(At this stage the Sergeant-at-Arms with the aid of the Watch and Ward staff took the hon'ble member out of the House.)

वक्तव्य–

मुख्य मन्त्री द्वारा उपर्युक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सम्बन्धी (पुनरारम्भ)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, मैं एक बड़े सीरियस मैटर की तरफ इन सब माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, रिटर्निंग अफसर के साथ तहसीलदार व अन्य अधिकारीगण गश्त पर थे। उन्होंने हरि सिंह की गाड़ी को रोक कर चौक किया और उस गाड़ी मे एक बन्दूक, एक पिस्तौल और चार अन्य असले उनको मिले। उन्होंने उनकी गाड़ी को रोकने की जब कोशिश की तो रिटर्निंग अफसर व तहसीलदार को इन लोगों ने बाकायदा मारने की धमकी दी और कहा कि खबरदार तुमने किसी को भी हाथ लगाया। अध्यक्ष महोदय, मैं उस वक्त चीफ मिनिस्टर तो नहीं था और ये सारे अफसर इनके अपने ही लगाये हुए थे, मेरे लगाये हुए नहीं थे। उन अफसरों के साथ इन्होंने खूब झगड़ा किया। उन्होंने कहा कि थाने चलो, लेकिन वे लोग थाने नहीं गये। उन अफसरों को उन्होंने बन्दूक दिखाई। उस के बाद रिटर्निंग अफसर श्री वधवा, जोकि वहां के एस० डी० एम० थे और तहसीलदार ने इन की तरफ से आदमपुर पुलिस थाने में इन लोगों के खिलाफ 3– 5– 1991 को केस रजिस्टर्ड करवाया था। यह केस मास्टर हरि सिंह, उसके भाई शेर सिंह व अन्य चार लोगों के खिलाफ था। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद इलैक्शन के दौरान बहुत चर्चा भी होती रही कि इस बार इनका झगड़ा करने का प्रोग्राम है। मुझे बताया गया कि मुझे खत्म करने की इनकी योजना थी लेकिन मुझे यह बात जची नही, मैंने विश्वास नही किया जब तक ठोस बात मेरे सामने नही आई। फिर पता चला कि कुछ लोग गाड़ियों पर पंजाब के

नम्बर लगाकर घूम रहे हैं और किसी वक्त भी मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन लोगों ने मुझे कहा कि साहब आप रात के वक्त इलैक्शन के लिये वोट मांगने बाहर न निकलें। अध्यक्ष महोदय, ज्यों ही मुझे पता लगा और मेरे आदमियों ने देखा कि वाक्या ही ठीक बात है तो मैंने गवर्नर साहब और उनके ऐडवाइजर सैफूला साहब को टैलिफोन किया कि साहब ऐसे हालात हैं। मैंने एस० पी०, डी० आई० जी० और डिप्टी कमिश्नर को एक बार नही बल्कि दसियों बार कहा लेकिन उहोंने कोई परवाह नही की। उस समय हिसार में डी० आई० जी० शमशेर सिंह थे। एस० पी० ने तो उन दिनों बिल्कुल ही परवाह नहीं की और जब किसी ने भी परवाह नही की तब मैंने गवर्नर साहब से कहा कि मेहरबानी करके इन अधिकारियों को आप बदलें, ये बहुत भारी झगड़ा इलैक्शन में करवा सकते हैं। इनकी हमदर्दी उनके साथ है और इनकी प्रोटैक्शन में सब कुछ हो रहा है। रिटर्निग आफिसर ने भी केस दर्ज करवाया तो भी कोई गिरफतार नही हुआ और उनसे कोई असला बरामद नही किया। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, उनको इलैक्शन से तीन दिन पहले चेजं किया गया। चेंज करने के बाद उसी दिन वे चार्ज छोड़ कर चले गए और दूसरे अफसर मौके पर आ गए। यानी डी० आई० जी० दूसरा आ गया और एस० पी० दूसरा आ गया। मुझे इत्तलाह मिली कि मेरे हल्के में सीसवाला गांव के रैस्ट हाउस में जो नहर के किनारे रैस्ट हाउस जंगल में है, उस में कुछ आदमी रुके हुए हैं। उनके पास जो गाडियां हैं उन पर पंजाब की नम्बर प्लेटस लगी हुंई हैं और उनके पास काफी असला

है। वे किसी वक्त भी मेरा, मेरे परिवार के लोगों का या किसी रिश्तेदार का नुकसान कर सकते हैं। मैंने यह जानकारी डी० आई० जी० और एस० पी० को दी। उन्होंने रातो रात रेड करके 19 तारीख को वहां से आठ लोगों को पकड़ा और 20 तारीख को वोट पड़ने थे। उनसे एक फारेन कन्ट्री का मौजर, एक 9 एम० एम० का पिस्टल तथा चार और पिस्तौल बरामद हुए। यही नहीं अध्यक्ष महोदय, सरदार जो केसरिया रंग की पगड़ी पहनते हैं, उनसे पांच केसरिया रंग की पगड़ियां और पांच नकली दाढ़ियां बरामद हुईं। दो कारों पर पंजाब की नम्बर प्लेट्स लगी हुई थीं और हरियाणा की नम्बर प्लेटस अन्दर गाड़ियों की डिग्गी में रखी हुई थीं। यह सामान उनसे बाकायदा मौके पर बरामद किया गया। उनको पकड़ा, गिरफ्तार किया। उनमे एक हरि सिंह का सगा भाई शेर सिंह शामिल था उसको भी गिरफ्तार किया। उनसे असला बरामद हुआ। अध्यक्ष महोदय, यही नहीं इलैक्शन वाले दिन इन्होंने स्लेमगढ गांव में झगड़ा करवाने की कोशिश की। वहां पर बूथ को कैप्चर भी कर लिया और वहां बाद में दोबारा चुनाव हुआ। अध्यक्ष महोदय, उनकी बड़ी भारी प्लानिंग थी कि किसी तरह से भजन लाल को खत्म किया जाए। पहले मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नही दिया था लेकिन जब वे लोग पकड़े गए तब जंची कि बात कुछ सीरियस है। अध्यक्ष महोदय, उनको गिरफतार किया गया और हरि सिंह के खिलाफ जो पहले 3/5 को केस दर्ज हुआ था उस में उसने अपनी एंटीस्पिएटरी बेल करवा ली। बाकी लोगों को गिरफतार क्रके उनका 'टाडा' में चालान किया गया। उनकी हाई

कोर्ट से जमानत हो गई। अगर मैं उनसे बदले की भावना रखता तब तो मैं अगले ही दिन उनके खिलाफ केस कर सकता था और दोबारा उनको पकड़वा सकता था। चीफ मिनिस्टर बने तो मुझे 9 महीने हो गए। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद क्या वाक्या हुआ कि उम्मेद सिंह नाम का एक व्यक्ति जुगलान गांव का है और वह मेरे हल्के का नहीं है। चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी हिसार जिले को अच्छी तरह से जानते हैं और बाकी जो हिसार जिले के दूसरे माननीय सदस्य है वे जानते हैं। वह व्यक्ति जुगलान गांव का है। उसको गांव में आपस के झगड़े के किसी केस में पकड़ा गया। गांव वालों ने कहा था कि इसके पास असला भी है और इस ने हमारी जमीन पर भी नाजायज कब्जा कर लिया। तो पुलिस वालों ने उसको उस केस में पकड़ा। जैसे कोई आदमी 10– 20 चोरी कर ले और एक जगह पकड़ा जाए तो वह सारी चोरियों की हां कर लेता है। उसी तरह से उम्मेद सिंह को जब पुलिस ने इन्टैरोगेट किया और उससे नाजायज पिस्टल बरामद हो गया तो उसने इस बात की सारी कली खोल दी। वह कली क्या खोली, उस ने यह कहा कि दो सौ हथियार यानी पिस्तौल मेरठ से हम लाए थे। उसने बताया कि यह सारा प्रोग्राम ओम प्रकाश चौटाला, सम्पत सिंह और हरि सिंह ने बनाया था और इन लोगों ने हमें बाकायदा 200 पिस्तौल मेरठ से दिलवाए थे। हरि सिंह का छोटा भाई और ये पांच लोग यू० पी० से पिस्तौल ले कर हरियाणा के अन्दर आदमपुर मंडी हल्के में आए। उन्होंने 100 के करीब पिस्तौल आदमपुर हल्के में बांट दिए। कुछ धिराय हल्के में बांट दिए। कुछ हिसार सिटी के हल्के में

बांट दिए। मैं कह सकता हूं कि उन्होंने क्लायत, उचाना और नरवाना तक भी पिस्तौल पहुंचाने की कोशिश की। उनका बाकायदा यह प्रोग्राम बना हुआ था कि हरियाणा के अन्दर जो भी मुख्य मती के कैडीटेटस हैं उनका ईलाज पहले ही कर दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि जब उसने पुलिस को सारी बातें बताई और उसने जिन जिन लोगों का नाम लिया उन सबको पकड़ा गया। यह नहीं कि किसी के खिलाफ भजन लाल ने कोई केस दर्ज कराया या मेरे रिश्तेदार ने केस दर्ज कराया। उसने जब बताया तो रेड करके उनको पकड़ा गया। अध्यक्ष महोदय, 8 आदमियों को पकड़ा गया। उनमें से 7 आदमियों के पास से एक–एक रिवाल्वर मिला यानी बरामद हुआ। उनका बाकायदा चालान हुआ है। उसने बीसियों आदमियों के नाम और लिए है कि फलां फलां आदमियों के जिम्मे यह काम लगाया हुआ था। अध्यक्ष महोदय, पांच आदमियों के जिम्मे यह काम था कि तुम पिस्तौल बांटोगे और फलां फलां आदमियों को तुमने पिस्तौल दे कर आना है। उनमें से बहुत से लोग, जिनको पता लगा कि यह बात है अंडर ग्राउंड हो गए है। इसी बात को ले कर ये शोर मचा रहे है ताकि ये उनकी पेशबदिया पहले करा दें और यदि कल को कोई ऐसा मामला हो तो कह दें कि हमने यह मामला हाउस में उठाया था। आज इसी मामले को ले कर इन्होंने सदन में ऐसा वातावरण पैदा किया है ताकि प्रैस में इस तरह की बात आ जाए कि भजन लात ने शायद बहुत ज्यादा ज्यादती कर दी, अन्याय कर दिया और झूठे केस उन लोगों के खिलाफ बना दिए। अध्यक्ष

महोदय, इससे भी सीरियस एक बात और बताना चाहूंगा। वह शेर सिंह जो है वह हरि सिंह का भाई है। जमानत होने के बाद उसे ओम प्रकाश चौटाला अभी दिसम्बर के महीने में अमेरिका ले गए थे। ओम प्रकाश चौटाला अपने साथ हरि सिंह के भाई शेर ल्हि को, जो असला लाने वाला णै, जो असला बांटने वाला है और जिससे असला बरामद हुआ था, ले कर अमेरिका गया। वह अमी तक बाहर है। इंडिया मे नहीं आया है। ओम प्रकाश जी महाराज वापिस आ गए है। अध्यक्ष महोदय, ये अमेरिका में मेहमान किसके थे? आपने एक नाम सुना होगा अजनान खाशोगी का जो आर्म्ज का इन्टरनैशनल स्मगलर है। उसके मेहमान ओम प्रकाश चौटाला और शेर सिह रहे। जब वह खाशोगी इंडिया में आया तो उसको ओम प्रकाश चौटाला ने चाय पार्टी दी। अमेरिका में उस खाशोगी को इन मामलों में पकडा भी गया था और अब वह जमानत पर है। उसके मेहमान ये रहे। जिस शेर सिंह को औम प्रकाश चौटाला जी अपने साथ ले कर गए थे वह अभी तक वापिस नही आया है। क्या यह साजिश नही हो सकती? आज मैंने एक बयान दिया है कि इन लोगों ने यानी ओम प्रकाश चौटाला और सम्मत सिंह ने यह कहा था कि तुम हथियार लाओ और इलैक्शन के दौरान तुम जो कुछ कर दोगे उसके अन्दर तुम्हारा कुछ नही हो सकता, क्योंकि इलैक्शन का माहौल ऐसा ही होता है। अध्यक्ष महोदय, उस समय मै मुख्य मंत्री नही था। सारे अधिकारी इनके लगाए हुए थे। सारे अधिकारी इनके थे। उन्होंने उनको पकड़ा। उनसे असला बरामद हुआ। मैं सदन के सामने एक बात कहना चाहता हूं कि

सदन की एक कमेटी बना दें और उस कमेटी में कौन हों, हमारी पार्टी का कोई मेम्बर उसमें न हो। उधर से मैं राम बिलास शर्मा जी का नाम लेत हूं, एक चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी का नाम लेता हूं और एक चौधरी अमर सिंह जी का नाम लेता हू जो चौधरी बंसी लाल जी के बराबर बैठे हैं। इन तीन माननीय सदस्यों की एक कमेटी बना दें। ये मौके पर जा करके इस बात की इंन्कवायरी कर लें। अगर ये कह दें कि जो मैं कह रहा हू उसमें रत्ती भर भी गलत बात है तो मैं इस्तीफा दे कर अपने घर चला जाऊंगा। (थम्पिंग)मैं इस बात के लिए चौलेंज करता हूं। जरा आदमी को सोचना चाहिए। आज एक आदमी की जिन्दगी का सवाल नही है। ये किसी भी आदमी के साथ ऐसा कर सकते हैं। चौधरी बंसी लाल जो ये आपके साथ भी कर सकते थे या किसी और के साथ भी कर सकते थे। आप जानते हैं कि पार्लियामैंट के इलैक्शनों के दौरान इन लोगों ने क्या माहौल पैदा किया था। चाहे आप चुनाव लड़ रहे थे और चाहे चौधरी बीरेन्द्र सिंह चुनाव लड़ रहे थे इन्होंने किस तरह से गोलियां चलाई थी। ये उसी पार्टी के लोग हैं। ग्रीन ब्रिगेड के लोगों ने मेहम मैं किस तरह का वातावरण पैदा किया था। मेहम में कितने लोगों को मौत' के घाट उतारा था। आज कोई भी आदमी इनके साथ हमदर्दी रखता है तो मैं समझता हू कि वह मुनासिब बात नहीं होगी। मेरी इस बात के लिए फिर औफर है कि अपोजीशन पार्टी के जिन महानुभावों को मैंने कमेटी बना कर जांच करने के लिए नाम लिए है उनको मैं बहुत काबिल समझता हू, वे जांच करें। मैं इनको बहुत काबिल समझता

हूं और जो सही बात होगी वे परमात्मा को हाजिर–नाजिर मान करके जांच कर लें और सदन में आ कर अपनी रिपोर्ट दें किं यह बात है। अगर मेरी गलत बात साबित हो तो जो सजा ये देंगे या यह हाऊस देगा वह सजा मैं भगतने के लिए तैयार हूं। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत सीरियस मैटर है इसलिए ये बार बार इस मामले को उठा रहे है और इस बारे में ये गलत ब्यानी कर रहे हैं ताकि इस मामले में पेशबंदी की जा सके, ताकि रिकार्ड पर यह बात आ जाये जो ये कहना चाहते है। यह बहुत सीरियम मैटर है। इसमें और भी बहुत सी बातें निकलने वाली हैं। आज मैं इस बारे में तफसील से कहूगा तो कल को इस पर इन्क्वायरी में फर्क पड़ेगा। इसकी जब पूरी रिपोर्ट आ जायेगी तो मैं जितने भी हाउस के माननीय सदस्य हैं उन सभी को उस रिपोर्ट की एक एक कापी भेज दूंगा या दूसरी दफा हाउस में बता दूगा। इस केस की कोई भी विस्तृत जांच कर सकता है। अध्यक्ष महोदय यह बड़ा भारी मुद्दा है यह कोई छोटी बात नहीं है। इसलिए मेरी आपने प्रार्थना है कि मैं डस मामले में कुछ ज्यादा नही कहूगा क्योंकि यह मामला जेरे तफतीश है। इसमें बहुत से कल मिलने की बात है। अभी तो वह अमेरिका में है, उसे वापस लाना है, गिरफ्तार करना है। अभी पता नही इसमें कितनी रुकावटें आ सकती हैं। इस केस में किस किस को गिरफतार किया जा सकता है आज इस बारे में कोई बात कहना अच्छा नही लगता लेकिन जितनी बातें मैंने कही है इसमें अगर रत्ती भर की गलत बात हो तो जो सजा हाउस दे या जो सजा प्रदेश की जनता दे वह मुझे मन्जूर है।

श्री बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में एक बात कहना चाहता हूं कि बजाये हम इस सदन के मैम्बरों की कमेटी के चक्र में पड़े जो पुलिस की कार्यवाही हो सकती है उसको ऐक्सपीडाइट करो, and judioiary rs the best authority यही एक अच्छा सोल्यूशन होगा। कौन इस चक्र में पड़ेगा? इसलिए मेरा फिर इनसे यही कहना है कि जो सही बात हो उसको ऐक्सपीडाइट करो।

चौधरी वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, यह मामला पुलिस की तफतीश का ही है। पुलिस ही इसकी तफतीश करे और जो सच्चाई निकलेगी अदालत उसको देखेगी।

श्री अध्यक्षः आप कृपया बैठिए।

स्थगन प्रस्ताव

पानी तथा क्षेत्रीय झगड़े सम्बन्धी

चौधरी वीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, हैने और राम बिलास शर्मा जी ने एक ऐडजर्नमैंट मोशन दी है। आज अखबार में इनका लगन भी आया है। एस० वाई० एल० और टैरीटोरियल डिसप्यूट के जो इशूज हैं इनके बारे में पिछले 4– 5 महीने से तीसरे चौथे दिन कोई न कोई चर्चा होती रहती है लेकिन हमें बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मुख्य मंत्री के आज के ब्यान से ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपना स्टैंड डाइल्यूट कर लिया है। आज से 5– 7 दिन पहले इसी सदन में मुख्य मंत्री ने

गवर्नर महोदय के अभिभाषण के जवाब में यह कहा था कि इराडी ट्रिब्यूनल की जो रिपोर्ट है और जिस की रुह से हमें 38 एम० ए० एफ० पानी मिला है वह नैगोशिएबल नही है और अब उसको खोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। साथ ही यह कहा था कि चण्डीगढ़ उसी सूरत में पंजाब को दिया जा सकता है जब अबोहर फाजिल्का और 107 गांव हरियाणा प्रान्त को मिलेंगे। परन्तु अब पता नही मुख्यमंत्री जी ने फ्राखदिली क्यों दिखाई है जो अब ये कहने लगे कि अगर पंजाब की समस्या का हल मिलता हो तो हम 5– 7 गांव छोड़ सकते है। कल को तो आप कहने लगेगे कि अगर पंजाब की समस्या का समाधान निकलता हो तो सारा हरियाणा पंजाब ले ने। कल इन्होंने जो कहा है कि पांच गांव अगर पंजाब लेना चाहे तो हरियाणा छोड़ देगा, यह बात हमारी समझ मे नही आती। इन पांच गांवों के०पर ही तो यह सारी महाभारत लड़ी गई। हम एक इंच जमीन भी कम नहीं लेंगे और जो इन्दिरा गांधी अवार्ड 1970 का है तथा जिस की रुह से चण्डीगढ़ तभी ट्रांसफर होगा जब 107 गांव और अबोहर–फाजिल्का के ये दोनों टाउन एक साथ हमें मिलें। इससे कम हम कोई एरिया लेने को तैयार नहीं हैं। मैंने तो जो औफर राज्यपाल महोदय के अभिभाषण गर बोलते हुए दिया था उसका जवाब न तो मुख्य मंत्री जी ने दिया और न ही वित्त मंत्री जी ने दिया। मैंने उस वक्त कहा था कि यदि वाकई मुख्य मंत्री जी अपने पहले के ब्यान के बारे में सीसियर हैं और कांग्रेस पार्टी का यह स्टैड है तो आओ मिलजुल कर एक रैजोल्यूशन पास करें जिसके

लिए हम सभी तैयार हैं। (विघ्न) अगर आप भी तैयार हैं तो हम इराडी ट्रिब्यूनल का फैसला जो पानी का है उससे कम पानी नहीं लेंगे। जो 1970 का अवार्ड है उससे एक इंच कम रकबा नही लेंगे लेकिन इस रैजोल्यूशन को पास करने से ये लोग भाग गए और इस बारे में कोई भी चर्चा नही की। इस बात से और ही जाहिर होता है। मुख्य मन्त्री जी औन दि फलोर औफ दि हाउस कुछ कहते है और प्रैस में कुछ कहते हैं जिससे हमारे दिमाग मे और हरियाणा प्रान्त के 1 करोड़ 63 लाख लोगों के दिमाग में शंकाएं पैदा हो गई हैं कि मौजूदा सरकार के हाथों में हरियाणा के हित महफूज रह पाएंगे या नहीं। स्पीकर साहब, इसी बात के लिए मैंने और राम बिलास शर्मा जी ने ऐडजर्नमैंट मोशन दी है और आपसे गुजारिश है कि फौरी तौर से आज के बिजनैस को ऐडजर्न करके आप इस मामले पर थौरो डिस्कशन करवाएं ताकि हाउस किसी नतीजे पर पहुच सके।

प्रो० राम बिलास शर्माः स्पीकर सर, हमारी जो ऐडजर्नमैंट मोशन है उसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मुख्य मन्त्री जी का जो व्यान आज छपा है उससे कुछ ऐसा इम्प्रैशन मिला है कि 4– 5 दिन पहले इसी सदन में चौधरी बसी लाल, चन्द्रावती जी और मेरी ऐडजर्नमैंट मोशन के जवाब मे जो कुछ कहा गया था उसमें कुछ चेन्ज आ गई है। पता नही यह फर्क प्राईम मिनिस्टर के साथ मुख्य मन्त्रियों का जो नाश्ता हुआ है उसके कारण पड़ा है या मुख्य मन्त्री जी पर कोई और दबाव डाला

गया है या इनको काउ डाउन किया गया शै। सदन में फलोर पर जो बात कैटेगरी– कली कही गई थी और जो आज की स्टेटमैंट है उसमें डाइल्यूशन है। इस समय हरियाणा के लोगों ने यह महसूस किया है कि कांग्रेस इस मामले को राजनैतिक बनाना चाहती है। स्पीकर सर, पंजाब मे शांति होनी चाहिए, यह बात बार बार आ रही है। सब लोग चाहते हैं कि पंजाब में शांति हो हरियाणा का बच्चा–बच्चा चाहता है कि पंजाब में शांति होनी चाहिए। पंजाब की अशांति का असर हरियाणा पर भी पड़ा है। स्पीकर सर, हरियाणा के लोग पंजाब की शांति मे रुकावट नही बने है। हरियाणा कोई खैरात किसी सै नही चाहता है किसी और का हक नही चाहता है। 26 साल पहले पंजाब की सरकार ने, केन्द्र की सरकार ने जो कुछ हरियाणा को दिया था वह आज तक हरियाणा को नही मिल पाया है जिस कारण हरियाणा के साथ अन्याय हो रहा है। एक तरफ तो पंजाब में सेम आ रही है और पानी पाकिस्तान को जा रहा है लेकिन दूसरी तरफ हरियाणा के पानी का हिस्सा उसको नही दिया जा रहा है। स्पीकर सर, आज इस बजट सैशन का आखिरी दिन है इसलिए इस मामले पर स्थगन प्रस्ताव जरूर ऐडमिट होना चाहिए। मुख्य मन्त्री जी ने जो स्टैड बदला है, हरियाणा की जनता यह जानना चाहती है कि वह स्टैड किस कारण से बदला है? क्या वह स्टैड नाश्ते के कारण बदला है, राजनैतिक कारणों से बदला है या किसी दबाव के कारण बदला है? जब तक हरियाणा को अबोहर फाजिल्का समेत 107 गांव नही मिलेंगे तब तक हम लोग चण्डीगढ़ नही छोडेंगे।

मुख्य मन्त्री जी ने कहा है कि 5,7 गांवों की मैं परवाह नही करूंगा। स्पीकर सर, 5 गांवों पर तो महाभारत हो गया था। सवाल 57 गांवों का नही है सवाल तो जा हरियाणा के साथ अन्याय हो रहा है उसका है। कन्दू खेडा ने पहले भी बखेडा कर दिया था और केन्द्र सरकार ने वहां पर जनगणना करवाई थी। मुख्य मन्त्री जी के स्टैड मे जो डायल्यूशन है, रुख में जो नर्मी है उसका क्या कारण है? हरियाणा की कुर्बानी से पंजाब को बचाया नही जा सकता है। पंजाब में जो कुछ हौ रहा है वह हरियाणा के कारण नहीं हो रहा है।

श्री अध्यक्षः राम विलास जी, आप रिपीट न करें और अपनी बात जल्दी कहें।

प्रो० राम बिलास शर्माः पानी के बिना हम चण्डीगढ़ नहीं छोड़ेंगे। हरियाणा का आज तक यह स्टैड रहा है कि हम अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए अपनी बात कहते आ रहे हैं। 1987 में भी हमने अपनी बात कही। हरियाणा के लोगों को देशभक्ति के तकाजे पर न रखें। स्पीकर सर, मैं चाहूंगा कि हमने जो ऐडजर्नमैंट मोशन दी है आप उसको स्वीकार करें ताकि इस बारे में सदन में खुल कर चर्चा हो सके। इस मुद्दे से महत्वपूर्ण मुद्दा कोई और नहीं है।

श्री बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, बहन चन्द्रावती और मेरी ऐडजर्नमैंट मोशन के जवाब में मुख्य मन्त्री जी ने बहुत रेम्फैटेकली

यह कहा था कि हम किसी भी चोज पर पंजाब से कम्प्रोमाईज नहीं करेंगे। उन्होंने कहा था कि अबोहर फाजिल्का, एस० वाई० एल० और चण्डीगढ़ के बदले कैपिटल का जब तक प्रबन्ध नहीं हो जाता उस वक्त तक हम कोई समझौता नहीं करेंगे। आज के अखबार में मुख्य मन्त्री जी का जो ब्यान आया एं वह इससे मेल नहीं खाता। आजकल उनकी एक आदत है०पर बैठने की। पता नहीं वह अच्छी है या बुरी, वे तो इसे अच्छी ही समझते होंगे।०पर (प्रैस)वालों का काम है कि वे खोद–खोद कर कुछ निकालेंगे क्योंकि उन्हें तनख्वाह ही इसी काम की मिलती है। मुख्य मन्त्री जी का जो व्यान छपा है उससे यह झलक मिलती है कि मुख्य मन्त्री जी पर चाहे कोई दबाव है, चाहे मुख्य मन्त्री जी ने कोई सौदा किया है या चाहे कुछ भी किया है वे चण्डीगढ फाजिल्का–अबोहर और एस० वाई० एल० पर जो स्टैंड इन्होंने पहले लिया था उसे बदल कर कोई समझौता करना चाहते हैं। तो अध्यक्ष महोदय मैं यह समझता हूं कि जो आज अखबारों में व्यान छपा है टस व्यान को देखने के बाद आपका भी, मुख्यमन्त्री जी का भी फर्ज बनता है कि इन मामलों पर खुल कर बहस होनी चाहिये। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमन्त्री जी को पता ही है कि इन्होंने क्या कहा है। इस बात से साफ जाहिर होता है कि मुख्यमन्त्री जी कोई न कोई सौदा जरुर करने वाले हैं। मैं तो मुख्यमन्त्री जी को एक बात बताना चाहता हूं कि अगर 1970 के इन्दिरा गांधी के अवार्ड और एस० वाई० एल० के पूरे हुए बगैर और चण्डीगढ के मुकाबले का कैपिटल मिले बगैर

कोई समझौता हुआ तो वह हरियाणा की जनता को मान्य नहीं होगा और उस हम उस का डट कर विरोध करेंगे।

सिचाई तथा बिजली मन्त्री (श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला): अध्यक्ष महोदय, मैं तो व्यवस्था पर बोलना चाहता हूं बाकी पर तो मुख्यमन्त्री जी बोलेंगे। अध्यक्ष महोदय श्री राम बिलास जी को तो हमेशा महाभारत की पड़ी रहती है। कोई ईशू हो या न हो इनको तो महाभारत करने की पड़ी रहती है। अध्यक्ष महोदय, वैसी लाल जी भी चाहते हैं कि अखबार ही न छपे। बंसी लाल जी, अखबारों में सफेद कागज तो रहने नहीं हैं, अखबार तो छपते ही हैं चाहे कोई कुछ कहे या न कहे। अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि चौधरी बंसी लाल जी और राम बिलास जी का स्टैण्ड क्या है। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि राम बिलास जी की पार्टी का स्टैण्ड यह है और इनकी पार्टी यह चाहती है कि राजीव लौंगोवाल समझौता लागू किया जाए। यह इनकी नैशनल ऐग्जैक्टिव कमेटी ने प्रस्ताव पास कर दिया है। दूसरे चौधरी बंसी लाल जी 1986 में जब मुख्यमन्त्री बन कर आए थे तो इन्होंने अबोहर फाजिल्का को छोड़ कर गजों के हिसाब से जमीन लेने का पब्लिक स्टैण्ड लिया था। तो अध्यक्ष महोदय, ये इस बात का राई का पहाड़ बना कर के कन्फयूज करना चाहते हैं। कांग्रेस और सरकार का स्टैड तो कसीसटैंट है। उस बारे मुख्यमन्त्री जी विस्तार से बताएंगे। अध्यक्ष महोदय, ऐडजर्नमैंट

मोशन का यह कोई विषय नहीं है इनकी इस सम्बन्ध में एक मोशन पहले ही खारिज हो चुकी है।

वैयक्तिक स्पष्टीकरण–

(1)श्री बंसी लाल द्वारा

श्री बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, मैं पर्सनल ऐक्सपलेनेशन पर बोलना चाहता हूं। चौधरी सुरजेवाला जी ने कहा कि मेरा अबोहर–फाजिल्का को छोड़ने का ध्येय था। मैं इनको याद कराना चाहता हूं कि अबोहर फाजिल्का का फैसला मैंने ही करवाया था और मैं ही उस समय मुख्यमन्त्री था। अध्यक्ष महोदय, अबोहर फाजिल्का के अलावा दूसरे इलाके लेने की बात भी मैंने की थी, मैंने अबोहर फाजिल्का को छोड़ने की बात कभी नहीं की थी।

(2)प्रो० राम विलास शर्मा द्वारा

प्रो० राम बिलास शर्माः अध्यक्ष महोदय, मैंने भी पर्सनल ऐक्सपलेनेशन देनी है। श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला राजनीति में बहुत ही पुराने हैं और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नैशनल ऐग्जीक्यूटिव के प्रस्ताव की चर्चा की। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी सेवा में उस प्रस्ताव की ओरिजिनल कापी लेकर आया हूं और मैं भी उसका मैम्बर हूं। मैं सुरजेवाला जी को कहूंगा कि वे फैक्टस को न छिपाएं। अध्यक्ष महोदय 24 जुलाई 1985 को राजीव लौंगोवाल एकौर्ड दिल्ली में हुआ और 25 जुलाई 1985 को बी० जे० पी० की नेशनल ऐग्जीक्यूटिव की मीटिंग दिल्ली में हुई और

उसमें राजीव लोंगोवाल एकोर्ड के आठ प्वायंटस की निन्दा की गई थी। अध्यक्ष महोदय, स्टेटसमैन में ऐडिटोरियल छपा था कि B.J.P. is the only national party which has criticised categorically this accord, अध्यक्ष महोदय, उन आठ प्वायंटस में से सिर्फ दो ही प्वायंट हरियाणा के मतलब के थे। इस ऐकौर्ड की धारा 7 और 9 हरियाणा के साथ ज्यादती करती है यह 1985 की बात है। There and then we had criticised it categorically, Now I am talking about Sarnath Resolution. स्पीकर साहब यदि आप इजाजत दें तो मैं यह पढ़कर बता देता हूं। इसमें एक भी शब्द राजीव लोंगोवाल समझौता को लागू करने के बारे में नहीं है।

श्री अध्यक्षः लेटैस्ट क्या है उसके बारे में बताईए?

प्रो० राम बिलास शर्माः लेटैस्ट यह है कि जो पंजाब में चुनाव हुए हैं वह एक आई वाश है। It is not the real mandate. It is not the real picture of the people. जिस पार्टी ने उसकी धारा 7 और 9 की आलोचना की है उस पार्टी का आज भी कोई स्टैन्ड नहीं बदला है। हरियाणा के साथ जो ज्यादती हुई है बी० जे० पी० उसकी निन्दा करती है। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारा स्टैन्ड आज भी नहीं बदला है।

स्थगन प्रस्ताव

पानी तथा क्षेत्रीय झगड़े सम्बन्धी (पुनरारम्भ)

Mr. Speaker : Hon'ble members, I received an adjournment motion from Sarvshri Verender Singh and Ram Bilas Sharma, M,L.As. today at 9.40 a,m. i.e. after the start of the sitting of the House regarding the statement published in todays newspaper with regard to the territorial and water disputes. I have disallowed it as it does not fulfil the requirement of our rule 66(1), Moreover, a matter which has already been discussed by the House during the session, cannot be raised again through an adjournment motion. Similarly, the notice of adjournment motion cannot be amended from day to day as new situations in respect of the same matter arise.

However, if the Chief Minister wants to clarify the position he can do so,

चौधरी वीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, आपने जो रुलिंग दी है वह हमें मान्य है परन्तु आपने स्वयं अपनी रुलिंग में कहा है कि इस सबजैक्ट पर पहले चर्चा हो चुकी है। हमने भी अपने ऐडजर्नमेंट मोशन में यही लिखा था। चूंकि मुख्यमन्त्री जी ने उसके बाद अपना स्टैन्ड बदल लिया है और अगर आज भी मुख्यमन्त्री अपने उसी स्टैण्ड पर कायम हैं तो हमें कोई आपत्ति नही है लेकिन अफसोस यह है कि उसके बाद इनका जो ब्यान अखबारों में छपा है वह पहले से बदला हुआ है। स्पीकर सर, यह इतना महत्वपूर्ण मामला है और सदन के सदस्य इस पर बोलना चाहते हैं और चाहते हैं कि इस पर मुख्यमन्त्री जी अपना जवाब दें। हरियाणा प्रान्त के लिये यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है।

पानी का मसला और टैरीटोरियल डिसप्यूट का मसला कितने ही साल से लटका हुआ है इसलिये आप किसी भी शक्ल में हमें इस मामले पर बोलने की इजाजत दें।

श्री अध्यक्षः आप सबने अपनी बात कह ली है। अब मुख्य मन्त्री जी को अपनी बात कहने दें।

वक्तव्य–

मुख्य मन्त्री द्वारा उपर्युक्त स्थगन प्रस्ताव सम्बन्धी

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने गुस्सा जाहिर किया है कि हमारी सरकार ने अपना कोई स्टैण्ड बदल लियो है। इस लिए मैं सदस्यों से कहना चाहता हूं कि हमने अपना कोई स्टैण्ड नहीं बदला है। चौधरी बंसी लाल जी ने एक इल्जाम लगाया कि ये प्रैस गैलरी में जाते रहते हैं। यह ठीक है कि मैं कल प्रैस गैलरी में गया था लेकिन मेरा रुख इनकी तरह नहीं है ये केवल दो तीन प्रैस वालों को ही सब कुछ बता दिया करते थे। लेकिन मैं तो सबसे बात करता हूं और सबका सम्मान करता हूं। अध्यक्ष महोदय जहां तक इन्होंने स्टैण्ड चेंज करने की बात कही है तो स्टैण्ड चेंज करने की कोई बात नहीं है लेकिन एक बात मैंने जरुर कही है कि पंजाब में हालात इतने बद्तर हो गये हैं जिसका कोई अंत नहीं है। यह तो आप जानते हीं हैं कि मेरा स्टैण्ड शुरु से ही बड़ा मजबूत रहा है और जब भी केन्द्र में मीटिंग होती है तो पहले भी जब मैं मुख्यमन्त्री

था और केन्द्र में मन्त्री था, तब भी मैंने इस मामले में अपना स्टैण्ड हमेशा मजबूत बनाये रखा और आज भी मेरा स्टैण्ड वही है। अब केवल इतना ही अन्तर है कि अगर देश के हित के लिये चार पांच गांव देने से पंजाब में शान्ति हो जाती है तो हम सिर्फ चार पांच गांव ही नहीं सारा हरियाणा देने को तैयार हैं। जो लोग आज निर्दोष लोगों को मार रहे हैं वे चण्डीगढ़ नहीं मांगते। आपने शायद मेरा पूरा व्यान नहीं पड़ा है। मैंने यह कहा है कि उग्रवादी चण्डीगढ नहीं मांगते हैं। अकालियों ने भी एक प्रस्ताव पास करके कहा है कि खालिस्तान बनना चाहिये। वे चण्डीगढ़ में इतनी रुचि नही रखते क्योंकि चण्डीगढ़ से अगर वे राजी होते तो राजीव लोंगोवाल एकौर्ड में तो चण्डीगढ़ देने की बात थी। राजीव लोंगोवाल एकौर्ड में यह बात नही थी कि हरियाणा को अबोहर फाजिल्का का एरिया नहीं मिलेगा। उस एकौर्ड में यह स्पष्ट था। श्रीमती इंदिरा गांधी सदैव यह कहती रही। उस एकौर्ड की कापी मेरे पास है। आप मेहरबानी करके इसको पढ़ लें। वह सदैव यह कहती रहीं कि चण्डीगढ़ के बदले हिन्दी बोलने वाले इलाके हरियाणा को मिलेंगे और एक साथ ट्रांसफर होंगे। साथ ही 15 अगस्त, 1986 तक रावी–व्यास के पानी को लाने वाली नहर बनकर तैयार हो जायेगी। साथ में यह भी था कि पानी का डिस्ट्रिब्यूशन का मामला निपटाने के लिये एक ट्रिब्यूनल बनेगा। उसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के दो तीन सिटिंग जज होंगे। वह मामला उस ट्रिब्यूनल को दिया जायेगा। मामला ट्रिब्यूनल को दिया गया और रिकार्ड यह कहता है कि ट्रिब्यूनल ने फैसला

दिया। ट्रिब्यूनल ने यह फैसला दिया कि हरियाणा को 3 5 एम० ए० एफ० की बजाये 3.85 एम० ए० एफ० पानी मिलेगा। नहर को काम इस तरह से किया जायेगा कि 15 अगस्त 1986 तक बनाकर तैयार करनी पड़ेगी। यह भी उस ऐग्रीमैंट में है। चण्डीगढ़ अबोहर फाजिल्का के एरिया एक साथ ट्रांसफर होंगे। यह उस ऐग्रीमैंट में है। हमारा स्टैड अब भी वही है। लेकिन इस बार मैंने एक बात जरुर कही है। आज भी मैं कहता हूं। आप भी यह महसूस करते होंगे कि रोजाना 20– 30 आदमी पंजाब में मर रहे हैं। वे भी तो किसी मां के बेटे हैं। किसी बहिन के भाई होंगे। मैंने जो स्टैंड लिया हुआ है, मेरे उस स्टैंड के कारण ही केन्द्र के जितने भी अपोजीशन के लीडर्ज थे, चाहे वे बी० जे० पी० के हों, चाहे वे जनता दल के हों या कम्युनिस्ट पार्टी के हों या किसी भी दूसरी पार्टी के हों, उनका यह कहना है कि भजन लाल के अड़ियल रवैये के कारण मामला उलझा हुआ है। अगर भजन लाल अपना अड़ियल रवैया छोड़ दें तो पंजाब में शान्ति हो सकती है। मैंने उसी नजरिये से यह बात कही है कि 4– 5 गांवों को छोड़ने से अगर कोई मसला हल होता हो या और कोई पैकेज सामने आये जिससे हरियाणा को उससे भी ज्यादा फायदा होने वाला हो तो हम उस पैकेज को मानेंगे लेकिन कब? सारी अपोजीशन के आदमियों को बिठा कर उनकी राय ले कर सर्वसम्मति से फैसला करेंगे। जब सारी अपोजीशन कहेगी कि यह फैसला जन हित में है देश के हित में है, तभी हम फैसला करेंगे। हरियाणा के हित जहां इससे जुड़े हुए हैं वहां देश के हित का सवाल भी पैदा हो रहा

है। हरियाणा की वजह से सारा देश खंडित हो जाये, यह कोई अच्छी बात नहीं है। हम इस देश को बचाना चाहते हैं और साथ ही हरियाणा के हितों की रक्षा भी करना चाहते हैं। हरियाणा के हितों की रक्षा तो करेंगे ही लेकिन चौधरी बंसी लाल जो यहां पर खड़े होकर इस बारे में काफी बोल रहे थे, उनको मैं एक बात बताना चाहता हूं। आप को पता है मुझे क्यों जाना पड़ा था? क्यों इस्तीफा देना पड़ा था?

इसी बात को लेकर इस्तीफा देना पड़ा था। सैन्टर ने कहा कि हम आपको फाजिल्का अबोहर नहीं दे सकते। एक कमीशन इस के लिये बना था जिसका नाम मैथ्यू कमीशन था। मैथ्यू कमीशन ने यह कह दिया कि चण्डीगढ़ के बदले में फाजिल्का अबोहर नही दे सकते। हम आपको डेराबसी लालडू के पास के किसी एरिया में कुछ गज या कुछ एकड़ जमीन देंगे। उसमें 70 या 45 हजार एकड़ जमीन देने की बात कही गयी थी। मैंने कहा कि हम इस बात को नही मानते। अगर कोई इस बात को मान सकता हो तो आप उसको मुख्यमन्त्री बनाओ। मैं उसका नाम प्रोपोज करुंगा। मुझे कोई एतराज नही है लेकिन मैं इस फैसले को नहीं मान सकता। सारे प्रदेश के लोग इस बात को जानते हैं। मेरे साथी जो उस वक्त एम० एल० एज० थे, वे भी इस बात को जानते हैं। मैंने इस्तीफा दिया और चौधरी बंसी लाल इस बात की हां भर कर आये कि मैं इस फैसले को लागू करुंगा। वे आज किस मु हं से बात करते हैं। चौधरी बंसी लाल किस मुंह से

यह कहते हैं कि फाजिल्का अबोहर लिये बगैर हम चण्डीगढ़ नही दें गे। हम ऐसा नहीं होने देगे, वैसा नही होने देंगे। आप तो मुख्य मन्त्री की कुर्सी के लिये यहां पर यह बात मानकर आ गये थे। आपने तो उनकी यह बात मान ली थी मैं इतना ही कह सकता हू कि हरियाणा के हित पूरी तरह से प्रधान मन्त्री के हाथों में सुरक्षित हैं, कोई ज्यादती या अन्याय हरियाणा के साथ नही हो सकता और न ही होने देंगे। कोई भी फैसला इधर–उधर होगा तो बाकायदा अपोजीशन को विश्वास में लेकर करेंगे।

वैयक्तिक स्पष्टीकरण–

श्री बंसी लाल द्वारा

12.00 बजे

श्री बंसी लालः आन ए प्वायंट आफ पर्सनल ऐक्प्लेनेशन सर। अध्यक्ष महोदय, मु ख्य मन्त्री जी ने इस्तीफे की बात कही। पिछले सैशन में भी कही थी। मैंने बताया भी था कि इनका इस्तीफा कैसे हुअ था। इस्तीफा जो इनका हुआ उसके बारे में मैं एक बार फिर दोहरा दूं कि मुख्य मन्त्री को यह पता नही था कि इनका इस्तीफा होने वाला हे। प्रधान मन्त्री की इत्तलाह यह थी और टोटल इटैलीजैस की यह इतलाह थी कि मुख्य मन्त्री या इनका कोई मन्त्री हरियाणा के किसी गांव में किसी जगह घुस नहीं सकता। पार्टी बदनाम हो गई है। प्रधान मन्त्री ने एक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में मैं भी था और उसमें यह तय हुआ कि

भजन लाल की छुट्टी की जाए, इनको निकाला जाए क्योंक पार्टी बदनाम हो गई है। अध्यक्ष महोदय उसमें क्या हुआ, आदमी तो उसमें पांच छः थे। एक आदमी का नाम मैं ले देता हूं जो इसी पार्टी का है और सैन्टर की कैबिनिट में मिनिस्टर है। उसका नाम अर्जुन सिंह है। उसमें यह फैसला हुआ कि इस्तीफा इनका लिखवा कर पहले रख लो। अध्यक्ष महोदय, लेजिस्तेचर पार्टी की मीटिंग यह कहकर बुलाई गई कि प्रधान मन्त्री उसे ऐडैरस करेंगे और ए० आई० सी० सी० के दफतर में करेंगे और ए० आई० सी० सी० दफतर में जब आ जाएंगे तो कह देंगे कि हरियाणा भवन में मीटिंग होगी। इस्तीफा लिखकर तैयार रखो। भजन लाल के सामने रखकर दस्तखत करा लेंगे। अध्यक्ष महोदय, सवा नौ बजे इनको बुलाया गया, साढ़े नौ बजे मीटिंग थी। दस्तखत करके इनको बाहर निकलने दिया। अध्यक्ष महोदय, जहां तक इन्होंने यह कहा है कि जमीन का फैसला मैंने नही माना था तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए चौधरी भजन लाल को याद दिलाना चाहता हू कि वैकटारमैया का जो फैसला था वह इनके होते हुए नहीं आया था। कई महीने बाद आया था। इनके होते हुए वह फैसला आया ही नही था। वह इनके बाद ही आया था। आप उस फैसले की तारीख देख लो और उस फैसले का मतलब यह था कि चण्डीगढ़ के बदले तो वे गांव और फाजिल्का अबोहर का फैसला तो इन्दिरा गांधी का स्टैण्ड करता हे जो वह कर चुकी है। अध्यक्ष महोदय तो इसलिये चौधरी भजन लाल मुख्य मन्त्री के वक्त जो राजीव लोंगोवाल ऐकोर्ड हुआ मैंने पहले भी कहा था आज भी कहता हू,

हमको तो अफसोस है इस बात का और हम बेइज्जती महसूस करने है कि हमारा मुख्य मन्त्री दरवाजे के बाहर चार घटे बैठा रहा और इसको भीतर नही बुलाया। मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि इसको अन्दर नही बुलाया गया। अध्यक्ष महोदय, मैंने किसी स्टेज पर अबोहर फाजिल्का पर क्लेम नहीं छोडा। फाजिल्का अबोहर का अगर किसी ने केस कमजोर किया तो चौधरी भजन लाल ने किया जो रैफ्रेन्डम की मांग की। मैं तो कोरीडोर लाया था। मैंने किसी स्टेज पर किसी वक्त एक दिन के लिए भी अबोहर फाजिल्का का क्लेम नही छोड़ा। बड़ी उछल कूदकर आए और कहा कि रैफेन्डम करा लो। रैफ्रेन्डम का इनको पता है कि क्या हालत हुई। मैंने किसी स्टेज पर एक दिन के लिये भी अबोहर फाजिल्का का क्लेम नहीं छोड़ा। सब से पहली कंडीशन मेरी फाजिल्का अबोहर और एस० वाई० एल० की रही है। अध्यक्ष महोदय, आप भी जानते हैं और मैं फिर बताना चाहता हूं कि वैकंटारमिया का फैसला तो इनकी छुट्टी करने के बाद आया था।

वक्तव्य–

मुख्य मन्त्री द्रारा उपर्युक्त स्थगन प्रस्ताव सम्बन्धी (पुनरारम्भ)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, चौधरी बंसी लाल ने बहुत ही गैर जिम्मेदारी की बात कह दी। इन्होंने तीन बातें कही हैं। एक बात तो यह कही कि भजन लाल की छुट्टी कर दी गई क्योंकि गांव में इनको और इनके मिनिस्टर्ज को घुसने नहीं

दिया जा रहा था। अध्यक्ष महोदय, आप रिकार्ड निकलवा कर देख लें। अध्यक्ष महोदय ऐसा कोई दिन नहीं होता था जब कही न कहीं किसी मन्त्री की पब्लिक मीटिंग न होती हो। अध्यक्ष महोदय, कोई दिन ऐसा नही जाता था जब कि हम मीटिंग न करते हों। एक बड़ी मीटिंग रोहतक में हुई जिसमें तीस चालीस हजार आदमी उपस्थित थे। मैंने उस मीटिंग में कहा था कि हरियाणा के इंटैरस्ट में हो सकता है कि मुझे इस्तीफा देना पड़े। अध्यक्ष महोदय, इस्तीफा के बारह तेरह दिन पहले यह बात मैंने पब्लिक मीटिग में कही थी। आप कहते हैं कि भजन लाल और इनके मिनिस्टर्ज को हरियाणा के गांवों में घुसने नहीं देते थे। अध्यक्ष महोदय ये उसके बाद मुख्य मन्त्री बन गए। इनके मुख्य मन्त्री बनने के बाद पार्टी की यह हालत हुई कि पांच आदमी केवल जीत कर आए थे। (शोर एवं व्यवधान)

स्पीकर साहब, अगली बात सुनिए, उस आधी में चौधरी भजन लाल की पत्नी जो सियासी लेडी नहीं है जो घर के बाहर नहीं निकली सिवाए रोटी पकाने के या अपने बाल बच्चों की सेवा करने के या घर पर आए हुए मेहमानों की सेवा करने के, वह दस हजार वोटों से जीत कर आई थी। अध्यक्ष महोदय, उस आधी में भजन लाल की धर्म पत्नी दस हजार वोटों से जीतकर आई थी। ये इस मामले में क्या बोलते हैं? जो आदमी मुख्य मन्त्री होते हुत केवल पांच आदमी जिता कर लाया हो और जिसकी लोगों ने खाट उठा दी हो वह क्या बात करता है। लेकिन उस आधी में भी भजन

लाल की धर्म पत्नी दस हजार वोटों से जीत कर आई थी। मुख्य मन्त्री होते हुए इन्होंने ऐसे अधिका री लगा रखे थे जिससे कि भजन लाल की पत्नी जीत न सके। दो चार जगह झगड़ा करवा दिया और इलैक्शन रुकवा दिया ये मुख्यमन्त्री हो के भारी वोटों से हारे और इनका पता नही लगा कि ये कहां उड़ गये? ये क्या बोलते हैं? (विध्न)उस समय इन्होंने कह दिया कि आज वोट शुरु नहीं हो सकते और डी० सी० को हिदायत कर दी कि आज पोलिंग शुरु नही होनी चाहिये तीन दिनों के बाद चण्डीगढ़ से वोट छप कर आएंगे तब उन गौवों में चुनाव होगा। चण्डीगढ़ से वोट छपकर आए, तब उन गांवों में दोबारा चुनाव हुआ। आप जानते हैं कि मेरी घर वाली 10 हजार वोटों से जीत कर आई। यह तो है पोलिटिकल बात। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने बोलते हुए गांव की बात भी कही। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं, प्रदेश की जनता जानती है और ये सारे अपोजीशन के भाई भी भली भांति जानते हैं कि दोबारा कमीशन के बगैर चण्डीगढ़ के बदले में गांव कहां मिल सकते थे? वे गांव तब मिल सकते थे जब दोबारा कमीशन बैठता और वह कमीशन यह देखता कि हिन्दी भाषी व पंजाबी भाषी गांव कौन–कौन से हैं? जब दूसरा कमीशन तय करता तो उसी बिनाह पर वे गांव हरियाणा को मिलते। तब जाकर उनकी ट्रांसफर होती। केवल इनके कहने से काम नहीं चलता। बात वह कहनी चाहिये जिसमें कुछ वजन हो। इस तरह से जोर शोर से बोलने से काम नहीं चलता। बंसी लाल जी ने जो गांव मांगे थे, वे चण्डीगढ़ के बदले में ही मांगे थे। आपने इस तरह की

बातें करके हमारा केस इस कदर कमजोर कर दिया कि आज हमारे लिये लड़ना मुश्किल हो रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, यह बात बिल्कुल निराधार हे। मैंने फाजिल्का अबोहर के बदले में चण्डीगढ देना माना था। फाजिल्का अबोहर तो मैं लाया था। (विघ्न) जिस तरह से चौधरी भजन लाल जी को पत्नी इलैक्शन जीत कर आई, वह मैं यहां हाउस में बताकर हाउस की गरिमा को नीचा नहीं करना चाहता। मैं आपके चौम्बर में इनके सामने आपको बता दूंगा कि इनकी धर्मपत्नी कैसे जीत कर आई? (शोर एवं व्यवधान)

आवाजेंः इनको यहां पर ही बताना चाहिये। (शोर)

चौधरी भजन लालः यहीं बताओ, यहीं। कैसे जीत कर आई। यहां पर बताओ। (शोर)स्पीकर साहब, ये हाउस में ही बताएं कि वह कैसे जीत कर आई। बंसी लाल जी मेरी घरवाली 10 हजार के मार्जिन से जीत कर आई थी। आप यहां पर क्यों नहीं बताते कि वह कैसे जीत कर आई? (शोर)

श्री बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, मैं यहां बताकर हाउस की गरिमा को नीचा नहीं करना चाहता। मैं इनके सामने आपके चौम्बर में बताऊंगा कि इनकी धर्मपत्नी कैसे जीत कर आई? (शोर)

चौधरी भजन लालः यहीं बताओ, हम जवाब दे देंगे यहीं पर कि वह कैसे जीत कर आई? बोल तो ऐसे रहे हैं कि जैसे किसी ने उसे नौमीनेट करके भेजा हो।

श्रम तथा रोजगार राज्य मन्त्री (चौधरी कृष्णमूर्ति हुड्डा): अध्यक्ष महोदय, चौधरी बंसी लाल ने हमारे परिवारों के बारे में भी बहत सारी बातें कहीं हैं। वे अपने परिवार के बारे में जरा यहां हाउस मे बता दें कि आपका परिवार दिल्ली में क्या करता है? आपके परिवार की रोज अखबारों में और रेडियो में काफी चर्चा है। क्या आप इस बारे में सदन में रोशनी डालेंगे। यूंही दूसरों के परिवारों के०पर इलजाम लगाने का क्या मतलब है? (शोर)

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब आप बैठिए।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव–

(1)हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा ली गई परीक्षाओं के प्रश्न पतों के लोक होने संबंधी

Mr. Speaker : Hon'ble members I have received a notice of calling attention motion No, 23 from Shri Kitab Singh Malik, MLA regarding leakage of question papers of the examinations conducted by the Haryana School Education Board , I admit it. Shri Kitab Singh Malik may read his motion, and the Education Minister may m ake a statement thereafter.

श्री किताब सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन का ध्यान लोक महत्व के एक महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि सारे राज्य में हरियाणा शिक्षा बोर्ड 10 +2 तथा दसवी की परीक्षाओं में प्रश्न–पत्रों के लोक होने तथा सामूहिक नकल किए जाने की प्राधिकृत रिपोर्ट मिल रही है। बोर्ड के निरीक्षक अमले तथा जिला प्रशासन ने बोर्ड के चेयरमैन का प्रश्न पत्रों के लीक होने के तथ्यों से अवगत कराया परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि मामले. को दबा दिया गया है। 2 मार्च को बोर्ड के निरीक्षक अमले ने 10 + 2 के राजनीतिक विज्ञान के पेपर के लीक होने संबंधी रिपोर्ट की थी लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। सफीदों में गणित का पेपर लीक होने बारे एफ० आई० आर० दर्ज करवाई गई थी। उपायुक्त हिसार ने भी कई पेपरों के लीक होने बारे रिपोर्ट की थी। लगभग सभी कस्बों व शहरों में दसवीं तथा 10+2 के हल किए पेपरों की फोटोस्टेट प्रतियां सरेआम बेची गई। राज्य भर में नकल करवाने की प्रतियोगिता के दृश्य देखे गए। ऐसा कहा जाता है कि चेयरमैन तथा वाइस चेयरमैन पेपर लीक होने की सारी धोखाधडी (रैकेट)में अन्तग्रस्त हैं। निर्दोष तथा होनहार विद्यार्थियों का भविष्य बिगाड़ दिया है। 22 मार्च, 1992 के दैनिक ट्रिब्यून में माननीय शिक्षा मन्त्री, हरियाणा का एक वक्तव्य छपा है कि पेपरों के लीक होने तथा सामूहिक नकल के बारे में उच्च स्तरीय जांच करवाई जाएगी। बोर्ड चेयर– मैन की एक पारिवारिक फर्म में बदल गया तथा लोगों का इससे विश्वास उठ गया है। शिक्षा मन्डी महोदया से कहा जाए कि वह इस मामले में

की गई या की जाने वाली कार्यवाही के तथ्यों सहित सदन में एक वक्तव्य दें।

वाक आउट

श्रीमती चन्द्रावतीः अध्यक्ष महोदय, सब से पहले इसी विषय पर मैंने भी एक कालिंग अटैन्शन मोशन का नोटिस दिया था। उसका क्या बना?

श्री अध्यक्षः आपका मास कौपिंग के बारे में था और यह दूसरा है। आपका मोशन हालांकि रिजैक्ट हो गया है फिर भी आप इस पर सप्लीमैंटरी पूछ लेना।

श्रीमती चन्द्रावतीः स्पीकर साहब, यह पक्षपात की बात है। आपने मेरे मोशन को रिजैक्ट कर दिया और इसको ऐडमिट कर दिया इसलिये मैं इसके विरोध में वाक आउट करती हूं।

श्री अध्यक्षः पक्षपात की कोई बात नहीं है? (शोर एवं व्यवधान)आपका मोशन रिजैक्ट होने के बावजूद भी आपको सप्लीमैंटरी पूछने का मौका दिया जाएगा।

(इस समय श्रीमती चन्द्रावती सदन से वाकआउट कर गई)

वक्तव्य–

शिक्षा मन्त्री दारा उपर्युक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी

श्री अध्यक्षः ऐजुकेशन मिनिस्टर साहिबा।

शिक्षा मन्त्री (श्रीमती शान्ति देवी राठी): अध्यक्ष महोदय, श्री किताब सिंह मलिक, विधायक ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नं० 23 में सम्मानित सदन का 10 + 2 तथा मैट्रिक की परीक्षाओं में नकल के बारे में ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने इस प्रस्ताव में कहा है कि सारे राज्य में सामूहिक नकल तथा प्रश्न पत्रों की समय से पूर्व प्रकट होने की पुष्टि कारक रिपोर्ट मिली है और जिला प्रशासन तथा बोर्ड द्वारा नियुक्त निरीक्षण स्टाफ द्वारा इस आशय की सूचना बोर्ड के अध्यक्ष को भेजी है परन्तु इस मामले पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। उन्होंने यह भी कहा है कि सभी नगरों में मैट्रिक तथा + 2 श्रेणियों के हल शुदा पत खुले तौर पर बिक रहे हैं और सारे राज्य में नकल का दौर दौरा है। उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया है कि इस सारे मामले में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की मिली भगत है और इस तरह से मासूम और प्रतिभाशाली छात्रों का भविष्य अन्धकारमय हो गया हे। उन्होंने चाहा है कि इस बारे शिक्षा मन्त्री महोदया माननीय सदन को वास्तविक स्थिति से अवगत करवाएं और यह भी बताएं कि इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है और क्या कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है।

इस सम्बन्ध में यह व्यक्त किया जाता है कि विभिन्न सार्वजनिक परीक्षाओं की परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों की संख्या निरन्तर बढ़ रही है जैसाकि तालिका से स्पष्ट है:—

तालिका

वर्गवार परीक्षार्थियों की संख्या–

परीक्षा का नाम	1989	1990	1991	1992
1	2	3	4	5
मिडल	2,10,636	2,28,261	2,44,304	2,58,174
मैट्रिक	1,66,750	2,09,777	1,68,182	2,02,000
सीनियर सैकेंडरी	61,207	55,650	62,078	1,15,000
कुल योग	4,38,593	4,93,688	4,74,564	5,75,174

इस विवरण से स्पष्ट है कि इन परीक्षाओं में परीक्षार्थियों की संख्या निरन्तर बढ़ रही है और इसी कारण से बोर्ड का यह उत्तरदायित्व रहा है कि परीक्षार्थियों की बढ़ती हुई संख्या से निपटने के लिये परीक्षाओं को सुचारु रुप से चलाने के लिये कुछ संयोग्य कदम उठाए जाएं। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष विभिन्न परीक्षाओं के लिए कुछ अधिक संख्या में परीक्षा केन्द्र बनाए गए जिन का विवरण इस प्रकार से है:–

परीक्षा केन्द्रों की संख्या

1.	सीनियर	524
2	मैट्रिक	1218
3	मिडल	1450

इन केन्द्रों पर ठीक ढंग से परीक्षाएं चलाने के लिये, उड़न दस्तों तथा बदनाम केन्द्रों पर विशेष निरीक्षकों की नियुक्तियां भी की गई हैं। बोर्ड ने परीक्षा केन्द्रों के निरीक्षण के लिये और इन में चलने वाली परीक्षाओं के लिये विशेष मापदण्ड निर्धारित किये हुए हैं और सैन्टर को कार्यान्वित करने के लिये उनका ध्यान रखा जाता है। एक सैन्टर में कम से कम 75 परीक्षार्थी होने आवश्यक हैं और प्रत्येक 3० परीक्षार्थियों पर एक सुपरवाईजर लगाया जाता बोर्ड द्वारा ये परीक्षाएं फरवरी/मार्च मास में आरम्भ की गई थीं और परीक्षाएं शुरू करने से पहले नकल की प्रवृति को रोकने के लिये कुछ विशेष कदम उठाए गये थे:—

1. प्रश्न पत्रों को चार वर्गों में बांट कर चार विभिन्न कोड नम्बर लगाए गये हैं। इन सभी प्रश्न पत्रों में प्रश्न तो एक समान है परन्तु प्रश्नों का क्रम हर प्रश्न पत्र में अलग अलग है। केन्द्र अधीक्षकों को अलग से निर्देश दिये गये हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि किसी विशेष परीक्षार्थी का कोड नम्बर उसकी उतर पुस्तिका मे भी उचित स्थान पर अंकित किया जाए। इस्के साथ ही मुख्य परीक्षकों तथा परीक्षकों को भी निर्देश दिये गये है

कि यदि कोई परीक्षार्थी अपने कोड नं० के प्रश्न पत्रों की क्रम संख्या को ठीक से नही लिखते है तो उसके उत्तर को न आका जातु। ऐसी दशा में बच्चों को नकल से निरुत्साहित करने का प्रयत्न किया जाता है।

2 बोर्ड द्वारा हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव, गृह सचिव, शिक्षा विभाग के आयुक्त, निदेशक उच्चतर शिक्षा, निदेशक विद्यालय शिक्षा, सभी जिलों के उपायुक्तों तथा जिला शिक्षा अधिकारियों को अर्ध सरकारी पत्र के माध्यम से परीक्षाओं को सुचारु रूप से चलाने एवं पूरा सहयोग देने के लिये आग्रह किया गया है। पुलिस महानिदेशक तथा सभी जिलों में नियुक्त प्रवर पुलिस अधीक्षकों को भी इसी प्रकार का अर्ध सरकारी पत्र लिखा गया है।

3 सभी जिलों के उपायुक्तों को विशेष अनुरोध किया गया है कि वे अपने अपने जिलों में एक विशेष उड़न दस्ता गठित करें जिस में निम्नलिखित अधिकारियों को नियुक्त करें:—

1. एच० सी० एस० अधिकारी।

2 उपपुलिस अधीक्षक स्तर का एक अधिकारी।

3. जिले में स्थापित व० मा० वि० के प्राचार्य एवं मु० अ०।

4 जिले में स्थापित महाविद्यालयों का एक प्राचार्य।

(उन में एक महिला अधिकारी का होना आवश्यक है।)

4 इस वर्ष इस बात की विशेष व्यवस्था की गई है कि परीक्षा केन्द्र के सभी कमरों में पानी की समुचित व्यवस्था की जाए जिससे वहां नियुक्त वाटरमैन बाहर ना जा सके जिससे नकल की प्रवृति में ना बने।

5 इस वर्ष नियुक्त किये गये केन्द्र अधीक्षक को दी गई पहली सूचना मे कोई केन्द्र का नाम नही बताया गया है 1 उसे विशेष केन्द्र की नियुक्ति का आभास तभी मिलता है जब वह अपने केन्द्र से संबंधित प्रश्न पतों को रोने के लिये जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में जाता है। इससे भी नकल प्रवृति को रोकने में सहायता मिलती है।

6 बोर्ड द्वारा समाचार पत्रों में परीक्षाओं को सुचारु रूप से चलाने के लिये तथा नकल की प्रवृति के उन्मूलन के लिये एक अपील भी की गई थी।

श्रीमती चन्द्रावतीः स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट औफ आर्डर है। स्पीकर साहब, शिक्षा मंत्री महोदया जो स्टेटमैंट पढ़ रही हैं उसको हम नही मानते। हम तो यह समझते हैं कि इन्होंने नक्ल करने का इंतजाम किया हुआ है नक्ल रोकने का इंतजाम नही किया है। शिक्षा बोर्ड का जो चेयरमैन बना रखा है उसने नक्ल करवाने के लिए खुली रिश्वत ली है। उसने नक्ल करने का बहुत

अच्छा इंतजाम किया हुआ है। इम्तिहानो मे बच्चो को नक्ल करने के लिए किताबे फाड़ फाड़ कर दी गई।

श्री अध्यक्षः चन्द्रावती जी, यह कोई प्वायंट औफ आर्डर नही है। यह तो आप सप्लीमैंटरी पूछ रही है।

श्रीमती चन्द्रावतीः स्पीकर साहब, शिक्षा मती जी जो कुछ पढ़ रही हैं वह गलत बयानी कर रही हैं। शिक्षा मंत्री होते हुए ये यहां हाउस में गलत बयानी कर रही हैं। शिक्षा बोर्ड ने बच्चों के कैरियर खराब करने का ठेका ले रखा है। इसलिए शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन और अधिकारियों को सजा मिलनी चाहिए ताकि इस तरह का काम न हो।

Public Health Minister (Chaudhri Jagdish Nehra) : Is it a point of order, Sir ?

Mr. Speaker : This 's no point of order but these are her feeling,. Chandrawati ji, please take your seat now.

श्रीमती शान्ति देवी राठीः स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा माननीय सदस्या सै अनुरोध करूंगी कि वे मेरी बात सुनने के लिए पेशैस रखे। इस बारे में भी इसके अन्दर आगे वह वात आ जाएगी, आप कृपा करके सुनती रहें। मेरी स्टेटमेंट के बाद आप सप्लीमैंटरी पूछें।

स्पीकर साहब, यह ठीक है कि बोर्ड के नोटिस में इस वर्ष विभिन्न केन्द्रों के परीक्षा संचालन में गड़बड़ी' के समाचार

तथा रिपोर्ट प्राप्त हुई है। ऐसे मामलों मे उत्तर–पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने वाले मुख्य परीक्षकों से नकल के बारे मे एक विशेष रिपोर्ट देने के आदेश दिये हैं। इससे सही स्थिति ज्ञात हो सकेगी और आगे नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी। बोर्ड द्वारा ऐसी भी व्यवस्था की गई है कि यदि किसी विशेष परीक्षा केन्द्र पर कार्य करने वाले के विरुद्ध जैसे ही कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उड़न दस्तों के माध्यम से या अन्य विशेष दल भेज कर तुरन्त उपचार करने का प्रयत्न किया जाता है जिस में तत्काल प्रभाव मे किसी विशेष व्यक्ति की डियूटी बदलने की कार्यवाही भी शामिल है। हाल ही में एक परीक्षा सुधार समिति का गठन किया गया है जो इस वर्ष हुई परीक्षा के आधार पर अपनी बैठक में विवेचना करेगी और अपनी सिफारिशें देगी। इस प्रकार की व्यवस्था की जाएगी कि अगले वर्ष नकल प्रवृति का उन्मूलन हो सके।

स्पीकर साहब, इन सभी उपायों के बाद भी सरकार के नोटिस में यह आया है कि अनेक स्थानों पर +2 तथा मैट्रिक की परीक्षा में नकल हुई है और कहीं–कहीं प्रश्न पत्रों को भी समय से पूर्व प्रकट किया गया है। इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की गई है और यह बताया गया है कि जहां जहां नकल तथा प्रश्न पलों की समय से पूर्व लिकेज होने के समाचार मिले हैं, वहां जिला प्रशासन के संबंधित अधिकारियों को सूचित किया गया है और इस कुरीति का दमन करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की गई है। उसकी सूचना प्राप्त करने में कुछ समय लगने की

सम्भावना है और उन रिपोर्टों के आधार पर ही इस बारे में कुछ कार्यवाही की जा सकेगी।

श्री किताब सिंहः अध्यक्ष महोदय, कल के अखबार में मंत्री महोदय का ब्यान आया है कि ज्यों ही नकल होने का समाचार नोटिस में आया तो उस बारे में उन्होंने बोर्ड के चेयरमैन के साथ बातचीत की। मुझे पता चला है कि सोनीपत में कल भी पेपर लीक हुए हैं और ये पेपर, पेपर होने से 10 घंटे पहले लीक हुए है। 20— 25

आदमियों ने मिल कर यह काम किया है। वहा पर एक एक पेपर एक एक हजार रुपये मे बिका है। दूसरे करनाल में एक डी० ए० वी० कन्द पाठशाला है। वहां पर जो मि० जिन्दल अधीक्षक थे उनको परी क्षा के दौरान ही हटा दिया गया क्योंकि बोर्ड के जो वाईस चेयरमैन हैं उन्होंने उनकी दो लड़कियों को नकल करवाने के लिए कहा था। वे इन्कार कर गए इसलिए उनको हटा दिया गय। मैं इनके नोटिस में यह भी लाना चाहूंगा कि एक स्कूल ऐसा भी है जहां पर केन्द्र तो बना दिया गया लेकिन स्टाफ नहीं भेजा गया। इसी प्रकार से जीन्द में नरवाना रोड पर एक स्कूल है। वहां का हैडमास्टर जे० बी० टी० है। उस के अन्दर 230 के आसपास स्टुडैटस हैं और वह 250 गज का ही प्लाट है। मैं मैली जी को बताना चाहता हूं कि वह हैडमास्टर कलां गांव में एक कत्ल के केस में शामिल है? क्या यह बात मती जी के नोटिस में

है? स्पीकर साहब, वहां पर परीक्षा केन्द्र है और वह स्कूल मान्यता प्राप्त है।

श्रीमती शान्ति देवी राठीः अध्यक्ष महोदय, इन्होंने एक साथ कई मुद्दे उठाये हैं। एक तो इन्होंने यह कहा कि नकल बहुत ज्यादा हुई है और दूसरी बात इन्होंने बोर्ड के उपाध्यक्ष के बारे में कही है। जहा तक सोनीपत में नकल होने की बात है इस बारे में मैंने अपनी स्टेटमैंट में भी स्वीकारा है कि इस बार नकल हुई है और यह भी स्वीकारा है कि हमारे एजूकेशन बोर्ड की तरफ से लापरवाही हुई है और इसमें सच्चाई भी है। मैं सोनीपत के बारे में बताना चाहती हूं कि जैसे ही मुझे सूचना मिली मैंने तुरन्त बोर्ड के चेयरमैन से इस बारे में बातचीत की। इस बारे में उन्होंने बताया कि इस प्रकार की बात गलत इंतजाम के कारण हो गई है। जहां तक अखबार की बात है, शायद माननीय सदस्य ने पूरा अखबार पढ़ा नही है। मैंने यह कहा है कि इसमें जो भी दोषी पाएं जाएंगे, चाहे वह छोटा अधिकारी हो और चाहे कोई बड़ा अधिकारी हो, उसको सजा दी जाएगी लेकिन तथ्यों के आधार पर। तथ्य हम देख रहे हैं। जो कोई दोषी होगा और उसका सबूत मिलेगा तो सजा मिलेगी। (विघ्न) अमर सिंह जी चिन्ता मत कीजिए कोई भी संकोच की बात नहीं है हम ऐक्शन जरूर लेंगे।

श्री किताब सिंहः स्पीकर सर, मन्त्री जी ने कहा है कि शायद माननीय सदस्य ने पूरा अखबार नहीं पढ़ा। इन्होंने अखबार में जो ब्यान दिया है वह मैंने पूरा पढ़ा है। लेकिन जो मैंने

सप्लीमैंटरी पूछी थी उसका जवाब मन्त्री जी ने दिया ही नहीं। मेरे सवाल का जवाब नहीं आया है। जीन्द में एक स्कूल है जिसका नाम भी मैंने इन्हें बताया था। उस हाई स्कूल में एक जे० बी० टी० टीचर हैडमास्टर है। (विघ्न) 230 स्टुडैट्स का वहां पर ऐग्जाम हुआ और वहां सिर्फ 250 गज सारी जगह है। वहां पर सामूहिक नकल हुई है।

श्रीमती शान्ति देवी राठीः आप मुझे लिख कर दे दीजिए, इस के बारे में हम जांच करवा लेंगे।

(2)शाहबाद चीनी मिल द्वारा शाहबाद के किसानों का गन्ना न उठाने बारे उनमें व्याप्त भारी रोष सम्बन्धी

Mr. Speaker : Hon'ble members, I have received a notice of calling attention motion No, 25 from Sarvshii Sampat Singh, Bharath Singh, Krishan Lal, Ram Kumar Katwal and Ramesh Kumar, M.L.As. regarding great resentment prevailing amongst the farmers of Shahabad about non-lifting of their sugaroane on the Shahabad Sugar Mills. I admit it, Prof. Sampat Singh may read his motion.

(The motion was not read out as Prof. Sampat Singh and other members who had given notioe were not present in the House,)

(3)सहकारी चीनी मिल पलवल (फरीदाबाद)द्वारा जिला फरीदाबाद का गन्ना न उठाने सम्बन्धी

श्री कर्ण सिंह दलालः स्पीकर साहब, पलवल शूगर मिल के बारे में मेरा एक कालिंग अटैंशन मोशन था, उसका क्या हुआ?

श्री अध्यक्षः आपकी कालिंग अटैशन मोशन सरकार को कमैंट्स के लिए भेजी हुई है।

चौधरी वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर सर, सम्पत सिंह जी यहां पर नहीं हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इसको जीन्द और मेहम की शुगर मिल के लिए कन्वर्ट कर लें। सम्पत सिंह जी नहीं हैं लेकिन मेहम और जीन्द के लिए मैं खड़ा हूं। इन शूगर मिलों द्वारा गन्ना नहीं लिया जा रहा है। एक–एक महीने से किसानों को गन्ने की पर्चियां नहीं मिल रही हैं। बौंडिड शूगर केन किसानों के खेतों में खड़ा सड़ रहा है। मैं आपसे रिक्वैस्ट करूंगा कि इसको ऐडमिट करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्षः आप कृपया बैठिए।

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि पूरे जिला फरीदाबाद में एक ही को–आप्रेटिव शूगर मिल है। मेरे दो विधायक साथी यहां पर बैठे हुए हैं जो कि कांग्रेस से सम्बन्ध रखते हैं, आप चाहे तो उनसे पूछ सकते हैं। राजेन्द्र सिंह बिसला जी हमारे जिले के सबसे बड़े गन्ना उत्पादक हैं, उनसे भी पूछ सकते हैं कि उनका कितना ईख खेतों में खड़ा हे। जिले का एक एक किसान पर्चियों के लिए तरसता है। अध्यक्ष महोदय, नौबत यहां तक आ

गई है कि किसानों को अपने खेत मे खड़े–खड़े गन्ने को जलाना पडेगा। एम० डी० के पास जा कर अगर प्रदर्शन करते हैं या कोई किसान बात करने जाता है तौ बदतमीजी के साथ उन्हें जवाब दिए जाते हैं। मैंने इस मामले को ग्रिवैन्सिज कमेटी के सामने भी उठाया है और वहां पर भी प्रदर्शन किया। अगले दिन जब किसान गन्ना ले कर गए तो एम० डी० ने किसानों को ये शब्द कहे कि यह गन्ना कर्ण सिंह एम० एल० ए० के घर पर डाल दो मैं इसे नहीं लूना। (विघ्न) मैं कोई गलत बात नही कह रहा हू। अधयक्ष महोदय, यह कोई पार्टी का सवाल नही है बल्कि यह किसानों के भविष्य का सवाल है। जिला फरीदाबाद में एक ही शूगर मिल है और उसको इस तरीके से खत्म किया जा रहा है कि किसान वहां पर गन्ना नहीं बोयेंगे और जो गन्ना खड़ा है उसको जलाना पड़ेगा। सरकार इस बारे में उचित कार्यवाही करे और हाऊस में भी अभी स्थिति स्पष्ट करे।

वक्तव्य–

मुख्य मन्त्री द्वारा उपर्युक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव क्र० सं० (2)एवं (3)संबंधी

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से मैं इस सम्बन्ध में थोड़ा अर्ज करना चाहता हूं। शूगर मिल के बारे में माननीय सदस्य ने खदशा जाहिर किया है कि गन्ना खडा है शूगर मित्र उसको नही लै रहा है, गन्ना सड़ रहा

है, लोग गन्ना नही बोएंगे और बुरा हाल हो जाएगा। स्पीकर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है कि गन्ने को जलाना पड़ेगा। जलाने वाली बात पर मुझे एक पुरानी बात याद आ गई। जब चौधरी चरण सिंह जी इस देश के कृषि मन्त्री थे तो किसान उनके पास गए थे और उन्हें गन्ने की समस्या बताई थी। उन्होंने कहा था कि गन्ना मेरे सिर पर रख दो या इस को आग लगा दो। हम ऐसा नही कहते। (शोर एवं विघ्न)आप सुनने की कृपा करें मैं तब वहां नही था। तब देवी लाल जी मुख्य मली थे और चौधरी चरण सिंह जी वहां थे। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी वीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, हम दोनों साथ बैठते थे और ये उस वक्त कोआपरेशन मिनिस्टर थे। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय इतनी बात मैं कह सकता हूं कि तीन मिलें हैं जो कि हमने इम साल भूना, मेहम और कैथल में चालू की हैं। जब भी नई मिलें चालू होती हे तो उनमें थोड़ा बहुत नुक्स रह जाता है और नुक्स होने की वजह से उनमे थोड़ी बहुत दिक्कत आई होगी। परन्तु हमने बाकायदा वार्फुटिंग पर काम करके उनके नुकस को ठीक करवाया और उन मिलों को दोबारा से चलवाया। दूसरे हम किसानों का सारा गन्ना पेलेगे। अध्यक्ष महोदय, जितना भाव किसान को गन्ने का हरियाणा में दिया है देश में कहीं और उतना ज्यादा भाव नहीं है। सबसे ज्यादा गन्ने का भाव हरियाणा में हमने दिया है। अध्यक्ष महोदय,

चाहे पलवल की बात हो चाहे और किसी दूसरी जगह की हो, जो भी गन्ना बाउन्ड हो रहा है वह सारा गन्ना लिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, ये कह रहे थे कि कुछ किसान एम० डी० के पास गए थे, और इनको यह कहा गया कि दलाल साहब के घर पर गन्ना डाल दो, हम तो आपका गन्ना नही लेते। अध्यक्ष महोदय, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। ऐसा तभी कहा जा सकता है जब उनका गन्ना बाउन्ड न किया गया हो। बिना बाउन्डिग का गन्ना मिल वाले तभी लेते हैं जब मिल वालों के पास गन्ना न हो। अध्यक्ष महोदय, जितना भी किसानों का गन्ना बाउन्ड किया हुआ है वह सारा गन्ना हम लेंगे। हम किसानों के साथ ज्यादती नहीं होने देंगे। हरियाणा पहला प्रदेश है जो किसानों का सारा गन्ना लेता है और पन्द्रहवें दिन पेमैंट करता है। आप उत्तर– प्रदेश में जाकर देखें कि दो–दो साल तक किसानों की पेमैंट नहीं होती। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायन्ट आफ आर्डर है। मैं मुख्य– मंत्री जी को एक बात बताना चाहता हूं और यह रिकार्ड की बात है। अगर ये चाहे तो पता भी कर लें। हमारे पलवल मे शूगर मिल लगी उसको मौडेनाइज करने और उसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए डेढ़ करोड़ रुपया खर्च किया गया है। अध्यक्ष महोदय, गन्ना मिल को मोडेरनाइज करने से पहले वहां पर जितना गन्ना पिल चुका था वह मौड्रेनाइज करने के बाद आज तक नहीं पेला है। अध्यक्ष महोदय, जो मशीन वहां खरीदी गई है वह घटिया खरीदी गई है। जो चौन गन्ने को खीच कर ले जाती

है वह पुरानी ही लगा दी गई है। मैं आपके माध्यम से मुख्य मती जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि उसको ठीक कराया जाए। मुख्य मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया है वह बहुत ही अच्छा है और किसानों के हित की बात है। अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी एक और आश्वासन गन्ने की जल्दी खरीद के बारे में दें क्योंकि अगर मिल मई के बाद गन्ना लेगी तो तब तक किसानों के खेतों में सूखा पड़ जाएगा। इसके अलावा किसानों के दूसरे काम शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ सरकार को किसानों को बोनस देना चाहिए और जिन शूगर मिलों में घटिया मशीनें खरीदी गई हैं जैसे कि हमारे पलवल में है उनको भी चेंज करें।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, पहली गवर्नमैंट ने मशीनें ली हैं, हमने तो कोई मशीन नहीं ली है।

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, ये इस बात की जांच करा लें। इनके मुख्य मंत्री बनने के बाद पलवल में अभी 6 महीने में मशीनें खरीदी गई हैं।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसलाः अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में यह बात कहना चाहता हूं कि हमारे फरीदाबाद जिले में काफी लम्बे समय से यह मांग चली आ रही है कि हमें शूगर मिल मिले। मुझे बड़ी खुशी है कि मुख्यमंत्री जी ने हमें पलवल की शूगर मिल दी। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पिछले चार साल में उस मिल की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए उसमें कोई सही इन्तजाम नही

किया गय। है। यह बात सही है कि पलवल शूगर मिल की जितनी भी बाउन्डिग है, जितना भी गन्ना वहां पर है इस बार वह काफी बचा हुआ है। मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि शूगर मिल के मैनेजमैंट में इम्प्रूवमैंट की गुजाईश है। कृपया उस ओर ध्यान दिया जाए। लेकिन मैं दलाल साहब से भी कहूंगा कि कमी कमी ऐडमिनिस्ट्रेशन की भी मजबूरियां होती है, टैक्नीकल कमियां होती हैं। तो ऐसा मुद्दा पोलिटीकलाईज नही करना चाहिए। धन्यवाद।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, अभी विसला जी ने कहा है कि बाउन्डिड गन्ना चूंकि ज्यादा है, इसलिए शायद समय पर गन्ना पिल जायेगा या नही पिल जायेगा इसमें उन्हें शक है। हमारी पूरी कोशिश होगी कि पूरा गन्ना पिले लेकिन हो सकता है कि किसी तकनीकी वजह से इसमें कुछ देरी हो जाये। वैसे हमारी पूरी कोशिश है कि किसी भी तकनीकी वजह से गन्ना पिलने से न रह जाये। जहां तक मशीनें ठीक न होने का सवाल है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये मशीनें हमसे पहले ही खरीदी हुई हैं। लेकिन गन्ना हम फिर भी हर हालत में पेलेंगे। किसानों के गन्ने को हम खराब नहीं होने देंगे।

(इस समय कई सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए।)

(4)हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड के परीक्षा केन्द्रों में नकल करने सम्बन्धी

श्री अध्यक्षः अमर सिंह जी, आप अपनी कालिंग अटेंशन मोशन का नम्बर बताये तथा यह भी बतायें कि उसका क्या सबजैक्ट हे?

श्री अमर सिंहः अध्यक्ष महोदय, मेरा कालिंग अटेंशन मोशन नकल होने से संबंधित है।

श्रीमती चन्द्रावतीः अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपसे इस बात की रूलिंग चाहती हूं कि सिमिलर विषय पर कालिंग अटैशन मोशन होने के बावजूद आपने एक मोशन को तो निरस्त कर दिया और दूसरे मोशन को मंजूर कर लिया। ऐसा क्यों हुआ? में इस बात की आपसे रूलिंग चाहती हूं।

श्री अध्यक्षः चन्द्रावती जी, आपका कालिंग अटैशन मोशन मास कोपिंग के बारे में था जबकि किताब सिंह जी का मोशन पेपर्ज के लिकेज के बारे में था।

श्री अमर सिंहः अध्यक्ष महोदय, मेरे कालिंग अटैशन मोशन का क्या फेट है?

Mr. Speaker : Your calling attention motion No. 19, given alongwith Prof. Chhattar Singh Chauhan, regarding copying in examination centres of Haryana School Eduoation Board has been disallowed on the following grounds :—

(i) that the calling attention motion is not of urgent nature; and

(ii) that the member may raise the matter at the time of discussion on the appropriation Bill.

श्री अमर सिंहः अध्यक्ष महोदय परीक्षाओं में इतनी नकल हुई है कि इस बात को शिक्षा मंत्री ने भी माना है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस तरह से बच्चों का भविष्य बहुत खराब हो रहा है। (शोर)

श्री अध्यक्षः किताब सिंह का कालिंग अटेंशन मोशन तो लिकेज औफ पेपर के बारे में था।

श्री अमर सिंहः अध्यक्ष महोदय, मेरे कालिंग अटेंशन मोशन को भी ऐडमिट कर लीजिए। (शोर)यह बहुत इम्पोर्टेन्ट है।

श्री अध्यक्षः मैं इसके बारे में पहले ही रूलिंग दे चुका हूं। यह मैंने डिसअलाउ कर दिया है। आप कृपया बैठिये।

(5)राज्य में राशन डिपुओं पर आवश्यक वस्तुओं की कमी सम्बन्धी

प्रो० राम बिलास शर्माः स्पीकर सर, मेरा एक कालिंग अटैशन मोशन मेवात के बारे में था, वह तो आपने डिसअलाऊ कर दिया। इसके अलावा मेरा एक दूसरा कालिंग अटैशन मोशन यह था कि हरियाणा के गांवों में राशन का गेहूं नही मिल रहा है और इस समय किसान के घर मैं गेहूं खत्म हो जाता है, हरिजन के पास गेहूं खत्म हो जाता है। आज किसान को गेहूं, मोटा कपड़ा, मिट्टी का तेल आदि सामान राशन की दुकान से नहीं मिल रहे हैं

वहां यह सामान ब्लैक मे बिक रहा है इसलिए इस कालिंग अटैंशन मोशन के बारे में आप बताये।

Mr. Speaker : Hon'ble members, I have disallowed this motion. The member couid raise the matter at the earliest opportunity and even now can raise this matter at the time of participation in the discussion on Appropriation Bill,

प्रो० राम बिलास शर्मा: अध्यक्ष महोदय, हम तीन दिन से लगातार इस बात को कह रहे हैं। हम आपके वायदे पर निर्भर है। हमने तो आपकी बात मान ली है आप हमारी बात मान लीजिए और इसको ऐडमिट कर लीजिए।

वक्तव्य–

खाद्य तथा पूर्ति मन्त्री द्वारा उपर्युक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव क्र०सं० (5)सम्बन्धी

खाद्य तथा पूर्ति मन्त्री (श्री महेन्द्र प्रताप सिंह): स्पीकर साहब आपने राम बिलास जी का मोशन तो बेशक डिस–अलाऊ कर दिया है लेकिन मैं थोड़ी सी बात हाउस की जानकारी के लिये बताना चाहता हू। अगर आप इसकी इजाजत दे दें तो अच्छा रहेगा।

प्रो० राम बिलास शर्मा: फिर तो स्पीकर साहब, आप मेरा मोशन ऐडमिट कर लें।

श्री अध्यक्षः नही, आपकी मोशन के बारे में तो बात हो गयी है।

प्रो० राम बिलास शर्माः मंत्री जी तो तैयार होकर आये हैं।

Mr. Speaker : The Minister can make a statement.

प्रो० राम बिलास शर्माः पहले आप मुझे अपना मोशन पढ़ लेने दें।

श्री अध्यक्षः आपको अपना मोशन पढ्ने की जरूरत नही है। आपकी सारी बात आ गयी है।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंहः मैं आपकी इजाजत से दो मिनट में ही अपनी बात कहना चाहता हूं। वैसे तो अध्यक्ष महोदय, यह इनका कसूर नही है। उन बैचों पर बैठने वालों को करन्ट सा लगता ही है। जब ये इधर नही होते तो इनको ऐसा करने की आदत ही होती है। जहां तक व्यवस्था का सवाल है, यह व्यवस्था पिछले काफी सालों से खराब हो रही थी। इतनी खराब हो गयी थी कि इसमें काफी सुधार की जरूरत थी। कुछ व्यवस्था में भी कमियां हैं। इस बात से भी इन्कार नही किया जा सकता लेकिन हमने इस व्यवस्था को सुधारने की काफी कोशिश की है। पिछले सालों में चीनी महीने के आखिरी दिनों में डिपोज पर आती थी। महीना खत्म होने पर कन्ज्यूमर को डिपू होल्डर कह देते थे कि राशन खत्म हो गया है। जिस वजह मे तकरीबन सारी की सारी

चीनी ब्लैक में चली जाती थी। इस सरकार के आने के बाद हम कम से कम 70–80 फीसदी चीनी 15 तारीख तक कन्जयूमर्ज तक पहुंचाते हैं। इस बारे मे हमने हर जिले में जाकर डिपो–होल्डर्ज की और कन्जयूमर्ज की मीटिग्ज भी की हैं और इस मामले में काफी सुधार हुआ है। इसमें कोई दो राय नही हैं। जहां तक इस बात का ताल्लुक है इसमें कमियां क्या और क्यों हैं, वह इसलिये है कि इसमें मार्जिन कम है। एक तो मार्जिन औफ प्रौफिट कम मिलता है दूसरे उनके पास। पैसे की कमी भी है जिसकी वजह से वे लोग सामान टाईम पर नही उठा पाते। इस समय जनती भी यह मानती है कि पहले के मुकाबले में पी० डी० एस० मे अब काफी सुधार हुआ है। जहां तक गेहूं का सवाल है इस का बाजार मे भाव बहुत ज्यादा होता एं। इसलिए आम उपभोक्ता में गेहूं की माग भी काफी रहती है। जब भी पी० डी० एस० के रेट में और बाजार के रेट मे अन्तर ज्यादा हो तो स्वाभाविक है कि इस बारे में रीटेलर के मन में लालच आये और इसे ब्लैक में बेचने की बीमारी ज्यादा पैदा हो। इस बात से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। लेकिन इस सरकार ने पूरी कोशिश की है कि सैट्रल गवर्नमैंट से ज्यादा से ज्यादा पी० डी० एस० की गेहूं ली जाये जिससे गेहूं का भाव मार्किट मे डाउन आये। इस बार हम पहली बार 40,000 टन गेहूं पी० डी० एस० का ले पाये हैं। हमने रिवाड़ी, महेन्द्रगढ़ और दूसरे ऐसे इलाके जो डैफिमिट एरिया है या जहां पर गेहूं कम प्रोडयूस होता है, वहा पर ज्यादा गेहूं की ऐलोकेशन की। मैं इनके यहा पर ग्रिवैसिज कमेटी की मीटिंग में भी जाता हूं। वहां के

लोगों से भी मिला हू। मैंने डिपो भी चौक किये है। वहां के लोगों का यह कहना है कि हमे गेहूं मिलती है। तकरीबन 80 परसैट लोगो ने अपने मुह से इस बात को माना णै। अगर कोई स्पैसिफिक बात इनके नोटिस में हो तो ये हमारे नोटिस में लायें। उसकी तुरन्त जांच करा कर दोष के आधार पर तुरन्त कार्यवाही करेंगे। हमारे यहां पर 6,800 के करीब डिपो–होल्डर्ज हैं। यहां के डिपो–होल्डर्ज की पुरानी आदतें है जो बिगड़ी हुई हैं जिसको हम थोड़ी–थोड़ी कड्वी दवाई देकर ठीक करने और सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे किसी डिपो पर कोई प्रौब्लम हो तो मैं इनमें यह कहूंगा कि यह हमें ऐसे डिपोज की लिस्ट दें, हम ऐसे डिपोज को सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर वहां पर रेड करने की जरूरत पड़ी तो वहां पर रेड भी करेंगे और मैं खुद भी इस बात को देखूंगा कि वहां पर व्यवस्था में सुधार हो। मैं आप के माध्यम से यही बताना चाहता हू कि अनि वाले समय में हम इस सिस्टम को बहुत ज्यादा मजबूत करेंगे क्योंकि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों ने मिलकर यह फैसला किया शै कि 6 जिलों के 44 ब्लौक्स में विशेषकर, जिन में महेन्द्रगढ़, रिवाडी और भिवानी भी शामिल हैं, गेहूं, चीनी, चावल के साथ–साथ पी० डी० एस० में ऐडीशनल कमोडीटीज भी उपलब्ध कराने जा रहे हैं और ये वस्तुएं बाजार भाव से सस्ती होंगी ताकि लोगों को राहत मिले। (विध्न)अध्यक्ष महोदय, तो हम इस स्पेशल स्कीम के अन्तर्गत जनता को इन चीजों की सप्लाई शुरू करने जा रहे हैं। कनफैड तो हमारा होलसेल डिस्ट्रिब्यूटर है लेकिन थोड़े पैसे की दिक्कत है।

इस दिक्कत को हम जल्दी ही दूर करेंगे। मैं माननीय सदस्यों को और सदन को विश्वास दिलाता हूं कि जो पुरानी कमियां है हम उन कमियों को जल्दी ही दूर करते हुए पी० डी० एस० को ज्यादा सुव्यवस्थित एव सुदृढ़ करेंगे।

स्थगन प्रस्ताव–

अनाधिकृत गोला बारूद लाने संबंधी

श्री अमीर चन्द मक्कड़: स्पीकर साहब, मेरे ऐडजर्नमैंट मोशन का क्या

Mr. Speaker : Hon'ble members, **I** have received an adjournment motion from Shri A.C. Makkar, M.L.A. regarding bringing of unauthorised ammunition in the State. **I** have disallowed the same as no brief exaplanatory memorandum explaining the motion is attached with it as required under Rule 67(2) of our Assembly Rules.

नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker : Now the Parliamentary Affairs Minister will move the motion under Rule 15.

Irrigation and Power Minister (Shri Shamsher Singh Surjewala) : Sir, beg to move—

That the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sitting of the Assembly', indefinitely.

Mr. Speaker : Motion moved—.

That the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sitting of the Assembly', indefinitely.

Mr. Speaker : Question is--

That the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sitting of the Assembly' indefinitely.

The motion was carried.

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker : Now the Parliamentary Affairs Minister will move the motion under Rule 16,

Irrigation and Power Minister (Shri Shamsher Singh Surjewala) : Sir, I beg to move—

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die,

Mr. Speaker : Motion moved—.

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die,

Mr. Speaker : Question is—

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die,

The motion was carried.

सदन की मेज पर रखे गए कागज पत्र

Mr. Speaker : Now the Parliamentary Affairs Minister will lay some papers on the Table of the House.

Irrigation and Power Minister (Shri Shamsher Singh Surjewala) : Sir, I lay on the Table—.

(i) The 24th Report of the Haryana State Industrial Development Corporation Limited for the year 1990-91 as required under Section 619(A)(3) of the Companies Act, 1956,

(ii) The Audit Report on the Accounts of Haryana Financial Corporation for the year ended 31st March, 1990 as required under Section 37(7) of the State Financial Corporation Act, 1951.

(iii) The comparative statement depicting average daily **power** generation and supply during the period 23rd June to end February from 1989 to 1992.

(iv) Tne position of the supplies in River Yamuna during 1991 and 1992 alongwith comparison with the last year supplies for the month of March.

Sir, with your permission, **I** would like to say further that the last document placed by me also contains the position regarding the closure of B,M,L. briefly.' The B,M.L, was to be closed from 27th March to 10th April, 1992. But keeping in view the demand of supply of water by the farmers on account of late wheat crop and the demand of the Members, the dates of closure of B.M.L. have been changed and now it

will close from 3rd to 17th April, 1992. It has been notified that during this period, all the village ponds as well as drinking water supply schemes will have first preference and they should be filled. The B.M.L. will be closed for a fortnight, **I** appeal to the Members that in their respective areas, they should also ensure that the drinking water supply schemes both in rural and urban areas and the village ponds should be filled,

समितियों की रिपोर्टस पेश करना

(1)कमेटी औन पब्लिक अंडरटेकिन्ज की 32वीं तथा 33वीं रिपोर्टस

Mr. Speaker : Now Shri Phool Chand Mullana, Chairman, Committee on Public Undertakings, will present the Thirty Second and Thirty Third Reports of the Committee on Public Undertakings for the year 1991-92.

Chaudhri Phool Chand Mullana (Chairman. Committee on Publio Undertakings) : Sir, I beg to present the Thirty Second Report of the Committee on Public Undertakings for the year 1991-92' on the Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year 1983-84 (Commercial).

Sir, **I** also beg to present the Thirty Third Report of the Committee on Public Undertakings for the year 1991-92 on the Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year 1984-85 (Commercial).

(2)कमेटी औन सुबोर्डीनेट लैजिस्लेशन की 73वीं रिपोर्ट

Mr. Speaker : Hon'ble members, now Mohammad Aslam Khan, Chairman, Committee on Subordinate

Legislation, will present the Twenty Third Report of the Committee for the year 1991-92,

Mohammed Aslam Khan (Chairman, Committee on Subordinate Legislation) : Sir, I beg to present the Twenty Third Report of the Committee on Subordinate Legislation for **the** year 1991-92,

(3)ऐस्टिमेट्स कमेटी की 24वीं रिपोर्ट

Mr. Speaker : Hon'ble members, now Chaudhri Om Parkash Beni, Chairman, Committee on Estimates, will present the Twenty Fourth Report of the Committee on Estimates for the year 1991-92,

Chaudhri Om Parkash Beni (Chairman, Committee on Estimates): Sir, I beg to present the Twenty Fourth Report of the Committee oh Estimates for the year 1991-92.

(4)कमेटी औन दि वैल्फेयर औफ शिड्यूल्ड कास्टस एंड शिड्यूल्ड ट्राइब्स की 17वीं रिपोर्ट

Mr. Speaker : Hon'ble members, now Shri Mani Ram, Chairman, Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes will present the Seventeenth Report of the Committee on the Well of Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the year 1991-92,

Shri Mani Ram Keharwala (Chairman, Committee on the

Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes) : Sir, **I** beg to present the Seventeenth Report of the Committee

on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the year 1991-92.

बिल्ज

(1)दि हरियाणा ऐप्रोप्रिएशन (नं०2)बिल, 1992

Mr. Speaker : Now, the Finance Minister will introduce the Haryana Appropriation (No. 2) Bill, 1992 and also move the m)tion for its consideration.

Finance Minister (Shri Mange Ram Gupta) : Sir, **I** beg to introduce the Haryana Appropriation (No. 2) Bill, 1992,

Sir, **I** also beg to move-

That the Haryana Appropriation (No. 2) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Appropriation (No, 2) Bill be taken into consideration at once,

साथी लहरी सिंह (रादौर–अनुसूचित जाति): स्पीकर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे बोलने का समय दिया। ऐप्रोप्रिऐशन बिल नं० 2 से सम्बन्धित कुछ मुद्दे मैं यहां हाउस के सामने लाना चाहता हूं जिसमें बताया गया कि सरकार क्या–क्या करने जा रही हे। पिछली सरकार व इस सरकार के किसी दूसरे मुद्दों में, मैं नहीं पड़ना चाहता लेकिन एक बात आपके माध्यम से यहां सरकार के सम्मुख लाना चाहता हूं कि पिछली

सरकार ने एक आर्डर निकाला था कि सारे हरियाणा के अन्दर नैशनल हाई वे व स्टेट हाई वे पर सड़क के पास कहीं भी कोई इंडस्ट्रीज नहीं लगाई जा सकती। गांवों के अन्दर जो रोडज जाती है और वह भी ऐसी रोड्ज, जहां पर कि कम से कम 30 फीट का रास्ता हो, वहां आप इंडस्ट्रीज लगा सकते हैं। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि ऐसे कितने गांव हैं जहां 30 फीट का रास्ता जाता हो। ज्यादा से ज्यादा चार गट्ठे का रास्ता हर जगह गांव में जाता है। इस बात के लिये हुड्डा भी बीच में आ जाता है। (इस समय श्री उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)हुड्डा कहता है कि आप किसी भी नैशनल हाई–वे या स्टेट हाईवे पर सड़क के पास कोई इंडस्ट्रीज नही लगा सकते। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं सरकार को यह कहना चाहता हूं कि अगर नैशनल हाई–वे या स्टेट हाई–वे पर लोग इंडस्ट्रीज लगाएंगे तो उनका माल भी बडी आसानी से उठ सकेगा। लेकिन अगर गांव में इंडस्ट्री लगेगी तो वहां से माल उठाना मुश्किल हो जाएगा। इससे लोगों को बड़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ेगा अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि इस तरह का जो बैन है, उसको एकदम उठा लेना चाहिये। चाहे लोग कहीं पर भी अपनी इंडस्ट्रीज लगाना चाहें, उनको वहीं पर इंडस्ट्रीज लगाने की परमिशन होनी चाहिये। इससे बेरोजगारी भी समाप्त होगी और स्टेट को भी लाभ होगा। हुड्डा की तरफ से यह जो बैन है इसको शीघ्र ही समाप्त किया जाना चाहिये।

13.00 बजे

अब मैं शूगर मिलों की बात कहना चाहता हूं। किसानों को उनके गन्ने की पेमैंट परचेज सैटर पर होनी चाहिए। वे कहते हैं कि परचेज सैटर्ज पर सिक्योरिटी होनी चाहिए तो सरकार सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दे। हम तो यह चाहते है कि किसान को अपनी पेमैंट लेने के लिए मिल के गेट तक न जाना पड़े। किसान का गन्ना देने के लिए शूगर मिल के साथ जो बौंड की शकल में एग्रीमैंट होता है, वह परचेज सैंटर तक का होता है इसलिए उसको वहीं से पेमैंट मिलनी चाहिए। अब क्या होता है कि परचेज सैंटर और मिल तक का जो किराया होता है, वह किसान से काट लिया जाता है। मेरा निवेदन है कि वह नहीं कटना चाहिए। इसके साथ–साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वेस्टर्न यमुना कैनाल और मारकंडा नदी में सारी फैक्ट्रीज का गन्दा पानी डलता है। मैं चाहता हूं कि यह गन्दा पानी इन नदियों में नही डलना चाहिए। इससे पता नही कितने पशुओं की मौतें होती है। अगर कोई आदमी भी इन नदियों में चला जाता है तो उसकी भी लाश ही मिलती है। इसलिए सरकार इस तरफ गौर फर्माए। कल यहां पर हरिजनों के बारे में बात चली। मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि अब एच० सी० एस० में स्पैशल भर्ती की जा रही है। मेरा मुख्य मन्त्री जी से निवेदन है कि वे भर्ती करें और उसमें हरिजनों की रिजर्वेशन का ख्याल रखें। हमारा जो एक चौथाई हिस्सा है यानी 30 में से हमारी सात आठ पोस्टें बनती हैं उन पर हरिजन लड़कों को लगाया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि चाहे कोई भी सिलैक्शन हो, पब्लिक सर्विस कमिशन से हो या बोर्ड से हो,

हमारा रोस्टर वही पर लागू कर दें तो आगे हमें रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। वहां पर यह चीज लागू नहीं की जाती इसलिए हमारी रिजर्वेशन पूरी नहीं होती। मैं किस किस महकमे का नाम लूं? एक्साइज एंड टैक्सेशन का महकमा है, एच० सी० एस० प्रोपर तथा दूसरे महकमे हैं, इनमें हमारी रिजर्वेशन पूरी नहीं है। मैंने एक क्वैश्चन पूछा था कि कोआप्रेटिव सोसोंइटीज में क्लास तीन और चार में रिजर्वेशन नहीं है। यह हमारे साथ एक अन्याय है। मेरा निवेदन है कि इस तरह से हमें जलील न किया जाए। आखिर हमारी राय पर ही यह सरकार बनती है। पीछे पुलिस की भर्ती में रिजर्वेशन का पूरा ध्यान रखा गया इसके लिए हम गरीब आदमी सरकार के अहसानमन्द है। सरकार जो अच्छा काम करेगी हम उसकी सराहना भी जरूर करेंगे। लेकिन इस तरह से नहीं होना चाहिए कि क्लास तीन और चार में भी पूरी रिजर्वेशन न हो। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरफ खास तौर से छगन दिया जाए। सोशल वैलफेयर के तहत एक नया डिपार्टमैंट वीमैन एंड चाइल्ड डिवैल्पमैंट के नाम से खुला है। उसमें स्पैशली उन आदमियों को लिया जा रहा है जो नौन शिडयूल्ड कास्टस हैं। यह इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वहां परमोशन के चांसिज हैं। शिडयूल्ड कास्टस की परमीशन को खत्म करने के लिए वहां पर नौन शिडयूल्ड कास्टस को पोस्ट किया जा रहा है। इतना ही नही लोगों को मैंटल टार्चर किया जा रहा है। एक आदमी को 30 अक्तूबर को रिवर्ट कर दिया गया क्योंकि वह शिडयूल्ड कास्ट था। उसको परेशान करने के लिए ऐसा किया गया। जब हमारा बहुत

से लोगों का प्रैशर पड़ा तो उसको चार दिन बाद परमोट कर दिया। यह सरकारी रिकार्ड की बात है। उसी डायरैक्टर के रिवर्शन आर्डर पर साइन हैं और उसी के दोबारा परमोशन करने के साइन है। उसके बाद वहा पर शै ट दिया गया कि अगर शिड्यूल्ड कास्टस के लिए आगे से कोई भी इस तरह से बोलेगा तो मैं उसको नौकरी से निकाल दूंगा। जो औफिसर्ज है, वे हमारे साथ इस तरह से करते है। मेरा सरकार से निवेदन है कि सरकार इस बात का ध्यान रखे। आखिर हम गरीब आदमी कहां जाएंगे? हम सरकार से प्रोटक्शन चाहते हैं। मैं मुख्य मंत्री जो से निवेदन करता हूं कि वास्तव में हमारे साथ न्याय किया जाए। हमारा जो रिजर्वेशन का कोटा है, हम उससे ज्यादा हिस्सा नहीं मांगते लेकिन हमारी रिजर्वेशन की जो परसैटेज है, वह पूरी कर दें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वह बात हो जाएगी जैसे खाट भी खोंस ली और सोने भी नही दिया। उपाध्यक्ष महोदय, सोशल वैल्फेयर विभाग में जिस तरह से धांधली मची हुई है, उसके मेरे पास फैक्टस एंड फिगर्ज हैं कि वहां पर हमारे लोगों को किस तरह से तंग किया जा रहा है। मैंने इस बारे में एक क्वैश्चन भी पूछा था लेकिन मंत्री जी ने उसका सही जवाब नही दिया। उपाध्यक्ष महोदय, अभी पीछे हमारी लगभग 60 लेडी सोशल वर्कर्ज निकाल दी गई। मैं कहता हूं कि उनको वहां से क्यों निकाला गया? उनको किसी और डिपार्टमैंट में ऐडजस्ट किया जा सकता था। लेकिन इनका यही बहाना था कि एस० एस० एस० बोर्ड से कैडीडेट आ गए इसलिए उनको निकाल दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय, एस० एस० एस० बोर्ड से जो कैडीडेट आते हैं, उनके करैक्टर वैरीफिकेशन में काफी टाईम त्वग जाता है। ज्यों–ज्यों एस० एस० एस० बोर्ड से कैडीडेट आते रहतै, त्यों–त्यों उनको निकाला जा सकता था। उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह की तानाशाही तो नादिरशाह ने भी नही की थी, जिस तरह से ये हमारे साथ कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि इस तरह से सरकार हमारे लोगों को जलील न करे। इस तरह से गरीब आदमियों को न पीसे। उपाध्यक्ष महोदय, ट्रेजरी मैचिज पर कोई मंत्री नहीं बैठा है सारे उठ कर चले गए हैं क्योंकि उनमें हरिजनों के बारे में कोई बात सुनने की हिम्मत नही है।

Mr. Deputy Speaker : Finance Minister is already there.

साथी लहरी सिंह उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं एग्रीकल्चर डिर्पार्टमैंट कैं बारे मे कहना चाहूंगा। डायरक्टर ऐग्रीकल्चर के पाम गन्ने की नाजायज बाउंडिंग के –बारे मे हमारी पार्टी के. सारे विधायक और हमारे वर्कर्ज एक मैमोरैडम देने के लिए गए। मै सरकार का इस बात के लिए बडा आभारी हूं कि सरकार ने तुरंत जमना के पुल पर चंगी लगा दी ताकि यू० पी० का गन्ना हमारे यहां न आ सके। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार आगे सै भी ऐसा ही प्रबंध करे ताकि यू० पी० का गन्ना हमारे यहां न आए। उपाध्यक्ष महोदय, जब गर्मी में गन्ने की छिलाई होती है, तो उसके कांटे सारे शरीर में चुभते हैं जैसे कोई कीडा काटता है।

इसलिए सरकार से मेरा निवेदन है कि सौरी शूगर मिलों की कैपैसिटी बढ़ा कर गन्ने की पिड़ाई कराई जाए ताकि किसानों का गन्ना खेतों में ही न सूखे। उपाध्यक्ष महोदय, एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट के औफिसर्ज, चाहे हम अपोजिशन के हैं, हमारी बातों की तरफ बहुत अच्छी तरह मे ध्यान देते है। इसी तरह से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार को बागवानी की तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, अम्बाला जिले मे कीनू और माल्टा के बाग लग सकते हैं और आम के बाग भी लग सकते हैं। आज फरूट्स की हालत यह है कि उनको आज आम आदमी के बच्चे नही खा सकते क्योंकि वह बहुत ही मंहगे है। जिस तरह से सरकार गेहूं और राईस को बढ़ावा देती है, उसी तरह से बागवानी को भी बढ़ावा दिया जाए। इसी तरह से मशरूम की खेती को बढ़ावा दिया जाए। अब मैं मार्किटिंग कमेटीज के बारे में कहना चाहूंगा। बबैन की मार्किट कमेटी का बहुत बुरा हाल है। वहां पर न तो कलर्क है और न ही कोई टाईपिस्ट है। वहां पर 70 परसैंट स्टाफ नहीं है, केवल 30 परसैंट स्टाफ ही है। मैं चाहूंगा कि वहां पर पूरा स्टाफ भेजा जाये। बबैन की मार्किट कमेटी सारे जिले में नम्बर एक पर है। वहां पर जीरी भी और गेहूं भी काफी मात्रा में आती है। दूसरे वहां पर रूरल बैल्ट है। आज से 10 साल पहले वहां पर यानी मण्डी का बरसात का पानी निकालने के लिए एक स्कीम बनाई गई थी लेकिन वह ड्रेन भी नही बनाई जा रही है। जब तक वह ड्रेनेज नहीं बनेगी, तब तक उस मण्डी की हालत। नहीं सुधर सकती। इसलिए मेरी आपके माध्यम मेर प्रार्थना है कि

उस मण्डी का बरसात का पानी निकालने के लिए आउटलैट जरूर जल्दी से जल्दो बनाया जाये। इस काम के लिए मार्किट कमेटी ने पैसे जमा करा दिए हैं इमलिए इस पर अमल होना चाहिए। इसी प्रकार से दादूपुर नलवी नहर जो चौधरी बंसी लाल जी ने शुरु करवाई थी, आज तक नही बन पाई है। इस नहर के बनने से करनाल, कुरूक्षेत्र, अम्बाला और यमुनानगर जिलों को फायदा पहुचेगा। इसके लिए वहां पर जमीन एक्वायर हो गई है लेकिन बाद मे वह स्कीम ड्रौप हो गई। इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि दादूपुर नलवी ओर दादूपुर लाडवा नहर जल्दी से जल्दी बनाई जाये। यदि पानी आयेगा तो जमीन में दाने उगेंगे और दाने उगेने तो उन्हें सभी खायेगे इसलिए मैरी फिर गुजारिश है कि इस और अवश्य ध्यान दिया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, बिजली के कुनैक्शज देने के बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा। रादौर, बबैन और लाडवा में सात–सात साल से कुनैक्शज के लिए लोगों की एप्लीकेंशन्ज पैण्डिग पडी हैं, लेकिन लोगों को कुनैक्शंज नही मिल पा रहे हैं। बिजली न मिल पाने के कारण जिन गरीब किसानों को कुनैक्शंज नहीं मिले है, उन्हें काफी दिक्कत हो रही हुँ क्योंकि वे अपना पूरा फायदा खेत से उठा नही पा रहे है। इसी प्रकार से मैं ग्राम विकास के बारे में कहना चाहता है। ग्राम विकास के तहत जो पैसा गांवों मे जाता है, उसका ठीक तरह से उपयोग नही होता। जो लोग अपर कास्ट के हैं, वे ही अपनी गलिया और नालियां पक्की करवाने है। गरीब लोगों के मोहल्ले की या हरिजन बस्तियों की तरफ कोई ध्यान नही दिया जाता और न ही उनकी

बात को सुना जाता है। डस बारे में मैंने एक क्वैश्चन भी दिया था कि हरेक गांव की हरिजन चौपाल को पक्की सड़क के साथ जोड़ा जाना चाहिए। मैं मुख्य मंत्री जी के नोटिस मे लाया भी था कि जो हरिजन बस्तियां हैं, उनकी गलियों मै खड्डे और चौपाल तक जाने वाले रास्ते में बहुत खड्डे पडे हुए हैं, इसलिए इन सड्कों को अवश्य बनाया जाये इनकी हालत इतनी खराब है कि वहां तक कोई जा नही सकना। इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि इस तरफ ध्यान दिया जाये।

अब मैं वाटर सप्ताई स्कीम के बारे में कहना चाहता हू। आज हालत यह है कि जो पाईप गांवों के अन्दर बिछाई हुई है, वे जगह–जगह से टूटी हुई हैं। पानी बेकार में चलता रहता है। दूसरे उस पानी की निकासी का कोई प्रबंध नही है। इसलिए मेरी इस बारे में भी सरकार से मांग है कि हरेक गांव में पानी की निकासी के लिए गलियों के दोनों तरफ नालियां पक्की बनाई जाये ताकि वह पानी जोहड़ में जा सके और पशुओं के भी काम आ सके। नहीं तो अब आगे गर्मी का मौसम आने वाला है। ऐसा न होने पर पानी जो बेकार में चलता रहता है उससे मच्छर पैदा होगे और बीमारी फैलेगी। मेरी मांग है कि इस पानी की निकासी के लिए प्रबंध किया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, रादौर में एक औद्योगिक कम्पलैक्स बनाया जाना था। उमके लिए 22 लाख रुपये मन्जूर भी हो गए थे और आज से 10 साल पहले उसका पत्थर भी रखा गया था लेकिन अब वित्त मंत्री जी का जवाब आ गया है कि वह

नही बनेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी रिक्वैस्ट की थी कि पुराना जिला करनाल तथा जिला अम्बाला के साथ बडी भारी ज्यादती होती रही है। आज की सरकार ने रोहतक, सोनीपत, हिसार, सिरसा के आदमियो को नौकरियों में लगाया है लेकिन करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला और यमुनानगर कौ इग्नोर कर दिया है। चाहे एच० सी० एस० की भर्ती हो, चाहे क्लास–2 की भर्ती हो और चाहे क्लास–3 की भर्ती हो, इन जिलों के लोगों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। पुलिस की भर्ती में तो इस सरकार ने कमाल ही कर दिया कि राजस्थान के आदमी भर्ती किए गए,। अम्बाला, करनाल, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर जिलों से कोई भर्ती नही की गई और अगर हुई भी है तो वह 2 परसैंट से ज्यादा नही रही होगी और इसमें हरिजनों की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह रिक्वैस्ट करूंगा कि भर्ती के बारे में श्वेत–पत्र जारी किया जाए कि कितने हरिजनों को भर्ती किया गया है और जो डैफिसिट है उसको पूरा किया जाए।

Mr. Deputy Speaker : The point has been well laid out. Please take your seat.

साथी लहरी सिंहः डिप्टी स्पीकर सर, अब मैं शिक्षा के बारे मे कुछ कहना चाहता लए। कोई स्कूल ऐसा नही है जहां पर 20 प्रतिशत से ज्यादा टीचर लगे हुए हों आप इस बात को मानेंगे कि पिछले 2 साल से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड हो रहा है। हम ने इस बारे मे कमेटी की मीटिंग में भी पूछा था और

पिछले सैशन मैं भी मैंने पूछा था तो सरकार ने इस बात का जवाब दिय। था कि हम 15 सितम्बर या 15 अक्तूबर तक सारे स्कूलों में टीचर्ज लगा देंगे लेकिन फिर इस डेट को बढ़ा कर दिसम्बर तक कर दिया गया। बड़े दुख के साथ कहना पडता है कि उन बच्चों का क्या होगा जो सवेरे स्कूल जाते है लेकिन बिना पढ़े गुल्ली–डंडा खेल कर शाम को वापिस घरों मे आ जाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, देश का भविष्य तभी बनेगा अगर हमारी पनीरी अच्छी होगी इसलिये मैं कहूंगा कि टीचर्ज की जो कमी है, उसको जल्दी ही पूरा किया जाए। इसी तरह से खेल विभाग की बात है। स्पोर्टस की आज गांवों में बहुत जरुरत है। गांवों में जहां–जहां भी हाई स्कूल हैं, वहां पर स्पोर्टस स्टेडियम बनाये जाने चाहिएं, हाई स्कूल मे खेल का मैदान जरुर होना चाहिए भले ही वह मैदान छोटा ही क्यों न हो ताकि बच्चे हृष्ट–पुष्ट और अच्छे वैज्ञानिक और विद्वान बन सकें। स्टेडियम की फेसिलिटी हर हाई स्कूल में होनी चाहिये। मेरे इलाके में बाबैन, मोहड़ा, लखमडी, गुन्दियाना, रादौर, चमरोड़ी, जुब्बल, मारा, गुमथला, जठलाना, संधाली, अलाहर, मसाना रांगड़ा गुढा आदि गांवों में स्पोर्टस स्टेडियम जरूर बनाए जाएं ताकि वहां के बच्चे इनसे लाभ उठा सकें। डिप्टी स्पीकर सर, पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट में कुछ भर्ती 4– 6 महीने के लिये की जाती है ऐसी भर्ती पर टोटल बैन लगा देना चाहिए। जैसे रादौर का दफतर है तो वहां पर रोहतक, हिसार या किसी और जगह से आदमी लगा दिया जाता है। ऐसी पोस्टों पर तो उसी इलाके के बेरोजगार बच्चों को रखना चाहिए। ऐसा न होने

से लोगों में रिजैंटमैंट होती है। मैं यह नहीं कहता कि मेरे किसी रिश्तेदार को लगाया जाए। चाहें किसी को भी लगाया जाए लेकिन वह उसी इलाके से लगाया जाना चाहिए। मेरे हल्के में 216 गांव हैं और इस इलाके में बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा है। लाडवा के बस–अड्डे और म्यूनिसिपल कमेटी की भी बात मैं कहना चाहता हूं। वहां की गलियों और सड्कों की हालत भी खस्ता है विशेष कर जहा गरीब से गरीब लोग रहते हैं वहां पर सड़कें और गलियां ठीक करवाई जाएं। गांवों में, शहरों में आम तौर से यह होता है कि जहां असरदार लोग रहते हैं, डिवैल्पमैंट के सारे काम वही पर होते हैं, लेकिन जहां पर गरीब और हरिजन लोग रहते हैं वहां की हालत बहुत खराब होती है इसलिये सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिये। मुख्य मन्डी जी ने एक बात कही थी कि हरेक मन्दिर तक सड़क जाएगी यह बड़ी अच्छी है लेकिन मेरी गुजारिश है कि जहां पर हरिजन लोग बसते हैं, गरीब लोग रहते हैं उन को तरफ विशेष ध्यान दिया जाए। हमें उम्मीद है कि यह सरकार ठोक काम करेगों अगर आप चाहते हैं कि गरीबों का भला हो तो उनके लिये काम करिये।

श्री उपाध्यक्षः लहरी सिंह जी आप बैठिए।

साथी लहरी सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, मैं सड्कों के बारे में जिक्र कर रह हू

Mr. Deputy Speaker : I have extended your time a number of times, Now, please wind up,

साथी लहरी सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, जहां पर आधा–आधा किलोमीटर के गैप है, उनको पूरा किया जाए। वहां पर 20 लाख के पुल बनाए हुए हैं और उन पुलों का भी कोई फायदा नहीं है उन पूलों में जो आधा–आधा किलोमीटर के गैप हैं उनको भी पूरा किया जाए। इसी तरह से पावर हाउस हैं।

श्री उपाध्यक्षः लहरी सिंह जी अब आप बैठिए, आपका टाईम हो गया है। अब राम बिलास जी बोलेंगे।

साथी लहरी सिंहः अच्छा जी, धन्यवाद।

प्रो० राम विलास शर्मा (महेन्द्रगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि तीन दिन के बाद मुझे बोलने का मौका मिला है। जब मैं बजट पर बोलने के लिये खड़ा हुआ तो कह दिया गया कि आप बैठिए क्योंकि आप अपनी पार्टी के अकेले आदमी हैं। उसके बाद जब मैं डिमान्डज पर बोलने के लिये खडा हुआ तो फिर यही कह कर बिठा दिया गया। उपाध्यक्ष महोदय, अब क्या बताएं जमाना ही कुछ ऐसा है कि दो बातें एक साथ चल रही है। एक तरफ भोजन और दूसरी तरफ भजन। भोजन में लोगों की ज्यादा रुचि है भजन में कम To live with an ideology and to live with the party, it is very difficult. उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में बहुत ही कम ऐसे लोग है, जो एक ही पार्टी से लगातार चल रहे हैं।

विचार के साथ या तो कवि जिन्दा रह सकता है या भारतीय जनता पार्टी का आदमी रह सकता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः बीच में मत बोलें। राम बिलास जी को बोलने दें।

प्रो० राम बिलास शर्माः उपाध्यक्ष महोदय, यह जो विनियोग बिल संख्या 2 पर चर्चा हो रही है, मैं उस पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। जब से इनकी सरकार बनी है, तब से बुढ़ापा पैशन के बारे में इनकी सरकार ने कई बार अपनी नीति को बदला है। उपाध्यक्ष महोदय, जहां बुढ़ों को पैशन मिलती है, वहां पर कोई भी सरकारी आदमी अफसर, कोई भी मन्त्री या हम मे से भी कोई चला जाए तो वहां पर बुढ़ो और बूढ़ियों की लाईन लगी रहती है। पहले इन्होंने कहा कि 60 साल वालों को पैशन देंगे, फिर कहा जिसके दो बेटे कर्मचारी हैं, उनको पैंशन नही देंगे उसके बाद कहा कि जिसका एक बेटा कर्मचारी है, उसको नहीं देंगे। मेरा मुख्य मन्त्री जी को सुझाव है कि वे एक बात निश्चित करें। दूसरे जो पटवारी या तहसीलदार का चहेता होता है, उसको पैंशन देने के लिये नाम लिख दिया जाता है और बाकी का नाम काट दिया जाता है। तो मेरा निवेदन. शै कि पैंशन देने की एक ही नीति बनाई जाए और जो लोग हकदार हैं, उनको ही पैशन दी जाए। इससे प्रशासन का समय भी बचेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जी ने बड़ा ही अच्छा आश्वासन दिया है कि जो सड़कें रिपेयर होनी हैं, वे 31 मार्च तक रिपेयर हो जाएंगी। उपाध्यक्ष महोदय यह बात इनकी जानकारी में भी है कि दिल्ली की भीड़ से बचने के लिये सारा नेशनल हाई वे ट्रैफिक नंगल चौधरी से लेकर दादरी तक की सड़क पर चलता है और इन्होंने अपने एक्साईज महकमें से सर्वे भी करवाया होगा कि 4 हजार व्हीकल रोज 24 घंटे में उस सड़क से गुजरते होंगे। वह सड़क पुरानी और 12 फुट की बनी हुई है। उस पर ज्यादा आवागमन होने की वजह से वह सड़क धस गई है। शायद मुख्य मन्डी जी के ध्यान में हो कि उस बारे में एक प्रस्ताव था कि उसको नेशनल हाई–वे के साथ जोड़ा जाप। उपाध्यक्ष महोदय, चाहे यह सड़क नारनौल से दादरी तक और चाहे रोहतक से या भिवानी से होकर जाती हो, परन्तु इस सडक पर बहुत ही आवागमन है और इसको नैशनल हाई–वे के साथ जोड़ा जाए, इसको और मजबूत किया जाए क्योंकि यह सड़क कई जगह से दो– दो फुट धस गई है। इससे इनका रैवेन्यू भी बढ़ेगा क्योंकि वहां परिवहन भी काफी बढ़ा है। परिवहन मंत्री जी मे बसों की बात कही है इसलिए शायद यह बात भी इनकी जानकारी में होगी कि पिछले दिनों जब जिला केन्द्रों को बस सर्विस द्वारा चण्डीगढ़ से जोड़ दिया गया था। कई वर्षो से महेन्द्रगढ़ से चन्डीगढ़ को एक बस चलती थी लेकिन कुछ समय पहले यह बस उग्रवादियों की गतिविधियों की वजह से बन्द कर दी गयी थी परन्तु उसके बाद से यह बस आज तक नही चली है जिससे लोगों को बडी

असुविधा होती है क्योंकि इतनी दूर से यह केवल एक ही बस आती थी। यह बस चण्डीगढ़ से शाम को 9.30 पर चलती थी और उधर से सुबह 4 बजे वापस चण्डीगढ़ आती थी। इसलिए मैं ट्रांसपोर्टर होने के नाते श्री बलवीर पाल शाह जी से कहूंगा कि वह इस दिक्कत को अच्छी तरह से समझें और इस बस को तुरन्त चलवावे। उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार का सारा वजट इरीगेशन और पावर पर खर्च होता है और यह होना भी चाहिए। इसके अलावा दुनिया में खासतौर पर हिन्दुस्तान में सरकार बढ़ती हुई आबादी पर चिन्ता व्यक्त कर रही है और इस सदन में भी बढ़ती हुई आबादी पर चिन्ता व्यक्त की गयी है और कहा गया है कि इसको रोकना चाहिए क्योंकि' बढ़ती हुई आबादी से विकास कही भी नजर नहीं आता। उपाध्यक्ष महोदय, जिस जहन में आप और हम है उसमें आबादी की इतनी चिन्ता कभी नहीं रही। Once Japan's. Prime Minister told our pt. Jawahar Lal Nehru that I have seen so many civilizations जो कम आबादी के कारण नष्ट हो गयी है, अधिक आबादी के कारण कोई सभ्यता नष्ट नहीं होती है। भाई अजमत खां जी ने भी कहा था कि बढ़ती हुई आबादी को कम किया जाना चाहिए तो मैं अजमत खो जी से कहूंगा कि जो रफ्तार आबादी बढ़ाने की इनकी है वह हमारी आबादी बढ़ाने की रफ्तार से चार छः गुना ज्यादा है। इसलिए आबादी की कोई समस्या नही है। हर प्राणी दो हाथ और एक पेट लेकर इस दुनिया में आता हैं और अगर हम दो हाथों से पेट नही भर सकते तो हमारी इस व्यवस्था को चुनौती है, हमारे हुक्मरान को चुनौती है।

इसलिए उन्हें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे हर प्राणी अपने दो हाथों से पेट भर सके। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बिजली के बारे में कहना चाहता हूं कि हिमाचल सरकार ने बिजली का प्राईवेटलाईजेशन किया है और वहां प्राईवेट फर्म्ज को कहा है कि आप बिजली पैदा करो और जितनी बिजली आप पैदा करोगे, उसमे से 14 प्रतिशत बिजली हमको देनी पड़ेगी। इसके अलावा राजस्थान सरकार ने भी ऐसा ही किया है लेकिन हमारा किसी का भी इस तरफ ध्यान नही गया है। हमारे यहां जो पानी के स्रोत हैं, बिजली का जो जनरेशन प्लांट है, बह 50.5 प्रतिशत टू दी कैपेसिटी से ज्यादा बिजली ही नही देता। मैंने इस संबंध में, चौ० वीरेन्द्र सिंह से, जब यह इस महकमे में थे, बात की थी। उपाध्यक्ष महोदय, बम्बई में आप भी जाते रहे होंगे। वहां के 50 साल के रिकार्ड में वहां के निवासी भी यह कहते हैं कि हमारे यहां दस सैकेन्ड से ज्यादा कभी लोड शैडिंग नहीं हुई है। वहां पर टाटा बिजलीं को जनरेट करता है? इसी तरह से आध की सरकार भी बिजली जनरेट करती है वहां के जो पावर जनरेशन प्लांट्स है they are running to the capacity of 98%. लेकिन फिर भी हम अपनी परफोरमैस की डींग मारते हें। हरियाणा एक कृषि प्रधान प्रदेश है इसलिए हरियाणा के किसान को बिजली की जरुरत है लेकिन हमारे यहां पावर जनरेशन कैपेसिटी की काफी लो परसैन्टेज है। इसको कोई भी वहां पर जाकर देखता नही है। हम कभी पूछ लेते हैं तो हमसे कह देते हैं कि कोयला खराब आ गया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि यह कोयला किसने खरीदा?

इसलिये मैं कहता हूं कि पावर जनरेशन के०पर हमारा सबसे अधिक ध्यान होना चाहिये। हमारी कृषि, हमारे उद्योग सब कुछ पावर जनरेशन के०पर निर्भर हैं। लेकिन हम जितना भारी भरकम बजट इनके०पर खर्च करते हैं, उसके हिसाब से इतनी परफोरमैस नही है।

श्री उपाध्यक्षः शर्मा जी, आप किस थर्मल प्लांट की बात कर रहे हैं?

प्रो० राम बिलास शर्माः उपाध्यक्ष महोदय, मैं विनियोग बिल पर बोल रहा हूं। (शोर)भाषण ही करना है और भाषण करना भी कोई कठिन काम नहीं है। (व्यवधान व शोर)यह बात तो तुम्हारे ध्यान में आएगी नहीं, तुम्हें तो पता ही नहीं है कि कहां की बात करनी है। ओम प्रकाश जी ने ठीक कहा है कि मेरे जैसी उपयोगी बात कोई नही कह सकता। उपाध्यक्ष महोदय, हरिजनों की कोई बात हम यहां पर कर दें तो कुछ लोगों को तकलीफ होती है कि हरिजनों की बात क्यों हो रही है। उपाध्यक्ष महोदय, कई वर्षों से हम सुन रहे हैं कि हरिजनों का, बैकवर्ड क्लासिज का, एक्स–सर्विसमैन का और हैंडीकैप्ट का जो बैकलाग है, उसको पूरा नहीं किया जा रहा है। जब भी इस बारे में कुछ पूछा जाता है तो रटा–रटाया जवाब आता है कि तीन बार एडवर्टाईज करने के बाद अगर आदमी नहीं मिलता है तो हम दूसरा रख लेते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक नहीं है। हमारे पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी, अन्तोदय नेता जो आर्थिक नीतियों के महर्षि माने जाते हैं,

कहा करते थे कि इन पिछड़े हुए भाइयों को हक सबसे पहले दिया जाना चाहिये। उनका पहला हक होना चाहिये। जिन भाइयों को आज सबसे पहले सहायता की जरुरत है, उसको सबसे पहले सहायता मिलनी चाहिये। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी हमारे भारतीय संविधान के निर्माता थे। उनके दारा बनाये संविधान के तहत हम यहां पर सदन चला रहे हैं। उनकी इस संविधान में पिछड़े हुए लोगों के लिये प्रावधान करने की जो स्पिरिट थी, वह यह थी कि जो लोग पिछड़े हुए हैं, जो सामाजिक दृष्टि से या आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हें, उनको वह सुविधा पहले मिलनी चाहिये। यह कोई आज राजनैतिक लाभ हानि का मुद्दा नहीं है। मेरा कहना यह है कि यह बैकलाग जल्दी पूरा होना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हू। खास कर गांवों में हरिजन भाइयों की आबादी बहुत बढ़ी है। पिछड़े हुए भाइयों की आबादी भी काफी बढ़ी है। गावों के जो बिसबेदार भाई हैं, उनको तो चकबन्दी में प्लाटस मिल गये परन्तु पिछड़े हुए लोगों को और हरिजन लोगों को आबादी के हिसाब से आज तक प्लाटस नही मिले हैं। एक एक कमर।– है। उसी में पत्नी है, उसी में पति है, उसी में बेटा है, उसी में बेटी है, उसी में बकरी है उसमें ही गाय है। उपाध्यक्ष महोदय, सर्दियों में आपको पता है कितनी दिक्कत होती है। पशु धन को किसान अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यार करता है। मैं मुख्य मन्त्री महोदय से यह कहूंगा कि इसको आप रिवाईज करें और हरिजन, पिछडे वर्ग के या गैर–बिसवेदार भाई है, उनको उनकी आबादी के हिसाब से प्लाट

नही मिले हुए हैं, वह उनको जरूर दिये जायें। उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के सम्बन्ध में इस सदन में काफी चिन्ता प्रकट की गयी है। हमारी बहुत पुरानी नेता और इस सदन की बहुत वर्षो से चली आ रही सदस्या बहिन चन्द्रावती जी ने और कई साथी विधायकों ने एजुकेशन सिस्टम में नकल के बारे में नोटिस दिया था। (व्यवधान व शोर)इसमें कागजों का पेट भरने की बात नहीं है। कागजो का पेट तो श्री मांगे राम गुप्ता जी ने भर दिया। इस बार बही उनके हाथ मे थी। हमने यह सोचा था कि इस बार ऐसे अनुभवी व्यापारी के हाथों से बजट आया है इसलिये यह इन बार हरियाणा सरकार की एक दिशा निर्धारित करगे। हरियाणा सरकार इस बार कोई न कोई संकल्प करेगी और यह बतायेगी कि इस सरकार की प्राथमिकताएं किस–किस चीन पर होंगी। हर सरकार हमेशा अपनी दिशा निर्धारित करती है। उत्तर प्रदेश की सरकार की बजट स्पीच जो श्री राजेन्द्र गुप्ता वहां के वित्त मन्त्री ने दी है, उसकी कापी मेरे पास है। इममें उन्होंने अपने पहले सैटेन में ही यह कह दिया है कि यह जो सरकार है यह गांव के गरीब और किसान की सरकार है। यह झोपड़ी के इन्सान की सरकार है। बेरोजगार नौजवान की और दलितों और पिछड़े हुए वर्गो के सम्मान की यह सरकार है। हम यह चाहेंगे कि इस बार हरियाणा की सरकार सामाजिक और आर्थिक हालात को देखेते हुए अपनी दिशा स्पष्ट करती।

वित्त मन्त्री (श्री मांगे राम गुप्ता): यह तो हरफों का फर्क है। (व्यवधान व शोर)

प्रो० राम बिलास शर्मा: गुप्ता जी, आप जवाब दे लेना लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि एक फर्क इनमें और उनमें यह है कि वे गुप्त हैं और यह (श्री मांगे राम जी)गुप्ता हैं। वह फर्क तो पड़ गया लेकिन हम आपसे यह चाहेगे कि आप इस बारे में कोई न कोई दिशा निर्धारित करते। हमें आशा थी कि आप हमें कुछ उपयोगी बातें बतायेंगे। जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है, शिक्षा का असर पीढ़ियों तक पडता है। साक्षरता का असर पीढियों तक रहता है। आज गांवों में, हरेक स्कूलों में सब जगह एक अभियान चला रखा है। पढ़ाई–पढ़ाई यानी साक्षरता। मैंने पहलें भी यह कहा था कि आपने साक्षरता अभियान चलाना है तो अपनी तुलना केरल से करो। आबादी के हिसाब से, भौगोलिक दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा और केरल लगभग एक से हैं। इसलिये हरियाणा और केरल की तुलना की जानी चाहिये। केरल में 100 परसैंट साक्षरता है। आपको अपनी तुलना केरल से करनी चाहिये। बहन शांति राठी काफी प्रयास इस दिशा में कर रही हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि केरल की तुलना करते हुए शिक्षा के लिये बजट में कुछ और प्रावधान करना चाहिए। प्रौढ़ शिक्षा की तरफ भी और ध्यान देना चाहिए और जिन लोगों को हटाया है उनको दुबारा नए सिरे से लगाना चाहिए। स्पीकर साहब, जो यह विनियोग विधेयक है, इसमें साफ तौर से दर्शाया गया शै कि

हमारा कर्जा 3932 करोड़ रुपए का बढ़ जाएगा और हरियाणा सरकार पर जो ब्याज बनेगा, वह 377.26 करोड़ का हो जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, आजकल का जमाना आर्थिक संकट का जमाना है। सारे देश में इस बात की चर्चा हो रही है कि आर्थिक अनुशासन बरता जाए। हर तरफ आर्थिक अनुशासन की बात हो रही है। उपाध्यक्ष महोदय, देश में आर्थिक अनुशासन होना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, आज औद्योगीकरण की बात हो रही है और औद्योगीकरण का सारा सिलसिला हो रहा है। आर्थिक संकट को दूर करने के लिये औद्योगीकरण बहुत जरूरी है। कल मुख्य मन्त्री जी मन्त्रिमण्डल को कम करने की बात कर रहे थे लेकिन आज कह रहे है कि कम नहीं होगा। उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा के हिसाब से हरियाणा का मन्त्रिमण्डल बहुत बड़ा है और जितना मन्त्रिमण्डल बड़ा है, उसके हिसाब से परफोरमैस नही है। उपाध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा कि कोई सवाल उठाया जाता है तो दम पांच मन्त्री एक साथ उठकर और बिना सोचे समझे कहने लग जाते हैं कि यह बात गलत है। ये लोग, अगर हम कोई सुझाव देते हैं तो मानने के लिये तैयार नही होते। उपाध्यक्ष महोदय, अगर मन्त्रिमण्डल छोटा होगा तो हरियाणा के लोगों को सन्तोष होगा। जहां तक औद्योगीकरण की बात है, इसके लिये मेरा सुझाव है कि हरियाणा में छोटे उद्योग लगने चाहिएं। यहां पर दूध का उद्योग लग सकता है। यह उद्योग यहां काफी पनप सकता है। यहां पर गांवों के अन्दर कुटीर उद्योग लगाए जाएं। उपाध्यक्ष महोदय, कुछ कारणों से जो बड़े उद्योग थे, हरियाणा से भाग रहे थे

लेकिन अब पता लगा है कि उनको दुबारा लाया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय छोटे उद्योगों को सरकार को बढ़ावा देना चाहिये। केवल चार पांच तहसीलों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा घोषित कर दें, इससे हरियाणा का भला नहीं हो सकता। उपाध्यक्ष महोदय, आपने भी देखा होगा कि कैथल के पास पेहवा नगर है, वहां पर एक रिटायर्ड आई० ए० एस० औफिसर मि० गोयल ने दूध का प्लांट लगाया हुआ है और उसने करोडों रुपया कमाया है लेकिन हमारे प्रान्त मे हरियाणा डेरी डिवेल्पमैंट है, उसने करोड़ों रुपया खोया है। मि० गोयल भी उन्ही गांवों से दूध लेता शै और हरियाणा डेरी डिवेल्पमैंट भी उन्हीं गावों से दूध लेती है। लेकिन डेरी डिवेल्पमैंट कार्पोरेशन ने करोड़ों रुपया यौ दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, अनुभव ने बता दिया है कि गवर्नमैंट पब्लिक अन्डरटेकिंग्ज को अच्छी तरह से रन नही कर सकती और न ही गवर्नमैंट रुपया कमा सकती है। मेरी मुख्य मन्डी महोदय से निवेदन है कि जो ऐसी कार्पोरेशन्ज हैं, जो घाटे में जा रही है उनको बन्द कर दिया जाए और जो कार्पोरेशन्ज बनी हुई हैं, उनके चेयरमैन आई० ए० एस० औफिसर या आई० पी० एस० औफीसर लगाए जाएं। अगर कोई स्वतन्त्रता सेनानी हैं, उनको सम्मान देने के लिये चेयरमैन लगाया जा सकता है। जिस तरह से हरियाणा टैनरीज और हरियाणा टेलीबर्ड को बन्द किया है, क्योंकि वे घाटे में जा रही थी, उसी तरह से ऐसी कार्पोरेशन्ज जिन्होंने अपना कैपीटल खत्म कर दिया है और जो हरियाणा सरकार के०पर एक बोझ बनी हुई हैं, उनको फौरन बन्द करना चाहिए क्योंकि आजकल आर्थिक

अनुशासन का जमाना है। जो कार्पोरेशन्ज चलानी है उनके चेयरमैन आई० ए० एस० अफसर होने चाहिए और इनमे से उन लोगों को लगाना चाहिए, जिनका कैरियर अच्छा हो, जिनका उस लाइन मे अनुभव हो। प्रोमिनैस किस्म के आदमियों को ही चेयरमैन लगाना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुटीर उद्योग की बात कर रहा था। ऐसे उद्योग मेवात मे लग सकते हैं और बहुत सी जगहों पर कुटीर उद्योग लगाए जा सकते है। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक बात उठाई कि मेवात में हिन्दुओं के साथ यह जुल्म हो रहा है तो फौरन ही अजमत खा खड़े हो गए और कहने लगे कि ऐसा नही हो रहा है। अगर चीफ मिनिस्टर उसका जवाब देते तो ठीक रहता और उन्हीं को जवाब देना चाहिए था लेकिन अजमत खा खड़े हो गए। उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में किसी को अपनी बात कहने से रोका नही जा सकता, बोलने की या अपनी बात कहने की कोई सीमा नहीं है (घटी)इससे आगे उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हू कि जैन साधवी के साथ मारा पीटी हुई। वे पैदल नंगे पैर चल रही थीं। उनको हम मुख्य मन्त्री के पास लाये। 400 लोगों के हस्ताक्षर की हमारे पास दरख्वास्त है जोकि हमने मुख्य मन्त्री जी को दी है। अजमत खा भाई कहते हैं कि भाई राम बिलास की हम कदर करते हैं पता नही कैसे ये उठकर उल्टा बोलने के लिये खडे हो गये। उपाध्यक्ष महोदय, इनको वह वक्त याद होना चाहिये कि जब हम तेजाखेड़ा मे इक्ट्ठे थे तो जब इनकी नमाज का समय होता था तो वहां डले तोड़–तोड़ कर जमीन पर इनकी नमाज के लिये मैं चादर बिछाया करता था। उपाध्यक्ष महोदय, ये चर्चा करते

कुटीर उद्योग की तो अच्छा था। तावडू में टमाटर पैदा होता है। जब टमाटर का सीजन होता है तो टमाटर चार रुपये टोकरे के हिसाब से बिकता है। दिल्ली से टांगे वाले सस्ते भाव के कारण भाड़ा महंगा होने की वजह से वापिस ले जाते हैं। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि तावड़. मे इस के लिये कुटीर उद्योग लगाया जाना चाहिये। कपास का कुटीर उद्योग लगना चाहिये ताकि बेरोजगारी समाप्त की जा सके। इसी तरह से हार्टीकल्चर के बारे मे है। इस तरह की बातें मे भाई अजमत खां जी करते तो बेहतर होता बजाये इसके कि किसी को क्रिटीसाईज किया जाए। (शोर)भाई अजमत खा जी, मैंने आपकी शनि के खिलाफ कोई गुस्ताखी नही की है जो आप नाराज हो रहे है। (घंटी)

श्री उपाध्यक्षः शर्मा जी, यह लास्ट बैल क्रुक।

प्रो० राम बिलास शर्माः उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो सैटैसिज में ही कंकलूड कर रहा हूं। संक्षेप में, मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे हरियाणा के नौजवान जोकि पढ़े लिखे बेकार हैं, उनको इस तरह के छोटे–छोटे कुटीर उद्योगों के लिये सरकार प्रोत्साहन दे, ट्रेनिंग दे जैसे कि भिंडी, काकड़ी और टमाटर वगैरह हैं, इनकों पैदा करने के सारे साधन जुटाए जाएं। उन पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों को ट्रेनिंग के रूप मे सरकार सहायता करे ताकि वे अपनी रोजी रोटी स्वयं कमा सके और किसी पर निर्भर न रहें। दिल्ली के साथ हरियाणा की लगने वाली सब्जी मण्डियां है, उनको सब्जी बैलट बनाया जाए।

इसी तरह से मैं शूगर मिलों के बारे में इतना ही कहूंगा कि हमारी सरकार शूगर मिलों को प्राइवेट हाथों में देने जा रही एं। मैं सरकार से यह पूछना चाहता हू कि अगर हमारी भूना व मैहम वाली कोआप्रेटिव शूगर मिल फायदे मे जा रही है तो फिर नारायणगढ यमुनानगर वाली शूगर मिल प्राइवेट हाथों में क्यों दी हुई है। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये। बस इतना ही कहता हुआ मैं अपना स्थान लेता हूं। धन्यवाद।

श्रीमती चन्द्रावती (लोहारु): उपाध्यक्ष महोदय, मैं एप्रोप्रिएशन बिल पर अपने विचार रखने के लिये खड़ी हुई हूं। मैडिकल कालेज रोहतक के बारे में, मैं एक बात दोहराना चाहती हू कि पिछले दिनो मैडीकल कमिश्नर वहां गये थे और उन्होंने वहां के मैडीकल प्रिंसीपल को एक बात कही थी कि हफते में कम से कम दो दिन सीनियर डाक्टर्ज को आउट–डोर में बैठना चाहिये डाक्टर जे० पी० सिंह पहले वहां होते थे उनके वक्त मे सीनियर डाक्टर आउट डोर में बैठते थे, उनके वहां से आने के बाद यह सिलसिला खत्म हो गया जिससे जो गरीब पेशन्टस हैं, उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन कुछ डाक्टर्ज ने कहा कि हम हफते में दो दिन नही बैठेंगे। मैं इस सरकार से यह कहना चाहती हूं कि डाक्टर्ज का आऊट–डोर पर बैठना बड़ा ही आवश्यक है क्योंकि हर गरीब आदमी वही पर अपने इलाज के लिये आता है। अतः मेरा मुख्य मन्त्री व सम्बन्धित मन्त्री महोदया से यह कहना है कि वे इस ओर ध्यान दें क्योंकि पहले प्रिंसीपल

डायरैक्टर के आडर्ज से डाकटर्ज बैठने लग गये थे लेकिन बाद में डाक्टर्ज का जोर पड़ा तो वह आर्डर वापिस हो गये। चाहे आप उनको प्राइवेट प्रैक्टिस अलाऊ न करें लेकिन उनका वेतन बढ़ा दें ताकि वे डाक्टर्ज अपने काम में और ज्यादा इंट्रस्ट लें। उनको किसी प्रकार का कोई लालच न रहे। मेरा तो बस यही कहना है कि आउट–डोर पर सीनियर डाक्टर्ज हफते में दो दिन अवश्य नियमित रूप से बैठने चाहियें ताकि गरीब लोग उनकी सेवाओं का लाभ उठा सकें। मैं स्टेशनरी के बारे में एक बात कहना चाहती हूं। ये जो कापियां हमें मिली हैं, इन पर आप सियाही की कल्म से लिख कर दिखा दो। इस पर कोई लफज डल ही नहीं सकता। क्योंकि स्टेशनरी सब से जरूरी चीज होती है इसलिये इस पर ध्यान दिया जाए। यह सब से ज्यादा वेस्ट भी होती है और सब से रद्दी कागज यूज किया जाता है। हमारे लिये जो लैटर पैड छपे हैं, इनमें बीच में कोरे कागज पाए जाते हैं और इसी तरह से जो लिफाफे हमें दिए जाते हैं उन पर गोंद नहीं चिपकाया होता। तो ये कोई छोटी बातें नहीं हैं बल्कि बड़ी बातें हैं। पैसे तो हमारे से इतने लिये जाते हैं लेकिन चीज अच्छी नहीं होती। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात मुख्य मन्त्री जी से कहना चाहूंगी। इनके पास डिस्क्रिशनरी प्लौटस हैं। मैं जानना चाहूंगी कि इन्होंने उनमें से हरिजनों को कितने दिए हैं। जो दूसरे धंधे वाले हैं, जो इनके कभी काम आ जाते हैं जो यू० पी० पंजाब और दिल्ली के हैं, वह एक–एक आदमी दस दस प्लाट लेकर आगे बेच देता है। मैं चाहती हूं कि ऐसे आदमियों को प्लाट आप न दें। हम यह चाहते हैं कि

जिसको जरुरत है, उसको दे। डिस्क्रिशन इसीलिये होती है कि जिसके पास अपना मकान नहीं है, उसको दो। आप च्यु लोगों को अमीर बनाने के लिये न दो। मेरा ख्याल है किसी हरिजन या बैकवर्ड को कोई प्लाट नहीं दिया गया। हमारे जैसे भी बहुत से बचे हुए होंगे। मैं खुद नहीं मांगती। मेरे को जनता दल के टाईम में एक प्लाट मिला था मैंने तो वह भी नहीं रखा। इसलिये मैं चाहती हूं कि जो डिजर्व करता है, जो मकान बनाने की हैसियत में नहीं है, उसको आप दो, उसकी हमें खुशी होगी। जिन अफसरों ने अच्छे चुनाव करवाए थे। उनको करीब करीब सब को बदल दिया है। जिनके खिलाफ शिकायत थी, उनको तो बदलने में कोई हर्ज नहीं लेकिन जो एफिशिएंट अफसर हैं, उनको जिला हैड क्वार्टर्ज पर भेजना चाहिये। उनको प्रोत्साहित करने के लिये इन्क्रीमैंट भी दें लेकिन जो खा–खा कर बहुत मोटे हो गए हैं, करोड़ों रुपये की सम्पति बना ली है और उनका कुछ भी नहीं बिगड़ा है, उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये। आज की पंजाब की हालत को देखते हुए हमें कुछ नमना चाहिए। लेकिन इसके लिये कांग्रेस जिम्मेदार है जो इतने साल तक हिन्दुस्तान में राज करती रही। (विघ्न) मैं भी किसी समय कांग्रेस में थी लेकिन हमने ऐसा कभी नहीं किया। आप पंजाब के चुनावों की तरफ देखें। क्या वह कोई चुनाव हुआ शै। पीछे जब चुनावों में कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया था तो उस वक्त चुनाव पोस्टपोन कर दिये गए थे। अब जब अकालियों ने चुनाव में हिस्सा नहीं लिया तो चुनाव करवा दिए गए। उनको कम से कम मौका तो देना चाहिए था। ठीक है वे

अपनी मर्जी से नही आए। हम तो चाहते है कि रिप्रजैटेटिव सरकार बने और देश में खून खराबा न हो। अगर किसी तरह से भी यह खून खराबा दूर होता हो तो घटाने की कोशिश करनी चाहिए। स्तां तक राजधानी का संबंध है, इतने वैस्टिड इंटैरस्टस हैं, जो चण्डीगढ़ को यू० टी० रखना चाहते हैं।

डा० ओम प्रकाश शर्मा: बहिन जी, प्लाट तो आपके पास भी होगा।

श्रीमती चन्द्रावती: मैं आप लोगों की तरह नहीं हूं।

डा० ओम प्रकाश शर्मा: पिछले 25 सालों में ओम प्रकाश ने अगर एक भी प्लाट लिया हो तो असैम्बली से इस्तीफा दे दूगा। (विघ्न)

श्रीमती चन्द्रावती: एक बात मैं यह कहना चाहती हूं कि कम्युनिटी क्यिल्पमैंट का महकमा इसलिए बना था ताकि बी०डी०ओज० ग्राम सेवक और ग्राम सेविकाए गांवों में और छोटे–छोटे कस्बों में कुछ सुधार करेंगे लेकिन आज उनके पास कोई काम नही है क्योंकि उनके पास डिवल्पमैंट के लिए कोई पैसा नहीं जाता है। मार्किटिंग कमेटी केपास थोड़ा बहुत पैसा जाता था लेकिन वह पैसा भी दूसरी तरफ डाईवर्ट कर दिया गया। इसके अलावा मैं यह कहना चाहती हूं कि जो बड़े–बडे गांव हैं, उनमें अन्दर की सड़कें बने। मुख्य मंत्री जी ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि जितनी सड़कें अधूरी पड़ी हैं, उनको हम

ठीक कर देंगे। यह बहुत अच्छी बात है हम इनकी इस बात का यकीन करते हैं। मेरे हल्के में सधगवा, ओबरा, सिरसी और बहल गांवों की सड़कें अधूरी पडी है उनको जरूर कम्पलीट किया जाए। इसके अलावा मैं एक बात यह भी कहना चाहती हूं कि चण्डीगढ़ से वाया कैथल भिवानी तक जो सड़क है, क्या यह रास्ता चौड़ाई में छोटा है। अभी दो महीने पहले जब मैं यहां से भिवानी जा रही थी तो अम्बाला और कैथल के रीच में गाड़ी को धक्के लगा कर निकाला गया था।

एक आवाजः बहन जी, उस समय वहां से सड़क को०ची कर रहे थे।

श्रीमती चन्द्रावतीः यह बात ठीक हो सकती है कि वहां से सड़क०ंची की जा रही होगी लेकिन मैं कहती हूं कि जब सड़क की रेजिंग होती है तो उसकी साइडों में कैटल और आदमियों के लिए आने–जाने का रास्ता तो होना चाहिए। गावों या शहरों में जहां–जहां पर भी पानी खड़ा रहता है, वहां–वहां सड़कें बहुत जल्दी टूट जाती हैं। उस पानी को वहां से निकालने के लिए कोई तो इंतजाम होना चाहिए। सड़क के दोनों तरफ पानी के बहने का इंतजाम अवश्य होना चाहिए। इस बारे में पब्लिक हैल्थ और पी० डब्ल्यू० डी० बी० एण्ड आर० आपस में मिल कर कोई प्लान बनाएं। छूछकवास मे दादरी तक सड़क तो पूरी कर दी है लेकिन उस सड़क के दोनों तरफ पानी खड़ा रहता है उस पानी को निकालने का कोई न कोई इंतजाम अवश्य किया जाना चाहिए।

इसी तरह से बहल और ढिगावा मंडियों में सड्कों के दोनों तरफ पानी खड़ा रहता है जिसके कारण उनमें बहुत ही गंदगी रहती है इसलिए मैं सरकार से कहना चाहूंगी कि उन मंडियों में से उस पानी को निकालने का कोई न कोई इंतजाम अवश्य किया जाए। इसी तरह से मैं एक बात यह भी कहना चाहती हूं कि हरियाणा प्रदेश के अन्दर पशुओं के मेले लगाने के लिए कहीं पर भी जगह नही है। जहां–जहां पर भी मेले लगते हैं, वे सड्कों के किनारे किनारेरू लगते हैं और उनमें पीने के पानी का कोई भी इन्तजाम नहीं होता है। पशुओं के मेले लगाने के लिए बाकायदा अलग जगह होनी चाहिए। चाहे सरकार इसके लिए जमीन लीज पर ले कर पशुओं के मेले लगाने का इंतजाम करे लेकिन पशुओं के मेले लगाने के लिए बाकायदा अलग जगह होनी चाहिए। यदि लीज पर ली गई जमीन पर पशुओं का मेला लगेगा तो उसमें खाद भी लगेगी और उस जमीन में फसल बहुत अच्छी होगी। इसके अलावा मैं आपको एक नया सुझाव देना चाहूंगी। उपाध्यक्ष महोदय, मुर्गी पालन के लिए मुर्गियां विदेशों से मंगाई गई हैं। उनके मोरटैलिटी रेट बहुत ज्यादा है। मेरा इस बारे में वह नया सुझाव यह है कि जो तीतर है, वह जंगलों में रहते हैं। तीतर को डोमैस्टिकेट करना चाहिए। मैं तो वैजेटेरियन हूं लेकिन जो लोग इनको खाते हें उनको हम खाने से मना नहीं कर सकते। तीतर को डोमैस्टिकेट कर देने से जो मोरटैलिटी रेट है वह कम होगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। पहले मुर्गे भी तो जंगलों में रहते थे उनको भी तो डोमैस्टिकेट किया है। इसी तरह से मैं एक बात रोझो के बारे

में कहना चाहती हूं। जो रोझ हैं उनको चिड़िया घरों मे शेरों के भोजन के रूप में खाने के लिए काम में लाया जाना चाहिए। जो हिरण हैं उनकी चमड़ी भी काम आती है लेकिन रोझ कोई काम नहीं आते हैं। यदि रोझों को पकड़ कर चिड़िया घरों में शेरों आदि के भोजन के लिए भेज दिया जाएगा तो हमारे किसानों की फसलें भी खराब नही होंगी क्योंकि रोझ किसानों की फसले खराब कर देते हैं। इसके अलावा चिडिया घरों में शेरों के खाने के लिए बकरे भेजे जाते हैं उनकी जान भी बच जाएगी। मैं तो यह कहती हू कि रोझ को पकड़ कर चिड़िया घर में खुला छोड़ देना चाहिए ताकि शेर अपने आप उसका शिकार कर सके।

स्वास्थ्य मन्त्री (बहिन करतार देवी): उपाध्यक्ष महोदय बहन चन्द्रावती जी ने बोलते हुए मैडिकल कालेज के बारे में अपनी बात कही थी कि जब से डा० जे० पी० सिंह वहां से गए हैं तब से मैडिकल कालेज रोहतक में ओं० पी० डी० के अन्दर सीनियर डाक्टर्ज नहीं बैठते। इस बारे में मैं बहन चन्द्रावती जी को बड़े सादर और नम्रतापूर्वक बताना चाहती हूं कि जब डा० जे० पी० सिंह मैडिकल कालेज में थे तो वहां पर जूनियर, सीनियर डाक्टर्ज और दूसरा स्टाफ परेशान था। तीन सीनियर प्रोफैसर तो उनसे तंग आ कर रिजाईन दे गए थे जिनको अब कहीं आ कर वापस डयूटी पर लिया है। मैं बताना चाहती हूं कि जब से वे गए हैं, तब से मरीजों की तादाद ओ० पी० डी० में और एमरजैसी में बढ़ी है। इसके साथ ही साथ मैं यह भी बताना चाहती हूं कि हमारी

सरकार के आने के बाद दो बार एम० बी० बी० एस० की भरती की गई है लेकिन एक भी रिट इसके खिलाफ नहीं हुई जबकि उनके समय में पता नहीं दाखिले के लिए कितनी रिटें होती थीं। ये बड़ा शोर मचा रहे थे कि डा० जे० पी० सिंह चला जायेगा तो पता नही क्या हो जायेगा। जब वे गए थे, उनके समर्थन में कोई भी स्टाफ का आदमी या डाक्टर आगे नहीं आया बल्कि सभी को राहत की सांस मिली है।

श्रीमती चन्द्रावतीः आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। जो आदमी अपने को हाउस में डिफैड नहीं कर सकता उसके बारे में आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। वे बड़े योग्य और अच्छे डाक्टर हैं।

बहिन करतार देवीः बहन जी, मैंने उनके खिलाफ तो कुछ भी नहीं कहा। मैंने तो मैडीकल कालिज की स्थिति बताई है।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसलाः उपाध्यक्ष महोदय, जब से सैशन चला है तब से हम देख रहे हैं कि इन अपोजीशन के सदस्यों को ही बोलने का ज्यादा समय मिलता है। हमें बोलने का समय नहीं दिया जा रहा है। हम कई दफा कोशिश कर चुके हैं कि हमें भी यानी रूलिंग पार्टी के सदस्यों को बोलने का मौका मिले लेकिन हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा जबकि इनको 10– 10 दफा समय दे रहे हैं। इनकी तरफ से भी केवल गिने चुने

सदस्य ही बोल रहे हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि अब हमें बोलने का मौका दिया जाये।

श्री बसी लालः आन ए प्वायंट आफ आर्डर। उपाध्यक्ष महोदय, मैडिकल कालेज के बारे चर्चा हो गई है इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस सदन के माननीय सदस्य चौधरी अतर सिंह जी के लड़के को मैडिकल कालेज में अटैड न करने के कारण उसका देहांत हो गया है। इस बारे में मैंने पीछे बोलते हुए मुख्य मंत्री जी को सुझाव दिया था कि इस की इन्क्वायरी करवाएं लेकिन इनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उपाध्यक्ष महोदय, जब एक एम० एल० ए० के लड़के के साथ ऐसी हालत है तो फिर आम लोगों के साथ वहां पर क्या होता होगा। अब मैं फिर मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उसकी ये इन्क्वायरी करवायें।

चौधरी भजन लालः उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर अगर ऐसी गडबड हुई है या देख भाल ठीक नहीं हुई है तो उसकी हम जांच करवायेंगे और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ ऐक्शन ले लेगे।

श्री राम रतन (हसनपुर–अनुसूचित जाति): उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने जो बजट पेश किया है उससे हर वर्ग को खुशी हुई है। यह बजट हमारी केन्द्रीय सरकार की नीतियों के अनुरूप है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः आप कागज पर से पढ़ रहे हैं वो कि स्पीच दे रहे हैं

श्री राम रतनः डिप्टी स्पीकर साहब, मैं नया–नया मैम्बर बना हूं इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपनी बात को ठीक ढंग से हाउस में कह सकू इसलिए मैं पढ़ कर बोल रहा हूं।

श्री बंसी लालः उपाध्यक्ष महोदय, अगर इन्होंने स्पीच पढ़ कर ही बोलना है तो इनकी स्पीच को सदन के पटल पर रखवा दें इस को पढवा कर सदन का ममय खराब न करें।

श्री उपाध्यक्षः राम रतन जी, आप कागज से पढ़ें नही और वैसे ही स्पीच दे। **श्री राम रतनः** डिप्टी स्पीकर साहब, मैं अपने हल्के की कुछ बातें आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री जी के नोटिस में लाना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्षः आप कागज की मदद ले सकते हैं लेकिन मारी स्पीच कागज मे नही पढ सकते हैं इसलिए आप कागज से पढ़ें नहीं।

श्री राम रतनः ठीक है सर, मैं बिना कागज के ही बोलता हूं। अध्यक्ष महोदय, जो हमारी सरकार ने बजट पेश किया है, वह बहुत ही अच्छा है। इस बजट से हरियाणा का हर वर्ग का बच्चा–बच्चा खुश है। यह पूरी तरह से हमारी केन्द्रीय सरकार की नीतियों के अनुरूप है। जिस तरह से केन्द्रीय सरकार ने देश को आर्थिक संकटों से उबारा है, उसी तरह इससे हरियाणा की

आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी जिससे हरियाणा के लोगों की खुशहाली होगी। उपाध्यक्ष महोदय, अब मे अपने हल्के की कुछ बातों के बारे में जिक्र करना चाहूंगा। हमारे इलाके के किसानों का गन्ना खेतों में खड़ा सड रहा है लेकिन लोगों को शुगर मिल से पर्चियां नही मिल रही हैं। हमारे एक विधायक उन पर्चियों को ले कर यू० पी० के किसानों को दे देते हैं। ये विधायक पलवल की शुगर मिल को बदनाम कर रहे हैं। शुगर मिल बहुत अच्छा है लेकिन ये उसे चलने नही दे रहे है (विध्न)ये वहां के लोगों के साथ मिल कर उस मिल का भट्ठा बिठा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि जो पुराने कर्मचारी हैं, उनको वहां से दूर–दूर स्थानान्तरित किया जाए ताकि मिल सही ढंग से चल सके। (विध्न) उपाध्यक्ष महोदय, होडल जो कि सब– तहसील है, उसको तहसील का दर्जा दिया जाए इसके अलावा होडल शहर में सीवर का लगवाया जाना भी जरूरी है। मेरे हल्के हसनपुर में किसी भी व्यक्ति ने कोई काम नही किया और उसे लूटते रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से अपील करूंगा उजीना ड्रेन से निकलने के बाद वहां पर पीने के पानी की दिक्कत है। वह बहुत गहरी है। गढ़ी, बेढापट्टी, होडल, भुलवाना आदि गांवों को पीने का पानी नही मिल रहा है और कुछ हल्के के गांवों का पानी खारा हो गया जो कि पीने के योग्य नहीं है। वाटर सप्लाई के टयूबवैल भी खारे हो गये हैं अतः उनको चौक करवा कर वहां पीने के पानी की व्यवस्था ठीक की जाए। कुशक हाई स्कूल जो कि आजादी से पहले भी

हाई स्कूल था, इसको 10 जमा 2 का बनाया जाए। बड़ौली गर्ल्ज स्कूल को बढ़ा कर हाई स्कूल किया जाए। कर्मन मिडल स्कूल को हाई स्कूल में अपग्रेड किया जाए। मेरा अपना गांव सल्लागढ पलवल हल्के में पड़ता है वहां पर लडकियों के लिए मिडिल स्कूल है, मैं निवेदन करता हूं कि इसे भी गर्ल्ज हार्ड स्कूल बनाया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, नहर के मामले मे सारे जिला फरीदाबाद के लोगों की बदकिस्मती है कि उन्हें आगरा कैनाल से पानी मिलता है जो कि हरियाणा से दुगने रेट पर मिलता है और पानी की कभी भी समुचित आपूर्ति नही होती है। इस मामले में हमारे लोगों को सदा यू० पी० सरकार के अधीन रहना पड़ता है। हमारे जिले के लोगों की यह पुरानी मांग है कि आगरा कैनाल का बन्दोबस्त हरियाणा सरकार अपने हाथ में ले। इसका पानी भी टेल तक नही पहुंचता है, अतः माईनरों की खुदाई की जाए। अभी तक माईनरों की खुदाई नहीं हुई है। एक बात मैं और कहना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने बसें जलवा दी थी उससे हरियाणा मे काफी नुक्सान हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में बसें इतनी कम हैं कि वहां पर आम लोग और किसान बहुत दुखी हैं। वहां पर बसें दी जाएं ताकि जो बच्चे पढ्ने के लिए जाते हैं, वे टाईम पर स्कूल पहुंच सकें। दूसरे मेरी प्रार्थना यह है कि आज तक मेरे हल्के मे किसी भी विधायक ने कोई काम नही किया है। सड्कों में दो–दो किलोमीटर के टुकड़े अधूरे पड़े हुए हैं। किसानों को उससे बहुत नुक्सान है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में 15– 16 किलोमीटर की जो मेन सड़कें हैं, उनमें कही एक

किलोमीटर पर और कहीं दो किलोमीटर पर सड़कें टूटी पडी है। वे भी पूरी की जाएं ताकि हमारे हल्के के किसानों को फायदा हो।

14.00 बजे

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा हल्का पिछड़ा हुआ हल्का है। जिस तरह से मेवात को पिछड़ा हुआ हल्का घोषित कर दिया गया है, उसी तरह से हसनपुर क्षेत्र को भी पिछड़ा हुआ घोषित करके वहां पर फैक्टरियां लगवाई जाएं ताकि हमारे किसानों के बच्चे, जो कि फरीदाबाद फैक्टरियों में जाते हैं, वे 'हसनपुर में ही रहें। वहीं उनको सर्विस मिल जाए और हसनपुर का काफी विकास हो। उपाध्यक्ष महोदय, बिजली में भी काफी सुधार हुआ है। फिर भी कहीं–कही कमी है और उसमें भी सुधार करें। मैं मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि मेरे हल्के में एक पावर हाऊस लगाया जाए ताकि वहां पर फैक्टरियां लगाई जा सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, बढौली एक बहुत बडा गांव है। लेकिन वहां पर लड़कियों के पन्ने के लिए कोई भी स्कूल नही है। बच्चियां 30– 30 किलोमीटर चलकर पढने जाती हैं। उपाध्यक्ष महोदय, पै से वाले लोगों की बच्चिया तो इतनी दूर पढ्ने के लिए पली जाती हैं परन्तु गरीब की बेटी नहीं जा सकती और वे बिना पढ़े लिखे रह जाती है तो वहां पर एक हाई स्कूल होना जरूरी शै। उपाध्यक्ष महोदय, बढ़ौली में एक बहुत ही पुराना अं ग्रे जों के जमाने का कूशक हाई स्कूल है, उसको भी अपग्रेड करके 10 +

2 का दर्जा दिया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं यह कहना चाहता हू कि 20 तारीख को कुछ शरारती तत्वों ने मस्जिद के सामने कम से कम 20– 30 लाख की जमीन पर कब्जा कर लिया है। अगर मैं उनके नाम लूगा तो कर्ण सिंह दलाल उठ कर खड़े हो जाएंगे। वे उनके भाई है। (शोर एवं व्यवधान)उनके नाम हैं: – देवी चरन मंगला, बबलु और दुर्गा लम्बरदार है। कर्ण के भाईयों ने कब्जा कर लिया है। सरकार को उसके विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिए।

श्री बंसी लालः उपाध्यक्ष महोदय, जो व्यक्ति सदन में नहीं है, उनके बारे में यहां नहीं कहा जाना चाहिए और जो अपने आपको सदन में डिफैड नहीं कर सकते उनके नाम सदन में नहीं लिए जा सकते। उपाध्यक्ष महोदय, उनके नाम ऐक्सपंज किए जाए।

चौधरी शेर सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में बहुत सारे ऐसे नाम आए हैं, आते थे और आते रहें गे जो कि सदन मे मौजूद नही थे। उपाध्यक्ष महोदय, आप पिछली सारी प्रोसिडिग्ज देख लें। अगर उसमें वे नाम कटे हुए हैं, तो ये नाम भी काट देंगे और अगर नही कटे हुए हैं तो इनके नाम भी एक्सपंज नही होंगे।

श्री राम रतनः उपाध्यक्ष महोदय पलवल मे यह पता कर लें कि कर्ण सिंह दलाल ने खुद मौके पर दीवार चुनवाई है, इसमें कुछ झूठ नहीं है। अगर कुछ झूठ है तो मैं सदन से इस्तीफा दे दूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, इन्होने उस जमीन पर रातों– रात कब्जा

किया है और वहां पर दीवार खड़ी करके उसमें दरवाजा भी निकाल दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, यह अन्याय हो रहा शै। ये इधर–उधर की बातें सदन में बचने के लिए कह रहे हैं। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए और इनके आदमियों के साथ भी सख्त कार्यवाही होनी चाहिए।

वैयक्तिक स्पष्टीकरण –

श्री कर्ण सिंह दलाल द्वारा

श्री कर्ण सिंह दलालः आन ए प्वायंट आफ पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस तरह की बाते मेरे साथी विधायक अभी कर रहे थे, वैसी बातें हर किसी को कहनी आती हैं। हर कोई आदमी हर तरीके से इन बातों का जबाव दे सकता है। जिस तरह से इन्होंने शूगर मिल की पर्चियों के बारे में इल्जाम लगाये हैं तो मैं इनको बता देना चाहता हूं कि वैसे तो हम अपनी पर्चियां यू० पी० में भी भेजते हैं लेकिन जहां तक दूसरी पर्चियो का मामला है, मैंने खुद इस सिस्टम के खिलाफ आवाज उठायी है, मिल पर प्रदर्शन किया है और ग्रिवैंन्सिज कमेटी में भी आवाज उठायी है। इसके अलावा रजिस्ट्रार और शूगर फैडरेशन के एम० डी० को चिट्ठी भी लिखी है कि शूगर मिल में किस तरह की धांधलेबाजी हुई है तथा पर्चियों का किस प्रकार से दुरुपयोग किया गया है और खरीद फरोख्त में कितनी हेरा फेरी की गयी है? इन सब के बारे में मैंने आवाज

उठायी है। दूसरे इन्होंने मेरे भाई का नाम लेकर एक बात कही है। इसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि वह इस सदन में मौजूद नही हैं इसलिए इसको इस कार्यवाही से एक्सपंज किया जाये। इसके अलावा अगर मेरे किसी भाई ने, किसी रिश्तेदार ने या किसी साथी ने मस्जिद की जमीन पर कब्जा किया हो, जैसे ये कह रहे हैं। इसके लिए वैसे तो मैंने कल ही टैलीफोन करके मालूम किया था तो मुझे पता चला है कि वहां पर कोई कब्जा नही किया गया है लेकिन यह बात सही है कि वहां पर कोई आपसी जमीन का झगड़ा चल रहा है फिर भी अगर यह सोचते हैं कि मैंने या मेरे किसी आदमी ने किसी जमीन पर कब्जा कर रखा शै तो आप इसके लिए एक कमेटी बनायें और जो सजा आप मुझे देंगे, उसके लिए मैं तैयार हूं। लेकिन यह बात अच्छी नही है कि यहा पर एक कृ रू आदमी खड़ा होकर कुछ भी बकने लगे। (शोर)

श्री उपाध्यक्षः यह बेवकूफ शब्द रिकार्ड न किया जाये।

श्री कर्ण सिंह दलालः .... (शोर)

श्री राम रतनः .....

श्री उपाध्यक्षः पर्सनल ऐक्सप्लैनेशन के दौरान यह जो दोनों ओर से ऐलीगेशन्ज और काउन्टर ऐलीगेशन्ज लगाए गए हैं these will not be a part of the record .

दि हरियाणा ऐप्रोप्रिएशन (नं० 2)बिल 1992 (पुनरारम्भ)

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला (बल्लभगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो मुझे बोलने के लिए समय दिया है उसके लिए आपका धन्यवाद। पहली नवम्बर, 1966 को देश के इस मानचित्र पर हरियाणा राज्य का उदय हुआ और आज हरियाणा प्रदेश को बने हुए 25 वर्ष हो गये हैं। यह बड़ी खुशी की बात है और इसलिए ही यह चालू वर्ष सारे प्रदेश में रजत जयन्ती वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। आर्थिक और सामाजिक विकास के नये कीर्तिमान स्थापित करने के लिए हमारी सरकार ने एक नया 25 सूत्रीय कार्यक्रम लागू किया है। इस कार्यक्रम के जहां अनेक मुख्य उद्देश्य हैं, वहीं उनमें से एक कार्यक्रम सारे प्रदेश में आपसी भाईचारा और प्यार प्रेम का भी है। इस 25 सूत्रीय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह भी है। उपाध्यक्ष महोदय, आप भली भांति जानते हैं कि पिछले चार सालों से हमरि प्रदेश में जो सरकार रही है, उसने किस प्रकार से जितनी भी प्रजातांत्रिक संस्थाएं हैं, उनका हनन किया था। पिछले चार साल में पंचायतों के चुनाव हुए म्युनिसिपल कमेटियों के चुनाव हुए। जितने भी चुनाव हुए, उन सभी चुनावों में जो हमारे समाज के गरीब वर्ग के भाई थे, चाहे वे हरिजन थे, बैकवर्ड क्लासिज के लोग थे, आर्थिक रूप से कमजोर भाई थे या अन्य कोई ऐसे भाई थे, उन सब को वोट डालने तक का अधिकार नहीं दिया था। (इस समय समापतियों की सूची के एक सदस्य चौधरी फूल चन्द मुलाना पदासीन हुए।)चेयरमैन महोदय, आज से

चार साल पहले के पूर्व राज में सारे प्रदेश में इन लोगों के साथ इसी तरह का व्यवहार किया गया कि 60– 65 परसैट आबादी के ये लोग प्रशासन से बिल्कुल ही कटे हुए थे। उसी का परिणाम था कि हमारे गरीब भाइयों के अन्दर अपने ग्रीवैसिज को लेकर तहसील या जिला स्तर तक के कार्यालयों में जाने तक का हौंसला नही था। मैं एक बात की अपने मुख्य मंत्री महोदय को और हरियाणा सरकार को बधाई देना चाहता हूं। इस सरकार ने बनने के बाद जो पोलिटीकल प्रोसैस था, उसको ठीक तरीके से पूरा किया है। डैमोक्रेसी में जो प्रजा– तांत्रिक संस्थाएं होती हैं, पहले वह छिन्न–भिन्न हो गयी थीं, उनको दोबारा से बनाया गया है। अभी जो पंचायतों के चुनाव हुए और म्युनिस्पिल कमेटियों के चुनाव हुए हैं, उन के अन्दर बिना किसी रोक–टोक के सभी हरिजन भाइयों ने और कमजोर वर्गी के लोगों ने जिनमें शहरी महिलाएं भी शामिल हैं, मताधिकार का प्रयोग किया है। इस बात का बड़ा भारी श्रेय इस हमारी हरियाणा सरकार को जाता है। हमारे सजपा के भाई यहां पर बैठे नहीं हैं। मेरी समझ में एक बात नहीं आती। विधान सभा में इन लोगों ने अपना सजपा का फट्टा लगाया हुआ है कि हम सजपा के विधायक हैं। चौधरी देवी लाल जी की जय बोलकर इन्होंने इस गरिमामय सदन की चेयर का, जिस पर आप विराजमान हैं, किस तरीके से अपमान किया है और डिफाई किया है। हाउस से बाहर, जब चौधरी देवी लाल से पब्लिक में यह पूछते हैं कि सजपा नाम की क्या कोई पार्टी है तो वही चौधरी देवी लाल जिनको यह लोग अपना नेता मानते हैं,

बडी दलील के साथ यह कहते हैं कि सजपा नाम की कोई पार्टी है ही नहीं। इनको देखें, यह अमी तक सजग का ही फट्टा भगाये हुए बैठे हैं। इनके सबसे बडे नेता इस पार्टी के बारे में इन्कार करते है। जिस तरीके से इन्होंने इस गरिमामय सइन में व्यहार किया है, वह बड़ा ही चिन्ता का विषय है। मैं अपने साथियों का ध्यान अपनी दातों की ओर आकर्षित करते हुए आपके सामने यह अर्ज करूंगा कि हमारा यह जो डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम है, डिपो–होल्डर्ज के दाम जो चीनी, गेहूं, मिट्टी का तेल आदि डिस्ट्रिब्यूट किया जाता– है, इसमें सुधार करने की जरूरत है। विशेषकर हमारे जो आर्थिक रूप से समाज के पिछड़े हुए लोग हैं, उनको गेहूं या चीनी या मिट्टी का तेल देने के सिस्टम में सुधार करने की गुंजाइश है। मैं अपने झेल के बारे में जानता हूं। वहा पर कुछेक डिपो–होल्डर्ज का ग्रुप बना हुआ है। नलवा जी यह कह रहे थे कि वह माफिया है। वह लोअर लैवल पर इस सिस्टम में जो फील्ड अधिकारी हैं, उनसे कनायवैंस करके डिस्ट्रिब्यूशन को ठीक तरह से नहीं चलने देता। वह सोपान को ठीक लोगों तक नही पहुंचने देता। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि वहां पर एक–एक आदमी के पास 15– 15 डिपो हैं। इस नयी सरकार मे जो अच्छी छवि के लोग मंत्री हैं, उनको यह डिपो–लाइसैस कैसिल कर देने चाहियें और नये और अच्छे लोगों को यह लाइसैस देने चाहिये ताकि गरीब आदमी के घर तक गेहूं, चीनी और मिट्टी का तेल वगैरह पहुंच जाये। हमारी सरकार गरीब आदमी तक ये चो नें पहुंचाना चाहती है।

चेयरमैन साहब, मेरा दूसरा प्वाएंट यह है कि मेरे क्षेत्र मे 22,23,24 और संजर कालोनी की तकरीबन एक लाख की आबादी है लेकिन स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोई फैसीलिटीज प्रोवाइड नही की गई हैं। मैं चाहूगा कि इस क्षरेत्र मे एक पी० एच० सी० बनाई जाए। चेयरमैन सर्हिब, बल्लभगढ़ क्षेत्र में एक छाइंसा–डिस्ट्रीव्यूटरी है जो पैंतीस चालीस किलोमीटर लम्बी है और यह डिस्ट्रीब्यूटरी काफी समय पहले बनी थी। जब से यह डिस्ट्रीव्यूटरी बनी है, इसकी मुरम्मत नही हुई। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि अप्रैल के बाद इस डिस्ट्रीब्यूटरी को पक्का कराया जाए। ऐसा करने से जो वहां पर पानी की भारी समस्या है, और विशेषकर बल्लगढ में जो वाटर टेबल नीवें चल–। गया है, यह समस्या इसको पक्का करने से दूर हो जाएगी। जब इसकी लाइनिंग कर–। देंगे तो जितने पानी की उस एरिया मे जरूरत है, वह जरुरत पूरी हो जाएगी।

चेयरमैन साहब, इससे अगली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि फरीदाबाद के एक तरफ दिल्ली लगता है और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश लगता है। फरीदाबाद के बीच में से जो जी० टी० रोड जाती है उस रोड पर टैरफिक बहुत ज्यादा है। सैकड़ों की संखया में बम्बई के लिए, राजस्थान के लिए वी० आई० पी० उस सड़क से गुजरते हैं। आगरा देखने के लिए बहुत ज्यादा विदेशी लोग उस सड़क से गुजरते हैं लेकिन वहां पर टैरफिक कन्ट्रोल का कोई सिस्टम नही है। मेरी आपके द्वारा सरकार से दरखास्त है कि

वहां पर एक टैरफिक एंड सिक्योरिटी विंग बनाया जाए। इस बारे में कई बार वहां के लोगों ने लिखकर दिया है। चेयरमैन साहब, उस सड़क पर बहुत ज्यादा टैरफिक है। इस जी० टी० रोड पर कई दफा बहुत भयंकर ऐक्सीडैंट हो जाते है और कई घंटे तक कोई ऐम्बूलैस नहीं मिलती। ऐक्सीडैट्स में लोग बुरी तरह जख्मी हो जाते हें और डैथ भी हो जाती हैं। वहां पर रिकवरी वैन की भी सुविधा दी जानी चाहिए और जैसा कि मैंने पहले कहा है वहां पर एक ट्रैफिक एंड सिक्योरिटी विंग बनाया जाए। चेयरमैन साहब, मैं अगली बात यह कहना चाहता हूं कि यह ठीक है कि चौधरी भजन लाल के नेतृत्व में हरियाणा का चहुंमुखी विकास हो रहा है, लेकिन इस विकास के साथ ही साथ हरियाणा में शराब की कंजम्पशन बढ़ती जा रहा है। अगर हमारा हरियाणा एक तरफ तो आर्थिक विकास की ओर बढ़ता रहा लेकिन दूसरी तरफ शराब की कंजम्पशन बढ़ती रही तो आर्थिक विकास नहीं हो पाएगा। चेयरमैन साहब, हालत यह हो गई है कि हमारे नौजवान बच्चे और गरीब किसानों कैं बच्चे तथा मजदूर और उनके बच्चे खूब शराब पीने लगे हैं। हालत यहां तक पहुंच गई है कि जो हरिजन परिवारों की महिलाएं हैं, उन तक शराब पहुंच गई है। देखने में यह आया है कि हम लोग कभी किसी शादी वगैरह में शाम के समय टीका आदि करने के लिए जाते हैं, तो वहां बड़ी भारी दिक्कत आती है। सारे नौजवान शराब पीकर०धम मचाते हैं और ऐसी स्थिति में ला एण्ड आर्डर की स्थिति बन जाती है। चेयरमैन साहब, मैं मुख्य मन्त्री महोदय को बधाई देना चाहता हू कि उन्होंने कुरुक्षेत्र शहर

में इस साल शराब के ठेकों की नीलामी नहीं की है। यह बहुत अच्छी बात है। (घंटी)चेयरमैन साहब, मैं अमी खत्म करता हूं। मैं दो मिनट और लूंगा। चेयरमैन साहब, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हू कि ऐक्साइज एंड टैक्सेशन की पोलिसी के तहत गांवों में ठेके नही होने चाहिए और अहाते तो बिल्कुल बन्द होने चाहिए। चेयरमैन साहब, अगली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो हमारी परीक्षा पद्धति है, उसमें नकल ने बहुत गम्भीर रूप धारण कर लिया है। सभी पार्टीज के सदस्यों ने इस पर चिन्ता व्यक्त की है। इस दोष को दूर करने के लिए आप पूरी कोशिश करे। सैशन के बाद चाहे कैबिनिट की मीटिंग बुलाएं या उच्चाधिकारियों की मीटिंग। बुलाए और कोई तरीका निकालें कि आने वाले समय में नकल बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर हम इस नकल को नहीं रोक पाए तो हरियाणा का भविष्य गड्ढे मै चला जाएगा। इन शब्दों के साय चेयरमैन साहब आपका धन्यवाद करते हुए मैं अपना स्थान लेता हूं।

(इस समय बहुत से सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए।)

Mr. Chairman : All of you please take your seats. Let Dr. Ram Parkash explain first what he wants to explain. Prof. Chhattar Srngh ji, I will gave you time after Dr. Ram Parkash.

इलैक्ट्रोनिक्स राज्य मन्त्री (डा० राम प्रकाश): चौयरमैन साहब, मैं बिसला जी के नशाबन्दी के सुझाव से सहमत हूं और

जो उन्होंने शराब की कंजम्शन को कम करन के सुझाव दिये हैं, वे बहुत अच्छे सुझाव हैं। इसके लिये मैं भी यह कहूंगा कि शराब की खपत कम करने के लिये इस हाउस के माननीय सदस्यों की एक समिति बनानी चाहिये ताकि वह समिति सरकार को सुझाव दे कि किस तरीके से नशाबन्दी की जा सकती है। साथ ही शराब की दुकानों में शराब की बिक्री का समय भी निर्धारित होना चाहिये। शराब खरीदने वाले को उसकी रसीद भी मिलनी चाहिये ताकि किसी न किसी की जिम्मेवारी भी फिक्स की जा सके कि सम्बन्धित आदमी ने शराब कहां से खरीदी है। अगर कभी हादसा हो जाए तो बाद में बड़ी दिक्कत होती है कि फलां आदमी ने शराब कहां मे खरीदी थी। सरकार इस बात का भी ध्यान रखे कि शराब के ठेके स्कूलों से काफी दूर होने चाहिये। धन्यवाद। (इस समय बहुत से सदस्य बौलने के लिए खड़े हुए।)

श्री सभापतिः वित्त मन्त्री जी आप बोलिए।

वित्त मन्त्री (श्री मांगे राम गुप्ता): चेयरमैन साहब, आज सदन में हरियाणा विनियोग बिल (सं०2)पर चर्चा चल रही है.. (शोर एवं व्यवधान)

आवाजें: चेयरमैन साहब, हमें भी बोलने के लिये समय चाहिये।

श्री सभापतिः साहेबान, अब मैंने वित्त मन्त्री महोदय को बोलने के लिये परमिट कर दिया है। आप सभी साहेबान बैठने की कृपा करें। (शोर)

प्रो० छतर सिंह चौहानः चेयरमैन साहब, मैं भी इस बिल पर बोलना चाहता था और आपने मुझे समय देने का वायदा भी किया था। लेकिन आप ने वित्त मण्डी महोदय को बोलने का समय दे दिया है। (शोर)

Mr. Chairman : Prof, Sahib; you will get time later on,

श्री हरि सिंह नलवाः चेयरमैन साहब, अगर वित्त मन्त्री महोदय ने मोल लिया तो फिर हमारे बोलने का क्या मतलब रहा? (शोर)

Mr, Chairman : Nalwa Sahib, you will also get time, He is just intervening,

प्रो० छतर सिंह चौहानः चेयरमैन साहब, पहले हमें टाईम दे दें। ये बाद में इकट्ठा ही बोल लेंगे। मैं तो केवल एक मिनट ही लूंगा।

श्री सभापतिः ठीक है आप बोलिए। गुप्ता जी आप कृपया बैठ जाए।

प्रो० छतर सिंह चौहानः चेयरमैन साहब, आपका बड़ा धन्यवाद जो आपने मुझे बोलने का समय दिया। चेयरमैन साहब,

एक बात की ओर मैं इस सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसको अभी तक किसी ने टच नहीं किय।—। चेयरमैन साहब, हरियाणा सरकार ने 1983 के अन्दर इम्पलाईज के लिये एक स्कीम चालू की थी कि सरकारी कर्मचारियों को 10 परसैन्ट तो अपने जी० पी० फण्ड में जमा करवाना ही पड़ेगा लेकिन जो कर्मचारी 10 से साढ़े 12 परसैन्ट तक जमा करवाएगा उसके खाते में सरकार अढाई परसैन्ट कंट्रीव्यूट करेगी। उसके बाद यह भी हुआ कि जो साढ़े 12 परसैन्ट से भी ज्यादा कटवाएगा उसको साढ़े 12 परसैन्ट से०पर की रकम पर सरकार इनसैटिव के तौर पर एक परसैन्ट ऐक्सट्रा इंटैरस्ट देगी। मैं यह बात इसलिये कह रहा हूं क्योंकि मैं खुद एक इम्पलाई रहा हूं। 1983 से लेकर 1992 तक किसी भी सरकार ने इस ओर ध्यान नही दिया।

श्री सभापतिः चौहान साहब, अब आप बैठिए। आप पहले भी बोल चुके हैं (अब आप गुप्ता जी को बोलने दीजिड।

श्री किताब सिंहः चेयरमैन साहब, मुझे भी एक मिनट बोलने के लिये चाहिये। (शोर)

श्री सभापतिः किताब सिंह जी, यह कोई तरीका नही है। आपको भी बाद में बोलने का समय मिलेगा। अब आप वित्त मन्त्री महोदय को बोलने दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मांगे राम गुप्ताः चेयरमैन साहब, मैं कह रहा था कि बहुत से माननीय सदस्यों ने आज इस ऐप्रोप्रिऐशन बिल पर बोलते

हुए अपने अपने विचार इस सदन के सम्मुख रखे। वैसे तो जब बजट पर चर्चा आरम्भ हुई थी तो तकरीबमें बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार सदन के सम्मुख रखे थे।

Mr. Chairman : Gupta Ji, are you replying to the bill or you are just intervening. (Interruptions).

श्री मांगे राम गुप्ताः चेयरमैन साहब, मैं तो रिप्लाई दे रहा हूं। (शोर)

Mr, Chairman : Then let the other members speak first, you can reply later on.

श्री मांगे राम गुप्ताः ठीक है जी।

श्री हरि सिंह नलवा (सम्भालखा): चेयरमैन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बोलने के लिये 15 मिनट का समय दिया। (हंसी)चेयरमैन साहब, हाउस में आज बहुत चर्चा हुई कि पेपर लीक आउट हो गए और नकलें बहुत हुई और हमारा सारा ऐजुकेशन सिस्टम खराब हो गया। इसमें कोई शक नहीं कि अगर हमारी शिक्षा प्रणाली इस तरह की रही तो यह प्रदेश के हित में नही होगा। एजुकेशन सिस्टम को सही करने के लिए, पेपर लीक आउट न होने पाएं और नकल न होने पाए, इसके लिए मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। अगर इस औगस्ट हाउस को मेरा सुझाव पसंद आए तो सरकार उसको एडौपट कर ले। मेरा सुझाव यह है कि सारे प्रान्त के अन्दर स्कूलों मे जो–जो टीचर्ज जो सब्लैक्टस पढ़ाते है, उन टीचर्ज का उनके सबजैक्ट का

हर साल इम्तिहान लिया जाए। अगर वह टीचर उस सबजैक्ट में 95 परसैंट नम्बर ले कर पास न हो तो वह टीचर रहने का हकदार नहीं है। अगर ऐसा कर दिया जाए तो चौकिंग के लिए किसी इन्स्पैक्टर की जरूरत नहीं रहेगी। जब टीचर की अपने सबजैक्ट पर इतनी कमांड होगी तो वह बच्चों को पड़ाने मे पूरी रूचि लेगा। ऐसा न होने की वजह से यह ऐजुकेशन का सारा सिस्टम खराब है। दूसरा मेरा सुझाव यह है

Mr. Chairman : Nalwa Sahib, please do not deliver a long speech. Now be brief.

Shri Hari Singh Nalwa : I will not deliver a long speech but being elderly, **I** am only giving advice to these now chaps to run the State administration like this. मेरी अर्ज यह है कि इस सिस्टम को हर डिपार्टमैंट में इन्ट्रोड्यूस करना पड़ेगा। जैसे अभी भाई बिसला जी ने जिक्र किया था हमारे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मे बहुत कमी है। अब कोई अफसर कहां तक चौक कर सकता है। इन्स्पैक्टर ही अगर घपला करेगा तो इसकी रोकथाम के लिए हमें कोई सिस्टम इन्ट्रोडयूस करना पडेगा। मैं हरियाणा सरकार को बधाई देतां हूं जिसने हिन्दुस्तान मे सब से पहले कंज्यूमर प्रोटैक्शन ऐक्ट बनाया। उसके तहत दस जिलों के अन्दर सैशन जजिज को पावर दी है कि वे कंज्यूमर्ज की कम्पलैट्स को सुनें। गांवों के अन्दर जो रोजमर्रा की जरूरी चीजें इस सिस्टम के जरिए बांटी जाती हैं, अगर कोई डिपो होल्डर या सिविल सप्लाई का इन्स्पैक्टर उनकी डिस्ट्रीब्यूशन में कोताही

करता है, लोगों को तेल, चीनी या आटा नही मिलता है तो लोग सैशन जज के पास शिकायत कर सकते हैं। इसमे एक कमी यह है कि लोगों को इस बात का इल्म नही है। हमारी स्टेट में दो जिलों में इंडिपैडैट कंज्यूमर फोर्म भी बने हुए हैं। इनमें एक जज तथा दो मैंबर होते हैं। लेकिन कंज्यूमर को इस बात का इल्म नही है इसलिए सरकार को इसकी वाइड पब्लिसिटी करनी चाहिए। यह जो सैशन जजों को पावर दे रखी है, इनको भी रिटायर्ड सैशन जज लगा कर इंडीपैडट फोर्म में कनवर्ट करना चांहिए। अगर किसी आदमी की इस बारे में कोई शिकायत हो तो वह इस फोर्म को दर्खास्त पर दों–तीन रुपए का टिकट लगा कर दे दे। इससे सरकार का खर्चा भी निकल जाएगा और उसकी शिकायत का भी निपटारा हो जाएगा। कोई भी डिपो होल्डर अगर किसी कज्यूमर को कोई चीज नही देता तो वह सीधा जा करके दो रुपए का टिकट लगा करके ऐप्लीकेशन दे उस पर फौरी तौर से ऐक्शन हो जाएगा। आज सैशन कोर्ट में सैशन जज को जो पावर दी हुई है, वहां लोग जाते हुए थोड़ा घबराते हैं। अगर इंडिपैडैट फोरम होगा तो लोग उसमें आसानी से जा सकेंगे। इसके अलावा मेरा एक सुझाव यह भी शै कि जो बिजली बोर्ड है, उसमे भी एक सिस्टम आ जाए। बिजली बोर्ड को दो बोडर्ज में डिवाइड किया जाए,। एक तो प्रोडक्शन बोर्ड हो जाए जो इलैक्ट्रीसिटी जनरेट करे और दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिंग बोर्ड हो जाए। जनरेटिंग बोर्ड जितनी भी बिजली जनरेट करेगा उतनी बिजली वह डिस्ट्रीब्यूटिंग बोर्ड को पास ऑन करेगा और उसी हिसाब से पैसा लेगा। इस तरह करने

से जो बिजली की चोरियां होती हैं, उनसे सरकार को भी दिक्कत होती है, कंज्यूमर्ज को भी दिक्कत होती है, वह नहीं होंगी। आज हरियाणा स्टेट तरक्की की राह पर है और हरियाणा बहुत आगे बढ़ रहा है इसलिए हमें बिजली की बहुत ज्यादा जरूरत पडेगी। जो लोग बिजली का गलत इस्तेमाल करते हैं इस सिस्टम में वह सब लोग पकड़े जाएंगे। जितनी बिजली जनरेट हुई और उसकी ट्रांसमीशन पर जितना पैसा खर्च हुआ उसको माइनस करके बाकी का पैसा अधिकारी को देना ही पडेगा और सुपरविजन की कोई जरूरत नही होगी। इसलिए यह सिस्टम लागू कर दिया जाए। मैं समझता हू कि इस महकमे में जो घपले होते है और जो भी इनएफिशिएसी है, वह औटोमैटिकली इस सिस्टम के तहत खत्म हो जाएगी। अब मैं अपने हल्के के बारे मे अर्ज करना चाहूंगा। मेरा हल्का बहुत पिछड़ा हुआ हल्का है। मेरे हल्के में जो सड़के बनी हुई थीं, पिछली सरकार ने वे सारी सड़के तोड़ दी और दरखतों को काट दिया। पिछली सरकार के जितने मती थे उन्होंने रोड़ियां उठवा कर बेचवा दी थी। उस समय सरकार नाम की कोई चीज नही थी क्योंकि मैं भी तीन–चार साल उस मौहल्ले में घुमा हू इसलिए मेरा प्रैक्टिकल ऐक्सपीरियैस है। मेरे हल्के सम्भालखा के लोग आर्थिक दृष्टि से बहुत ज्यादा पिछड़े हुए है। इसलिए वहा पर लड़कियों के कालेज की सख्त जरूरत दै। सम्भालखा के, अन्दर लड़कियों का एक प्राइवेट कालेज बना हुआ है। सरकार ने सिर्फ उस कालेज को ऐफिलिएट करना है। सरकार से मेरी अर्ज है कि सरकार उसको ऐफिलियेट करे। इसके अलावा मैं एक बात यह

भी कहना चाहूंगा कि मेरे हल्के में बापोली एक बहुत बडा गाव है। जब पहले चौधरी भजन लाल जी मुख्य मंत्री थे, उस समय इन्होंने उस गांव में लड़कियों के लिए पहली क्लास से दसवीं क्लास तक का स्कूल मंजूर किया था। यह हरियाणा में पहली मिसाल थी। अब ये दोबारा मुख्य मंत्री बने हैं इन्होंने उस गांव में 10 प्लास 2 स्कूल की मंजूरी दे करके मेरे०पर और मेरे हल्के के लोगों पर बहुत बड़ा एहसान किया है। इसके लिए मैं इनको अपनी तरफ से और वहां के लोगों की तरफ से तहेदिल से मुबारिकवाद देता हूं। मेरी एक और प्रार्थना है। वह 80 गांवों के बीच में एक गांव है। उन गांवों की लड़कियों को पढ़ने के लिए लोग शहरों में नही भेजते हैं। जो शहरों मे को–ऐजुकेशन के सरकारी कालेज हैं उनमें लोग अपनी लड़कियों को पढ्ने के लिए भेजने में हिचकिचाते हैं। इसलिए सरकार से मेरी अर्ज शै कि उस गाव मे लडकियों मै, कालेज की मंजूरी दे। इसके अलावा बापोली गांव मे अनाज की मंडी के लिए मार्किटिंग बोर्ड ने जमीन एक्वायर की हुई है। मेरा ख्याल है कि उस मंडी के लिए जब जमीन एक्वायर हुई थी, उस समय चौधरी भजन लाल जी मुख्य मंडी थे। उस गाय में पांच एकड जमीन का पार्क है। वह हरियाणा प्रान्त का पहला गांव है, जिसमें पांच एकड़ का पार्क बै। सरकार ने लोगों की मदद से बहुत अच्छी सहूलियतें दी हुई हैं। सरकार से मेरी अर्ज है कि सरकार उस गांव की अनाज मंडी को पक्की मंडी की मंजूरी दे। पानीपत अलग जिला बना दिया गया है। उसकी पानीपत और सम्भालखा दो तहसीले है। जो बापोली गांव शै वह बहुत बड़ा

गांव है। उस गांव के इर्द–गिर्द 40– 50 गांव लगते है। मैं मुख्य मंत्री जी से अर्ज करन–। चाहूंगा कि वे उस गांव को सब–तहसील का दर्जा दे। वहां पर ब्लौक भी बनाया जाए। सम्भालखा को सब–डिविजन बनाया जाए। उस बापौली गांव में मार्किट कमेटी अलग बनाई जाए। अगर ऐसा हो जाएगा तो जिन गांवों के लोगों को 20– 30 किलोमीटर का चक्कर काट कर पानीपत और सम्भालखा जाना पड़ता है वह तकलीफ उनकी दूर हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। धन्यवाद।

Mr. Chairman : Hon'ble Members! Every body has spoken a lot. Lot of time has been spent on this discussion. Now, 1 would request the Hon'ble Minister to make the reply.

प्रो० छतर सिंह चौहानः चेयरमैन साहब, मैंने भी बजट पर अपनी बातें कहनी हैं। (शोर)

श्री किताब सिंह मलिकः चेयरमैन साहब, मैंने भी अपने हल्के के बारे में बाते कहनी हैं आप मुझे भी बोलने का समय दें। ((शोर)

श्री सभापतिः चौहान साहब आप तो पहले काफी बोल लिए। किताब सिंह जी, आप भी काफी बोल चुके हैं। वित्त मन्त्री (श्री मांगे राम गुप्ता): चौयरमैन साहब, यह विनियोग बिल जो मैंने सदन के समक्ष प्रस्तुत किया था उस पर बहुत से माननीय सदस्यों ने चर्चा की है। (शोर)

वाक आउट

श्री किताब सिंह मलिकः स्पीकर साहब, मैंने भी बोलना है।

श्री सभापतिः आप बैठिये। बहुत से मैम्बर्ज इस बिल पर बोल चुके हैं मैंने फाईनैसं मिनिस्टर को जवाब देने के लिए काल–अपौन कर लिया है।

श्री किताब सिंहः मुझे भी बोलने के लिए समय मिलना चाहिए।

श्री सभापतिः किताब सिंह जी, आप बैठिये।

श्री किताब सिंह मलिकः सभापति जी, यदि आप मुझे बलिने का समय नहीं देते तो मैं वाक आउट करता हूं।

(इस समय श्री किताब सिंह सदन से वाक आउट कर गए।)

दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं० 2)बिल, 1992 (पुनरारम्भ)

श्री मांगे राम गुप्ताः चेयरमैन महोदय, हमारे कुछ माननीय सदस्य कह रहे हैं कि हमें बोलने का समय नहीं मिला। चेयरमैन साहब, हर पार्टी की तरफ से बहुत से सदस्यों को बजट पर बोलने का मौका मिला है। बजट पर दो दिन बहस हुई और फिर डिमांडज पेश हुई। उन पर भी बहस हुई और सदस्यों ने

अपने विचार प्रकट किए। आज इस ऐप्रोप्रिएशन बिल पर फिर सदस्यगण बोले हैं और अपने सुझाव रखे हैं। चेयरमैन साहब, इस बजट की, हमारे ट्रैजरी बैंचिज के जितने सदस्य बोले, उन्होंने बहुत सराहना की और बताया कि यह बहुत अच्छा बजट है। अब की बार जो बजट पेश हुआ है, उसमें इस सरकार ने कोई टैक्स नहीं लगाया। चेयरमैन साहब, विरोधी पक्ष के सदस्यों ने बोलते हुए और अपनी औपचारिकता पूरी करने के लिए कुछ मुद्दों का विरोध भी किया और कुछ सुझाव भी रखे। (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए।)अध्यक्ष महोदय, बहुत से माननीय सदस्यों की बातों का जवाब हमने देने की कोशिश की। आज भी जो कुछ माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं, उनमें लहरी सिंह, राम बिलास शर्मा और दूसरे कई साथियों ने अपनी बातें सुझावों के रूप में रखीं। इस आम चर्चा के दौरान राम बिलास शर्मा जी ने एक बात कही कि हमारी चार स्टेटों में सरकार है। इनमें से हमारी एक यू० पी० की सरकार के वित्त मती श्री राजेन्द्र गुप्ता जी ने जो बजट पेश किया है, वह ऐसा पेश किया है जो आज तक हिन्दुस्तान की किसी भी स्टेट ने नहीं किया। इन्होंने कहा है कि एक बहुत बड़ा आश्वासन उनके मैली ने बजट में वहां की जनता को दिया है। (विघ्न) लिफाफे में तो बंद करके कुछ भी रखा जा सकता है लेकिन अच्छा बजट वही होता है जिससे लोगों को सीधा फायदा पहुंचता हो। हमने अपने बजट में अपने आर्थिक साधनों के बारे में बताया है कि कितना पैसा कहां पर खर्च होगा। हमने अपने बजट में बताया है कि इस बजट का 71 परसैटं हिस्सा देहात के लोगों

पर खर्च किया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, कुछ ठोस प्रोग्राम हमारी सरकार ने बनाये हैं और उन्हीं पर सरकार अपना कार्य कर रही है। एक प्रोग्राम यह था कि 31 मार्च 1992 तक हरेक गांव को पीने का स्वच्छ पानी मिलेगा। इस पर सरकार ने अमल किया है और मैं सदस्यों को बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार 31 मार्च, 1992 तक सभी गांवों में पीने का स्वच्छ पानी दे देगी। इसके बाद कोई भी गांव ऐसा नहीं रहेगा जिसमें पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध न हो। हमारी सरकार ने यह भी प्रोग्राम बनाया है कि पिछले 4 साल में जिन सड्कों पर, गाड़ी तो क्या साईकल भी नहीं चल सकती थी, उन सड्कों की मुरम्मत करवाएंगे। वे सड़कें, चाहे विपक्ष के हल्के की हों और चाहे रूलिंग पार्टी के इलाके की हों, सड़कें चाहे गांवों की हों, चाहे शहरों की हों उनको ऐसा बनायेंगे कि साईकल तो क्या कार में भी कहीं कोई झटका नहीं लगेगा। (विघ्न) राम बिलास जी, यह हमारी सरकार का प्रोग्राम है और जो हम कहेंगे वही करेंगे भी। अध्यक्ष महोदय, विकास के साथ–साथ हमारी सरकार ने यह भी प्रोग्राम बनाया है कि किसानों के जो खेत टेल पर लगते हैं और पानी से महरूम रहते हैं, उनको पानी दिया जाएगा। पूरे हरियाणा की टेल पर कोई किसान का खेत ऐसा नहीं रहेगा, जिस को पानी न मिले। इसके लिए बजट में स्पैशल प्रावधान देंगे और जितनी कैनाल्ज और माईनरज हैं, उनको साफ करवाया गया है सारे इलाकों को पानी दिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, एक शराब के बारे में शिकायत आई है। (विघ्न) हमारी सरकार ने शराब को अपनी आमदनी बढ़ाने का

जरिया बढ़ाने की पालिसी नहीं बनाई है। शराब के कारण बहुत से गलत काम होते हैं और लोगों को गलत आदतें पड़ती हैं जिससे ला एण्ड आर्डर की स्थिति भी खराब होती है। राजेन्द्र सिंह बिसला जी कह रहे थे कि शाम को कानून और व्यवस्था की हालत बिगड़ जाती है, उसको ठीक करने के लिए हमारी सरकार ने यह फैसला किया है कि शहर या देहात में कोई भी अहाता नहीं खोला जाएगा। इसके साथ ही हमारी सरकार ने यह भी फैसला किया है कि जिन गांवों की पंचायतों ने प्रस्ताव पास कर दिए हैं कि वहां शराब के ठेके न खोले जाएं, उन गांवों में हमारी सरकार ठेके नीलाम नहीं करेगी। हमारी सरकार शराब को बढ़ावा नहीं देगी। लोग कम से कम शराब पीये, इस बात को देखते हुए ऐसा फैसला किया गया है। अध्यक्ष महोदय, कुछ हरिजन भाईयों की प्लाट्स के बारे में शिकायतें आई हैं। हमारी सरकार ने इस बारे में फैसला लिया हुआ है और हिदायतें जारी की हुई हैं कि किसी भी गांव में कोई ऐसा हरिजन नहीं रहना चाहिए जिसको गांव की ओर से, पंचायत की ओर से 100 गज का प्लाट न मिला हो। (विध्न)अगर कोई स्पैसिफिक शिकायत हमारे नोटिस में लायेगे तो हम इस बारे में फौरन कार्यवाही करेंगे और अगर कोई हरिजन ऐसा रह गया है जिस को कि 100 गज का प्लाट नहीं मिला है तो उसको 100 गज का प्लाट जरूर देंगे। हर हरिजन को 100 गज का रिहायशी प्लाट देने का फैसला हमारी सरकार ने किया हुआ है। इसके लिए पूरे प्रबन्ध भी किए हैं ताकि कोई हरिजन प्लाट से वंचित न रहे। (विध्न)

श्री अध्यक्षः जिस गांव में पंचायत की जमीन नहीं है, क्या वहां पर जगह को ऐक्वायर करके हरिजनों को प्लाट देने के बारे में भी सरकार ने कोई विचार किया है?

श्री मांगे राम गुप्ताः स्पीकर सर, जरूर जगह ऐक्वायर करके उन लोगों को प्लाट्स देंगे।

डा० राम प्रकाशः स्पीकर साहब, ये कितने आदमियों के यूनिट्स को परिवार मानेंगे?

श्री अध्यक्षः जो एडल्ट्स हैं।

श्री मनी राम केहरवालाः स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि हरिजनों के अलावा जो दूसरे गरीब लोग हें और जिनके पास जमीन नहीं है, उनको भी प्लाट्स मिलने चाहिएं।

श्री अध्यक्षः यह क्वैश्चन आवर नहीं है, आप बैठिये।

श्री अमर सिंहः स्पीकर सर, मेरा प्वायंट औफ आर्डर है। 3 लाख प्लाट्स का जिक्र पहले भी आया है जिनमें से डेढ़ लाख प्लाट्स पर पिछले काफी दिनों से लोगों ने अनअथोराईज्ड पोजैशन लिए हुए हें। जो अनअथोराईज्ड पोजैशन किये गये हैं क्या ये उनको छुड़ाने की कोशिश करेंगे?

राजस्व मन्त्री (चौधरी बीरेन्द्र सिंह): अध्यक्ष महोदय, 1972–77 में जो बीस सूत्री प्रोग्राम लागू हुआ था उसमें पहला

सर्वे हुआ था। उस सर्वे के मुताबिक जो भी हरिजन या बैकवर्ड भाई थे, जिनको रहने के लिए प्लाट की जरूरत थी उन सबको रहने के लिए प्लाट दिए गए। उसके बाद दूसरा सर्वे 1985 में हुआ। उस सर्वे के मुताबिक तकरीबन 3 लाख से०पर लोगों को हम प्लाट दे चुके हैं। तीसरा सर्वे भी हमने करवा लिया है। उसमें एक लाख के करीब ऐसे परिवार हैं, जिनको प्लाट की आवश्यकता है। उसकी फाईनल रिपोर्ट अभी हमें डिप्टी कमिश्नर से आनी है। जब उस सर्वे की रिपोर्ट हमारे पास आ जाएगी तो फिर सरकार उस पर अपना फैसला करेगी।

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, मैंने गांवों के प्लाटों की बात नहीं कही, मैंने तो डिस्क्रीशनरी कोटे के बारे में कहा था कि उस कोटे में से हरिजनों को क्यों प्लाट नहीं देते? यह जो जमीन देते हैं उसमें तो गांव के लोगों की जमीन काट कर प्लाट देते हैं। तो अध्यक्ष महोदय, वह जमीन डिस्क्रीशनरी कोटे से हरिजनों को देनी चाहिए।

प्रो० राम बिलास शर्मा: अध्यक्ष महोदय, अभी जो थोड़ी देर पहले गुप्ता जी ने बात कही, वह बात मैंने उठाई थी। गुप्ता जी ने उसका पूरा जवाब नहीं दिया है। मैं तो सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि जो हरिजन, गरीब, पिछड़े हुए और लैड– लैस हैं, क्या उन सब पर यह स्कीम लागू होगी?

श्री मांगे राम गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, मैं इनकी इस भावना की कदर करता हूं। परन्तु अध्यक्ष महोदय, किसी भी माननीय सदस्य ने अपनी बात बोलते –हुए हरिजन लोगों को प्लाट देने के अलावा किसी और को प्लाट देने की मांग नहीं की है। अध्यक्ष महोदय, हमारा भी यही विचार है कि जो भी भूमिहीन, बैकवर्ड क्लास का व्यक्ति है, उसको भी प्लाट देने की सरकार की योजना है और उनको भी प्लाट दिए जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह जिक्र कर रहा था कि सरकार ने एक नई स्कीम बनाने का फैसला लिया है कि गांवों में विशेषकर बन्ना गांव की हर बहिन, मां–बेटी को जंगल–पानी के लिए बाहर जाना पड़ता है जिससे उनको दिक्कत होती है। तो सरकार ने एक स्पैशल प्रोग्राम बनाया है कि हर ब्लाक में, 3– 4 बडे गांवों में फ्लश की लैट्रीन बनाई जाएंगी जिसमें हरिजनों को एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। हरिजनों के घरों में लैट्रीन बनाने का सारा खर्चा सरकार करेगी जोकि पहले किसी सरकार ने करने की कोशिश नहीं की है और न ही सोचा है। इसके अतिरिक्त अगर गांव में कोई व्यक्ति अपने घर में लैट्रीन बनवाना चाहता है तो उस पर 50 प्रतिशत तो सरकार खर्च करेगी और 50 प्रतिशत वह व्यक्ति खर्च करेगा जिसका वह घर होगा। तो यह भी एक स्पैशल प्रोग्राम हमारी सरकार ने बनाया है।

अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ कई साथियों ने गिला किया है कि पिछले सालों में गांवों का विकास कम हुआ है और

गलियों के बारे में खास शिकायत की है कि जो शक्ति वाले लोग सरकार में थे, जिनकी सरकार में कुछ चलती थी और जो लोग बड़े थे उनकी गलियां तो पक्की हो गईं और जो हरिजन थे, उनके मोहल्लों में गलियां पक्की नहीं हुई। वे आज भी कीचड़ में हैं। तो अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को आपके जरिए से यह बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने हर डिप्टी– कमिशनर को यह हिदायत दी हुई है कि जो भी ग्रामीण विकास योजना के तहत पैसा अलाट किया जाता है उसमें प्रायरिटी हरिजनों और बैकवर्ड लोगों के घरों और मोहल्लों को दी जाए ताकि जो लोग अब तक गलियां पक्की करवाने के लिए महरूम रहे हैं वे लोग भी बराबर का जीवन बसर कर 'सकें, ऐसा फैसला हमने लिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं फिर माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इन्होंने जो अच्छे सुझाव दिए हैं उन पर सरकार गौर करेगी। सरकार की भी यही नीयत है कि जो हरिजन और बैकवर्ड गरीब लोग हैं तथा जो साधनहीन हैं, उनको सुविधाएं दी जाएं। आपकी भी और हमारी भी यही मंशा है इसलिए सरकार पैसे की तरफ से किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने देगी। गरीब लोगों के लिए सुविधा जुटाने के लिए सरकार ने हर तरह से प्रावधान किया है। इसलिए मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि वे इस बारे में चिन्ता न करें। कुछ सदस्यों ने कानून व्यवस्था का जिक्र किया है। मुख्यमंत्री जी यहां बैठे हुए हैं वे स्वयं बातों का जबाव देंगे। इसके अलावा कुछ सदस्यों ने परीक्षाओं में नकल होने के बारे में सदन का ध्यान आकृष्ट करने के लिए प्रस्ताव दियॉ है।

इसके लिए हमारी बहन, शिक्षा मंत्री ने विश्वास दिलाय–। है कि आगे ऐसा नहीं होगा। इसको तो कोई भी आदमी अच्छा मानकर नहीं चलता है क्योंकि यह बच्चों की पढ़ाई की बात है और अगर इसमें किसी भी अधिकारी का हाथ होगा तो सरकार उसमें पूरी कार्यवाही करेगी और किसी को भी रियायत का मौका नही दिया जायेगा। हम तो यही चाहते हैं कि बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो। इसलिये सरकार ने हर गांव में स्कूल अपग्रेड करने की बात सोची है।

श्री किताब सिंहः आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने अभी शिक्षा के बारे में कहा है तो क्या ये कोई हाउस की कमेटी बना कर इसकी इंक्वायरी करवायेगे ताकि जो लोग जिम्मेदार हों, उनको सजा दी जा सके।

श्री मांगे राम गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, जब सरकार के नोटिस में यह बात है, माननीय सदस्य भी कह रह हैं और शिक्षा मन्त्री महोदया ने भी माना है कि नकल हुई है और उन्होंने इसके बारे में अपना ब्यान भी पढ़ा है तो फिर इस पर यह क्यों शक कर रहे हैं? इसमें सरकार पूरी जांच करवायेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं और ज्यादा समय न लेता हुआ माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करता हूं कि उनकी तरफ से जो भी सुझाव आये हैं और यदि उनके हल्कों में कोई कमी रह गयी है, चाहे वह सड़क की कमी हो, चाहे वह पानी की कमी हो, चाहे वह अस्पताल की कमी हो, चाहे पुल की कमी हो, चाहे हरिजनों की नौकरी में बैकलाग की

बात हो, सरकार इस तरह की किसी भी प्रकार की ज्यादती नहीं होने देगी। सरकार के नोटिस में ये बातें आ गयी हैं और हम उनको दूर करने का प्रयास करेंगे ताकि किसी को भी शिकायत करने का मौका न मिले। (व्यवधान एवं शोर)लहरी सिंह को किसी आफिसर से किसी डिपार्टमैंट में कोई व्यक्तिगत शिकायत है तो शिकायत यह हरिजन आफिसर के बारे में ही नहीं है। यह तो हर कास्ट के आफिसर के बारे में कही जा सकती है। लहरी सिंह जी, जितनी हमदर्दी आपको हरिजन आफिसर्ज के बारे में या हरिजनों की रिजर्वेशन के बारे में है, उससे कहीं ज्यादा हमदर्दी सरकार को है। इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हू कि यह बैकलाग भी पूरा किया जायेगा। आप इसके लिये चिन्ता न करें। सरकार ने हर डी० सी० और एस० पी० को यह हिदायत दे रखी है कि कोई भी हरिजन या बैकवर्ड क्लासिज का व्यक्ति चाहे वह गांव में रहे या शहर में रहे, अगर कोई उसकी जमीन पर, उसके मकान पर या उसकी बहन–बेटियों पर हाथ डालेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी। किसी के साथ कोई इस बारे में रियायत नहीं है। यह हिदायत हमने आलरैडी दी हुई है। उसके बाद आपको पता है कि कैसे इनकी चार साल पहले की सरकार ने हालात पैदा कर दिये थे। उस समय हरिजनों की क्या जिन्दगी थी। गरीब आदमियों की क्या जिन्दगी थी। इस सरकार के आने के बाद हरिजनों की हालत में सुधार हुआ है। हम उनसे बात करते रहते हैं। ऐसा यहां पर गवर्नर की स्पीच में भी बताया गया है। अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि इस बिल को पास कर दिया

जाये। मैं सब माननीय सदस्यों से यह अपील करुंगा कि इस बिल को सर्व–सम्मति से पास किया जाये। इतनी सी गुजारिश करते हुए मैं आप का धन्यवाद करता हूं।

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय,, मैं केवल दो तीन मिनट ही लेना चाहूंगा। वैसे तो गुप्ता जी ने बड़े शानदार तरीके से सारी बातें कह दी हैं लेकिन एक–दों प्वायंट बीच में रह गये हैं। एक तो राम बिलास शर्मा जी ने बुढ़ापा पैशन की नीति के बारे में कहा था कि बहुत सी जगह शिकायतें आ रही हैं कि यह मिली नहीं है। अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों तक शुरु में 65 साल के महानुभाव को बुढ़ापा पैंशन दी जाती थी हमने उसकी घटाकर 65 से 60 साल कर दिया। 60 साल की उमर से शुरु करके हर दूसरे महीने बाकायदा उनको नकद पैसा घर भेजते हैं। हमने यह हिदायत डिप्टी–कमिश्नर्ज को दी हुई हैं। थोड़ी–बहुत शर्मा जी ने कि बात कही है। इसमें कुछ गलती रह गयी थी। जिस किसी बुजुर्ग का कोई बेटा सर्विस में हो, चाहे वह पटवारी हो या क्लर्क हो, उसको पैंशन देने के बारे में मुगालता रह गया था। हमने 15 दिन के अन्दर दोबारा मीटिंग बुलाकर डिप्टी कमिश्नर्ज को यह हिदायत दी है कि क्लास– 1 और क्लास – 2 आफिसर्ज के पिता को नहीं मिलेगी या एम० एल० ए० और एम० पी० के पिता को नहीं मिलेगी बाकी सब को मिलेगी। हमने ऐसे आदेश दोबारा से कर दिये हैं। इस बारे में दोबारा से सर्वे कराकर जिसका भी हक था, उसको हमने पैंशन दी है। पहले

सारी स्टेट में केवल 12 से 15 परसैन्ट तक हरिजन और बैकवर्ड लोगों को पैशन मिलती थी लेकिन इस सरकार के आने के बाद हमने सही मायनों में जायजा लेकर जो सही मायनों में हकदार हैं, चाहे वे बैकवर्ड या हरिजन भाई हैं, उनको पैंशन दी है। आज इनकी परसैटेज 35 से लेकर 15 परसैटं तक है। हमने इन गरीब भाईयों को पैशन दी है। एक दूसरी बात उन्होंने यह कही है कि मन्त्रिमंडल बड़ा है। अध्यक्ष महोदय, स्टेट चाहे कितनी ही बड़ी हो या चाहे कितनी ही छोटी हो, डिपार्टमैंट उतने ही होते हैं, उतना ही सब कुछ होता है। कोई भी एम० एल० ए० जिस किसी भी हल्के से चुनकर आता है, उस हल्के के सभी महानुभावों की यह इच्छा रहती है कि हमारे हल्के का एम० एल० ए० मन्त्री बने और आज जो मन्त्री या मिनिस्टर बने हुए लोग हैं, उनका खर्चा शायद कम होगा। बाकी जो एम० एल० एज० हैं, इतनी कमेटियां है, उनके मैम्बर होने के नाते शायद वे उनसे ज्यादा टी० ए०, डी० ए० ड्रा करते हैं। मैं तो यह रिकार्ड की बात कह रहा हूं। मिनिस्टर्ज के मुकाबले में ज्यादा लेते हैं। एक बात इन्होंने और कही।

प्रो० राम बिलास शर्मा: क्या आप कैटेगरीकली यह कह रहे हो कि जो चेयरमैन नहीं है, विधायक हैं, उनका खर्चा एक मन्त्री से ज्यादा है? आप देखिये एम० एल० ए० के पास कार नहीं है, ड्राईवर नहीं है, एम० एल० ए० के पास कोठी नहीं है। मन्त्री का खर्चा ज्यादा आता होगा।

चौधरी भजन लालः मैंने तनख्वाह की बात करी है। मन्त्री से ज्यादा उसको मिलते हैं। मन्त्री को कम पैसे मिलते हैं। चेयरमैन की बात इन्होंने कही है। चेयरमैन को तो शायद वजीर से भी फालतू मिलते होंगे। मेरा ऐसा अन्दाजा है। रह गया सवाल दूसरी बात का। आपने भी कहा और चौधरी कर्ण सिंह दलाल ने भी कहा कि स्टेट में आई० ए० एस० और आई० पी० एस० आफिसर्ज बहुत ज्यादा हो गये हैं। मैंने खुद इस बात को माना है कि स्टेट काडर 233 का है जो बहुत ज्यादा है। हरियाणा स्टेट का काडर बहुत भारी हो गया है। इसमें कोई दो राय नहीं हैं। 44 आफिसर्ज हमारे भारत सरकार के पास जाने चाहिये थे जबकि इस वक्त हमारे कुल 27 आफिसर्ज भारत सरकार में हैं। 17 का इस तरह से बैकलाग भी है। यह बात ठीक है कि भारत सरकार ने भी यह कहा है कि 10 परसेटं कटौती करनी चाहिये। 10 परसैट कटौती करने के मामले पर हम विचार कर रहे हैं कि 10 परसैटं कटौती का क्या किया जाये। हम कुछ एच० सी० एस० आफिसर्ज को आई० ए० एस० बनाते हैं। हमने भारत सरकार से यह कह दिया है कि पहले तो हमें आप जो हर साल आई० ए० एस० आफिसर्ज भेजते हो, उनको मत भेजो और दूसरे एच० सी० एस० आफिसर्ज से जो आई० ए० एस० बनाते हैं, हम उनको भी इस साल नहीं बनायेंगे, अगले साल बनायेंगे, ताकि स्टेट पर कुछ खर्चा कम पड़े।

श्री बंसी लालः आप एच० सी० एस० तो इस साल भर्ती कर रहे हो।

चौधरी भजन लालः एच० सी० एस० की तो हमें जरुरत है। एच० सी० एस० का स्टेट काडर 216 का है। इस समय लगभग आधे एच० सी० एस० आफिसर्ज हैं। 216 के मुकाबले में तकरीबन 126 हैं।

15.00 बजे

श्री बंसी लालः एच० सी० एस० की अगर ये खुद स्पैशल भर्ती करना चाहते हैं तो वह न करें। एच० सी० एस० के इम्तिहान हो चुके हैं। आठ सौ लड़के पास हो चुके हें। ये पब्लिक सर्विस कमीशन से ले लें सीधी भरती क्यों करते हें?

चौधरी भजन लालः पब्लिक सर्विस कमिशन से बाकायदा उनका नाम मंगवाएंने। अगर पब्लिक सर्विस कमीशन ऐप्रूवल देगा, तो क्या हम उनको नहीं ले सकते? नियमानुसार हर डिपार्टमैंट से नाम मांगने के बाद जो अच्छे कर्मचारी हैं, अच्छे आफिसर्ज हैं और ऐफीशैन्ट हैं, उनको लिया जाएगा। पहले हम एच० सी० एस० का कोटा पूरा करेंगे, उसके बाद आई० ए० एस० लेगे। स्पीकर साहब श्रीमती चन्द्रावती ने कहा कि प्लाटों का जो डिस्क्रीशनरी कोटा है, उसमें हरिजनों का कितना हिस्सा है। उन्होंने कहा कि उनको सस्ते रेट पर प्लाट नहीं मिलते। स्पीकर साहब, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि हुड्डा जो प्लाट काटता

है, उनमें से बीस परसैन्ट प्लाट सबसीडाइज्ड रेट पर यानी दो सौ रुपए फी गज के हिसाब से हरिजन, ऐक्स सर्विसमैन और फ्रीडम फाइटर्ज को दिए जाते हैं। इन प्लाटों में ऐक्स सर्विसमैन और हरिजनों का कोटा मुकर्रर है।

श्री कर्ण सिंह दलालः स्पीकर साहब, मुख्य मन्त्री जी डिस्क्रीशनरी प्लाटों की बात कर रहे हैं कि दो सौ रुपये गज के हिसाब से हरिजनों और दूसरे लोगों को प्लाट देते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि मेरे यहां ऐस्टेट औफिस के पास जमीन का भाव दो हजार रुपए वर्ग गज का है लेकिन वहां पर एक सौ सैंतालीस रुपये के हिसाब से लोगों को बेनामी प्लाट दे दिए हैं।

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, दूसरी बात बहन जी ने कही कि एक– एक आदमी को दस–दस प्लाट दिए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, यह काम पहली सरकार ने किया था। हमने उस पोलिसी को चेंज कर दिया है। अब हमने यह किया है कि जिस भाई के पास हरियाणा में प्लाट है उसको दूसरा प्लाट नहीं मिल सकता। पहले जो लोग प्लाट लेते थे उसको बेच देते थे। अब हमने फैसला किया है कि वह आदमी पांच साल तक प्लाट नहीं बेच सकेगा।

प्रो० छतर सिंह चौहानः स्पीकर साहब, लोगों ने झूठे ऐफीडेविट देकर प्लाट लिए हुए हैं। क्या मुख्य मन्त्री ऐसे

आदमियों की इंक्वायरी करवायेने जिनके पास एक से ज्यादा प्लाट हैं और उन्होने झूठे ऐफीडेविट दिए हुए हैं?

चौधरी भजन लालः आप लिखकर दे दीजिए कि फलां आदमी के पास एक से ज्यादा प्लाट हैं और उसने झूठे ऐफीडैविट देकर प्लाट लिए. है। अध्यक्ष महोदय, एक बहुत सीरियस मैटर इम्तिहानों में नकल के बारे मे इस सदन में आया और कहा गया कि इस बार इम्तिहानों में बहुत नकल हुई है। अध्यक्ष महोदय इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि यह बहुत ही सीरियस मामला है। हम महसूस करते हैं कि अगर इस्तिहानों में नकल हो जाएगी तो ऐजूकेशन का स्टैण्डर्ड बहुत गिर जाएगा। सरकार के०पर यह बहुत बड़ा धब्बा है। हम इसके बारे में पूरी जांच करवाएंगे और जांच में जो भी दोषी 'पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, एक बात और है कि जिन लड़कों के इम्तिहान हो गए हैं, क्या उनके इम्तिहान दुबारा कराए जाएं? यह सोचने की बात है। अगर हाउस यह कहता है कि दुबारा इम्तिहान कराए जाएं तो हम लड़कों के इम्तिहान दुबारा करा लेगे। अध्यक्ष महोदय, मैं हाउस को आश्वासन देता हूं कि पर्चो की लीकेज में और नकल में अगर कसी एम० एल० ए०, मिनिस्टर, अधिकारी या कर्मचारी, किसी का भी हाथ होगा, उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।

श्री अमर सिंहः अध्यक्ष महोदय, ऐजुकेशन मिनिस्टर ने बताया था कि बोर्ड के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की तरफ से बाकायदा नकल कराई गई और नकल कराने में उनका हाथ था।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा है कि बाकायदा इंक्वायरी करवाऊंगा और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी और उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। अध्यक्ष महोदय, वित्त मन्त्री ने एक एक प्वायंट को टच किया है और जो भी सुझाव हमारे सदस्यों ने फाइनैंस बिल पर और गवर्नर ऐडैरस पर दिए हैं हरियाणा सरकार उन सभी सुझावों पर सहानुभूतिपूर्वक अमल करेगी और हम सभी सुझावों को मानकर उन पर अमल करेंगे।

प्रो० राम विलास शर्माः अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि सारे बच्चों का साल खराब नहीं किया जाना चाहिये। परीक्षा दुबारा नहीं होनी चाहिये। जिन सैन्टर्ज में नकल हुई है, वहां पर सारे विद्यार्थियों की परीक्षा दुबारा नहीं होनी चाहिये।

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मे आपको बताना चाहता हूं कि लोगों का नैतिक स्तर कहां तक गिर गया है। मैं एक शहर में गया। मेरे को कुछ लोग मिले। वे कहने लगे कि हम उन लड़कों के बाप हैं, जोकि ऐग्जामज ये रहे हैं। मैंने उनको कहा कि भाई आपको क्या तकलीफ है? उन में से एक आदमी ने

कहा कि जनाब हमारे लड़कों को फलां आदमी नकल नहीं मारने देता तो आज यह हालत हो गई है।

श्री बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, इस बजट सैशन में डिस्कशन के दौरान मुख्य मन्त्री ने यह कहा था कि इस देस में अगर किसी आदमी ने कमीशन आफ इंक्वायरी ऐक्ट के तहत कमीशन फेस किया है, तो वह चौधरी भजनलाल ने ही किया है और किसी ने भी नहीं किया है। मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि मैंने तीन कमीशन फेस किये हैं। शाह कमीशन, रेडी कमीशन और कपूर कमीशन को मैं फेस कर चुका हूं और चौधरी भजन लाल जी के खिलाफ जो इंक्वायरी की गई थी, वह कमीशन आफ इन्क्वायरी ऐक्ट के तहत नहीं थी। हां एक बात के लिये मैं तैयार हूं कि जब से मैं आफिस में रहा हूं तब से आज तक और जब से ये आफिस में रहे हैं, तब से आज तक, हम दोनों के खिलाफ एक ही आदमी की सुप्रीम कोर्ट के किसी सिटिंग जज की इंक्वायरी बैठा दी जाए तो सब कुछ सामने आ जाएगा। मैं अपने आपको इसके लिये औफर करता हू

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने मेरे खिलाफ जो जो बातें लिख कर दीं। और जो जो ऐलीगेशज लगाये, जो ज्ञापन इन लोगों ने मेरे विरुद्ध दिया, उसमें चौधरी बंसी लाल जी का पूरा हाथ व योगदान रहा है। उस की एक एक बात की तह में जाकर जज महोदय ने मुझे निर्दोष साबित किया है और अगर बंसी लाल जी बहादुर आदमी हैं, ईमानदार हैं तो ये

अपने खिलाफ कमीशन बैठा लें। अगर बंसीलाल जी निर्दोष पाए जाएंगे तो हम मान लेंगे कि बंसी लाल जी बड़े ही ईमानदार आदमी हैं। बंसीलाल जी, आपके बहुत मुरब्बे हैं, बहुत सी आपकी फैक्टरियां चल रही हैं। आपके परिवार के सब सदस्यों के पास गाडियां हैं। सभी के पास अपनी कोठियां हैं पता नहीं आपके पास क्या क्या है? दिल्ली में भी एक कोठी आपके पास है और बहुत बढ़िया आपकी इन्कम है क्योंकि बहुत बढ़िया आप वकील थे। आप को तो लोग ब्रीफलैस लायर कहते हैं। पर मैं समझ नहीं सका कि आपके पास यह सब कैसे हो गया। (विघ्न) मेरे पास कारोबार भी है, काम भी है और मैं बाकायदा पिछले 40 सालों से इन्कम टैक्स भी देता आ रहा हूं। (विघ्न)

अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कि मुझे रैडी कमीशन ने बरी कर दिया। जरा आराम से बैठिए उनकी भाषा मेरे मुंह से सून लीजियेगा कि उन्होंने आपके बारे क्या कहा। (शोर एवं व्यवधान)अध्यक्ष महोदय, इन्होंने यह भी कहा कि मैंने बिजली लगा दी स्टेट के अन्दर लेकिन उस बिजली का खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। कितने हल्के बिजली के पोल, कितनी हल्की तारे, सारी स्टेट के अन्दर लगवाई गई? उन सब को हमे बदलना पड़ रहा है। अगर उनको लाख बदलने की कोशिश भी करें तो भी लोगों तक पूरी बिजली पहुंचनी मुश्किल हो रही है। आडिटर जनरल ने कहा कि बिजली के मामले में काफी घपला हुआ है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती चन्द्रावतीः स्पीकर साहब, मैं एक बात कहना चाहती हूं कि चौधरी भजन लाल जी व चौधरी बसी लाल जी आपस में दोस्त भी हैं और चीफ मिनिस्टर्ज भी रहे हैं। ये दोनों आपस में बैठकर समझौता क्यों नहीं कर लेते? इस तरह की बातें कर के क्यों हाउस का समय खराब किया जा रहा है? (हंसी एवं शोर)

चौधरी भजन लालः तो मैं बता रहा था कि औडिटर जनरल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बिजली के मामले में काफी घपला है।

वैयक्तिक स्पष्टीकरण–

श्री बंसी लाल द्वारा

श्री बंसी लालः आन ए प्वायंट आफ पर्सनल ऐकलेनेशन सर, अध्यक्ष महोदय, इन्होंने अभी बोलते हुए यह कहा है कि इनके खिलाफ जो ऐलीगेशज लगाये गये थे, उसमें मेरा भी हाथ था। मेरा कोई हाथ नही था। उन साथियों से मेरी कभी कोई दोस्ती नहीं रही। रहा सवाल यह कि मैं साहुकार हूं या ये साहुकार हैं, किस ने कमाया, कब कमाया (विघ्न) मैं तो यह कह रहा हूं कि इन्होंने कमीशन औफ इंक्वायरी एक्ट के तहत आज तक कभी किसी कमीशन का सामना नहीं किया है लेकिन मैं तीन कमीशनज का सामना कर चुका हूं और मैं आज भी इस छत के नीचे इस की आफर करता हूं कि मेरे व चौधरी भजन लाल दोनों के खिलाफ

सुप्रीम कोर्ट के किसी एक सिटिंग जज की इंक्वायरी बैठा दो ताकी सारी बात का पता चल जाए। इन्होंने जो कहा कि उन ऐलीगेशंज में मेरा भी हाथ रहा है। ये सब बातें यहां पर सभी के सामने आ जाएंगी। मैं यह ओफर देता हूं।

चौधरी भजन लालः मैं तो कमीशन को फेस कर चुका हूं, अब ये फेस करे तो इनको पता लग जाएगा। इनके खिलाफ 125 एम० पीज० और 34 एम० एल० एज० ने लिख कर दिया था (शोर)कि चौधरी बंसी लाल ने चूंकि बड़ी क्रप्शन की है इसलिये कमीशन बैठाया जाए।

दि हरियाणा ऐप्रोप्रिएशन (नं० 2)बिल, 1992 (पुनरारम्भ)

चौधरी वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, इन दोनों का पिछली 9 तारीख से वर्डी डमूल चल रहा है। आप एक सज्जन आदमी हैं और इनको बोलने का मौका देते रहे हैं। हमारा तो सारा टाइम ये दोनों इसी बात पर खा गए मेहरबानी करके इस मामले को अब बन्द करवाएं।

Mr. Speaker : Alright, Please take your seat.

Question is—

That Haryana Appropriation (No. 2) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the House will take up the Bill

clause by clause.

Clauses 2 and 3

Mr. Speaker : Question is—.

That Clauses 2 and 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

SCHEDULE

Mr. Speaker : Question is—.

That Schedule be the Schedule of the Bill.

The motion was carried.

Clause-I

Mr. Speaker : Question is—.

That Clause I stand part of the Bill. The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is--

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Mr. Speaker : Question is—.

That Title be the Title of the Bill. The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the Finance Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Shri Mange Ram Gupta) : Sir, **I** beg to move--

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is--

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(2)दि हरियाणा एंड पंजाब ऐग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज (हरियाणा अमैंडमैंट)बिल, 1992

Mr. Speaker : Now the Agriculture Minister will introduce the Haryana and Punjab Agricultural Universities (Haryana amendment) Bill, 1992 and will also move the motion for its consideration.

Agriculture Minister (Shri Harpal Singh) : Sir, **I** beg to introduce the Haryana and Punjab Agricultural Universities (Haryana Amendment) Bill, 1992.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana and Punjab Agricultural Universities (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana and Punjab Agricultural Unrversities (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

श्री बंसी लाल (तोशाम): स्पीकर साहब, हमें इस बिल के पास करने में एतराज है क्योंकि इस ऐग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार का नाम दिवंगत चौधरी चरण सिंह के नाम पर रखा गया था। चौधरी चरण सिंह जी एक महान नेता थे और वे देश के प्रधान मन्त्री भी रहे। खेती बाड़ी के काम में उनकी खास तौर से रुचि थी। वे बहुत सालों तक यू० पी० में ऐग्रोकल्चर मिनिस्टर रहे। आप जानते हैं कि आज बहुत से लोगों के नाम से इस्टीच्यूशंज हैं, किसी के नाम से कोई इंस्टीज्यूशन है और किसी के नाम से कोई है। चौधरी चरण सिंह जी का ऐग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के साथ नाम लगाना बहुत प्रौपर बात है, बहुत सही बात है। सरकार की जो मन्शा है कि ऐग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी को सारे संसार में इसी नाम से जाना जाता है मैं इससे सहमत नहीं हूं। अगर चौधरी चरण सिंह का नाम आने के बाद इसका नाम आता है तो उसकी कोई डिसक्वालिफिकेशन नही हो जाती। अध्यक्ष महोदय, मैं तो एक बात कहूंगा कि मुख्य मन्त्री जी को इस बात का बहम हो गया है कि एक जाति विशेष के लोगों का नाम कहीं नहीं रहना चाहिये। चाहे वह सर्विस में हो, चाहे वह पोलिटिक्स में हों और चाहे वह कोई दिवंगत आत्मा हो। उस दिन श्री ओम प्रकाश जिंदल ने अपनी स्पीच में बताया था कि हिसार में

फव्वारा चौक पर चौधरी छोटू राम जी का स्टैच्यू लगना था लेकिन मुख्य मन्त्री जी ने मना कर दिया। गुड़गांव में शीतला माता का मंदिर था, उसको इन्होंने नैशनेलाईज कर दिया लेकिन उसके साथ ही शीतला माता का एक और मन्दिर भी है उसको इन्होंने हाथ नहीं लगाया। हिसार में बिशनोई मन्दिर को हाथ नहीं लगाया। अध्यक्ष महोदय, चौधरी चरण सिंह जी के जिन्दे जी हमारे उनके साथ डिफरैंसिज रहे हैं। हम भी उनके खिलाफ रहे हैं। लेकिन जो नेता, जो व्यक्ति आज इस संसार में नहीं है, जिनका नाम भारत सरकार की मंजूरी से हरियाणा सरकार ने हरियाणा ऐग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हिसार के साथ, चौधरी चरण सिंह का नाम, ऐड किया था, वह बहुत ही सही काम था। इस बिल के औब्जैक्टस एंड रीजंज में जो लिखा है, यह कोई कविसिंग रीजन नहीं है। मैं तो यह समझता हूं कि सरकार को यह बिल इन्ट्रोड्यूस ही नहीं करना चाहिये था। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल की इन्ट्रोडक्शन की स्टेज पर ही इसका विरोध करता चौधरी वीरेन्द्र सिंह (नारनौंद): स्पीकर साहब, बहुत ही अफसोस की बात है कि इस किस्म का बिल इस सरकार ने इस सदन में इन्ट्रोड्यूस किया है। स्पीकर साहब, चौधरी बंसी लाल जी ने कहा कि मुख्य मन्त्री जी का एक जाति विशेष के खिलाफ यह मंशा है कि उनका नामो–निशान ही न रहे। यह तो चौधरी भजन लाल जी का दीन–धर्म जाने की इनकी कोई ऐसी मंशा है या नहीं। परन्तु हरियाणा प्रान्त में एक छोर से दूसरे छोर तक यह जबरदस्त प्रचार है कि चौधरी भजन लाल एक जाति विशेष के विरुद्ध हैं। हैं या

नहीं हैं, ये खुद जानते हैं लेकिन इनके एक्शंज कुछ ऐसे हैं, जिनसे कुछ शंकाएं पैदा होती हैं। मैं चर्चा नहीं करूंगा बराही काण्ड की। मैं चर्चा नहीं करूंगा पिरथला कांड की। मैं चर्चा करूंगा मैडीकल कालेज रोहतक के डाक्टर जे० पी० सिंह की। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि वह हिन्दुस्तान के रीनाऊंड सर्जन हैं। हिन्दुस्तान का जो भी बड़े से बड़ा पोलिटिकल आदमी यदि बीमार होता है तो वह राम मनोहर लोहिया होस्पीटल दिल्ली में दाखिल होता है। डाक्टर जे० पी० सिंह उसके भी हैड रहे है। केवल इसलिये कि वे चौधरी चरण सिंह के दामाद थे और वे एक विशेष समुदाय से ताल्लुक रखते थे। जब उन पर रेड किया गया तो मैंने हिसार मुख्य मन्त्री जी को टेलीफोन किया। मैंने इनसे जानना चाहा कि डा० जे०पी० सिंह के खिलाफ इस किस्म की कोई शिकायत है जिसकी बिना पर उन पर रेड किया गया है। मुख्य मल्ली जी ने कहा कि मुझे तो रेड के बारे में कोई इल्म नही है। आपको इस बारे में सारा पता करके बताएंगे। खैर, इन्होंने नहीं बताया। उसके बाद बात आगे बढ़ती बढ़ती उनकी डिसमिसल तक चली गई। इसके अलावा स्पीकर साहब, श्री ओम प्रकाश जिन्दल ने अपनी स्पीच में जब हिसार के फव्वारा चौक पर सर छोटू राम का बुत लगाने की बात उठाई तो हुड्डा साहब नाराज हो गए। जब मैं गवर्नर ऐड्रैस पर बोला तो मैंने हुड्डा साहब को कहा कि हुड्डा साहब, महान आदमी किसी जाति विशेष के नहीं हुआ करते। अगर जिन्दल साहब की सर छोटू राम में श्रद्धा है, तो आप उसको मेनोप्लाइज न करो क्योंकि आप जाट हो और सर छोटू

राम जाट थे। यह आपकी मेनोपली नहीं है कि आप ही उनके गुणगान करो?। अध्यक्ष महोदय, हर आदमी उनका गुणगान कर सकता है जिसकी उनके प्रति श्रद्धा है। मुख्य मन्त्री जी को शायद याद नही, वहां की नगरपालिका ने एक नहीं, बल्कि दो प्रस्ताव पास किए हैं कि फव्वारा चौक पर उनका युत लगना चाहिये। वहां की लोकल जाट सभा के लोग जब इनसे मिलने के लिये आये तो इन्होंने स्वयं कहा कि बिल्कुल वे एक महान आदमी थे, वे हमारे नेता थे इसलिये इससे अच्छा स्थान नहीं हो सकता जहां पर उनका यह युत लगे। बाद में किसी ने क्या राय दी हमें पता नहीं लेकिन वहां पर वह युत आज तक नहीं लग पाया। मैंने इनसे निवेदन किया था कि जब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का जवाब दें तो मेहरबानी करके इस बात को भी साफ करें कि इस बारे में सरकार की क्या नीयत है कि आया वहां पर बुत लगेगा या नहीं लगेगा। मेरे से जब जाट सभा के लोग वहां के मिलने आये तो मैंने कहा कि या तो बुत लगाओ मत और लगाओ तो मा सिवाये हिसार फव्वारा चौंक के और कहीं न लगाओ।

श्री हरि सिंह नलवाः आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर, कृपा करके यह बताने का कष्ट करें कि क्या वहां पर पहले ही किसी का बुत लगा हुआ है या नहीं?

चौधरी वीरेन्द्र सिंहः वहां पर किसी का बुत नहीं लगा हुआ।

श्री हरि सिंह नलवाः मुझे पता लगा है कि वहां पर किसी गूजरी का बुत पहले से ही लगा हुआ है। यदि पहले से ही कोई बुत लगा हुआ है तो अब उसको हटा कर इनका लगाया जायेगा तो क्या जाटों की और उनको आपस में लड़ाई करवाओगे। दूसरी बात इन्होंने डाक्टर जे० पी० सिंह की कही। उनके बारे में मैं इनको बताना चाहता हूं कि एक बार जब मैं पार्लियामैंट का मैम्बर था तो उस समय मेरे पेट में 6 महीने दर्द रहा था और डेढ़ महीने के करीब मैं उस हस्पताल में दाखिल रहा जिसमें ये उसके हैड बता रहे हैं। वे यह नहीं पता लगा पाये कि मेरे पेट में दर्द क्यों है? उस समय मुझे गुर्दे की तकलीफ थी। बाद में मैंने मिलटरी के एक डा कर्नल से चौकअप करवाया। उन्होंने बताया कि मेरे पेट मे गुर्दे की तकलीफ है। मेरे कहने का मानव यह है कि जो डाक्टर एक हस्पताल का हैड हो, वह यह पता न लगा पाये कि तकलीफ किस वजह से है, तो इससे उसकी काबलियत को आप देख सकते हैं। यह कह रहे हैं कि वह बहुत बढ़िया डाक्टर है। मैंने इन जे०पी० सिंह से पूछा कि मुझे तकलीफ क्यों है तो कहने लगे कि आपके पेट को चीर कर देखना पड़ेगा कि इस में क्या गड़बड़ है। एक रात को मुझे वहां के डाक्टरों से पता चला कि कल सुबह मेरा पेट ये काटेंगे तो मैं रात को वहां से भागा और बंबई पहुंचा और वहां पर जाकर इलाज करवाया। अगर मैं वहां नहीं जाता तो वे मुझे०पर पहुंचा देते और आप मेरी आज आवाज नही सुन सकते थे।

श्री अमर सिंहः अध्यक्ष महोदय, नलवा साहब को कुछ गलत फहमी हो गई है। वहां जो गुजरी का बुत है, वह इन वाली गुजरी का रत नहीं है दूसरी गुजरी का बुत है।

श्री अध्यक्षः जिस नाम से गुजरी महल है, वह युत उस नाम से है।

चौधरी वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर सर, मेरे ख्याल में नलवा साहब को गलत इन्फर्मेशन मिली है या इनको कोई गलतफहमी हो गई है। वहां पर हरियाणा की महिला का एक कलात्मक बुत या छोटी सी तस्वीर लगी हुई है। सारा रिकार्ड देखा गया है लेकिन वहां पर गुजरी का कोई जिक्र नहीं है यह सारी व्यर्थ बात है। म्यूनिसिपल कमेटी का सारा रिकार्ड देखा गया है। यह फव्वारा चौक भी म्यूनिसिपल कमेटी के फण्डज से ही बना है। रिकार्ड में इस प्रकार का कोई सबूत नहीं है लेकिन आज अगर इस बात को ऐसी रंगत देना चाहें तो इनकी मर्जी है। वहां पर उनका बुत लगाने में किसी को कोई आपत्ति नहीं। कम से कम वीरेन्द्र सिंह की भावना तो ऐसी नहीं हो सकती। मैं गुजारिश कर रहा हूं कि डा० जे० पी० सिंह को हटाना, सर छोटू राम के बुत को उपायुक्त जगह पर न लगाना और फिर चौधरी चरण सिंह जैसे महान नेता का नाम हटाना, उपयुक्त बातें नहीं हैं। चौधरी चरण सिंह इस देश के महान नेताओं में से एक महान नेता हुए हैं। वे गरीबों, किसानों, मजदूरों और पिछड़े हुए लोगों के रहनुमा रहे हैं, जिनके एक इशारे पर 23 दिसम्बर, 1978 को कम से कम 50 लाख लोग

इण्डिया गेट और बोट क्लब पर गए थे। उन चौधरी चरण सिंह के नाम पर ऐग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया है। दि पंजाब एड हरियाणा ऐग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी (हरियाणा अमैंडमैंट)बिल के ऐम्ज एण्ड औब्जैक्ट्स में लिखते हैं कि हरियाणा ऐग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के नाम से यह यूनिवर्सिटी जानी जाती है और चौधरी चरण सिंह का नाम ऐड होने से हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की पहचान नहीं रही। स्पीकर साहब, यह बात तब तो ठीक हो सकती थी अगर हम ''हरियाणा'' का शब्द नाम से हटा देते लेकिन ''हरियाणा'' शब्द अभी साथ है। (विघ्न)

श्री अमीर चन्द मक्कड़: स्पीकर सर, मेरा प्वायंट औफ आर्डर है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि चौधरी बंसी लाल, चौधरी वीरेन्द्र सिंह एक जाति विशेष का नाम ले कर चौधरी चरण सिंह का नाम जोड़ रहे हैं। चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी को पता है, ये बता दें। मैं इनके साथ था। आज ये उनकी तारीफ कर रहे हैं। ये उनको यू० पी० का भैया कहकर हमेशा गाली दिया करते थे लेकिन आज ये कैसे उनके नाम पर यहां जाटवाद का जहर फैला रहे हें। स्पीकर साहब, इन्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मैं चौधरी चरण सिंह जी की कद्र करता हं। वे ठीक नेता थे। जाति विशेष की बात ये न करें। (विघ्न)

चौधरी वीरेन्द्र सिंह: औब्जैक्ट्स एण्ड रीजन्ज में इन्होंने यह भी लिख दिया कि हरियाणा के लोगों की ऐस्पीरेशन्ज इससे जुड़ी हुई हैं कि शब्द ''हरियाणा'' कायम रहे। स्पीकर सर, हमें तो

चौधरी चरण सिंह पर गर्व है क्योंकि चौधरी चरण सिंह हरियाणा में ब्याहे हुए थे, उनकी शादी हरियाणा प्रान्त में हुई थी। मैं यह समझता हूं कि हरियाणा प्रान्त में हम अपने दामाद को यानि जहां भी हम अपनी लड़की देते हैं, वहां गर्व ही करते हैं कि हमें अच्छा परिवार मिला है। इससे हरियाणा प्रान्त के लोगों की ऐस्पीरेशन्ज को धक्का लगा है। जो व्यक्ति हरियाणा प्रान्त में शादी–शुदा था, उसके प्रति लोगों की भावनाएं अच्छी ही होंगी। जहां तक नलवा जी और मक्कड़ साहब बात कर हैं कि जाति–पाति को बढ़ावा दे रहे हैं, यह बिल्कुल गलत बात है। (विघ्न)

श्री राम रतनः चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी, चौधरी चरण सिंह के बारे में कह रहे हैं हम भी उनकी कद्र करते हैं। जब 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी .....

श्री बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, जो इन्होंने बाबू जगजीवन राम जो के बारे में बातें कहीं हैं वे एक्सपंज की जाएं।

श्री अध्यक्षः दिवंगत नेता के बारे में कोई भी ऐसी बात न बोली जाए।

श्री बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा है कि बाबू जगजीवन राम जी ने चौधरी चरण सिंह जी के बारे में ऐसा कहा था। अध्यक्ष महोदय, वे ऐसी कोई बात नहीं कहते थे। उन बातों को ऐक्सपंज किया जाए।

श्री अध्यक्षः जो आदमी सदन में न हो, उनके बारे में ऐसा कुछ नहीं कह जाना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

राजस्व मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह): अध्यक्ष महोदय, आपने नलवा जी को भी टाईम दिया और राम रतन जी को भी टाईम दिया। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि यह बहुत ही सैंसेटिव ईशु है। आप इस पर डिबेट कराएं और एक तरीका अख्तियार करके बताएं। This is not a small issue मेरी मैम्बरों से प्रार्थना है कि अपने दायरे में रह कर बात करें। अगर ये गलत बातें करेंगे, तो उसके परिणाम ठीक नहीं होंगे।

श्री अध्यक्षः जो राम रतन जी ने कहा है वह रिकार्ड पर न लाया जाए।

चौधरी वीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, चौधरी चरण सिंह जी की जो बात मैम्बरान उठाते हैं, उसको टैरजरी बैंचिज ने रोक दिया, यह बहुत ही अच्छी बात है। अध्यक्ष महोदय, उन पर आज तक जातपात का इल्जाम लगाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। उनके सपुत्र अजीत सिंह जो जो कि नैशनल लैवल के लीडर हैं वे बिशनोई बिरादरी में ब्याहे हुए हैं। चौधरी चरण सिंह जी की लड़की जिनका नाम श्रीमती सरोज है, उनकी भी इन्टरकास्ट शादी हुई है। चौधरी चरण सिंह की दयौती की भी बनियों में शादी हुई है। तो ऐसे व्यक्ति पर जो कि एक महान आदमी हैं, उन पर यदि ऐसे औरोप लगाए जाते हैं तो ठीक नहीं है। (शोर एवं

व्यवधान)अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा कह रहा था कि ऐसा माहौल खुदा के लिए ये न बनाए। अध्यक्ष महोदय, यह चूंकि बहुत ही सैसेंटिव मामला है, इसलिए इस बिल को वापिस लिया जाए और ऐसा माहौल इस स्टेट में पैदा न करें कि भाई–भाई से लड़े। अध्यक्ष महोदय, सदियों से छत्तीस बरादरी के लोग इस प्रान्त में भाई चारे से रह रहे हैं। ऐसी नफरत की आग न फैलाएं जो ज्वाला बनकर फैल जाए और हम सब के सब उसकी लपेट में आ जाएं। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं यह कहूंगा कि किसी भी कौम की गैरत को नहीं ललकारना चाहिए। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे ब्रौड माईंड से काम लें और इस बिल को वापिस ले ले।

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, मैम्बर साहेबान ने कहा कि मैं मामले को सैसेंटिव बनाने की कोशिश करता हूं इसलिए मैं अभी से बीच में इन्ट्रप्ट करता हूं।

श्री अध्यक्षः भजन लाल जी, पहले इन को बोलने दे फिर आप बोल लेना।

चौधरी वीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, पहले भी आप और हम असैम्बली में इकट्ठे रहे हैं और आप हमारा कंडक्ट देखते रहे हैं। अधयक्ष महोदय, हमें प्रोटैस्ट रजिस्टर करना है और प्रोटैस्ट रजिस्टर करने के भी दो तरीके होते हैं। एक तो यह है कि हम वाकआऊट करके चले जाएं। लेकिन इस बिल को देखते हुए मैं

इटको माईल्ड प्रोटैस्ट मानता हूं। अगर हम प्रोटैस्ट करके चले जाएं तो यह सभ्य तरीका माना जाता है। स्पीकर साहब, हम यह बर्दास्त नहीं करेंगे और हम इसके लिए सभ्यता की लाईन को भी पार करेंगे। आप कृपया नाराज न होना। अगर यह बिल मैजोरिटी के कारण पास हुआ तो हम इस हाऊस को बिल्कुल भी नहीं चलने देंगे।

प्रो० राम विलास शर्मा (महेन्द्रगढ़): अध्यक्ष महोदय, यह जो चौधरी हरपाल सिंह जी हरियाणा ऐग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के बारे में बिल लाए हैं, मैं इसका विरोध करता हूं। अध्यक्ष महोदय, पता नहीं यह बिल क्यों आ गया इस पर इन्होंने कोई सलाह मशविरा भी किया है या नहीं किया है यह तो यही जानें। लेकिन राजनीति में हर आदमी की अपनी लाईन है, अपनी विचारधारा है। आज हिन्दुस्तान का कोई भी आदमी इस बात से इंकार नहीं कर सकता कि राजनैतिक जिन्दगी में there is lot of contribution of Ch. Charan Singh about peasantry, poor people and cottage industries. उनका अपना सोचने का एक तरीका था और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उनका सम्मान करने के लिए हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का नाम उनके नाम पर रखा गया। उनका सारा राजनैतिक जीवन दूसरों के लिए समर्पित था इसलिए हरियाणा ने उनके नाम को कृषि विश्वविद्यालय के साथ जोड़कर एक अच्छी रिवायत शुरू की थी। इसलिए उनके नाम को इस विश्वविद्यालय से नहीं हटाना चाहिये। इस बिल में कृषि मंत्री जी ने उनका नाम इस विश्वविद्यालय से हटाने की बात कही है लेकिन मेरा कहना

यह है कि ऐसा करने से भी उनका नाम हरियाणा से हटने वाला नहीं है। इसलिए मैं मुख्य मंत्री जी से इन बीफ यह गुजारिश करूंगा कि इस बिल को न लाया जाये क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं है और न ही ऐसी कोई सिचुएशन है। इससे इनको कोई फर्क पड़ने वालों नहीं है। चौधरी चरण सिंह जी का नाम इस यूनिवर्सिटी के साथ रहना चाहिये और आपको यह बिल वापस लेना चाहिये। यह इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनायें, कोई जिद की बात न बनायें। अगर सरकार चाहे तो इसको वापस ले सकती' है क्योंकि कई बार ऐसे बिल वापस भी लिये गये हैं। चौधरी चरण सिंह का नाम इस यूनिवर्सिटी के नाम से हटाना गलत है। इस बिल को वापस लिया जाना चाहिये।

श्री सुरजीत कुमार धीमान (नारायणगढ़): स्पीकर सर, यह नाम बदलने की बात आयी है तो इस बात पर मुझे एक बात याद आती है कि अम्बाला शहर में एक पर्यटन केन्द्र किंग–फिशर है। उसमें तीन महानुभावों की प्लेटें लगी हुई हैं। सबसे ऊपर चौधरी बंसी लाल जी की प्लेट है। उसके बाद फ्रंट में एक प्लेट का खांचा बना हुआ है। फिर उसके बाद बिल्कुल नीचे जाकर एक और खांचा बना हुआ है। जब यह सरकार बदलती है तो जो प्लेट सामने होती है वह उतरकर नीचे चली जाती है। जब देवी लाल की सरकार आयी थी तो चौधरी भजन लाल की प्लेट उतरकर नीचे चली गयी थी। जब चौधरी भजन लाल की सरकार आयी तो नीचे की प्लेट उखड़कर०पर चली गयी। इसलिए मैं समझता हूं कि

यह नाम बदलने की परम्परा को रघुकुल रीति नही बनाया जाना चाहिये क्योंकि इससे फरीक्शन बाजी बढ़ती है। इसलिए मैं समझता हू कि इस बिल को पास न करें। यही मेरी प्रार्थना श्री किताब सिंह (गोहाना): अध्यक्ष महोदय, चौधरी चरण सिंह प्रधान मती रहे, मुख्य मन्द्री रहे और वित्त मती भी रहे। वे जहां एक राजनैतिज्ञ थे, वहीं एक बहुत अच्छे अर्थशास्त्री भी थे। उनका जीवन बहुत साफ सुथरा रहा। ऐसा शायद ही किसी राजनैतिक व्यक्ति का जीवन साफ सुथरा रहा हो। इसीलिए उनका नाम ऐग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से जोड़ दिया गया था और आज जब उनका नाम इस यूनिवर्सिटी से हटाने की बात आयी है, तो इसके बारे में मेरा एक ही सुझाव है, कहना है कि यह कोई अच्छी बात नहीं है। चौधरी चरण सिंह जी के नाम को इस यूनिवर्सिटी के नाम से नहीं हटाना चाहिये। इससे एक गलत परम्परा पड़ती है। इसलिए यह परम्परा नहीं डालनी चाहिये क्योंकि वे किसी एक जाति के नही थे। वे एक महान व्यक्ति थे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि चौधरी चरण सिंह जी का नाम इस यूनिवर्सिटी के साथ रहना चाहिये।

श्रीमती चन्द्रावती (लोहारू): स्पीकर साहब, यह जो बिल है, मैं समझती हूं कि इसको इन्हें वापिस लेना चाहिये अगर इनमें थोड़ी बहुत भी लिहाज है। मैं क्या और शब्द इस्तेमाल करूं क्योंकि वह अनपार्लियामैंट्री भी नहीं होना चाहिये। अगर थोड़ी बहुत भी इनमें लिहाज है तो इनको यह बिल वापिस ले लेना

चाहिये। जैसे कि मेरे से पहले कहा गया है, चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी ने ठीक ही कहा है कि लोग चौधरी चरण सिंह को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। उनका अपना जीवन, पोलीटीकल ही नहीं, बल्कि गृहस्थ जीवन भी लोगों के सामने और इस देश के सामने एक उदाहरण के रूप में रखा गया है। जो गरीब कहलाने वाले लोग थे, जिनको हम आर्टीजन कहते हैं, यदि वे खेत में काम करता है तो हम उसको मुजारा कहते हैं, उन सब को उन्होंने इकट्ठा किया। जो बिल्कुल ही छोटी–छोटी जातियों के लोग थे, जैसे मल्ला थे, कुर्मी थे, काच्छी थे, इन सब को उन्होंने एक किया और उन सब को एक कर के ही उन्होंने एक तरह से सारे देश में हमेशा जो लोग राजसत्ता में रहते थे, उनको चौलेन्ज किया। इस तरह से जिस आदमी ने गरीब लोगों के लिये काम किया हो, उस आदमी का नाम इस यूनिवर्सिटी से यह हटाना चाहते हैं, यह कोई अच्छी बात नहीं है। यह लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। मैं तो आपको यही अर्ज करना चाहती हू कि किसी की भावना को ठस पहुंचाने वाले को कई बार परमात्मा सजा देने वाला हो जाता है। आज लोगों की यह भावना है कि इसको न बदला जाये। इनको सत्ता का घमंड हो रहा है। आज यह नश में अन्धे हो रहे हैं और यह समझते हैं कि ब्रूट मैजोरिटी के सहारे जो चाहेंगे वह पास करा लेंगे। आप ऐसा करके लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना चाहते हो। मुख्य मंत्री जी आप यह जो इस तरह की बात कर रहे हो, यह कोई अच्छी बात नही है। मेरे से पहले चौधरी बंसी लाल और चौधरी वीरेन्द्र सिंह ने इस बात को बड़े विस्तार से

कहा है। मैं तो केवल इतनी ही बात कहना चाहती हूं कि इससे मेरी और इनकी भावना को ही नहीं या इस हाउस की भावना को ही नहीं बल्कि सब लोगों की भावना को ठेस पहुंचती है। जब शीतला माता का मंदिर आपने टेक–ओवर किया तो उस समय हम सब ने यह कहा था कि आप सब को टेक–ओवर कर लेते तो हमें कोई एतराज नहीं होता। हम इस चीज में यकीन करते हैं कि आज भी कुछ लोग ही खाते हैं। जो मंदिर बन जाते हैं या उनके जो ट्रस्टी बन जाते हैं, वे खा लेते हैं। बेईमानी तो इतनी ज्यादा है कि इसकी कोई हद नहीं है। बेईमान आदमी का कोई धर्म–कर्म नहीं होता। इसलिये या तो सब को कर लेते। एक शीतला माता का ही मंदिर क्यों टेक–ओवर किया, हम यह जानना चाहते हैं? इसी तरह से आप चौधरी चरण सिंह के नाम को ही क्यों बदलना चाह रहे हो? नहरों के नाम हैं, अस्पतालों के नाम हैं। दूसरे और व्यक्तियों के नाम से बहुत से अदायरे हैं। इंदिरा गांधी के नाम से नहर है। किसी और के नाम से अस्पताल हैं। किसी और के नाम से विद्यालय हैं। उन सारे नामों को आप चेंज क्यों नहीं करते? यह कोई अच्छी बात नही है जो इस तरह से आप लोगों की भावनाओं से खेल रहे हो। मुख्य मंत्री जी यह पावर सदा नहीं रहती। यह बात ठीक है कि आप बड़े लम्बे समय तक पावर में रहे हो इसलिये आपको थोड़ा घमंड हो गया है। वह इसलिये हो रहा है क्योंकि आप यह कहते हो कि मैंने तो हर आदमी के मुंह में अंगुली मार कर देख ली किसी के मुंह में दांत नहीं मिले। इस तरह से करोड़ों लोगों को चौलेन्ज करना कोई अच्छी बात नहीं

है। मेरा आपसे फिर दोबारा नम्र निवेदन है कि इस बिल को वापिस लेना चाहिये। यह बात कोई बहुत अच्छी बात नही है जो आप करने जा रहे हो। धन्यवाद

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, मैं बीच में दो–एक मिनट के लिये इन्टरवीन करना चाहता हूं।

श्री अमर सिंहः स्पीकर साहब, ये बाद में बोल लें। पहले हम सब को बोल लेने दें उसके बाद ये जवाब सारी बातों का इकट्ठा ही दे दें।

श्री अध्यक्षः अमर सिंह जी, आप बैठिये। आपको भी बोलने की इजाजत मिलेगी। आप बाद में बोल लेना। पहले चीफ मिनिस्टर साहब को बोल लेने दें। वह इन्टरवीन किसी भी वक्त कर सकते हैं।

प्रो० छतर सिंह चौहानः स्पीकर साहब, आप पहले हमें बोलने दे।

श्री अध्यक्षः नहीं, आप बैठिये।

चौधरी भजन लालः उन्होंने कुछ नाम लिये हैं। कुछ ऐसी बात कह दी, उस बारे में मैं चर्चा करना चाहूंगा।

प्रो० छतर सिंह चौहानः स्पीकर साहब, आप पहले हमें बोलने की इजाजत दे।

श्री अध्यक्षः चौहान साहब, आप बाद में बोल लेना। पहले चीफ मिनिस्टर साहब को बोलने दें।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, चौधरी चरण सिंह का जितना आदर और मान सामने बैठने वाले मेरे साथी महानुभाव करते हैं, उससे ज्यादा मान मैं चौधरी चरण सिंह का करता हूं। वे बहुत अउछे इन्सान थे और नेक इन्सान थे। जनता के लिए उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। मैं उनके कोई खिलाफ नहीं हूं। अध्यक्ष महोदय, बात क्या है? अगर चौधरी चरण सिंह इस यूनिवर्सिटी के साथ शुरू से जुड़े होते और भजन लाल उनका नाम आज हटाता तो आप कह सकते थे कि बड़ी ज्यादती कर रहा हूं। स्पीकर साहब, चरण सिंह का नाम दो साल पहले इस यूनिवर्सिटी के साथ रखा गया था और वह भी मैजोरिटी की वजह से। चौधरी चरण सिंह का नाम इस यूनिवर्सिटी के साथ जोड़ना इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि इस यूनिवर्सिटी का नाम शुरू से हरियाणा ऐग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। यह यूनिवर्सिटी एच० ए० यू० के नाम से जानी जाती है। यह यूनिवर्सिटी सारे वर्ल्ड के अन्दर, जापान को छोड्कर, सारे एशिया में सब से अच्छी है। अगर मैं यह बात कहूं तो गल्त नहीं होगा। इसके साथ और कोई नाम जोड़ दें तो एग्रीकल्चर का नाम नहीं रहता। इसलिए डाउट हो जाता है कि यह कोई नई यूनिवर्सिटी है। इस कारण इस यूनिवर्सिटी को वर्ल्ड से जो मदद मिलनी चाहिए वह नहीं मिलती। इसका वर्ल्ड में जो नाम है, वह कम हो जाएगा। इसी बात को लेकर वही पुराना नाम

एच० ए० यू० रखा जा रहा है। अगर पहले से चौधरी चरण सिंह का नाम जुड़ा होता तब तो ठीक था लेकिन यह तो बाद में रखा गया है। (विघ्न) आप लोग यह रंग देने की कोशिश करते हैं कि मैं जाटों के खिलाफ हूं। स्पीकर साहब, मेरे हल्के में चालीस हजार जाटों की वोट हैं और इनमें से अस्सी परसैन्ट वोट भजन लाल को पड़ते हैं। चौधरी देवी लाल ने वहां से भजन लाल के खिलाफ इलैक्शन लड़ा और इस मुकाबले में भजन लाल ने देवी लाल को हराया। अध्यक्ष महोदय, पिछली आधी में भी भजन लाल की घरवाली दस हजार वोटों से जीती थी। अध्यक्ष महोदय, जाटों के चौदह मैम्बर जीते हैं और इनमें से दस मिनिस्टर जाट हैं। फिर मैं जाटों के कैसे खिलाफ हूं? आप लोग जाटों की वकालत करते हैं और चौधरी बंसी लाल भी जाटों की वकालत करते हैं। चौधरी छोटू राम की वकालत करते हैं तथा चौधरी चरण सिंह की भी वकालत करैत हैं। अध्यक्ष महोदय, ये अपने जमाने को भूल गए। जब चौधरी बंसी लाल ने एक बार रोहतक में जलसा किया था तो कहा था कि यमुना पार से एक जाट आपको बहकाने के लिए आया है। इन्होंने कहा था कि 'यमुना पार का जाट और माटी का बाट, जितनी बार तोले उतना ही घाट ।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर चौधरी छोटू राम का जिक्र आया। चौधरी छोटू राम का मैं बेहद सम्मान करता हूं। श्री जिन्दल ने भी और बंसी लाल जी ने भी कह दिया कि मैंने चौधरी छोटू राम का स्टेच्यू नहीं लगने दिया। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास हिसार

जाट सभा के लगभग 100 लोग आए। मैंने कहा कि मैं चौधरी छोटू राम की इज्जत करता हूं। वे बहुत ही महान व्यक्ति थे। उन्होंने बहुत बडे काम किए। उन्होंने किसानों के लिए और समाज के लिए बहुत अच्छे काम किए। उन लोगों ने मुझ से स्टैच्यू लगाने की बात की। मैंने उनको कहा कि स्टैच्यू जरूर लगाएंगे। उसके बाद सैकड़ों आदमी मेरे पास और आए और कहने लगे कि जहां चौधरी छोटू राम का स्टैच्यू लगेगा वहां पर पहले ही गुजरी का फोटो है और उसी गुजरी के नाम से हिसार का गुजरी महल मशहूर है।

श्रीमती चन्द्रावतीः वहां किसी गुजरी का फोटो नही है।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, हिसार से गुजरी महल का नाम जुड़ा हुआ है। नलवा जी ने भी कहा कि वहां गुजरी का स्टैच्यू लगा है। इसको हटाना नहीं। उसके बाद फिर हिसार जाट सभा के लोग आए। मैंनै उनसे पूछा कि क्या इस जगह के अलावा कोई और जगह स्टैच्यू लगाने के लिए हो सकती है? मैंने कहा कि अगर किसी और जगह लग जाए तो अच्छा रहेगा। अध्यक्ष महोदय, वहां पर एक रेलवे पुल है। उसके पास एक चौक है। वह बहुत नीची जगह है और बरसात के दिनों में वहां पर तीन–तीन, चार–चार फुट पानी भर जाता है। मैंने ऐडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को बुलाया और उनसे कहा कि रेलवे ब्रिज से जो सड़क फव्वारा चोक की तरफ आती है वह टेड़ी–मेढ़ी है, सीधी नहीं है। उसको सीधी फव्वारे चौक तक लाने की स्कीम

बनाई जाए। मैंने ऐडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को कहा कि किसी तरह से सड़क सीधी फव्वारा चौक पर आ जाए ताकि वहां स्टैच्यू लगाया जा सके और हम इस जगह का इस्तेमाल कर लें। एक चौराहा यहां पर बना दें और यहां पर हम छोटू राम जी का फोटो लगा दें। (विघ्न) मैंने यह वहां के लोगों को कहा तो ही नहीं सकता कि आज एक चौराहे पर लगाएं और कल को दूसरे चौराहे पर ले जाएं। ऐसी बात नहीं हो सकती। हम उनकी फोटो को शानदार जगह पर लगाएंगे। मैं इनको बताना चाहता हूं कि सर छोटू राम जी की जितनी इज्जत मैं करता हूं, शायद ही ये लोग करते होंगे। सर छोटू राम जी का सौवां जन्मदिन अगर किसी ने हरियाणा के अन्दर मनाया है, तो वह मैंने मनाया है। देश के राष्ट्रपति जी को ले जाकर के सोनीपत के अन्दर मैंने मनाया था। जितनी भी सर छोटू राम जी की संस्थाएं हैं उनका नाम जिन–जिन संस्थाओं से जुड़ा हुआ है, उनमें ऐसी कोई संस्था नहीं है, जय मैं पहले मुख्य मन्त्री था, जिसको मैंने पांच या 10 लाख न दिया हो। यही नही, बल्कि जो इंजीनियरिंग कालेज, सोनीपत में बनने जा रहा है, उस कालेज के साथ भी अगर किसी ने सर छोटू राम जी का नाम जोड़ा है तो वह भजन लाल है। किसी और ने यह काम नहीं किया है। चौधरी बंसी लाल जी के अलावा श्री ओम प्रकाश जी ने भी कुछ बातें कहीं हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि बंसी लाल का सर छोटू राम जी के बारे में क्या नजरिया था। इन्होंने तो पार्टी मीटिंग में कहा था नेकी राम जी की मौजूदगी में, वे अब भी जिन्दा हैं, कि सर छोटू राम जैसा गद्दार इस देश के

अन्दर नहीं हो सकता। बंसी लाल जी औन ओथ कह दें कि मैंने नही कहा। इस तरह की बातें करके ये लोग सभी से सहानुभूति लेने की कोशिश करते हैं। साथ में इन्होंने यह भी कह दिया कि डाक्टर जे० पी० सिंह को हटाया गया। उस बारे में, मैं यह बताता हूं कि यूनिवर्सिटी में एक ऐसा माहौल बन गया था जिस कारण से उन्हे हटाना पड़ा। शुरू के सैशन में बंसी लाल जी ने खुद कहा था कि इस यूनिवर्सिटी का माहौल खराब है, इसको ठीक करना चाहिये। हमने वहां के सभी मामलों की जांच करवाई और जांच में यह पाया गया कि जे० पी० सिंह पार्टीबाजी में काफी हिस्सा ले रहे हैं और वहां का माहौल बिगड़ रहा है।

श्री बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, मैंने यह बात डा० जे० पी० सिंह के जाने के बाद कही थी कि कालेज का माहौल खराब था। मैंने पहले नहीं कहा था।

चौधरी भजन लालः बंसी लाल जी, यह तो रिकार्ड की बात है, निकलवा के देख लो। साथ में यह भी इन लोगों ने कहा था कि जे० पी० सिंह जाट है। वह जाट नही है। चौधरी चरण सिंह का दामाद तो हो सकता है पर जाट नहीं है। साथ मे बंसी लाल जी ने यह भी कह दिया कि भजन लाल जाटों के खिलाफ हैं। साथ में यह भी कह दिया कि शीतला देवी का मन्दिर जाटों का मन्दिर था, इसलिये इन्होंने टेक ओवर कर लिया, उस के०पर कब्जा कर लिया। अध्यक्ष महोदय, मैं इनको बता देता हूं कि हिमाचल प्रदेश का सब से बड़ा मन्दिर चिन्तपूर्णी व जम्मू में वैष्णो

देवी जी का मन्दिर भी गवर्नमैंट ने टेक ओवर किया है और उसके बाद उनको कितना सुन्दर सरकार ने बना दिया है, यह सब जानते हें। इसी तन्य से पंचकूला के पास मनसा देवी का मन्दिर है। उस मन्दिर की पहले क्या हालत थी और अब आप जाकर के देखिये उसकी कितनी अच्छी हालत है। लोग अब उस मन्दिर की कितनी तारीफ करते हैं। शीतला देवी के मन्दिर में, मैं गया था। जिस भाई ने उस मन्दिर को पहले देखा था वह अब जाकर के उसको देखे। पता चलेगा कि सरकार ने उसका कितना उद्धार किया है। मैं भाई रामबिलास जी, जोकि ब्राह्मण हैं, को कहूंगा कि वे जाकर देखें कि वह मन्दिर अब कितना शानदार एवं सुन्दर बन गया है। जब मैं उस मन्दिर को देखने गया तो गुड़गांव के सरपंच भी वहां पर माला लिये खड़े थे और उस सरपंच ने यह कहा कि चौधरी साहब, आपने इस मन्दिर को बहुत ही शानदार बना दिया है। यह भी कहा कि इसका पहले मिसयूज हो रहा था 1 50 लाख रुपया साल का चढ़ावा वहां आता था और बदमाश लोग खा जाते थे और अब वह चढ़ावा ठीक काम पर लगेगा। खाते कौन थे, कुछेक चन्द लोग और साथ में, यह भी कहते थे कि हम इस गांव के हिस्सेदार हें क्योंकि मुशतरका मालिकान में वह मन्दिर है। चोधरी बीरेन्द्र सिंह जी, बंसी लाल जी व बहन चन्द्रावती जी, आपको पता है कि आज प्रदेश के अन्दर क्या कोई मुश्तरका जमीन कहीं रह गई है? 1963 में यह कानून बन गया है कि मुश्तरका मालिकान की सारी की सारी जमीन पंचायत में वैस्ट कर गई है। वह पंचायत की जमीन है। उसके बाद यह कानून 1983 में वीरेन्द्र सिंह के

समय में बना। फिर 1988 में भी पास हुआ था। अभी राष्ट्रपति जी से उसकी कंसैन्ट आ गई है। इन्होंने वह ऐक्ट पास किया कि कौमन लैड जो है, मुश्तरका मालिकान की जमीन जो है, यह पंचायत में वैस्ट करनी चाहिए। राष्ट्रपति जी से भी इस बात की कंसैंट मिली है। तो कानून पहले बने और बीच में कुछ उल्ट–पुल्ट होते रहे। अब फाइनल स्टेज आ गई है और मुशरफा मालिकान को जमीन पंचायत में वैस्ट कर गई है। आप अध्यक्ष महोदय, जानते हैं कि कोई सस्य हो, कोई भी मन्दिर हो, वह किसी जाति विशेष का नहीं हुआ करता। कोई महान आदमी किसी जाति विशेष का नहीं हो सकता। चौधरी चरण सिंह को आप जाट बना कर इतना छोटा करना चाहते हैं। चौधरी चरण सिंह सब के नेता थे, अकेले आपके नहीं थे। चौधरी छोटू राम सब के नेता थे, कोई जाटों के नेता नहीं थे। (विघ्न) बहिन जी, चौधरी बंसी लाल ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का नाम चक्रवर्ती के नाम से रखा था। जब चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी आपकी सरकार आई तो चक्रवर्ती का नाम हटा कर फिर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का नाम आपने क्यों रखा? चक्रवर्ती कोई छोटे आदमी नहीं थे, थे भी बहुत बड़े आदमी थे, फिर उनका भी नाम चलना चाहिए था। उस चक्रवर्ती के नाम से क्या दिक्कत हो गई थी? लेकिन इस यूनिवर्सिटी के नाम से कुरुक्षेत्र का नाम जूड़ा हुआ है जोकि वर्ल्ड में एक इतिहास है। इसलिए आपने बदला था, रम आपको बुरा नहीं कहते। फिर कर्ण लेक का नाम चक्रवर्ती लेक रख दिया। उसका नाम दोबारा कर्ण लेक रखने की क्या जरूरत थी? इसलिए रखा कि कर्ण का नाम

भी इतिहास से जुड़ा हुआ है। क्यों बदला आप लोगों ने, चलने देते यही नाम। मेरे कहने का मतलब यह नहीं कि हम किसी जाति के खिलाफ कोई बात कहें। लेकिन आप इस तरह की बातें कह. कर इस तरह की भावना लोगों में पैदा न करें, यह अच्छी बात नहीं है। हम उन नेताओं का बड़ा आदर और सम्मान करते हैं। आपसे ज्यादा इज्जत, ज्यादा श्रद्धा उनके प्रति हमारे दिल में है। हमने कभी किसी के बारे में घटिया बात नहीं– कही। जो बात मक्कड़ साहब कह रहे थे, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता लेकिन मैंने कभी घटिया किस्म की बात नहीं कही है। मैं हरियाणा के नाम को पहले लेकर चलूंगा और किसी का नाम बाद में हो सकता है। हरियाणा का इतिहास आपके सामने है। हरियाणा वह प्रदेश है, जो हरि के नाम से जुड़ा हुआ हो। तो हरि के नाम को हटा कर आप किसी व्यक्ति का नाम जोड़े, यह भी कोई मुनासिब बात नहीं है। हां, अगर शुरू में उनका नाम होता और उसे हम हटाते तो आप हमें दोष दे सकते थे कि यह नाम इस युनिवर्सिटी के साथ शुरू से जुड़ा हुआ है, जिसको आप हटाने जा रहे हैं। तो वह हमें शोभा न देता। चौधरी चरण सिंह के नाम से और चौधरी छोटू राम के नाम से हरियाणा प्रदेश में हम इससे भी कोई अच्छी संस्था बनाएंगे। धन्यवाद।

वैयक्तिक स्पष्टीकरण–

श्री बंसी लाल द्वारा

श्री बंसी लालः स्पीकर साहब, आन ए प्वायंट आफ पर्सनल ऐक्सप्लेंनेशन। मुख्य मन्त्री जो बड़ी खूबसूरती, बड़े विश्वास और कन्फीडैंस के साथ गल्त ब्यानी करने के आदि हैं और बड़ी गल्त बवानी हाउस में करते हैं'। इन्होंने अमी कहा कि मैंनै पार्टी मीटिंग में चौधरी छोटू राम की शान' के खिलाफ कुछ कहा था। मैं मुख्य मन्त्री जी की इतलाह के लिए बतला देना चाहता हूं कि मैं नरवाना में कम सें कम पांच छः बार चौधरी नेकी राम जी के साथ जाकर उनका जन्म दिन मना कर आया हूं। (विध्न)रोहतक भी गया था। फिर अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात इन्होंने चौधरीं चरण सिंह के बारे में कही कि मैंने उनके बारे में यह कहा। अध्यक्ष महोदय, जो शब्द मुख्य मन्त्री जी ने. कहें, वह तो' इनकी घड़ने की आदत है। मैं इस बात को बार–बगर कह चुका हूं कि कनकौक्शन में, मैं इनका मुकाबिला कभी नहीं कर सकता। I am in competent to do that लेकिन यह ठीक है कि जब चौधरी चरण सिंह जीं जिन्दा थे तो वे अलग पार्टी में थे और हम अलग पार्टी में थे'। राजनैतिक रूप सै हमारी और उनकी मुखालिफत थी। हम उनके मुखालिफ में बोला करते थे और उनके विरुद्ध भी बोला करते थे लेकिन यह नहीं कि कोई व्यक्तिगत लांछन हमने उनके०पर लगाया हो। यह तो मुख्य मन्त्री जी की आदत है जो मर्जी घड कर कह दें कि मेरे सामने यह कहा, मेरे सामने वह कहा। मुझे ऐसा लगता है कि इस पृथ्वी पर, इस गलोब पर जो कुछ हो रहा है, वह इनमें सामने हो रहा है, इनके पीछे तो कुछ होता ही नहीं। ये सब बातें निराधार और बे बुनियाद हैं।

चौधरी भजन लालः चौधरी नेकी राम जिन्दा हैं, उनसे पूछ लो।

श्री बंसी लालः उनसे पूछ लो। (शोर)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, चौधरी नेकी राम जिन्दा हैं और श्री बनारसी दास गुप्ता जिन्दा हैं उन दोनों से पूछ लो। मुझे अच्छी तरह से याद है कि वे दोनों उस वक्त उस मीटिंग में हाजिर थे और भजन लाल भी उस मीटिंग में हाजिर था। अध्यक्ष महोदय, उन दोनों आदमियों से आप ही पूछ लेना। यदि वे कह देंगे कि चौधरी बंसी लाल जी ने ये लफ्ज नहीं कहे तो आप मुझे जो सजा देंगे वह मैं भुगत लूंगा।

श्री बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, ये यह बात कई बार 'कह चुके कि अगर यह काम नहीं हुआ तो मैं 'खुदकशी कर लूंगा। अगर ये एक बार भी उस बात को सच्ची कर दें तो कोई झगड़ों नहीं होता। अध्यक्ष महोदय, बनारसी दास गुप्ता की और इन महाशय की तो मैं कहता नहीं, आप चौधरी नेकी राम से पूछ लेना अगर वे कह देंगे तो मैं माम जाऊंगा।

श्री अध्यक्षः आप अपने सींग बार–बार क्यों फंसाते हो? (शोर)

दि हरियाणा एंड पंजाब ऐग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज (हरियाणा अमैडमैंड)बिल, 1992 (पुनरारम्भ)

चौधरी वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, पहले तो मैं यह कहना चाहूंगा कि ये दोनों महाशय हमारा बहुत टाईम खराब करते हैं। जिस दिन से सैशन चला है, उस दिन से इन दोनों महाशयों ने सदन का बहुत टाईम खराब किया है। आप मेहरबानी करके इनको रोकें और कहें कि ये ऐसे क्यों करते हें?

श्री अध्यक्षः ऐसा है–

रंज की जब गुफतगू होने लगी,

आप से तुम, तुम से तूं होने लगी।

चौधरी वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, अब मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्षः वीरेन्द्र सिंह जी आप तो पहले बोल चुके है।

चौधरी वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री जी ने हाउस को मिस इन्फोर्म किया है। अब खुद दूध के धोए हो गए। इन्होंने जो मिस इन्फर्मेशन दी है, उसको क्लीयर तो करना ही पड़ेगा। स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री जी ने बहुत सफाई के साथ कहा कि जाट सभा के सैकड़ों लोग इनके पास बात करने के लिए आए थे। (शोर)

चौधरी भजन लालः मैंने यह कहा है कि 100 के करीब आए थे।

चौधरी वीरेन्द्र सिंहः चलो, कोई बात नही। आपके पास 50, 200 या 95 लोग आए होंगे। यह बात कहना तो बहुत आसान बात है। इन्होंने स्वयं माना है कि इन से जाट सभा के लोग मिले और इन्होंने स्वयं यह कहा कि बुत यहां लगे लेकिन बाद में इनको किसने भरा और किसने चुगली खाई, ये मना कर गए। स्पीकर साहब, जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि गुजरी महल से हिसार का नाम जुड़ा हुआ है और वहां पर गुजरी का छोटा सा बुत है, ऐसी बात म्यूनिसिपल कमेटी के रिकार्ड में तो मिलती नहीं। अगर गुजरी का बुत म्यूनिसिपल कमेटी के रिकार्ड में मिल जाए तो Verender Singh will be the last person to stress for this. (Interruptions) अगर म्यूनिसिपल कमेटी के रिकार्ड में गुजरी बुत का नाम मिल जाए तो वीरेन्द्र सिंह आखिरी व्यक्ति होगा जो इस किस्म की दलील दे और इतना गिरा हुआ काम करे। Verender Singh will be the last person to stress for that, इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, मुख्य मती जी ने एक बात यह भी की कि ये चौधरी चरण सिंह जी की हमारे से ज्यादा इज्जत करते हैं। ये जरूर करते होंगे मैं इस बात पर डिसप्यूट क्यों करूं? ये चौधरी चरण सिंह जी की इज्जत करते हैं और सर छोटू राम की इज्जत करते है परन्तु मेरा कहना यह है कि प्रचार आपके खिलाफ कसिस्टैट है। मैंने यह भी कहा था कि मुझे नहीं पता आप इनके खिलाफ हें या नहीं, वह आपका दीन–धर्म जाने। जब प्रचार आपके खिलाफ कसिस्टैट है तो ऐसी बात सारे हरियाणा प्रान्त में जाएगी कि वाकई आप इस किस्म का काम करते हैं। इस लिए मैं अब भी

गुजारिश करता हूं कि चौधरी भजन लाल जी इसमें प्रैस्टिज का सवाल मत बनाईए। बैस्ट जनरल वह होता है, जो रीट्रीट करना जानता है। इसमें प्रैस्टिज मत इनवाल्व करो। आप ऐसी बात करो जिससे प्रदेश में ठीक वातावरण रहे। स्पीकर साहब, मैं आपके जरिए सारे ट्रेजरी बैचिज के मैम्बरान से यह निवेदन करता हूं कि आप सभी आपस में सलाह करके मुख्य मंत्री जी को मनाइए कि वे इस बिल को वापिस लें। इस बिल को वापिस लेने में हरियाणा ऐग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का कोई नुक्सान नहीं होने जा रहा है। मैं कहता हूं कि उसके साथ चौधरी चरण सिंह का नाम जोड़ने से हरियाणा का नाम छोटा नहीं होगा, वह बड़ा ही होगा। मैंने कहा था कि चौधरी चरण सिंह हमारे दामाद थे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप अपनी जमीर को टटोलें। ऐसी बात में मत जाओ और पार्टी लाइन से०पर उठ कर मुख्य मंत्री जी को समझा कर इस बिल को वापिस लो। इस बिल को वापिस लेने में कोई दिक्कत नहीं है और कोई नुक्सान नहीं है।

श्री बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, जो विधायक हिसार प्रौपर के हैं, उनको तो इस बिल पर बोलने के लिए समय दें क्योंकि ये उस कांस्टिच्यूएंसी को रिप्रेजैट करते है।

श्री अध्यक्षः पार्टी की तरफ से तो आप बोल लिए हैं।

श्री बंसी लालः जिन्दल साहब, हिसार कान्स्टीच्यूएंसी को रिप्रेजैट करते हैं इसलिए इनको बोलने का दो मिनट का समय दें।

श्री अध्यक्षः ठीक है, जिन्दल साहब आप दो मिनट बोल लीजिए।

श्री ओम प्रकाश जिन्दल (हिसार): अध्यक्ष महोदय, ऐग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का जो नाम चेजं किया जा रहा है, यह एक बहुत बड़ा घोर अन्धेर है। चौधरी चरण सिंह कोई मामूली आदमी नहीं थे। वे उत्तर प्रदेश के मुख्य मती और इस देश के प्रधान मती रहे हैं। उनका नाम यूनिवर्सिटी के साथ नहीं होगा तो यह उनके साथ अन्याय होगा। मुख्य मंत्री ने कहा है कि एक और यूनिवर्सिटी उनके नाम से बना देंगे।

श्री अध्यक्षः ऐसा इन्होंने कुछ नहीं कहा।

श्री ओम प्रकाश जिन्दलः अध्यक्ष महोदय, यूनिवर्सिटी से बड़ी कोई संस्था नहीं हो सकती। हमारे मुख्य मंत्री जी बड़ी सफाई से और साफ दिल से बात करते हैं। (विघ्न) ये बार–बार एक बात कहते हैं कि जब मैं (चौधरी भजन लाल)और बंसी लाल जी साथ–साथ बैठते थे तो ऐसा होता था। ये उन बातों का हवाला देते हुए कहते हैं कि इन्होंने उस समय यह कहा था, वह कहा था। मैं बताना चाहता हूं कि दोस्ती में तो पता नहीं क्या क्या बातें चलती रहती हैं। उन बातों का जिकर अब किया जाये,

यह कोई अच्छी बात नहीं होगी। जब मेरी और इनकी दोस्ती होती थी, उस समय ये जाटों के बारे में क्या–क्या कहते थे, अगर मैं उन बातों को कहूं तो कोई अच्छी बात नहीं होगी क्योंकि यारी दोस्ती में जो बात की जाती है उसको पब्लिकली नहीं कहना चाहिए। अध्यक्ष महोदय इस बिल के बारे में यह कहना चाहता हूं कि यदि हिसार यूनिवर्सिटी का नाम चौधरी चरण सिंह जी के नाम से बदला जाता है तो यह आग लगाने जैसी बात होगी और वहां पर खून खराबे को बढ़ावा मिलेगा। ऐसी आग लगेगी जो बुझाये नहीं बुझेगी। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इस विधेयक को वापस लिया जाये और उनके नाम से ही यूनिवर्सिटी का नाम रहने दिया जाये। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां पर हिसार में फव्वारा चौक पर ही सर छोटू राम जी का बुत लगाया जाना चाहिए क्योंकि इससे अच्छी जगह इस महान आदमी के लिए और कोई नहीं हो सकती। जब उनका बुत वहा पर लगाये जाने के लिए म्यूनिसिपल कमेटी ने प्रस्ताव पास किया हुआ है तो फिर इनको क्या एतराज हो सकता है? मेरा कहना यह हे कि जब यूनिवर्सिटी का नाम चेंज हो सकता है तो फिर जो कोई बुत किसी का वहा पर लगा हुआ है, वह चेंज क्यों नहों हो सकता और सर छोटू राम जो का बुत वहां पर क्या नहो लग सकता मैं एक विधायक के नाते यह बात कह रहा हूं कि हिसार यूनिवर्सिटी का नाम चौधरी चरण सिंह जी के नाम से रहना चाहिए और हिसार में फव्वारा चौक पर छोटू राम जी का बुत लगना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें वहां पर न की गईं तो वहां पर बहुत भारी

खून खराबा होगा और झगड़ा बढ़ेगा इसलिए मेरी मांगें है कि ये दोनों मांग मानी जानी चाहिए। धन्यवाद।

Mr. Speaker : Qeuestion is—

That the Haryana and Punjab Agricultural Universities (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr Speaker : Now the House will consider the Bill clause by clause.

चौधरी वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, इस बिल को जो पास किया जा रहा है यह बहुत ज्यादती हो रही है। मैं इसके प्रोटैस्ट में हाउस में धरना देता हूं। (शोर)

CLAUSE 2

Mr. Speaker : Question is—

That Cla use 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause -1

Mr. Speaker : Question is—,

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

ENACTING FORMULA Mr. Speaker : Question is—

That Enacting formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried:

(At this stage, Shri Verender Singh joined by Sint, Chandrawati and Shri Ram Bilas Sharma, staged a. dharna in they well of the House and some other members of the opposition also came to the well of the House and started speaking without permission of the Speaker and there was noise in the House).

Mr. Speaker : Now the Agriculture Minister will move that the Bill be passed.

Agriculture Minister (Shri Har Pal Singh) : Sir I beg to move—

That the Bill be passed,

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(3)दि हरियाणा म्यूनिसिपल (अमैंडमैंट)बिल, 1992

Mr. Speaker : Now the Minister of State for Local Government will introduce the. Haryana Municipal (Amendment) Bill, 1992 and also move the motion for its consideration.

Minister of State for Local Government (Ch. Dharambir Gauba) : Sir, I beg to introduce the Haryana Municipal (Amendment) Bill, 1992,

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Municipal (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Municipal (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Municipal (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the House will consider the Bill clause by clause. (Interruptions and noise)

चौधरी वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, हमारी बात तो सुनिये। हमने ऐग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी वाले बिल पर डिवीजन मांगा था परन्तु आपने हमारी बात नही सुनी।

Mr. Speaker : That stage rs over now. Please take your

Clause-2

Mr Speaker : Question is-

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause - 3

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 3 stand part of the Bill,

The motion was carried.

Clause-I

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

ENACTING FORMULA

Mr.Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried,

TITLE

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill,

The motion was carried,

Mr. Speaker : Now the Minister of the State for Local Government.

will move that the Bill be passed.

Minister of State for local Government (Ch, Dharambir Gauba) :

Sit, I beg to move—

That the Bill be passed,

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed,

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried,

नियम 84 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker : Hon'ble Members, **I** have received notices of motion under rule 84 from Smt. Chandravati and Sarvshri Amar Singh, Chhattar Singh Chauhan and Dharam Pal Singh, M.L.As, for discussion of-

(i) The 14th Annual Report of the Haryana Land Reclamation and Development Corporation Limited for the year

1987-88, which was laid on the Table of the House on the 9th March, 1992,

(ii) The 17th Annual Report for the year 1990-91 of the Haryana Seeds Development Corporation limited., which was laid on the Table of the House on the 13th March, 1992.

(iii) The 24th Annual Report and Accounts of Haryana Agro-Industrial Corporation Limited for the year 1990-91, which was laid on tne Table of the House on the 13th March, 1992.

(iv) The 24th Annual Statement of Aocounts for the year 1990-91 of the Haryana State Electricity Board, which was laid on the Table of the House on the 9th March, 1992.

These motions will be deemed to have been read and moved. However, the Hon'ble Members may please indicate the Report oh which they wish to raise discussion while speaking. (No member rose to speak)

Mr. Speaker : Now the House stands adjourned sine-die.

***16.15hrs**

(The Sabha then *adjourned sine-die)